अप्रैल, 2014

उच्च न्यायालय दांडिक निर्णय पत्रिका

प्रधान संपादक
अनूप कुमार वार्ष्णेय

संपादक
डा. एम. सी. पांडेय

महत्वपूर्ण निर्णय

दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) – धारा 302 और 304 – हत्या – जहां प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों के परिसाक्ष्य, चिकित्सक की मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट और प्रकृति के सामान्य अनुक्रम में मृत्यु कारित करने के लिए भोथर वस्तु से शरीर के मुख्य अंग पर कारित पर्याप्त क्षतियों से यह साबित होता हो कि मृत्यु अचानक झगड़ा जनित आवेश के बिना पूर्व चिंतन से क्रूरतापूर्ण या अप्रायिक रीति से कारित की गई थी वहां अभियुक्त दंड संहिता की धारा 304 के बजाय धारा 302 के अधीन हत्या के अपराध का दायी होगा ।

राकेश कुमार बनाम **राज्य (राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र, दिल्ली)** 488

विधि साहित्य प्रकाशन

संसद् के अधिनियम

पशु अतिचार अधिनियम, 1871 का हिन्दी में प्राधिकृत पाठ (1) – (13)

पृष्ठ संख्या 443 – 591 **(2014) 1 दा. नि. प.**

विधि साहित्य प्रकाशन
विधायी विभाग
विधि और न्याय मंत्रालय
भारत सरकार

संपादक-मंडल

श्री प्रेम कुमार मल्होत्रा,
सचिव, विधायी विभाग

श्रीमती शारदा जैन, संयुक्त सचिव एवं
विधायी परामर्शी, विधायी विभाग

डा. विजय नारायण मणि, अधिवक्ता,
(पूर्व संपादक) वि.सा.प्र.

प्रो. डा. वैभव गोयल,
लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन
अकादमी, मसूरी (उत्तराखण्ड)

डा. सुरेन्द्र कुमार शर्मा, प्रिन्सिपल,
विधि विभाग, गुरु गोविंद सिंह इन्द्रप्रस्थ
विश्वविद्यालय

डा. ऋषि पाल सिंह,
सेवानिवृत्त संयुक्त सचिव, राजभाषा खंड

श्री लालजी प्रसाद,
सेवानिवृत्त प्रधान संपादक,
वि.सा.प्र.

श्री कृष्ण गोपाल अग्रवाल,
सेवानिवृत्त संपादक, वि.सा.प्र.

श्री अनूप कुमार वार्ष्णेय,
प्रधान संपादक

श्री महमूद अली खां,
संपादक

श्री जुगल किशोर,
संपादक

डा. मिथिलेश चन्द्र पांडेय,
संपादक

सहायक संपादक : सर्वश्री विनोद कुमार आर्य, कमला कान्त, अविनाश शुक्ल और असलम खान

उप-संपादक : सर्वश्री दयाल चन्द ग्रोवर, महीपाल सिंह और जसवन्त सिंह

कीमत : डाक-व्यय सहित

एक प्रति : ₹ 12

वार्षिक : ₹ 135

© 2014 भारत सरकार, विधि और न्याय मंत्रालय

प्रकाशन और विक्रय प्रबंधक, विधि साहित्य प्रकाशन, विधि और न्याय मंत्रालय (विधायी विभाग), भगवानदास मार्ग, नई दिल्ली-110001 द्वारा प्रकाशित तथा मुद्रण निदेशालय द्वारा, भारत सरकार मुद्रणालय, एन.आई.टी. फरीदाबाद में मुद्रित।

उच्च न्यायालय दांडिक निर्णय पत्रिका

अप्रैल, 2014

निर्णय-सूची

	पृष्ठ संख्या
अर्जुन राम **बनाम** राजस्थान राज्य	536
काला राम **बनाम** राज्य और एक अन्य	460
परताप चन्द और अन्य **बनाम** हिमाचल प्रदेश राज्य	565
राकेश कुमार **बनाम** राज्य (राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र, दिल्ली)	488
राजेन्द्र कुमार **बनाम** राजस्थान राज्य और अन्य	562
राम बहादुर **बनाम** उत्तराखंड राज्य और अन्य	443
शंकर **बनाम** राजस्थान राज्य	515
श्रीकृष्ण और अन्य **बनाम** मध्य प्रदेश राज्य	503
सुरेन्द्रन और एक अन्य **बनाम** केरल राज्य	448
हिमाचल प्रदेश राज्य **बनाम** दयाराम और अन्य	576
हेमराज और अन्य **बनाम** हिमाचल प्रदेश राज्य	569

संसद् के अधिनियम

पशु अतिचार अधिनियम, 1871 का हिन्दी में प्राधिकृत पाठ	(1) – (13)

विषय-सूची

पृष्ठ संख्या

केरल आबकारी अधिनियम, 1077 (1077 का 1)

– धारा 50(2) और धारा 55-क – अन्वेषण की सक्षम अधिकारिता – जहां मजिस्ट्रेट ने ऐसे हेड कांस्टेबल जो अधिनियम के अधीन आबकारी अधिकारी नहीं है, द्वारा किए गए अन्वेषण के आधार पर अपराध का संज्ञान लिया हो, वहां अन्वेषण अवैधता या अनियमितता से नहीं बल्कि अन्वेषण करने की शक्ति न होने के कारण दोषग्रस्त है अतः, अभियुक्तों के विरुद्ध आरंभ की गई कार्यवाही अंतर्निहित शक्ति के अभाव में अपास्त किए जाने योग्य है ।

सुरेन्द्रन और एक अन्य बनाम **केरल राज्य** 448

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2)

– धारा 156(3) – अपराध का अन्वेषण – आवेदन की खारिजी – जब आवेदक द्वारा ऐसा कोई ठोस साक्ष्य न प्रस्तुत किया गया हो और ऐसा कोई सारवान् तत्व न हो जिसके आधार पर युक्तियुक्ततः यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि अभिकथित अपराध किया गया था तब मजिस्ट्रेट अपराध का अन्वेषण करने या पुलिस को मामला दर्ज करने का आदेश देने के लिए बाध्य नहीं है ।

राम बहादुर बनाम **उत्तराखंड राज्य और अन्य** 443

– धारा 360 [सपठित अपराधी परिवीक्षा अधिनियम, 1958 (1958 का 20) – धारा 4] – सदाचरण की परिवीक्षा – न्यायालय अभियुक्त को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 360 या अपराधी परिवीक्षा अधिनियम का फायदा देने के लिए आबद्ध नहीं है किंतु न्यायालय के लिए फायदा देने या न देने का कारण अभिलिखित करना

पृष्ठ संख्या

आज्ञापक है ।

परताप चन्द और अन्य बनाम **हिमाचल प्रदेश राज्य** 565

– धारा 468 – परिसीमा काल के पश्चात् संज्ञान का वर्जन – परिसीमा की अवधि का संगणना के लिए परिवाद फाइल करने या आपराधिक कार्यवाही आरंभ करने की तारीख सुसंगत तारीख मानी जानी चाहिए न कि मजिस्ट्रेट द्वारा संज्ञान लेने या न्यायालय द्वारा आदेशिका जारी करने की तारीख, इस प्रकार, सेशन न्यायाधीश का आदेश सुस्थिर विधि के विरुद्ध होने के कारण पूर्णतः अनुचित और न्यायरहित है ।

राजेन्द्र कुमार बनाम **राजस्थान राज्य और अन्य** 562

दंड संहिता, 1860 (1860 का 45)

– धारा 300, अपवाद-4 – हत्या की कोटि में न आने वाला आपराधिक मानव वध – जहां अपीलार्थी के कब्जे वाली भूमि पर मृतक को कब्जा करने के आशय से प्रवेश करते हुए देखकर अभियुक्त ने मृतक का ट्रैक्टर से पीछा किया और बरछी से प्रहार किया तथा मृतक को ट्रैक्टर से कुचल दिया, वहां अचानक प्रकोपन से पूर्व-चिंतन बिना उसे मारने के किसी आशय के बिना कार्य करने के कारण अभियुक्त को हत्या की कोटि में न आने वाले आपराधिक मानव वध के अपराध का दोषी ठहराया जाना युक्तिसंगत और न्यायोचित है ।

अर्जुन राम बनाम **राजस्थान राज्य** 536

– धारा 302 [सपठित साक्ष्य अधिनियम, 1872 (1872 का 1) – धारा 3] – हत्या – पारिस्थितिक साक्ष्य – जहां मामले के तथ्यों और परिस्थितियों तथा साक्ष्यों की संवीक्षा पर यह निष्कर्ष निकलता है कि मामले की सभी बरामदगियां मात्र काल्पनिक थीं और मृतका को हत्या की तारीख या इसके ठीक पश्चात्

पृष्ठ संख्या

अभियुक्त व्यक्तियों के घर के आस-पास भी नहीं देखा गया तथा सभी परिस्थितियों को समग्रता से देखने पर अकाट्य रूप से यह नहीं कहा जा सकता कि हत्या अभियुक्त व्यक्तियों द्वारा ही कारित की गई थी वहां अभियुक्त व्यक्ति दोषमुक्त किए जाने के हकदार हैं ।

हिमाचल प्रदेश राज्य बनाम **दयाराम और अन्य** 576

– धारा 302 और 304 – हत्या – जहां प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों के परिसाक्ष्य, चिकित्सक की मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट और प्रकृति के सामान्य अनुक्रम में मृत्यु कारित करने के लिए भोथर वस्तु से शरीर के मुख्य अंग पर कारित पर्याप्त क्षतियों से यह साबित होता हो कि मृत्यु अचानक झगड़ा जनित आवेश के बिना पूर्व चिंतन से क्रूरतापूर्ण या अप्रायिक रीति से कारित की गई थी वहां अभियुक्त दंड संहिता की धारा 304 के बजाय धारा 302 के अधीन हत्या के अपराध का दायी होगा ।

राकेश कुमार बनाम **राज्य (राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र, दिल्ली)** 488

– धारा 302 और 304 भाग-1 – हत्या और हत्या की कोटि में न आने वाला आपराधिक मानव वध – जहां अभियुक्त भारी और धारदार वस्तु से मृतक की गर्दन या सिर पर कोई हमला करता है जिससे मृत्यु कारित होना संभाव्य है वहां अभियुक्त हत्या से नहीं बल्कि हत्या की कोटि में न आने वाले आपराधिक मानव वध के अपराध से दोषसिद्ध ठहराए जाने का दायी है ।

शंकर बनाम **राजस्थान राज्य** 515

– धारा 306 – आत्महत्या का दुष्प्रेरण – मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से यह स्पष्ट है कि मृतक ने अपीलार्थियों द्वारा धन वापस न किए जाने के कारण

पृष्ठ संख्या

आत्महत्या की किन्तु अभिलेख पर ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है कि अपीलार्थियों ने मृतक को आत्महत्या करने के लिए प्रकोपित, प्रोत्साहित, प्रेरित या विवश किया इसलिए, अपीलार्थियों को आत्महत्या करने के दुष्प्रेरण के अपराध का दोषी नहीं ठहराया जा सकता ।

श्रीकृष्ण और अन्य बनाम **मध्य प्रदेश राज्य** 503

– धारा 341 और 353 – सदोष अवरोध और लोक सेवक को भयोपरत करने के लिए हमला – जहां युक्तियुक्त संदेह के परे साबित होता है कि प्राइवेट यान चालकों ने विधि की घोर उपेक्षा करते हुए यात्रियों को खतरे में डाला तथा पब्लिक यान के संचालक और चालक को क्षतियां पहुंचाई और यान का सदोष अवरोध किया वहां अभियुक्तों को आदेशित दंडादेशों में कोई अवैधता या विप्रतीपता नहीं है ।

हेमराज और अन्य बनाम **हिमाचल प्रदेश राज्य** 569

रणवीर दंड संहिता, 1989 (संवत्)

– धारा 302 – हत्या – जहां ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है कि अभियुक्त जो सेना में कार्यरत था सुसंगत समय पर घटनास्थल पर मौजूद था तथा न्यायालय द्वारा मृतका के मृत्युकालिक कथन को साक्ष्य के भाग के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है, वहां अपराध में अभियुक्त के लिप्त होने के किसी अकाट्य साक्ष्य के अभाव में उसे हत्या के अपराध का दोषी नहीं ठहराया जा सकता ।

काला राम बनाम **राज्य और एक अन्य** 460

– धारा 498-क – क्रूरता – जहां मामलों के तथ्यों और परिस्थितियों, नातेदारों के साक्ष्यों, अभियुक्त के आचरण, अभियुक्त के प्रकटन कथन से पैट्रोल और दियासलाई की बरामदगी और दहेज की मांग से यह

पृष्ठ संख्या

साबित होता है कि अभियुक्त ने मृतका के साथ क्रूरता का बर्ताव किया, वहां अभियुक्त मृतका के प्रति क्रूरता के अपराध का उत्तरदायी होगा ।

काला राम बनाम **राज्य और एक अन्य** 460

साक्ष्य अधिनियम, 1872 (1872 का 1)

– धारा 32 – मृत्युकालिक कथन – मृतका के मृत्युकालिक कथन का सारवान् साक्ष्य के रूप में तब तक अवलंब नहीं लिया जा सकता जब तक यह साबित न किया गया हो कि मृतका कथन करने की ठीक मानसिक स्थिति में थी ।

काला राम बनाम **राज्य और एक अन्य** 460

राम बहादुर

बनाम

उत्तराखंड राज्य और अन्य

तारीख 5 अगस्त, 2013

न्यायमूर्ति यू. सी. ध्यानी

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) – धारा 156(3) – अपराध का अन्वेषण – आवेदन की खारिजी – जब आवेदक द्वारा ऐसा कोई ठोस साक्ष्य न प्रस्तुत किया गया हो और ऐसा कोई सारवान् तत्व न हो जिसके आधार पर युक्तियुक्ततः यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि अभिकथित अपराध किया गया था तब मजिस्ट्रेट अपराध का अन्वेषण करने या पुलिस को मामला दर्ज करने का आदेश देने के लिए बाध्य नहीं है ।

आवेदक-पुनरीक्षणकर्ता राम बहादुर ने विरोधी पक्षकारों के विरुद्ध मामला दर्ज करने तथा उस पर अन्वेषण करने के लिए पुलिस थाना, डोहीवाला को निदेश देने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 156(3) के अधीन आवेदन प्रस्तुत किया है । न्यायिक मजिस्ट्रेट/प्रथम श्रेणी, अपर सिविल न्यायाधीश (कनिष्ठ खंड), देहरादून द्वारा पुलिस थाना, डोहीवाला से रिपोर्ट मंगवाई गई थी और उस पर रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी कि कोई प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई थी । परिणामस्वरूप, इस रिपोर्ट पर विद्वान् न्यायिक मजिस्ट्रेट ने आवेदक-पुनरीक्षणकर्ता राम बहादुर द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 156(3) के अधीन पेश किए गए आवेदन पर प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज करने के लिए पुलिस थाना, डोहीवाला को निदेश दिया था । पुलिस थाना, डोहीवाला को मामले को रजिस्ट्रीकृत करने और उसमें अन्वेषण किया गया था, देखिए आदेश दिनांक 15 नवंबर, 2006 । उक्त आदेश से व्यथित होकर राज्य द्वारा जिला शासकीय काउंसेल (दांडिक), देहरादून के माध्यम से राज्य द्वारा पुनरीक्षण आवेदन फाइल किया गया था । दोनों पक्षकारों को सुनने के पश्चात् पुनरीक्षण आवेदन मंजूर किया गया था । तारीख 15 नवंबर, 2006 के आदेश को अपास्त कर दिया गया । दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 156(3) के अधीन आवेदन को अस्वीकार कर दिया गया था, देखिए आक्षेपित निर्णय और आदेश तारीख 23 जनवरी,

2007 । आक्षेपित निर्णय और आदेश से व्यथित होकर आवेदक-पुनरीक्षणकर्ता द्वारा वर्तमान दांडिक पुनरीक्षण आवेदन फाइल किया गया था । उच्च न्यायालय द्वारा आवेदन खारिज करते हुए,

अभिनिर्धारित – आवेदन में आवेदक ने यह अभिकथन किया है कि विरोधी पक्षकार सं. 1 शारीरिक रूप से मौजूद था और सभी विरोधी पक्षकारों ने संयुक्त रूप से अपराध किया । आवेदन में इस बात का कथन नहीं किया गया कि किस उपबंध के अधीन विरोधी पक्षकारों द्वारा अपराध किया गया था । विरोधी पक्षकारों के विरुद्ध लगाए गए अभियोगों का परिशीलन करने पर उनसे यह दर्शित होता है कि उनके द्वारा डकैती का अपराध किया जाना प्रतीत होता है जो अभियोग प्रथमदृष्ट्या स्पष्ट नहीं था । विरोधी पक्षकार सं. 2 और 3 अपने कर्तव्य के निर्वहन में कार्य कर रहे थे जैसाकि उन्हें विरोधी पक्षकार सं. 1 द्वारा निदेश दिया गया था । अभियोगों के अनुसार शेष विरोधी पक्षकार घटनास्थल पर मौजूद थे । मजिस्ट्रेट के समक्ष ऐसा कोई प्रथमदृष्ट्या साक्ष्य प्रकट नहीं था जिसके आधार पर यह अनुमान निकाला जा सकता कि उन विरोधी पक्षकारों ने आवेदक पुनरीक्षणकर्ता द्वारा अभिकथित प्रकृति का कोई अपराध किया था । विद्वान् सेशन न्यायाधीश, देहरादून ने अपने तारीख 23 जनवरी, 2007 के अपने निर्णय और आदेश में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए विनिश्चयों की श्रृंखला के प्रकाश में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 156(3) के अधीन आवेदन के पक्ष और विपक्ष पर चर्चा की जिन नजीरों का विद्वान् निचले न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में उल्लेख किया गया है । दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 156(3) में यह उपबंधित किया गया है कि कोई मजिस्ट्रेट जिसे दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 190 के अधीन सशक्त किया गया है ऐसे अन्वेषण के लिए आदेश कर सकता है "कर सकता" शब्द धारा में प्रयुक्त किया गया है जिससे यह उपदर्शित होता है कि मजिस्ट्रेट ऐसे अन्वेषण के लिए आदेश कर सकता है या आदेश नहीं कर सकता है । यह विवेकाधिकार अधिकारिता है जिसका न्यायिक रूप से प्रयोग किया जाना चाहिए । जबकि विद्वान् मजिस्ट्रेट ने विवेकपूर्ण रीति में अपनी अधिकारिता का प्रयोग नहीं किया, विद्वान् सेशन न्यायाधीश, देहरादून ने विवेकपूर्ण रीति में मामले पर विचार करते हुए यह अभिनिर्धारित किया है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 156(3) के अधीन आवेदन सार रहित है । दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 156(3) के अधीन मात्र आवेदन को पेश किए जाने के कारण मजिस्ट्रेट मामले को रजिस्ट्रीकृत करने के लिए पुलिस को आदेश देने के लिए बाध्य नहीं है ।

कुछ सार होना चाहिए जिसके आधार पर युक्तियुक्त रूप से यह निष्कर्ष निकाला जा सके कि कोई संज्ञेय अपराध किया गया था । दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 156(3) के अधीन आवेदन अविश्वसनीय अभियोगों के आधार पर मंजूर नहीं किया जा सकता । विद्वान् सेशन न्यायाधीश, देहरादून द्वारा तारीख 23 जनवरी, 2007 को पारित किए गए आक्षेपित निर्णय और आदेश में कोई अवैधानिकता नहीं है । (पैरा 3 और 4)

पुनरीक्षण (दांडिक) अधिकारिता : 2008 का दांडिक पुनरीक्षण आवेदन सं. 157.

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 397/401 के अधीन पुनरीक्षण आवेदन ।

पुनरीक्षणकर्ता की ओर से श्री लोकेन्द्र डोभाल

प्रत्यर्थी की ओर से सर्वश्री एम. ए. खान, अपर सरकारी अभिवक्ता, पी. एस. सोन, (सुश्री) दीपा आर्य और संदीप टंडन

आदेश

न्यायमूर्ति यू. सी. ध्यानी – आवेदक-पुनरीक्षणकर्ता राम बहादुर ने विरोधी पक्षकारों के विरुद्ध मामला दर्ज करने तथा उस पर अन्वेषण करने के लिए पुलिस थाना, डोहीवाला को निदेश देने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 156(3) के अधीन आवेदन प्रस्तुत किया है । न्यायिक मजिस्ट्रेट/ प्रथम श्रेणी, अपर सिविल न्यायाधीश (कनिष्ठ खंड), देहरादून द्वारा पुलिस थाना, डोहीवाला से रिपोर्ट मंगवाई गई थी और उस पर रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी कि कोई प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई थी । परिणामस्वरूप, इस रिपोर्ट पर विद्वान् न्यायिक मजिस्ट्रेट ने आवेदक-पुनरीक्षणकर्ता राम बहादुर द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 156(3) के अधीन पेश किए गए आवेदन पर प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज करने के लिए पुलिस थाना, डोहीवाला को निदेश दिया था । पुलिस थाना, डोहीवाला को मामले को रजिस्ट्रीकृत करने और उसमें अन्वेषण किया गया था, देखिए आदेश दिनांक 15 नवंबर, 2006 । उक्त आदेश से व्यथित होकर राज्य द्वारा जिला शासकीय काउंसेल (दांडिक), देहरादून के माध्यम से राज्य द्वारा पुनरीक्षण आवेदन फाइल किया गया था । दोनों पक्षकारों को सुनने के पश्चात् पुनरीक्षण आवेदन मंजूर किया गया था । तारीख 15 नवंबर, 2006

के आदेश को अपास्त कर दिया गया । दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 156(3) के अधीन आवेदन को अस्वीकार कर दिया गया था, देखिए आक्षेपित निर्णय और आदेश तारीख 23 जनवरी, 2007 । आक्षेपित निर्णय और आदेश से व्यथित होकर आवेदक-पुनरीक्षणकर्ता द्वारा वर्तमान दांडिक पुनरीक्षण आवेदन फाइल किया गया था ।

2. दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 156(3) के अधीन आवेदन का परिशीलन करने पर उससे यह दर्शित होता है कि हरितास गुलशन, आई. ए. एस., उपखंड मजिस्ट्रेट, देहरादून विरोधी पक्षकार सं. 1; कुशाल सिंह राना, लेखपाल विरोधी पक्षकार सं. 2 ग्राम हरावाला, पुलिस थाना, डोहीवाला और पी. आर. पी. आर्य, विरोधी पक्षकार सं. 3, चौकी भारसाधक, जोगीवाला, पुलिस थाना, डोहीवाला को उनकी शासकीय हैसियत में अभियुक्त के रूप में क्रमबद्ध किया गया था । शिकायत के अनुसार जो कुछ भी अभियुक्त-व्यक्तियों ने किया और उनके द्वारा अपनी शासकीय हैसियत में किया गया था । उनका आवेदक-पुनरीक्षणकर्ता के विरुद्ध कोई वैयक्तिक दुर्भाव नहीं था । वे सरकारी सेवक थे जिन्होंने अपना कार्य करने में अपने शासकीय कर्तव्य का निर्वहन किया था ।

3. आवेदन में आवेदक ने यह अभिकथन किया है कि विरोधी पक्षकार सं. 1 शारीरिक रूप से मौजूद था और सभी विरोधी पक्षकारों ने संयुक्त रूप से अपराध किया । आवेदन में इस बात का कथन नहीं किया गया कि किस उपबंध के अधीन विरोधी पक्षकारों द्वारा अपराध किया गया था । विरोधी पक्षकारों के विरुद्ध लगाए गए अभियोगों का परिशीलन करने पर उनसे यह दर्शित होता है कि उनके द्वारा डकैती का अपराध किया जाना प्रतीत होता है जो अभियोग प्रथमदृष्ट्या स्पष्ट नहीं था । विरोधी पक्षकार सं. 2 और 3 अपने कर्तव्य के निर्वहन में कार्य कर रहे थे जैसाकि उन्हें विरोधी पक्षकार सं. 1 द्वारा निदेश दिया गया था । अभियोगों के अनुसार शेष विरोधी पक्षकार घटनास्थल पर मौजूद थे । मजिस्ट्रेट के समक्ष ऐसा कोई प्रथमदृष्ट्या साक्ष्य प्रकट नहीं था जिसके आधार पर यह अनुमान निकाला जा सकता कि उन विरोधी पक्षकारों ने आवेदक पुनरीक्षणकर्ता द्वारा अभिकथित प्रकृति का कोई अपराध किया था । विद्वान् सेशन न्यायाधीश, देहरादून ने अपने तारीख 23 जनवरी, 2007 के निर्णय और आदेश में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए विनिश्चयों की शृंखला के प्रकाश में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 156(3) के अधीन आवेदन के पक्ष और विपक्ष पर चर्चा की जिन नजीरों का विद्वान् निचले न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में

उल्लेख किया गया है ।

4. दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 156(3) में यह उपबंधित किया गया है कि कोई मजिस्ट्रेट जिसे दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 190 के अधीन सशक्त किया गया है ऐसे अन्वेषण के लिए आदेश कर सकता है (जैसाकि ऊपर उल्लिखित है) । "कर सकता" शब्द धारा में प्रयुक्त किया गया है जिससे यह उपदर्शित होता है कि मजिस्ट्रेट ऐसे अन्वेषण के लिए आदेश कर सकता है या आदेश नहीं कर सकता है । यह विवेकाधिकार अधिकारिता है जिसका न्यायिक रूप से प्रयोग किया जाना चाहिए । जबकि विद्वान् मजिस्ट्रेट ने विवेकपूर्ण रीति में अपनी अधिकारिता का प्रयोग नहीं किया, विद्वान् सेशन न्यायाधीश, देहरादून ने विवेकपूर्ण रीति में मामले पर विचार करते हुए यह अभिनिर्धारित किया है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 156(3) के अधीन आवेदन सार रहित है । दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 156(3) के अधीन मात्र आवेदन को पेश किए जाने के कारण मजिस्ट्रेट मामले को रजिस्ट्रीकृत करने के लिए पुलिस को आदेश देने के लिए बाध्य नहीं है । कुछ सार होना चाहिए जिसके आधार पर युक्तियुक्त रूप से यह निष्कर्ष निकाला जा सके कि कोई संज्ञेय अपराध किया गया था । दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 156(3) के अधीन आवेदन अविश्वसनीय अभियोगों के आधार पर मंजूर नहीं किया जा सकता । विद्वान् सेशन न्यायाधीश, देहरादून द्वारा तारीख 23 जनवरी, 2007 को पारित किए गए आक्षेपित निर्णय और आदेश में कोई अवैधानिकता नहीं है ।

5. आवेदक पुनरीक्षणकर्ता द्वारा प्रस्तुत किया गया दांडिक पुनरीक्षण आवेदन गुणागुण रहित है और इसलिए, उसे खारिज किया जाता है ।

आवेदन खारिज किया गया ।

आर्य

सुरेन्द्रन और एक अन्य

बनाम

केरल राज्य

तारीख 29 अगस्त, 2013

न्यायमूर्ति हारून-उल-राशिद

केरल आबकारी अधिनियम, 1077 (1077 का 1) – धारा 50(2) और धारा 55-क – अन्वेषण की सक्षम अधिकारिता – जहां मजिस्ट्रेट ने ऐसे हेड कांस्टेबल जो अधिनियम के अधीन आबकारी अधिकारी नहीं है, द्वारा किए गए अन्वेषण के आधार पर अपराध का संज्ञान लिया हो, वहां अन्वेषण अवैधता या अनियमितता से नहीं बल्कि अन्वेषण करने की शक्ति न होने के कारण दोषग्रस्त है अतः, अभियुक्तों के विरुद्ध आरंभ की गई कार्यवाही अंतर्निहित शक्ति के अभाव में अपास्त किए जाने योग्य है ।

अभियोजन पक्षकथन इस प्रकार है कि तारीख 6 जून, 1998 को लगभग 10 बजे पूर्वाह्न अभियुक्तों को एरियाकोड-मुक्कम के रास्ते पर कैन में अवैध 35 लीटर अरक परिवहन करते पाया गया था । द्वितीय अभियुक्त बाइक चला रहा था और प्रथम अभियुक्त पिछली सीट पर सवार था और दोनों अभियुक्त आबकारी अधिनियम की धारा 55-क के अधीन दंड दिए जाने योग्य हैं । अभियोजन पक्ष ने अभि. सा. 1 से 6 की परीक्षा की और प्रदर्श पी-1 से पी-9 को चिह्नित किया । अभियोजन पक्ष की ओर से एमओएस 1 से 3 चिह्नित किए गए । अभियुक्तों से दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन प्रश्न पूछे गए और उनके कथन सम्यक् रूप से अभिलिखित किए गए । उन्होंने साक्ष्य में प्रकट हो रही सभी अपराध में फंसाने वाली परिस्थितियों से इनकार किया और प्रतिरक्षा पक्ष की ओर से प्रदर्श डी-1 और डी-2 चिह्नित किए गए । अभि. सा. 1 एरियाकोड पुलिस थाना का पुलिस उप-निरीक्षक है । उसने न्यायालय के समक्ष यह साक्ष्य दिया कि जब वह तारीख 6 जून, 1998 को लगभग 10 बजे पूर्वाह्न पुलिस दल के साथ एरियाकोड-मुक्कम सड़क पर चलने वाली गाड़ियों की जांच की ड्यूटी पर था तब देखा कि अभियुक्त सं. 2 वजाक्कडू की ओर बाइक से जा रहा था । पुलिस दल ने पिछली सीट पर सवार व्यक्ति को

देखा जो अभियुक्त सं. 1 है । उसने जूट का थैला रखा हुआ था और उसके द्वारा संकेत दिए जाने पर बाइक को रोका गया और जूट के थैले में रखी गई वस्तु के बारे में पूछताछ की गई । पुलिस दल ने संदेह होने पर थैला खोला और कैन्नास में शराब पाई और उस शराब को सूंघने पर वे इस बात से आश्वस्त हुए कि अभियुक्त अवैध शराब का परिवहन कर रहा है । कैन्नास में 35 लीटर शराब भरी हुई थी और अभिग्रहण करने के समय यह पूरी तरह भरा हुआ था । तद्नुसार अभि. सा. 1 ने अभियुक्तों को गिरफ्तार किया और अभिग्रहण किया गया । 3 नमूने बोतल तैयार किए गए और उन्हें मोहरबंद किया गया । मोटरसाइकिल को भी अभिगृहीत किया गया और उसे न्यायालय के समक्ष पेश किया गया । यह कहा गया है कि लेबल तैयार किए गए और उन्हें बोतल के नमूनों पर लगाया गया था । प्रदर्श पी-1 अभिग्रहण महजर है । प्रथम इत्तिला रिपोर्ट को प्रदर्श पी-2 से चिह्नित किया गया । प्रदर्श पी-3 और पी-4 सम्पत्ति सूची और अग्रेषित टिप्पण है । प्रदर्श पी-5 गिरफ्तारी ज्ञापन है । निचले न्यायालय ने यह निष्कर्ष निकाला कि धारा 313 के अंतर्गत किए गए कथन में अभियुक्तों द्वारा न्यायालय के समक्ष बताई गई कहानी के बारे में पूर्ण रूप से संदिग्धता प्रकट हुई है । निचले न्यायालय ने मत प्रकट किया है कि उन्होंने इस बारे में कथन नहीं किया कि वे एक बड़े कैन में असेटिक एसिड का परिवहन करने के लिए क्यों प्रवृत्त हुए थे जबकि उनका मैथ्यू के साथ कोई कारबार नहीं था । सेशन न्यायालय ने अभियुक्त को अपराध का दोषी पाया और दंडादिष्ट किया । अभियुक्तों ने सेशन न्यायालय के आदेश के विरुद्ध अपील की । उच्च न्यायालय द्वारा अपील मंजूर करते हुए,

अभिनिर्धारित – यह आवश्यक नहीं है कि आबकारी अधिनियम की धारा 34 के अधीन अभिगृहीत वस्तुएं 'तत्काल' मजिस्ट्रेट के न्यायालय के समक्ष पेश की जानी चाहिए, जबकि यह पर्याप्त होगा यदि अभिग्रहण से संबंधित अभिलेख विद्वान् मजिस्ट्रेट के समक्ष 'तत्काल' पेश कर दिया गया था । जहां कहीं भी यह अनुकरणीय है कि विनिषिद्ध माल को अभिलेखों के साथ भी पेश किया जाना चाहिए । विनिषिद्ध माल के पेश करने के विलंब के बारे में स्पष्टीकरण दिया जाना चाहिए । मामले में विनिषिद्ध वस्तुएं मजिस्ट्रेट के समक्ष अभिग्रहण से संबंधित अभिलेखों के साथ पेश नहीं किए गए थे । विनिषिद्ध वस्तु 6 दिन के विलंब के पश्चात् पेश की गई थी । विनिषिद्ध वस्तु को विलंब से पेश करने के बारे में न तो किसी कारण का कथन किया गया है और न कोई स्पष्टीकरण दिया गया है । विनिषिद्ध

वस्तु के विलंब से पेश करने से अभियोजन पक्षकथन दूषित हो जाता है । हेड कांस्टेबल आबकारी अधिनियम के अधीन प्राधिकृत आबकारी अधिकारी नहीं है, वह आबकारी अपराध के संबंध में उसका पता लगाने या उस पर अन्वेषण करने या उस पर आरोप लगाने के लिए असक्षम है । इसलिए, यह स्पष्ट है कि वर्तमान मामले में हेड कांस्टेबल द्वारा किए गए अन्वेषण में अधिकारिता का अभाव है और जिससे अभियोजन पक्षकथन का मूल स्वरूप नष्ट होता है चाहे अभियोजन पक्षकथन झूठा न हो । अभि. सा. 5 ने अन्वेषण किया । उसने घटनास्थल का महजर तैयार किया था । वह ऐसा व्यक्ति था जिसने साक्षियों के कथन धारा 161 के अधीन अभिलिखित किए थे और रासायनिक परीक्षा रिपोर्ट प्राप्त की थी । कोई मजिस्ट्रेट ऐसे किसी हेड कांस्टेबल जो आबकारी अधिकारी नहीं है जैसाकि अधिनियम के अधीन परिभाषित किया गया है, द्वारा फाइल की गई रिपोर्ट के आधार पर अधिनियम के अधीन अपराध का संज्ञान नहीं ले सकता है । अन्वेषण में की गई अवैधानिकता या अनियमितता अभियोजन कार्यवाही प्रारंभ करने की शक्ति की कमी से भिन्न है । सुभाष बनाम केरल राज्य वाले मामले में इस न्यायालय के खंड न्यायपीठ ने यह अभिनिर्धारित किया है कि आबकारी अधिनियम की धारा 50 में यह कहा गया है जैसे ही इस अधिनियम के अधीन अन्वेषण पूरा कर लिया जाता है तब आबकारी अधिकारी पुलिस रिपोर्ट को मजिस्ट्रेट के पास भेजेगा और मजिस्ट्रेट दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 173 की उपधारा (2) के अनुसरण में पुलिस रिपोर्ट पर अपराध का संज्ञान लेने के लिए सशक्त है । इससे यह दर्शित होता है कि मजिस्ट्रेट आबकारी अधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर ही संज्ञान ले सकता है । इस प्रकार उपधारा (2) में यह आज्ञापक है कि आबकारी अधिकारी अन्वेषण करने के पश्चात् दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 173 की उपधारा (2) के अनुसरण में रिपोर्ट को अग्रेषित करेगा । धारा 50 (2) का परिशीलन करने पर यह स्पष्ट है कि आबकारी अधिकारी अन्वेषण के पश्चात् अंतिम रिपोर्ट को फाइल करने के लिए सक्षम प्राधिकारी है । अधिनियम के अधीन जिस प्राधिकारी को मामले के अन्वेषण करने का प्राधिकार सौंपा गया है, वह आबकारी अधिकारी है । इस मामले में मजिस्ट्रेट ने हेड कांस्टेबल जो आबकारी अधिकारी नहीं है जैसाकि अधिनियम में परिभाषित किया गया है, द्वारा किए गए अन्वेषण के आधार पर अधिनियम के अधीन अपराध का संज्ञान लिया है । ऐसा अन्वेषण कानून द्वारा आशयित नहीं है और हेड कांस्टेबल द्वारा किए गए अन्वेषण के आधार पर अभियोजन को प्रारंभ करने की मजिस्ट्रेट की शक्ति में अंतर्निहित कमी है । आबकारी अधिनियम की

धारा 50 में यह आज्ञापक है कि इस अधिनियम के अधीन अपराध का प्रत्येक अन्वेषण बिना आवश्यक विलंब के पूरा किया जाएगा । इस मामले में घटना तारीख 6 जून, 1998 को घटी थी । रसायन परीक्षक ने तारीख 3 दिसंबर, 1998 को रिपोर्ट प्रस्तुत की थी । इसके पश्चात् तत्काल न्यायालय के समक्ष अंतिम रिपोर्ट पेश की जानी चाहिए थी । यह देखने में आता है कि अंतिम रिपोर्ट केवल 5 अक्तूबर, 2000 को अर्थात् 1 वर्ष 9 महीने की अवधि के पश्चात् पेश की गई थी । रसायन परीक्षक की रिपोर्ट की प्राप्ति पर अन्वेषण कार्य पूरा किया गया था । रासायनिक परीक्षा रिपोर्ट की प्राप्त के पश्चात् युक्तियुक्त समय के भीतर अंतिम रिपोर्ट पेश न करने का किसी कारण का कथन नहीं किया गया है और न कोई स्पष्टीकरण दिया गया है । अभि. सा. 6 ने तारीख 1 अगस्त, 2000 को पुलिस के उप-निरीक्षक के पद पर प्रभार ग्रहण किया था । केवल इसके पश्चात् तारीख 5 अक्तूबर, 2000 को अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी । इस कारण का पता नहीं चला कि समयांतर्गत अंतिम रिपोर्ट को बिना पेश किए किस प्रयोजन से अभिलेखों को पुलिस थाने में रखा गया था । मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में निचले न्यायालय द्वारा साबित परिस्थितियों के अंतर्गत पारित की गई दोषसिद्धि और दंडादेश को कायम नहीं रखा जा सकता है । (पैरा 10, 11 और 12)

निर्दिष्ट निर्णय

		पैरा
[2013]	(2013) 3 के. एल. टी. 654 : **रंजन** बनाम **केरल राज्य** ;	10
[2013]	2013 के. एच. सी. 2783 : **अप्पुकुट्टन** बनाम **केरल राज्य** ;	8
[2011]	(2011) (3) 353 : **रवि** बनाम **केरल राज्य** ;	8
[2008]	(2008) 2 के. एल. टी. 1047 : **सुभाष** बनाम **केरल राज्य** ।	11

अपीली (दांडिक) अधिकारिता : 2004 (क) की दांडिक अपील सं. 963.

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 374 के अधीन अपील ।

अपीलार्थियों की ओर से	सर्वश्री एम. के. दामोदरन, वरिष्ठ अधिवक्ता, एम. पी. प्रभानंदन, सोजन मिचेल और गिलबर्ट जार्ज कोरेय्या, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी की ओर से	श्री विजू थामस, लोक अभियोजक

न्यायमूर्ति हारून-उल-राशिद – अपीलार्थी अपर जिला और सेशन न्यायाधीश, त्वरित निपटान न्यायालय (तदर्थ) न्यायालय-I, मंजेरी के फाइल पर 2001 के एस. सी. सं. 87 में अभियुक्त हैं । यह अपील सेशन मामले में तारीख 11 जून, 2004 को पारित किए गए निर्णय के विरुद्ध फाइल की गई है । अभियुक्तों को आबकारी अधिनियम की धारा 55-क के अधीन आरोप पत्रित किया गया है । निचले न्यायालय ने यह निष्कर्ष निकाला है कि अभियुक्तों की दोषसिद्धि युक्तियुक्त संदेह के परे साबित की गई है और उन्हें सिद्धदोष किया गया है । अभियुक्तों को तीन वर्ष का कठोर कारावास भोगने तथा प्रत्येक से 1 लाख रुपए के जुर्माने का संदाय करने और जुर्माना के संदाय का व्यतिक्रम करने पर 1 वर्ष का साधारण कारावास भोगने के लिए दंडादिष्ट किया गया । इसमें इसके पश्चात् जिनका पक्षकारों के रूप में उल्लेख किया गया है उनका नाम सेशन मामले की सूची में लिखा गया था ।

2. अभियोजन पक्षकथन इस प्रकार है कि तारीख 6 जून, 1998 को लगभग 10 बजे पूर्वाह्न अभियुक्तों को एरियाकोड-मुक्कम के रास्ते पर कैन में अवैध 35 लीटर अरक परिवहन करते पाया गया था । द्वितीय अभियुक्त बाइक रजिस्ट्रेशन सं. केएल-11(जी)-4742 चला रहा था और प्रथम अभियुक्त पिछली सीट पर सवार था और दोनों अभियुक्त आबकारी अधिनियम की धारा 55-क के अधीन दंड दिए जाने योग्य हैं ।

3. अभियोजन पक्ष ने अभि. सा. 1 से 6 की परीक्षा की और प्रदर्श पी-1 से पी-9 को चिह्नित किया । अभियोजन पक्ष की ओर से एमओएस 1 से 3 चिह्नित किए गए । अभियुक्तों से दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन प्रश्न पूछे गए और उनके कथन सम्यक् रूप से अभिलिखित किए गए । उन्होंने साक्ष्य में प्रकट हो रही सभी अपराध में फंसाने वाली परिस्थितियों से इनकार किया और प्रतिरक्षा पक्ष की ओर से प्रदर्श डी-1 और डी-2 चिह्नित किए गए थे ।

4. अभि. सा. 1 एरियाकोड पुलिस थाना का पुलिस उप-निरीक्षक है । उसने न्यायालय के समक्ष यह साक्ष्य दिया कि जब वह तारीख 6 जून,

1998 को लगभग 10 बजे पूर्वाह्न पुलिस दल के साथ एरियाकोड-मुक्कम सड़क पर चलने वाली गाड़ियों की जांच करने की ड्यूटी पर था तब उन्होंने देखा कि अभियुक्त सं. 2 वजाक्कडू की ओर बाइक से जा रहा था । पुलिस दल ने पिछली सीट पर सवार व्यक्ति को देखा जो अभियुक्त सं. 1 है । उसने जूट का थैला रखा हुआ था और उसके द्वारा संकेत दिए जाने पर बाइक को रोका गया और जूट के थैले में रखी गई वस्तु के बारे में पूछताछ की गई । पुलिस दल ने संदेह होने पर थैला खोला और कैन्नास में शराब पाई और उस शराब को सूंघने पर वे इस बात से आश्वस्त हुए कि अभियुक्त अवैध शराब का परिवहन कर रहा है । कैन्नास में 35 लीटर शराब भरी हुई थी और अभिग्रहण करने के समय पर यह पूरी तरह भरा हुआ था । तद्नुसार अभि. सा. 1 ने अभियुक्तों को गिरफ्तार किया और अभिग्रहण किया गया । 3 नमूने बोतल तैयार किए गए और उन्हें मोहरबंद किया गया । कैन्नास और जूट के थैले पर एमओएस 1 और 2 चिह्न डाले गए । मोटरसाइकिल को भी अभिगृहीत किया गया और उसे न्यायालय के समक्ष पेश किया गया । यह कहा गया है कि लेबल तैयार किए गए और उन्हें बोतल के नमूनों पर लगाया गया था । प्रदर्श पी-1 अभिग्रहण महजर है । प्रथम इत्तिला रिपोर्ट को प्रदर्श पी-2 से चिह्नित किया गया । प्रदर्श पी-3 और पी-4 सम्पत्ति सूची और अग्रेषित टिप्पण हैं । प्रदर्श पी-5 गिरफ्तारी ज्ञापन है । निचले न्यायालय ने यह निष्कर्ष निकाला कि धारा 313 के अंतर्गत किए गए कथन में अभियुक्तों द्वारा न्यायालय के समक्ष बताई गई कहानी के बारे में पूर्ण रूप से संदिग्धता प्रकट हुई है । निचले न्यायालय ने मत प्रकट किया है कि उन्होंने इस बारे में कथन नहीं किया है कि वे एक बड़े कैन में असेटिक एसिड का परिवहन करने के लिए क्यों प्रवृत्त हुए थे जबकि उनका मैथ्यू के साथ कोई कारबार नहीं था ।

5. अभियुक्तों के अनुसार जब वे मोटरसाइकिल चलाते हुए रुक गए थे तब मैथ्यू नामक व्यक्ति ने उन्हें इस अनुदेश के साथ थैला सौंपा था कि इसे उस्मान नामक व्यक्ति की दुकान में परिदत्त कर दिया जाए । न्यायालय ने यह मत व्यक्त किया है कि इस बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं किया गया है अभियुक्त एक बड़े कैन को ले जाने के लिए अज्ञात व्यक्ति के अनुरोध पर क्यों विवश हुआ था जिसे जूट के थैले में लपेटा गया था और अभियुक्त का अभिकथित कार्य सामान्य आचरण वाला प्रतीत नहीं होता है । निचले न्यायालय ने यह निष्कर्ष निकाला है कि प्रतिरक्षा वृत्तांत प्रभाव

डालने वाला विश्वसनीय प्रतीत नहीं होता है ।

6. निचले न्यायालय ने साक्ष्य पर यह निष्कर्ष निकाला है कि दस्तावेज अर्थात् पी-1, पी-2 पी-5, पी-7 और पी-8 जिन्हें अभिग्रहण के समय पर अभि. सा. 1 द्वारा तैयार किया गया था उसी दिन अर्थात् 6 जून, 1998 को न्यायालय में पहुंचा दिए गए थे और आवश्यक रूप से यह दर्शित होता है कि कुछ घंटों के अंतर्गत वस्तुएं और दस्तावेज न्यायालय पर पहुंचा दिए गए थे इसलिए अभिग्रहण और गिरफ्तारी के बारे में संदेह करने का कोई कारण प्रकट नहीं होता है । अभि. सा. 2 पुलिस दल के सदस्यों में से एक है और उसने अभि. सा. 1 की सहायता की थी । उसने अभि. सा. 1 के साक्ष्य की भी सम्पुष्टि की है । अभि.सा. 3 अभिग्रहण महजर जिसे प्रदर्श पी-1 से चिह्नित किया गया है, के साक्ष्य में से एक है । उसने प्रदर्श पी-1 में अपने हस्ताक्षर स्वीकार किए हैं । उसका विभेदमूलक वृत्तांत प्रदर्श पी-7 से चिह्नित किया गया है और उसे अन्वेषक अधिकारी के माध्यम से भी साबित किया गया है । अभि. सा. 5 द्वारा अन्वेषण किया गया था । उसने घटनास्थल का महजर तैयार किया और इसे अभि. सा. 4 के माध्यम से साबित किया गया है । अभि. सा. 5 पुलिस कांस्टेबल है जो पुलिस थाने पर तैनात है । रासायनिक परीक्षा रिपोर्ट को प्रदर्श पी-9 से चिह्नित किया गया है । यह अभिप्रमाणित किया गया है कि नमूने में मिथाइल अल्कोहल था । अभि. सा. 1 से 6 के मौखिक साक्ष्य के आधार पर तथा दस्तावेज जिन्हें प्रदर्श पी-1 से पी-9 के रूप में चिह्नित किया गया है । विद्वान् न्यायाधीश ने यह निष्कर्ष निकाला है कि अभियुक्त की दोषिता युक्तियुक्त संदेह के परे साबित की गई है ।

7. पता लगाने वाला अधिकारी पुलिस का उप-निरीक्षक है । अधिकारी जिसने अपराध में अन्वेषण किया है, वह पी. डब्ल्यू. 5 है जो हेड कांस्टेबल है । पुलिस उप-निरीक्षक अभि. सा. 6 है जिसने आरोप लगाया है । तात्विक वस्तु एमओ 1 है जो 35 लीटर कैन को प्रदर्शित करती है । एमओ 2 दूध का थैला है और एमओ 3 बोतल का नमूना है । अभि. सा. 1 ने न्यायालय के समक्ष यह साक्ष्य दिया है कि नमूने लेने के पश्चात् अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया था और दस्तावेजों के साथ उसे न्यायालय के समक्ष पेश किया गया था । साक्ष्य में यह प्रकट हुआ है कि तात्विक वस्तुएं तारीख 6 जून, 1998 को न्यायालय के समक्ष पेश नहीं किए गए थे । उन्हें तारीख 12 जून, 1998 को ही पेश किया गया था ।

अभि. सा. 1 न्यायालय के समक्ष यह अभिसाक्ष्य दिया है कि बोतलों के नमूने एक दिन के लिए पुलिस थाने में रखे गए थे । अभि. सा. 1 ने शेष अवधि के लिए उस अवधि तक बोतलों की अभिरक्षा के बारे में कथन नहीं किया है जब उन्हें तारीख 12 जून, 1998 को न्यायालय के समक्ष पेश किया गया था । न तो अभि. सा. 1 और न अभि. सा. 5 ने न्यायालय के समक्ष एमओ 1 से 3 को विलंब से पेश करने के लिए कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है । अभि. सा. 1 से 5 की जब परीक्षा की गई, ने घटना की तारीख को या उसके अगले दिन दस्तावेजों सहित न्यायालय के समक्ष तात्विक वस्तुओं को पेश नहीं करने के बारे में कोई स्पष्टीकरण भी नहीं दिया है ।

8. प्रदर्श पी-9 रासायनिक परीक्षा रिपोर्ट तारीख 3 दिसंबर, 1998 की है । अंतिम रिपोर्ट तारीख 5 अक्तूबर, 2000 को फाइल की गई थी । दिसंबर, 1998 में रासायनिक परीक्षा रिपोर्ट की प्राप्ति के पश्चात् भी युक्तियुक्त समय के भीतर अंतिम रिपोर्ट फाइल न करने पर कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है । रिपोर्ट 1 वर्ष और 9 माह के पश्चात् फाइल की गई थी । तात्विक वस्तु सं. 1 से 3 तारीख 12 जून, 1998 को पेश किए गए थे और घटना की तारीख 6 जून, 1998 थी । घटना की तारीख को अभियुक्तों को मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया गया था । दस्तावेज भी पेश किए गए थे और यह बात ज्ञात नहीं हुई है कि तात्विक वस्तुएं उसी दिन पेश क्यों नहीं की गईं । सम्पत्ति को पेश करने के विलंब के बारे में **रवि** बनाम **केरल राज्य**[1] वाले मामले में इस न्यायालय के खंड न्यायपीठ ने यह अभिनिर्धारित किया है कि "न्यायालय के समक्ष सम्पत्तियों को तत्काल पेश करने के बारे में उपबंध के अधीन कोई कानूनी आज्ञा नहीं है" अभिगृहीत की गई सम्पत्ति को न्यायालय के समक्ष पेश करने में हुए विलंब पर संभवतः न्यायालय द्वारा अप्रसन्नता प्रकट की गई है क्योंकि जब संबंधित अधिकारी की अभिरक्षा में ऐसी सम्पत्ति है तब उसकी दुरुपयोगिता या उसमें हेरफेर की संभावना प्रकट होती है । इस प्रकार, खंड न्यायपीठ ने यह निष्कर्ष निकाला है कि बिना अयुक्तियुक्त विलंब के न्यायालय के समक्ष सम्पत्ति को पेश करना विधि के अंतर्गत आवश्यक अध्यपेक्षा है और कि न्यायालय के समक्ष सम्पत्ति को पेश करने में विलंब अभियोजन पक्षकथन के घातक नहीं हो सकता है यदि विलंब का संतोषजनक

[1] (2011) (3) 353.

स्पष्टीकरण दिया जा सका है । खंड न्यायपीठ ने यह अभिनिर्धारित किया है कि जब सम्पत्ति को विलंब से पेश किया गया है तब विलंब का स्पष्टीकरण दिया जाना चाहिए । इस खंड न्यायपीठ का विनिश्चय का **अप्पुकुट्टन** बनाम **केरल राज्य**[1] वाले मामले में विद्वान् एकल न्यायाधीश ने अपने विनिश्चय में इसका अनुसरण किया है ।

9. तात्विक वस्तु के नमूने तारीख 6 जून, 1998 को लिए गए थे और उन्हें उसी दिन पुलिस थाने में रखा गया था । न तो अभि. सा. 1 और न अभि. सा. 5 ने यह कथन किया है कि नमूने तारीख 12 जून, 1998 तक पुलिस थाने में रोके गए थे । अभि. सा. 1 का वृत्तांत यह है कि तात्विक वस्तुएं अगले दिन तक पुलिस थाने में रखे गए थे । तारीख 7 जून, 1998 से 12 जून, 1998 तक नमूनों के साथ क्या घटित हुआ था इस बारे में जिसने उक्त अवधि के दौरान नमूनों को अभिरक्षा में रखा हुआ था न तो उसका स्पष्टीकरण दिया और न उस बात को साबित किया गया था । जिस बात को साबित करने के लिए कोई साक्ष्य नहीं है कि यह नमूना विनिषिद्ध माल से लिया गया था जिसे रसायन परीक्षक के पास पहुंचा दिया गया था । रासायनिक परीक्षा रिपोर्ट तारीख 31 दिसंबर, 1998 की है । यद्यपि, रसायन परीक्षक द्वारा तारीख 8 जुलाई, 1998 को नमूने लिए थे । यह देखने में आया है कि विलंब से परीक्षा की गई थी । यह साबित करने के लिए कोई साक्ष्य नहीं है कि नमूना यथावत रखा गया था और तारीख 12 जून, 1998 से नमूने की परीक्षा तक की अवधि के दौरान सुरक्षित अभिरक्षा के अधीन था । अभियोजन पक्ष ने यह साबित करने के लिए थोडीं लिपिक की परीक्षा की जानी चाहिए थी कि तात्विक वस्तुएं यथावत और सुरक्षित अभिरक्षा के अधीन रखी गई थीं । थोडीं अनुभाग लिपिक जिसके अभिरक्षा में न्यायालय की सम्पत्ति थी, उसकी मजिस्ट्रेट के समक्ष सम्पत्ति प्राप्ति की तारीख पर ऐसे मामलों को साबित करने के लिए परीक्षा नहीं की गई थी । शर्त जिसमें उन सम्पत्तियों को इस तथ्य सहित न्यायालय में प्राप्त किया गया था कि क्या नमूना बोतल प्राप्त की गई थी । यदि ऐसा है तो क्या ऐसी किसी बोतल पर रासायनिक परीक्षक के पास नमूने को भेजने की तारीख तक तथा बोतल के नमूने की अभिरक्षा की प्रकृति यथावत थी । यह दर्शित करने के लिए कोई स्वीकार्य योग्य सामग्री नहीं है कि नमूने बोतल सहित सम्पत्तियां जो रसायन परीक्षक के पास

---

[1] 2013 के. एच. सी. 2783.

भेजी गई थीं उनकी मोहरें यथावत थीं । अभियोजन पक्ष अपीलार्थी के विरुद्ध दोषसिद्धि को सुनिश्चित करने में केवल तब सफल हो सकता है यदि इससे यह दर्शित होता है कि नमूना जो रासायनिक विश्लेषण के लिए अध्यधीन रखा गया है जैसाकि प्रदर्श पी-9 प्रमाणपत्र द्वारा साक्ष्यांकित किया गया है वह वही नमूना था जिसे अभियुक्त द्वारा अभिकथित रूप में विनिषिद्ध शराब के रूप में रखा गया था जिसकी मात्रा के ढेर से उसे लिया गया था जिसे आदान-प्रदान करने के पश्चात् रासायनिक परीक्षक के पास पहुंचा दिया गया था । अपीलार्थी के विद्वान् काउंसेल ने यह भी दलील दी है कि तात्विक वस्तु 1 (35 लीटर) कैन को मोहरबंद अवस्था में नहीं पाया गया था और द्वितीय नमूना जिसे न्यायालय के समक्ष पेश किया गया था, खाली पाया गया था ।

10. **रंजन बनाम केरल राज्य**[1] वाले मामले में संप्रकाशित विनिश्चय में इस न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है जो इस प्रकार है :–

> "यह आवश्यक नहीं है कि आबकारी अधिनियम की धारा 34 के अधीन अभिगृहीत वस्तुएं 'तत्काल' मजिस्ट्रेट के न्यायालय के समक्ष पेश की जानी चाहिए, जबकि यह पर्याप्त होगा यदि अभिग्रहण से संबंधित अभिलेख विद्वान् मजिस्ट्रेट के समक्ष 'तत्काल' पेश कर दिया गया था । जहां कहीं भी यह अनुकरणीय है कि विनिषिद्ध माल को अभिलेखों के साथ भी पेश किया जाना चाहिए । विनिषिद्ध माल के पेश करने के विलंब के बारे में स्पष्टीकरण दिया जाना चाहिए ।"

स्वीकृततः इस मामले में विनिषिद्ध वस्तुएं मजिस्ट्रेट के समक्ष अभिग्रहण से संबंधित अभिलेखों के साथ पेश नहीं किए गए थे । विनिषिद्ध वस्तु 6 दिन के विलंब के पश्चात् पेश की गई थीं । विनिषिद्ध वस्तु को विलंब से पेश करने के बारे में न तो किसी कारण का कथन किया गया है और न कोई स्पष्टीकरण दिया गया है । विनिषिद्ध वस्तु के विलंब से पेश करने से अभियोजन पक्षकथन दूषित हो जाता है । हेड कांस्टेबल आबकारी अधिनियम के अधीन प्राधिकृत आबकारी अधिकारी नहीं है, वह आबकारी अपराध के संबंध में उसका पता लगाने या उस पर अन्वेषण करने या उस पर आरोप लगाने के लिए असक्षम है । इसलिए, यह स्पष्ट है कि वर्तमान मामले में हेड कांस्टेबल द्वारा किए गए अन्वेषण में अधिकारिता का अभाव है और जिससे अभियोजन पक्षकथन का मूल स्वरूप नष्ट होता है चाहे

[1] (2013) 3 के. एल. टी. 654.

अभियोजन पक्षकथन झूठा न हो ।

11. अभि. सा. 5 ने अन्वेषण किया । उसने घटनास्थल का महजर तैयार किया था । वह ऐसा व्यक्ति था जिसने साक्षियों के कथन धारा 161 के अधीन अभिलिखित किए थे और रासायनिक परीक्षा रिपोर्ट प्राप्त की थी । कोई मजिस्ट्रेट ऐसे किसी हेड कांस्टेबल जो आबकारी अधिकारी नहीं है जैसाकि अधिनियम के अधीन परिभाषित किया गया है, द्वारा फाइल की गई रिपोर्ट के आधार पर अधिनियम के अधीन अपराध का संज्ञान नहीं ले सकता है । अन्वेषण में की गई अवैधानिकता या अनियमितता अभियोजन कार्यवाही प्रारंभ करने की शक्ति की कमी से भिन्न है । **सुभाष** बनाम **केरल राज्य**[1] वाले मामले में इस न्यायालय के खंड न्यायपीठ ने यह अभिनिर्धारित किया है कि आबकारी अधिनियम की धारा 50 में यह कहा गया है जैसे ही इस अधिनियम के अधीन अन्वेषण पूरा कर लिया जाता है तब आबकारी अधिकारी पुलिस रिपोर्ट को मजिस्ट्रेट के पास भेजेगा और मजिस्ट्रेट दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 173 की उपधारा (2) के अनुसरण में पुलिस रिपोर्ट पर अपराध का संज्ञान लेने के लिए सशक्त है । इससे यह दर्शित होता है कि मजिस्ट्रेट आबकारी अधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर ही संज्ञान ले सकता है । इस प्रकार उपधारा (2) में यह आज्ञापक है कि आबकारी अधिकारी अन्वेषण करने के पश्चात् दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 173 की उपधारा (2) के अनुसरण में रिपोर्ट को अग्रेषित करेगा । धारा 50 (2) का परिशीलन करने पर यह स्पष्ट है कि आबकारी अधिकारी अन्वेषण के पश्चात् अंतिम रिपोर्ट को फाइल करने के लिए सक्षम प्राधिकारी है । अधिनियम के अधीन जिस प्राधिकारी को मामले के अन्वेषण करने का प्राधिकार सौंपा गया है, वह आबकारी अधिकारी है । इस मामले में मजिस्ट्रेट ने हेड कांस्टेबल जो आबकारी अधिकारी नहीं है जैसाकि अधिनियम में परिभाषित किया गया है, द्वारा किए गए अन्वेषण के आधार पर अधिनियम के अधीन अपराध का संज्ञान लिया है । ऐसा अन्वेषण कानून द्वारा आशयित नहीं है और हेड कांस्टेबल द्वारा किए गए अन्वेषण के आधार पर अभियोजन को प्रारंभ करने की मजिस्ट्रेट की शक्ति में अंतर्निहित कमी है ।

12. आबकारी अधिनियम की धारा 50 में यह आज्ञापक है कि इस अधिनियम के अधीन अपराध का प्रत्येक अन्वेषण बिना आवश्यक विलंब के

[1] (2008) 2 के. एल. टी. 1047.

पूरा किया जाएगा । इस मामले में घटना तारीख 6 जून, 1998 को घटी थी । रसायन परीक्षक ने तारीख 3 दिसंबर, 1998 को रिपोर्ट प्रस्तुत की थी । इसके पश्चात् तत्काल न्यायालय के समक्ष अंतिम रिपोर्ट पेश की जानी चाहिए थी । यह देखने में आता है कि अंतिम रिपोर्ट केवल 5 अक्तूबर, 2000 को अर्थात् 1 वर्ष 9 महीने की अवधि के पश्चात् पेश की गई थी । रसायन परीक्षक की रिपोर्ट की प्राप्ति पर अन्वेषण कार्य पूरा किया गया था । रासायनिक परीक्षा रिपोर्ट की प्राप्ति के पश्चात् युक्तियुक्त समय के भीतर अंतिम रिपोर्ट पेश न करने का किसी कारण का कथन नहीं किया गया है और न कोई स्पष्टीकरण दिया गया है । अभि. सा. 6 ने तारीख 1 अगस्त, 2000 को पुलिस के उप-निरीक्षक के पद पर प्रभार ग्रहण किया था । केवल इसके पश्चात् तारीख 5 अक्तूबर, 2000 को अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी । इस कारण का पता नहीं चला कि समयांतर्गत अंतिम रिपोर्ट को बिना पेश किए किस प्रयोजन से अभिलेखों को पुलिस थाने में रखा गया था । मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में निचले न्यायालय द्वारा साबित परिस्थितियों के अंतर्गत पारित की गई दोषसिद्धि और दंडादेश को कायम नहीं रखा जा सकता है ।

परिणामस्वरूप अपील मंजूर की जाती है । निचले न्यायालय द्वारा पारित किया गया निर्णय अपास्त किया जाता है । तद्नुसार, आबकारी अधिनियम की धारा 55(क) के अधीन अपराध से अपीलार्थी को दोषमुक्त किया जाता है । अपीलार्थी द्वारा निष्पादित यदि कोई जमानत बंधपत्र हैं तो उन्हें रद्द किया जाता है और अपीलार्थी को निर्मुक्त किया जाता है ।

अपील मंजूर की गई ।

आर्य

काला राम

बनाम

राज्य और एक अन्य

तारीख 29 अगस्त, 2013

न्यायमूर्ति हसनैन मसूदी और न्यायमूर्ति जनकराज कोतवाल

रणवीर दंड संहिता, 1989 संवत् – धारा 498-क – क्रूरता – जहां मामलों के तथ्यों और परिस्थितियों, नातेदारों के साक्ष्यों, अभियुक्त के आचरण, अभियुक्त के प्रकटन कथन से पैट्रोल और दियासलाई की बरामदगी और दहेज की मांग से यह साबित होता है कि अभियुक्त ने मृतका के साथ क्रूरता का बर्ताव किया, वहां अभियुक्त मृतका के प्रति क्रूरता के अपराध का उत्तरदायी होगा ।

रणवीर दंड संहिता, 1989 संवत् – धारा 302 – हत्या – जहां ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है कि अभियुक्त जो सेना में कार्यरत था सुसंगत समय पर घटनास्थल पर मौजूद था तथा न्यायालय द्वारा मृतका के मृत्युकालिक कथन को साक्ष्य के भाग के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है, वहां अपराध में अभियुक्त के लिप्त होने के किसी अकाट्य साक्ष्य के अभाव में उसे हत्या के अपराध का दोषी नहीं ठहराया जा सकता ।

साक्ष्य अधिनियम, 1872 (1872 का 1) – धारा 32 – मृत्युकालिक कथन – मृतका के मृत्युकालिक कथन का सारवान् साक्ष्य के रूप में तब तक अवलंब नहीं लिया जा सकता जब तक यह साबित न किया गया हो कि मृतका कथन करने की ठीक मानसिक स्थिति में थी ।

तारीख 11 अक्तूबर, 2007 को अपीलार्थी की पत्नी शारदा देवी को घटना में कई दाह क्षतियां हुई थीं जो घटना गांव मरझाली में उनके मकान पर घटी थी, यह क्षेत्र जम्मू जिले के पुलिस थाना घरोता की अधिकारिता के अंतर्गत है । उसे सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल जम्मू ले जाया गया था जहां से उसे सैनिक अस्पताल, सतवारी जम्मू में भेज दिया गया था । तारीख 12 अक्तूबर, 2007 को हेड कांस्टेबल कुलदीप कुमार जो उक्त पुलिस थाने पर तैनात किया गया था, उसने सैनिक अस्पताल में उसका कथन अभिलिखित किया । उसने संक्षेप में यह कथन किया है कि उसका पति काला राम और उसके माता-पिता बिकरु राम और तारो देवी

ने उसे परेशान किया था और अधिक दहेज लाने के लिए उसकी पिटाई भी की । उसका पति उससे यह आग्रह किया करता थाँ कि वह अपने माता-पिता से उसके लिए मोटरसाइकिल लाए । उसने यह भी कथन किया है कि तारीख 11 अक्तूबर, 2007 को उसके पति ने अपने माता-पिता के साथ षड्यंत्र रचकर उसे पैट्रोल से भिगो दिया उसकी मृत्यु कारित करने के आशय से उस पर आग लगा दी । पीड़िता के कथन के आधार पर रणवीर दंड संहिता की धारा 307, 498-क, 109 के अधीन प्रथम इत्तिला रिपोर्ट रजिस्ट्रीकृत की गई थी और अन्वेषण प्रारंभ किया गया था । पीड़िता जो 90 प्रतिशत दाह क्षतियों से ग्रसित थी । तारीख 16 अक्तूबर, 2007 को सैनिक अस्पताल में क्षतियों की वजह से उसकी मृत्यु हो गई । थाना भारसाधक अधिकारी, पुलिस थाना घरोता द्वारा अन्वेषण किया गया था । अन्वेषण पूरा करने के पश्चात् अपीलार्थी और उसके माता-पिता बिकरु राम और तारो देवी के विरुद्ध सुपुर्दगी न्यायालय में रणवीर दंड संहिता की धारा 302, 498-क और 109 के अधीन आरोप पत्र पेश किया गया । तथ्य से संबंधित औपचारिकताएं पूरी करने के पश्चात् अपीलार्थी जो सैनिक कार्मिक था विचारण के लिए मामला सुपुर्द किया गया था और विद्वान् प्रथम अपर सेशन न्यायाधीश, जम्मू के न्यायालय में मामले को समनुदेशित किया गया था । विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी के विरुद्ध रणवीर दंड संहिता की धारा 302 और 498-क तथा अभियुक्त सं. 2 और अभियुक्त सं. 3 के विरुद्ध 498-क के अधीन प्रथमदृष्ट्या मामला बनने के निष्कर्ष में पहुंचने के पश्चात् उनके विरुद्ध आरोप विरचित किए गए । सभी अभियुक्तों ने दोषी नहीं होने का अभिवाक् किया और विचारण किए जाने का दावा किया । इस प्रकार, अभियोजन पक्ष ने आरोप पत्र में उद्धृत 16 साक्षियों में से 13 साक्षियों की परीक्षा की । साक्षी जिनकी परीक्षा की गई वे इस प्रकार हैं – शाम लाल, नाथा राम, संजय कुमार, रवि कुमार, युद्धवीर सिंह, गारू राम, मनोहर लाल, हेड कांस्टेबल हरवेश कुमार, कुंती देवी, विनोद सिंह, लांस नायक संजय कुमार, सुखदेव सिंह पटवारी और डा. के. के. ठाकुर । मृतका का कथन तारीख 12 अक्तूबर, 2007 को अस्पताल में अभिलिखित किया गया था जिसका अभियोजन पक्ष द्वारा मृत्युकालिक कथन के रूप में अवलंब लिया गया । अपीलार्थी और अभियुक्त सं. 2 का कथन दंड प्रक्रिया संहिता जिसे संक्षेप में "संहिता" कहा गया है की धारा 342 के निबंधनों में अभिलिखित किया गया था जबकि अभियुक्त सं. 3 की विचारण के दौरान मृत्यु हो गई थी तथापि, अभियुक्तों ने प्रतिरक्षा में कोई साक्ष्य नहीं दिया है । प्रथमतः, विचारण न्यायालय ने रणवीर दंड संहिता की धारा 498-क के अधीन अपराध के बारे में साक्ष्य पर विचार करने के पश्चात् यह

अभिनिर्धारित किया है कि अभियोजन पक्ष अभियुक्त सं. 1 के विरुद्ध रणवीर दंड संहिता की धारा 498-क के अधीन क्रूरता का आरोप सिद्ध करने में सफल हुआ है परंतु अभियुक्त सं. 2 के विरुद्ध क्रूरता के अपराध को साबित करने के लिए कोई अकाट्य साक्ष्य नहीं है । न्यायालय ने रणवीर दंड संहिता की धारा 302 के अधीन अपराध के संबंध में साक्ष्य पर विचार करने के पश्चात् यह भी अभिनिर्धारित किया है कि अभियोजन पक्ष ने अपीलार्थी के विरुद्ध अपने पक्षकथन को साबित किया है और इसलिए, अभियुक्त सं. 2 को दोषमुक्त करते समय यह अभिनिर्धारित किया है कि अपीलार्थी दोषी है और उसे रणवीर दंड संहिता की धारा 320 और 498-क के अधीन दोषसिद्ध किया जाता है और उस पर दंड अधिरोपित किया । विद्वान् विचारण न्यायालय के आदेश और निर्णय के विरुद्ध अभियुक्त ने अपील की । उच्च न्यायालय द्वारा अपील का निपटारा करते हुए,

अभिनिर्धारित – प्रथमतः, विचारण न्यायालय ने रणवीर दंड संहिता की धारा 498-क के अधीन अपराध के बारे में साक्ष्य पर विचार करने के पश्चात् यह अभिनिर्धारित किया है कि अभियोजन पक्ष अभियुक्त सं. 1 (अपीलार्थी) के विरुद्ध रणवीर दंड संहिता की धारा 498-क के अधीन क्रूरता का आरोप सिद्ध करने में सफल हुआ है परंतु अभियुक्त सं. 2 के विरुद्ध क्रूरता के अपराध को साबित करने के लिए कोई अकाट्य साक्ष्य नहीं है । न्यायालय ने रणवीर दंड संहिता की धारा 302 के अधीन अपराध के संबंध में साक्ष्य पर विचार करने के पश्चात् यह भी अभिनिर्धारित किया है कि अभियोजन पक्ष ने अपीलार्थी (अभियुक्त सं. 1) के विरुद्ध अपने पक्षकथन को साबित किया है और इसलिए, अभियुक्त सं. 2 को दोषमुक्त करते समय यह अभिनिर्धारित किया है कि अपीलार्थी दोषी है और उसे रणवीर दंड संहिता की धारा 320 और 498-क के अधीन दोषसिद्ध किया जाता है और उस पर दंड अधिरोपित किया जाता है । विचारण न्यायालय ने इस बारे में अभि. सा. 1, अभि. सा. 9 और अभि. सा. 6 तथा अभि. सा. 7 द्वारा दिए गए साक्ष्य का ही अवलंब लिया है । न्यायालय ने इन चारों साक्षियों के अभिसाक्ष्य का परिशीलन किया और स्वतंत्रपूर्वक धारा 498-क के अधीन अपराध के सबूत के रूप में उनके द्वारा दिए गए साक्ष्य की स्वीकार्यतः के बारे में विचारण न्यायालय द्वारा अपनाए गए मत से सहमत हैं । (पैरा 5 और 12)

रणवीर दंड संहिता की धारा 302 के अधीन आरोप पर विचार करते हुए विचारण न्यायालय ने मृतका की मृत्यु के बारे में आत्महत्या की संभावना होने को अस्वीकार किया है । न्यायालय ने यह भी मत व्यक्त

किया है कि यह ऐसा मामला नहीं हैं कि मृतका और उसके पति के बीच तनावपूर्ण संबंध होने के बावजूद इससे आत्महत्या प्रवृत्ति को बढ़ावा मिला था । न्यायालय ने यह भी मत व्यक्त किया है कि एक माता होते हुए और देखभाल करने वाली माता होते हुए भी ऐसी अनिश्चितताओं के बीच वह अपने अप्राप्तवय बच्चे के भविष्य को छोड़कर आत्महत्या नहीं करेगी । विचारण न्यायालय ने यह भी उल्लेख किया है कि दोनों पक्षकारों की ओर से ऐसा कोई मामला प्रकट नहीं किया गया है कि मृतका शारदा देवी की प्राकृतिक मृत्यु हुई थी इसलिए, विचारण न्यायालय ने इस मुद्दे पर कि क्या मृतका की अभियुक्त व्यक्तियों के हाथों मानववध मृत्यु हुई थी या आकस्मिक मृत्यु हुई थी जैसाकि प्रतिरक्षा पक्ष द्वारा सुझाव दिया गया, के मुद्दे के निर्धारण के क्षेत्र पर विचार प्रकट करना है । इस संदर्भ में विचारण न्यायालय ने संहिता की धारा 342 के अधीन अपीलार्थी के अभिलिखित कथन द्वारा वर्णित स्पष्टीकरण का उल्लेख किया है कि मृतका की मृत्यु दुर्घटनावश आग लगने के कारण हुई थी क्योंकि वह स्टोव जला रही थी तथा मिट्टी के तेल में पैट्रोल मिला हुआ था और जिससे उसे आग पकड़ गई तथा दाह क्षतियां कारित हुईं और उससे उसकी मृत्यु हो गई । अपीलार्थी के अनुसार यह बात उसे अभि. सा. 3 और अभि. सा. 4 जो उसका भाई है और अपीलार्थी के भाई का पुत्र है द्वारा बताई गई । यह प्रासंगिक है कि यहां पर यह उल्लेखनीय हैं कि इन दोनों साक्षियों ने अभियोजन साक्षियों के रूप में अभिसाक्ष्य देते हुए यह कथन किया है । न्यायालय ने सावधानीपूर्वक आक्षेपित निर्णय और आदेश का विश्लेषण किया है । निर्विवादतः जलने की घटना के बारे में कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य नहीं है तथापि, विचारण न्यायालय के बारे में मृतका के कथन का मुख्यतः अवलंब लिया जाना प्रतीत होता है जिसे सैनिक अस्पताल, सतवारी में तारीख 12 अक्तूबर, 2007 को हेड कांस्टेबल कुलदीप कुमार द्वारा अभिलिखित किया जाना कहा गया है । इस कथन को प्रथम इत्तिला रिपोर्ट के रूप में रजिस्ट्रीकृत किया गया था और जिसे अभियोजन पक्ष द्वारा विचारण में मृतका के मृत्युकालिक कथन के रूप में प्रयोग किया गया है । इसके अतिरिक्त, मृत्युकालिक कथन का अवलंब लेने के बावजूद विचारण न्यायालय ने अभियुक्त के आचरण और अभियुक्त द्वारा किए गए अन्यत्र उपस्थित होने का अभिवाक् को विचार में लिया गया । इसके अतिरिक्त, विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी के प्रकटीकरण कथन जो प्लास्टिक बोतल की बरामदगी के संबंध में है जिसमें पैट्रोल की कुछ बूंदें हैं और माचिस की डिब्बी का अवलंब लिया । अब न्यायालय रणवीर दंड संहिता की धारा 302 के अधीन दोषसिद्धि पर विचार करेगा । मृत्युकालिक कथन पर विचार करते

हुए और इसका अवलंब लेते हुए विचारण न्यायलय ने अभि. सा. लांसनायक संजय कुमार के अभिसाक्ष्य का उल्लेख किया है जिसका नाम उक्त मृत्युकालिक कथन में साक्षी के रूप में अंकित है । उसने यह कथन किया है कि मृतका शारदा देवी सैनिक अस्पताल, सतवारी में उपचाराधीन थी । उसकी मौजूदगी में पुलिस ने घटना के बारे में मृतका से पूछताछ की थी और मृतका ने यह कथन किया कि अभियुक्त काला राम ने मृतका को पैट्रोल से भिगोने के पश्चात् उसे जला दिया । मृतका ने यह भी कथन किया था कि अभियुक्त काला राम के साथ उसका विवाह इस घटना के 5 वर्ष पूर्व हुआ था । विचारण न्यायालय ने यह मत व्यक्त करते हुए उसके साक्ष्य को स्वीकार किया है कि वह सैनिक कार्मिक है और उसका अभियुक्त के विरुद्ध कोई वैमनस्य नहीं था और उसके बारे में मृतका द्वारा मृत्यु से पूर्व दिए गए कथन की स्वाभाविक सच्चाई की बात समक्ष रखना प्रकट है । विचारण न्यायालय को नाथा राम और उसके पुत्र संजय कुमार के अभिसाक्ष्यों से समर्थन मिलता है और जिसने विचारण न्यायालय के समक्ष यह स्वीकार किया है कि मृतका ने उन्हें यह बताया था कि उसे दुर्घटनावश आग लगी थी । विचारण न्यायालय ने यह भी मत व्यक्त किया है कि यह नहीं कहा जा सकता है कि मृतका पूर्णतः अपने बोलने की शक्ति को खो चुकी थी फिर भी विचारण न्यायालय ने यह उल्लेख किया है कि डाक्टर जिन्होंने सारांश पर पृष्ठांकन किए थे, उन्हें साक्ष्य के रूप में उद्धृत नहीं किया गया है, अभिलेख पर यह इंगित करने को कुछ भी नहीं है कि घटना की तारीख से मृत्यु की तारीख अर्थात् 11 अक्तूबर, 2007 या 16 अक्तूबर, 2007 क्यों दर्शाया गया है, मजिस्ट्रेट की सेवाएं मृत्युकालिक कथन अभिलिखित करने के लिए अध्यपेक्षित क्यों नहीं मानी गई थीं और डाक्टर द्वारा मृतका के समक्ष हाजिर होकर मृत्युकालिक कथन क्यों नहीं करवाया गया था जिन्होंने तारीख 12 अक्तूबर, 2007 को प्रमाणपत्र दिया था कि वह कथन करने की उपयुक्त स्थिति में है । प्रासंगिक रूप से यह है कि विचारण न्यायालय ने मामले के अन्वेषक अधिकारी की ओर से हुए लोप की निन्दा की क्योंकि यह आपराधिक उपेक्षा या बाहरी कारणों से अत्यधिक असक्षमता का परिचय है । तथापि, विचारण न्यायालय ने प्रतिपादनाएं विरचित की हैं कि क्या किसी मजिस्ट्रेट द्वारा मृत्युकालिक कथन अभिलिखित नहीं किया गया है या डाक्टर की मौजूदगी में अपराध कारित किए जाने से अभियुक्त को संबंधित करने का अवलंब नहीं लिया जा सकता है तथा क्या न्यायालय शरारती अन्वेषक अधिकारी के हाथों में खेल रहा था । इसके पश्चात् विचारण न्यायालय ने दांडिक विचारण में साक्ष्य के टुकड़े के रूप में मृत्युकालिक कथन के

विभिन्न पहलुओं पर विचार करते हुए माननीय उच्चतम न्यायालय के कई निर्णयों का उल्लेख किया है । तथापि, न्यायालय की जानकारी में जो कुछ भी आया है वह वस्तुतः चकित करने वाला है कि विचारण न्यायालय ने कोई निष्कर्ष अभिलिखित नहीं किया है कि क्या अभियोजन पक्ष द्वारा दिया गया साक्ष्य मृत्युकालिक कथन को साबित करने के लिए विधिक रूप से पर्याप्त था और क्या उक्त मृत्युकालिक कथन इसकी स्वीकार्य योग्यता की सभी कसौटियों पर खरा उतरता है जो आरोप के समर्थन में सारभूत साक्ष्य हो । न्यायालय विचारण न्यायालय द्वारा अधोरेखांकित अभिलिखित किए गए निष्कर्षों को शब्दशः दोहराना उपयुक्त समझता है । न्यायालय अन्यत्र उपस्थित होने का अभिवाक्, अभियुक्त का आचरण और अभियुक्त का प्रकटीकरण कथन जिसे विचारण न्यायालय द्वारा विचार में लिया गया था, उनका परिशीलन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि न्यायालय का यह मत है कि रणवीर दंड संहिता की धारा 302 के अधीन अपीलार्थी की दोषसिद्धि और दंडादेश को साक्ष्य के टुकड़े के रूप में मृत्युकालिक कथन को अस्वीकार करने के पश्चात् कायम नहीं रखा जा सकता है । फिर भी, कम से कम यह कह सकते हैं कि अभियोजन पक्ष द्वारा अभियुक्त के अंतर्वलन को साबित करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य दिए जाने के पश्चात् ही अन्यत्र उपस्थित होने के अभिवाक् को महत्व दिया जाता है । इस मामले में अपीलार्थी के विरुद्ध रणवीर दंड संहिता की धारा 302 के अधीन आरोप के समर्थन में अभियोजन साक्ष्य में कुछ भी नहीं पाया गया है । यद्यपि, यह साबित हुआ है कि मृतका से अधिक दहेज की मांग की गई थी जिस वजह से मृतका को परेशान किया जाता था जिसके लिए विचारण न्यायालय ने रणवीर दंड संहिता की धारा 498-क के अधीन उसे ठीक ही दोषसिद्ध और दंडादिष्ट किया है । परंतु उसके परे कुछ भी नहीं है क्योंकि यह दर्शित करने के लिए कोई साक्ष्य नहीं है कि अभियुक्त जो सेना में नौकरी कर रहा था उस सुसंगत समय पर घटना के स्थान अर्थात् अपने घर में मौजूद था । (पैरा 7, 8, 13, 35 और 36)

मौखिक या लिखित कथन का प्रयोग करते हुए जो किसी व्यक्ति का मृत्युकालिक कथन हो जिसकी मृत्यु हो चुकी है और सारभूत साक्ष्य के रूप में इसका अवलंब लिया हो अभियोजन पक्ष को तथ्य के रूप में उसे साबित करना चाहिए । अभियोजन पक्ष को यह साबित करना चाहिए कि मृत्युकालिक कथन मृतक द्वारा किया गया था । ऐसा मृत्युकालिक कथन मौखिक किया गया हो सकता है या कुछ व्यक्तियों की मौजूदगी में किया जाना हो सकता है या जब इसे किया जाता है तब यह लिखित में भी हो

सकता है । अभियोजन पक्षकथन के अनुसार मृत्युकालिक कथन जिसका मृतक द्वारा किया जाना अभिकथित है का लिपिबद्धकरण हेड कांस्टेबल कुलदीप राज द्वारा किया गया है । प्रथम इत्तिला रिपोर्ट और आरोप पत्र के प्रकट शब्द में ऐसा कथन किया गया है । तथापि, उसकी विचारण पर परीक्षा नहीं की गई और न उसे साक्षी के रूप में उद्धृत किया गया । यहां पर न्यायालय यह उल्लेख कर सकता है कि विचारण न्यायालय ने आक्षेपित निर्णय के पृष्ठ 33 पर इस तथ्य के बारे में गलत कथन किया है कि मृत्युकालिक कथन पुलिस थाना घरोता के हेड कांस्टेबल द्वारा अभिलिखित किया गया था । अभि. सा. 1 के अनुसार आरोप पत्र में दी गई सूची शाम लाल द्वारा दी गई है । अभियोजन पक्ष के विचारण पर लिपिक को पेश करने में विफल होने के कारण यह नहीं कहा जा सकता है कि मृतका द्वारा किए गए मृत्युकालिक कथन को साबित किया गया है बल्कि यह भी अभिनिर्धारित किया गया है कि अभियोजन पक्ष मृतका द्वारा अभिकथित किए गए मृत्युकालिक कथन को साबित करने में विफल हुआ है । यह समझ में नहीं आता कि मामले में लिपिक को क्यों नहीं पेश किया गया और साक्षी के रूप में उद्धृत क्यों नहीं किया गया । मामले का अन्वेषक अधिकारी जो उस पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी था, उसकी भी विचारण पर परीक्षा नहीं की गई । इस तरह यह बात रहस्यपूर्ण बन जाती है कि अभिकथित मृत्युकालिक कथन का ऐसा महत्वपूर्ण साक्षी को सामने पेश क्यों नहीं किया गया । अभिकथित मृत्युकालिक कथन को पेश नहीं किया जा सका और साधारण कारण की वजह से अभियोजन पक्षकथन के समर्थन में साक्ष्य के रूप में उसका अवलंब नहीं लिया जा सकता कि इस बात को इसके लिपिक को न्यायालय के समक्ष पेश न करके साबित नहीं किया गया है । यदि ऐसे मामले में अभियोजन पक्ष इसके लिपिक की तथ्य के रूप में परीक्षा करके मृत्युकालिक कथन को साबित करता है तब इसके करने वाले के मृत्यु के कारण के बारे में साक्ष्य की विश्वसनीयता और मूल्य पर विचार किया जाएगा तथा मृत्युकालिक कथन के विचार को शासित करने वाले सावधानी के सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए यह निर्धारित किया जाना चाहिए कि क्या मृत्युकालिक कथन सच्चा और स्वैच्छिक है । बिना यह कहे इस बात पर विचार किया जाता है कि मृत्युकालिक कथन सुना-सुनाया साक्ष्य के विरुद्ध साधारण नियम का अपवाद है । किसी व्यक्ति द्वारा ऐसा कोई कथन किया जाना जिसे न्यायालय के समक्ष नहीं लाया जा सकता और अभियुक्त के विरुद्ध जिसने ऐसी घोषणा की है साक्ष्य के रूप में प्रयोग में लाई जाती है और अभियुक्त को उससे प्रतिपरीक्षा करने का कोई अवसर नहीं दिया जा सकता । अतः, न्यायालय को यह विचार करने के

लिए रक्षोपाय पर ध्यान देना चाहिए कि कथन सिखाने-पढ़ाने या किसी कल्पना का परिमाण नहीं था । न्यायालय का यह समाधान होना चाहिए कि मृतका ऐसी घोषणा करते समय स्वस्थ मानसिक दशा में थी । अभियोजन पक्ष द्वारा दिए गए साक्ष्य के बारे में संक्षेप रूप में यह कहा जाता है कि यह ऐसे प्रकृति का होना चाहिए कि मृत्युकालिक कथन से न्यायालय को इसके सत्य होने और स्वैच्छिक प्रकृति का होने के बारे में पूर्ण रूप से विश्वास उत्प्रेरित होता हो । तथापि, न्यायालय ने इन विशिष्टियों पर विचार किया कि क्या मृतका मृत्युकालिक कथन को अभिलिखित करने के समय पर स्वस्थ मानसिक दशा में थी, यह उपधारणा की गई है कि इस बात को सम्यक् रूप से अभियोजन पक्ष द्वारा साबित किया गया था क्योंकि मृतका की मानसिक उपयुक्तता मृत्युकालिक कथन का अवलंब लेने के लिए बहुत महत्वपूर्ण दशा है । न्यायालय का यह समाधान होना चाहिए कि व्यक्ति जो मृत्युकालिक कथन कर रहा है उस सुसंगत समय पर स्वस्थ मानसिक दशा में था । न्यायालय नियम को देखते हुए यह कह सकता है कि सामान्यतः चिकित्सा राय मृत्युकालिक कथन को करने के समय पर मृतका की मानसिक उपयुक्तता के बारे में उत्तम साक्ष्य होता है । परंतु यदि साक्षियों के साक्ष्य से न्यायालय का यह समाधान निकलता है कि मृतका मृत्युकालिक कथन करने के लिए स्वस्थ मानसिक दशा में थी, न तो डाक्टर की राय को आग्रह के रूप में लेना आवश्यक है और न यह अभिभावी होगी । तथापि, लांसनायक संजय कुमार के अभिसाक्ष्य में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसकी अभियोजन पक्ष द्वारा अभिकथित मृत्युकालिक कथन के एकमात्र साक्षी के रूप में परीक्षा की गई जो तारीख 12 अक्तूबर, 2007 को उसके कथन अभिलिखित करते समय उसकी शारीरिक दशा या उसकी मानसिक उपयुक्तता के बारे में कराई गई थी । इस संबंध में विचारण न्यायालय का नाथा राम और संजय कुमार के साक्ष्य से समर्थन लेना प्रतीत होता है । परंतु न्यायालय ने उनके अभिसाक्ष्यों पर विचार किया और यह महसूस किया कि ऐसा संभव नहीं था । इन दोनों साक्षियों उनमें से एक भाई और दूसरा अपीलार्थी के भाई का पुत्र है, ने यह कथन किया है कि घटना के पश्चात् मृतका ने यह कहा था कि उसे दुर्घटनावश आग पकड़ गई थी । विचारण न्यायालय ने यह मत व्यक्त करते हुए उनके वृत्तांत को अस्वीकार कर दिया कि उन्होंने अभियुक्त को दंड से बचाने के लिए ऐसा कथन किया है और न्यायालय तारीख 12 अक्तूबर, 2007 को मृतका के मानसिक उपयुक्तता के बारे में उनके अभिसाक्ष्यों में लाभप्रद कोई बात नहीं पाते हैं । न्यायालय तारीख 12 अक्तूबर, 2007 को कथन करने में मृतक की मानसिक उपयुक्तता के

संदर्भ में इन दो साक्षियों के अभिसाक्ष्य पर विचार करने का कोई कारण नहीं पाता है । इन दो साक्षियों की भूमिका ने तारीख 11 अक्तूबर, 2007 को घटना घटने के तत्काल पश्चात् समय को परिसीमित किया है । उनके अभिसाक्ष्यों के अनुसार उन दोनों ने एक साथ मृतका के शरीर पर लगी आग को बुझाया था और उसे सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, जम्मू गाड़ी पर ले गए थे । तथापि, नाथा राम के अनुसार यह कथन कि मृतका को दुर्घटनावश आग पकड़ गई थी जिस कथन को घटना के स्थान पर मृतका द्वारा दिया गया था जबकि अभि. सा. संजय कुमार के अनुसार ऐसा कथन गाड़ी में अस्पताल ले जाते समय रास्ते पर उसके द्वारा दिया गया था । इन दोनों साक्षियों के कथनों का अधिक से अधिक उनके कहने की सीमा तक अवलंब लिया जा सकता है कि उन्होंने मृतका के शरीर पर लगी आग को बुझाया था और उसे अस्पताल ले गए थे तथा अगले दिन अर्थात् तारीख 12 अक्तूबर, 2007 को कथन करने के लिए मृतका की मानसिक और शारीरिक उपयुक्तता के बारे में कोई मामला प्रकट नहीं है । न्यायालय ने सभी अभियोजन साक्षियों के अभिसाक्षों की बड़ी सावधानी से संवीक्षा करने के पश्चात् विश्वास करने के लिए कोई साक्ष्य नहीं पाया है कि मृतका मृत्युकालिक कथन करने के लिए स्वस्थ मानसिक दशा में थी । इतना ही नहीं 12 अक्तूबर, 2007 का विस्तृत कथन प्रकट है । ऐसे साक्ष्य के अभाव में अभियोजन पक्ष लिपिक और डाक्टर को पेश करने में विफल हुआ है जिसने इसे महत्व देते हुए तारीख 12 अक्तूबर, 2007 को उपयुक्तता प्रमाणपत्र जारी किया था । ये दो साक्षी यह कथन कर सके हैं कि क्या मृतका कथन करने के लिए स्वस्थ मानसिक स्थिति में थी और डाक्टर से यह सुनिश्चित कराया जा सका है जिसने उपयुक्तता प्रमाणपत्र ज़ारी किया कि क्या ब्यौरेवार प्रकृति का कथन किया जा सका है या नहीं जो मृतका द्वारा भोगी गई दाह क्षतियों की प्रकृति और विस्तार के बारे में है । पूर्व उल्लिखित कारणों से जिस निष्कर्ष पर न्यायालय पहुंचा है यह है कि अभिकथित मृत्युकालिक कथन तारीख 12 अक्तूबर, 2007 का सारभूत साक्ष्य के रूप में अवलंब नहीं लिया जा सकता है । प्रथमतः, इस कारण से कि इसे साबित नहीं किया गया है और दूसरा इस कारण से कि यह साबित नहीं किया गया है कि मृतका मृत्युकालिक कथन करने के लिए स्वस्थ मानसिक दशा में थी । (पैरा 15, 21, 22, 13, 26, 28, 29 और 33)

निर्दिष्ट निर्णय

		पैरा
[2009]	2009 ए. आई. आर. एस. सी. डब्ल्यू. 6161 : **सुकांति मोहराना** बनाम **उड़ीसा राज्य** ;	25

[2008]	2008 ए. आई. आर. एस. सी. डब्ल्यू. 1709 : **विनय डी. नागर कुमार** बनाम **राजस्थान राज्य ;**	16
[2008]	(2008) 2 एस. सी. सी. 516 : **विकास और अन्य** बनाम **महाराष्ट्र राज्य ;**	25
[2002]	(2002) 6 एस. सी. सी. 710 : **लक्ष्मण** बनाम **महाराष्ट्र राज्य ;**	18
[2002]	(2002) 8 एस. सी. सी. 165 : **जयन्ती भाई भंकरभाई** बनाम **गुजरात राज्य ;**	35
[2000]	ए. आई. आर. 2000 एस. सी. 2324 : **कंस राज** बनाम **पंजाब राज्य ;**	15
[1999]	(1999) 9 एस. सी. सी. 432 : **कोली चून्नीलाल सावजी** बनाम **गुजरात राज्य ;**	19
[1993]	ए. आई. आर. 1993 एस. सी. 2457 : **गोविन्द नारायण और एक अन्य** बनाम **राजस्थान राज्य ;**	10, 17
[1992]	(1992) 2 एस. सी. सी. 474 : **पानीवैन** बनाम **गुजरात राज्य ।**	24

अपीली (दांडिक) अधिकारिता : **2011 की दांडिक अपील सं. डी-20, 2011 का दांडिक प्रकीर्ण आवेदन सं. डी-26 और 2001 की पुष्टिकरण सं. 09.**

प्रथम अपर सेशन न्यायाधीश, जम्मू द्वारा तारीख 30 अप्रैल, 2011 को पारित किए गए निर्णय और आदेश के विरुद्ध अपील ।

अपीलार्थियों की ओर से श्री जे. पी. गांधी, अधिवक्ता

प्रत्यर्थियों की ओर से श्री जेड. एस. वत्ताली, उप-महाधिवक्ता

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति जनकराज कोतवाल ने दिया ।

न्या. कोतवाल – यह अपील काला राम नामक व्यक्ति द्वारा फाइल की गई है जिसे प्रथम अपर सेशन न्यायाधीश, जम्मू ने तारीख 30 अप्रैल, 2011 को पारित किए गए निर्णय और आदेश के माध्यम से रणवीर दंड संहिता की धारा 498-क और 302 के अधीन दोषसिद्ध किया है । उसे रणवीर दंड संहिता की धारा 302 के अधीन कठोर आजीवन कारावास और

2,000 रुपए के जुर्माने का संदाय करने का दंडादेश दिया और रणवीर दंड संहिता की धारा 498-क के अधीन 6 मास का कठोर कारावास और 1,000 रुपए के जुर्माने का संदाय करने का निदेश दिया गया ।

2. पक्षकारों को सुना और हमने अभिलेख का परिशीलन किया ।

3. तारीख 11 अक्तूबर, 2007 को अपीलार्थी की पत्नी शारदा देवी को घटना में कई दाह क्षतियां हुई थीं जो घटना गांव मरझाली में उनके मकान पर घटी थी, यह क्षेत्र जम्मू जिले के पुलिस थाना घरोता की अधिकारिता के अंतर्गत है । उसे सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल जम्मू ले जाया गया था जहां से उसे सैनिक अस्पताल, सतवारी जम्मू में भेज दिया गया था । तारीख 12 अक्तूबर, 2007 को हेड कांस्टेबल (एच. सी.) कुलदीप कुमार जो उक्त पुलिस थाने पर तैनात किया गया था, उसने सैनिक अस्पताल में उसका कथन अभिलिखित किया । उसने संक्षेप में यह कथन किया है कि उसका पति काला राम (अपीलार्थी) और उसके माता-पिता बिकरु राम और तारो देवी ने उसे परेशान किया था और अधिक दहेज लाने के लिए उसकी पिटाई भी की । उसका पति उससे यह आग्रह किया करता था कि वह अपने माता-पिता से उसके लिए मोटरसाइकिल लाएं । उसने यह भी कथन किया है कि तारीख 11 अक्तूबर, 2007 को उसके पति ने अपने माता-पिता के साथ षड्यंत्र रचकर उसे पैट्रोल से भिगा दिया उसकी मृत्यु कारित करने के आशय से उस पर आग लगा दी । पीड़िता के कथन के आधार पर रणवीर दंड संहिता की धारा 307, 498-क और 109 के अधीन प्रथम इत्तिला रिपोर्ट सं. 58/2007 रजिस्ट्रीकृत की गई थी और अन्वेषण प्रारंभ किया गया था । पीड़िता जो 90 प्रतिशत दाह क्षतियों से ग्रसित थी तारीख 16 अक्तूबर, 2007 को सैनिक अस्पताल में क्षतियों की वजह से उसकी मृत्यु हो गई । थाना भारसाधक अधिकारी, पुलिस थाना घरोता द्वारा अन्वेषण किया गया था । अन्वेषण पूरा करने के पश्चात् अपीलार्थी (अभियुक्त सं. 1) और उसके माता-पिता बिकरु राम (अभियुक्त सं. 2) और तारो देवी (अभियुक्त सं. 3) के विरुद्ध सुपुर्दगी न्यायालय में रणवीर दंड संहिता की धारा 302, 498-क और 109 के अधीन आरोप पत्र पेश किया गया । तथ्य से संबंधित औपचारिकताएं पूरी करने के पश्चात् अपीलार्थी जो सैनिक कार्मिक था विचारण के लिए मामला सुपुर्द किया गया था और विद्वान् प्रथम अपर सेशन न्यायाधीश, जम्मू के न्यायालय में मामले को समनुदेशित किया गया था ।

4. विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी (अभियुक्त सं. 1) के विरुद्ध रणवीर दंड संहिता की धारा 302 और 498-क तथा अभियुक्त सं. 2 और

अभियुक्त सं. 3 के विरुद्ध 498-क के अधीन प्रथमदृष्ट्या मामला बनने के निष्कर्ष में पहुंचने के पश्चात् उनके विरुद्ध आरोप विरचित किए गए । सभी अभियुक्तों ने दोषी नहीं होने का अभिवाक् किया और विचारण किए जाने का दावा किया । इस प्रकार, अभियोजन पक्ष ने आरोप पत्र में उद्धृत 16 साक्षियों में से 13 साक्षियों की परीक्षा की । साक्षी जिनकी परीक्षा की गई वे इस प्रकार हैं शाम लाल (अभि. सा. 1), नाथा राम (पी-2), संजय कुमार (पी-3), रवि कुमार (पी-4), युद्धवीर सिंह (पी-5), गारू राम (पी-6), मनोहर लाल (पी-7), हेड कांस्टेबल हरवेश कुमार (पी-8), कुंती देवी (पी-9), विनोद सिंह (पी-10), लांसनायक संजय कुमार (पी-13), सुखदेव सिंह पटवारी (पी-14) और डा. के. के. ठाकुर (पी-15) । मृतका का कथन तारीख 12 अक्तूबर, 2007 को अस्पताल में अभिलिखित किया गया था जिसका अभियोजन पक्ष द्वारा मृत्युकालिक कथन के रूप में अवलंब लिया गया । अपीलार्थी और अभियुक्त सं. 2 का कथन दंड प्रक्रिया संहिता जिसे संक्षेप में "संहिता" कहा गया है की धारा 342 के निबंधनों में अभिलिखित किया गया था जबकि अभियुक्त सं. 3 की विचारण के दौरान मृत्यु हो गई थी तथापि, अभियुक्तों ने प्रतिरक्षा में कोई साक्ष्य नहीं दिया है ।

5. प्रथमतः, विचारण न्यायालय ने रणवीर दंड संहिता की धारा 498-क के अधीन अपराध के बारे में साक्ष्य पर विचार करने के पश्चात् यह अभिनिर्धारित किया है कि अभियोजन पक्ष अभियुक्त सं. 1 (अपीलार्थी) के विरुद्ध रणवीर दंड संहिता की धारा 498-क के अधीन क्रूरता का आरोप सिद्ध करने में सफल हुआ है परंतु अभियुक्त सं. 2 के विरुद्ध क्रूरता के अपराध को साबित करने के लिए कोई अकाट्य साक्ष्य नहीं है । न्यायालय ने रणवीर दंड संहिता की धारा 302 के अधीन अपराध के संबंध में साक्ष्य पर विचार करने के पश्चात् यह भी अभिनिर्धारित किया है कि अभियोजन पक्ष ने अपीलार्थी (अभियुक्त सं. 1) के विरुद्ध अपने पक्षकथन को साबित किया है और इसलिए, अभियुक्त सं. 2 को दोषमुक्त करते समय यह अभिनिर्धारित किया है कि अपीलार्थी दोषी है और उसे रणवीर दंड संहिता की धारा 320 और 498-क के अधीन दोषसिद्ध किया जाता है और उस पर दंड अधिरोपित किया जाता है ।

6. रणवीर दंड संहिता की धारा 498-क के अधीन अपराध के बारे में विचारण न्यायालय ने अभि. सा. 1 (मृतका के पिता), अभि. सा. 9 (मृतका की माता), अभि. सा. 6 (मृतका का भाई) तथा अभि. सा. 7 (मृतका का चचेरा भाई) द्वारा दिए गए साक्ष्य का अवलंब लिया है ।

7. रणवीर दंड संहिता की धारा 302 के अधीन आरोप पर विचार

करते हुए विचारण न्यायालय ने मृतका की मृत्यु के बारे में आत्महत्या की संभावना होने को अस्वीकार किया है । न्यायालय ने यह भी मत व्यक्त किया है कि यह ऐसा मामला नहीं है कि मृतका और उसके पति के बीच तनावपूर्ण संबंध होने के बावजूद इससे आत्महत्या प्रवृत्ति को बढ़ावा मिला था । न्यायालय ने यह भी मत व्यक्त किया है कि एक माता होते हुए और देखभाल करने वाली माता होते हुए भी ऐसी अनिश्चितताओं के बीच वह अपने अप्राप्तवय बच्चे के भविष्य को छोड़कर आत्महत्या नहीं करेगी । विचारण न्यायालय ने यह भी उल्लेख किया है कि दोनों पक्षकारों की ओर से ऐसा कोई मामला प्रकट नहीं किया गया है कि मृतका शारदा देवी की प्राकृतिक मृत्यु हुई थी इसलिए, विचारण न्यायालय ने इस मुद्दे पर **कि क्या मृतका की अभियुक्त व्यक्तियों के हाथों मानववध मृत्यु हुई थी या आकस्मिक मृत्यु हुई थी जैसाकि प्रतिरक्षा पक्ष द्वारा सुझाव दिया गया** के मुद्दे के निर्धारण के क्षेत्र पर विचार प्रकट करना है । इस संदर्भ में विचारण न्यायालय ने संहिता की धारा 342 के अधीन अपीलार्थी के अभिलिखित कथन द्वारा वर्णित स्पष्टीकरण का उल्लेख किया है कि मृतका की मृत्यु दुर्घटनावश आग लगने के कारण हुई थी क्योंकि वह स्टोव जला रही थी तथा मिट्टी के तेल में पैट्रोल मिला हुआ था और जिससे उसे आग पकड़ गई तथा दाह क्षतियां कारित हुईं और उससे उसकी मृत्यु हो गई । अपीलार्थी के अनुसार यह बात उसे अभि. सा. 3 और अभि. सा. 4 जो उसका भाई है और अपीलार्थी के भाई का पुत्र है द्वारा बताई गई । यह प्रासंगिक है कि यहां पर यह उल्लेखनीय है कि इन दोनों साक्षियों ने अभियोजन साक्षियों के रूप में अभिसाक्ष्य देते हुए यह कथन किया है ।

8. हमने सावधानीपूर्वक आक्षेपित निर्णय और आदेश का विश्लेषण किया है । निर्विवादतः जलने की घटना के बारे में कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य नहीं है तथापि, विचारण न्यायालय के बारे में मृतका के कथन प्रदर्श पी. डब्ल्यू.-के. डी. का मुख्यतः अवलंब लिया जाना प्रतीत होता है जिसे सैनिक अस्पताल, सतवारी में तारीख 12 अक्तूबर, 2007 को हेड कांस्टेबल कुलदीप कुमार द्वारा अभिलिखित किया जाना कहा गया है । इस कथन को प्रथम इत्तिला रिपोर्ट के रूप में रजिस्ट्रीकृत किया गया था और जिसे अभियोजन पक्ष द्वारा विचारण में मृतका के मृत्युकालिक कथन के रूप में प्रयोग किया गया है । इसके अतिरिक्त, मृत्युकालिक कथन का अवलंब लेने के बावजूद विचारण न्यायालय ने "अभियुक्त के आचरण" और अभियुक्त द्वारा किए गए "अन्यत्र उपस्थित होने का अभिवाक्" को विचार में लिया गया । इसके अतिरिक्त, विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी

(अभियुक्त) के प्रकटीकरण कथन जो प्लास्टिक बोतल की बरामदगी के संबंध में है जिसमें पैट्रोल की कुछ बूंदें हैं और माचिस की डिब्बी का अवलंब लिया ।

9. मृत्युकालिक कथन के संबंध में अभियोजन पक्षकथन जैसाकि अभिलेख से प्रकट है कि तारीख 11 अक्तूबर, 2007 को घटना घटने के तत्काल पश्चात् मृतका को सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, जम्मू ले जाया गया था जहां से उसे सैनिक अस्पताल, सतवारी पर ले जाया गया था । उसी दिन अन्वेषक हेड कांस्टेबल जो पुलिस थाना घरोता का है, ने मृतका के अभिलिखित किए गए कथन के सारांश के आधार पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल को समावेदन किया गया था परंतु मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने उस सारांश पर पृष्ठांकन किया । मृतका उस समय कथन करने की स्थिति में नहीं थी । तथापि, तारीख 12 अक्तूबर, 2007 को हेड कांस्टेबल कुलदीप कुमार सैनिक अस्पताल, सतवारी गया जहां डाक्टर ने सारांश पर पृष्ठांकन करके अपनी यह राय दी कि रोगी अपने कथन करने के लिए उपयुक्त है । तद्नुसार उक्त कुलदीप कुमार ने उसका कथन अभिलिखित किया और इस कथन के आधार पर प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज की गई थी ।

10. अपीलार्थी के विद्वान् काउंसेल श्री जे. पी. गांधी ने यह कहा है कि तारीख 12 अक्तूबर, 2007 को अभिलिखित कथन के बारे में इस कारण से मृतका का मृत्युकालिक कथन नहीं कहा जा सकता है क्योंकि इसे प्रथम इत्तिला रिपोर्ट के रजिस्ट्रेशन के पूर्व अभिलिखित किया गया था । उसने यह दलील दी कि यह कथन प्रथम इत्तिला रिपोर्ट के रजिस्ट्रीकरण के उद्देश्य से लिया गया था न कि मृत्युकालिक कथन के रूप में अभिलिखित किया गया था । उसने आगे यह भी कहा है कि यद्यपि कथन मृतका के मृत्युकालिक कथन के रूप में लिया गया है इसे विचारण न्यायालय के समक्ष साबित नहीं किया गया है क्योंकि पुलिस पदधारी जिसने कथन अभिलिखित किया उसकी साक्ष्य के रूप में परीक्षा नहीं की गई । उसने यह भी दलील दी कि इस कथन का अवलंब नहीं लिया जा सकता है क्योंकि न तो किसी मजिस्ट्रेट के समक्ष या डाक्टर के कथन को अभिलिखित करने के समय पर मौजूद थे और डाक्टर के बारे में प्रमाणपत्र जारी किया जाना कहा जा सकता है कि मृतका अपने कथन देने के लिए ठीक स्थिति में थी इस बात की परीक्षा नहीं की गई । अतः, उसने यह निष्कर्ष निकाला है कि विचारण न्यायालय ने मृतका का तथाकथित मृत्यु-कालिक कथन का अवलंब लेकर गलती की है । श्री गांधी ने **गोविन्द**

नारायण और एक अन्य बनाम **राजस्थान राज्य**[1] वाले मामले का यह दलील देते हुए अवलंब लिया है कि उच्चतम न्यायालय के माननीय न्यायमूर्तियों ने मृत्युकालिक कथन का अवलंब लेने से इनकार कर दिया क्योंकि इसे लिखने वाला कांस्टेबल साक्षी के रूप में विचारण न्यायालय के समक्ष पेश नहीं किया गया था ।

11. इसके विपरीत श्री जेड. एस. वत्ताली, उप-महाधिवक्ता ने अन्य बातों के साथ-साथ यह दलील देते हुए आक्षेपित निर्णय और आदेश का समर्थन किया है कि अभियोजन पक्ष ने स्वतंत्र साक्षी अभि. सा. लांसनायक संजय कुमार को पेश करके मृत्युकालिक कथन पर्याप्त रूप से साबित किया है जिसकी मौजूदगी में उक्त कथन अभिलिखित किया गया था । उसने यह भी दलील दी कि मृतका का कोई कथन जो उसकी मृत्यु से संबंधित है मृत्युकालिक कथन के रूप में प्रयोग किया जा सकता है । उसको अभिलिखित करने का समय होते हुए भी और किसी मजिस्ट्रेट द्वारा मृत्युकालिक कथन को अभिलिखित करना या डाक्टर द्वारा उपयुक्तता का प्रमाणपत्र के आधार पर मृत्युकालिक कथन का अवलंब लेना अनिवार्य नहीं है यदि यह विश्वसनीय है ।

12. हम रणवीर दंड संहिता की धारा 498-क के अधीन दोषसिद्धि पर सबसे पहले विचार करेंगे । जैसाकि ऊपर कहा गया है विचारण न्यायालय ने इस बारे में अभि. सा. 1 (मृतका के पिता), अभि. सा. 9 (मृतका की माता) और अभि. सा. 6 (मृतका का भाई) तथा अभि. सा. 7 मृतका का चचेरा भाई) द्वारा दिए गए साक्ष्य का ही अवलंब लिया है । हमने इन चारों साक्षियों के अभिसाक्ष्य का परिशीलन किया और स्वतंत्रतापूर्वक धारा 498-क के अधीन अपराध के सबूत के रूप में उनके द्वारा दिए गए साक्ष्य की स्वीकार्यतः के बारे में विचारण न्यायालय द्वारा अपनाए गए मत से सहमत हैं । हम इस सीमा तक विचारण न्यायालय के निर्णय और आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं पाते हैं ।

13. अब हम रणवीर दंड संहिता की धारा 302 के अधीन दोषसिद्धि पर विचार करेंगे । मृत्युकालिक कथन प्रदर्श पी. डब्ल्यू. के. डी. पर विचार करते हुए और इसका अवलंब लेते हुए विचारण न्यायालय ने अभि. सा. लांसनायक संजय कुमार के अभिसाक्ष्य का उल्लेख किया है जिसका नाम उक्त मृत्युकालिक कथन में साक्षी के रूप में अंकित है । उसने यह कथन किया है कि मृतका शारदा देवी सैनिक अस्पताल, सतवारी में उपचाराधीन

---

[1] ए. आई. आर. 1993 एस. सी. 2457.

थी । उसकी मौजूदगी में पुलिस ने घटना के बारे में मृतका से पूछताछ की थी और मृतका ने यह कथन किया कि अभियुक्त काला राम ने मृतका को पैट्रोल से भिगाने के पश्चात् उसे जला दिया । मृतका ने यह भी कथन किया था कि अभियुक्त काला राम के साथ उसका विवाह इस घटना के 5 वर्ष पूर्व हुआ था । विचारण न्यायालय ने यह मत व्यक्त करते हुए उसके साक्ष्य को स्वीकार किया है कि वह सैनिक कार्मिक है और उसका अभियुक्त के विरुद्ध कोई वैमनस्य नहीं था और उसके बारे में मृतका द्वारा मृत्यु से पूर्व दिए गए कथन की स्वाभाविक सच्चाई की बात समक्ष रखना प्रकट है । विचारण न्यायालय को अभि. सा. नाथा राम और उसके पुत्र संजय कुमार के अभिसाक्ष्यों से समर्थन मिलता है और जिसने विचारण न्यायालय के समक्ष यह स्वीकार किया है कि मृतका ने उन्हें यह बताया था कि उसे दुर्घटनावश आग लगी थी । विचारण न्यायालय ने यह भी मत व्यक्त किया है कि यह नहीं कहा जा सकता है कि मृतका पूर्णतः अपने बोलने की शक्ति को खो चुकी थी फिर भी विचारण न्यायालय ने यह उल्लेख किया है कि डाक्टर जिन्होंने सारांश पर पृष्ठांकन किए थे, उन्हें साक्ष्य के रूप में उद्धृत नहीं किया गया है, अभिलेख पर यह इंगित करने के लिए कुछ भी नहीं है कि घटना की तारीख से मृत्यु की तारीख अर्थात् 11 अक्तूबर, 2007, 16 अक्तूबर, 2007 क्यों दर्शाया गया है, मजिस्ट्रेट की सेवाएं मृत्युकालिक कथन अभिलिखित करने के लिए अध्यपेक्षित क्यों नहीं मानी गई थीं और डाक्टर द्वारा मृतका के समक्ष हाजिर होकर मृत्युकालिक कथन क्यों नहीं करवाया गया था जिन्होंने तारीख 12 अक्तूबर, 2007 को प्रमाणपत्र दिया था कि वह कथन करने की उपयुक्त स्थिति में है । प्रासंगिक रूप से यह है कि विचारण न्यायालय ने मामले के अन्वेषक अधिकारी की ओर से हुए लोप की निन्दा की क्योंकि यह "आपराधिक उपेक्षा या बाहरी कारणों से अत्यधिक असक्षमता का परिचय है ।" तथापि, विचारण न्यायालय ने प्रतिपादनाएं विरचित की हैं कि क्या किसी मजिस्ट्रेट द्वारा मृत्युकालिक कथन अभिलिखित नहीं किया गया है या डाक्टर की मौजूदगी में अपराध कारित किए जाने से अभियुक्त को संबंधित करने का अवलंब नहीं लिया जा सकता है तथा क्या न्यायालय शरारती अन्वेषक अधिकारी के हाथों में खेल रहा था । इसके पश्चात् विचारण न्यायालय ने दांडिक विचारण में साक्ष्य के टुकड़े के रूप में मृत्युकालिक कथन के विभिन्न पहलुओं पर विचार करते हुए माननीय उच्चतम न्यायालय के कई निर्णयों का उल्लेख किया है । तथापि, हमारी जानकारी में जो कुछ भी आया है वह वस्तुतः चकित करने वाला है कि विचारण न्यायालय ने कोई निष्कर्ष अभिलिखित नहीं किया है कि क्या अभियोजन पक्ष द्वारा दिया गया

साक्ष्य मृत्युकालिक कथन को साबित करने के लिए विधिक रूप से पर्याप्त था और क्या उक्त मृत्युकालिक कथन इसकी स्वीकार्य योग्यता की सभी कसौटियों पर खरा उतरता है जो आरोप के समर्थन में सारभूत साक्ष्य हो। हम विचारण न्यायालय द्वारा अधोरेखांकित अभिलिखित किए गए निष्कर्षों को शब्दशः दोहराना उपयुक्त समझते हैं। मामले के महत्वपूर्ण पहलू पर इस प्रकार विचार किया गया है :–

> "इस प्रकार, उपरोक्त बातों को ध्यान में रखते हुए इस प्रश्न पर विधि का सार प्रस्तुत किया जा सकता है कि साक्षियों के साक्ष्य को सम्पूर्ण रूप से पढ़ा जाना चाहिए और मामले की सम्पूर्ण परिस्थितियों पर विचार किया जाना चाहिए तथा किसी साक्ष्य के साक्ष्य का मूल्यांकन करते समय छोटे-मोटे मामलों पर छोटे-मोटे विभेदों पर विचार करना चाहिए जिनसे अभियोजन पक्षकथन का सार प्रभावित नहीं होता है, उन्हें विचार में नहीं लेना चाहिए क्योंकि इनसे सम्पूर्ण साक्ष्य को अस्वीकार्य करने के आधार नहीं बन सकते हैं।"

14. हम संक्षेप में यह कहते हुए इन बातों का विरोध नहीं कर सकते हैं। विचारण न्यायालय द्वारा अभिलिखित निष्कर्ष उस संदर्भ से बहुत दूर हैं जिसमें इसे अभिलखित किया गया है।

15. मौखिक या लिखित कथन का प्रयोग करते हुए जो किसी व्यक्ति का मृत्युकालिक कथन हो जिसकी मृत्यु हो चुकी है और सारभूत साक्ष्य के रूप में इसका अवलंब लिया हो अभियोजन पक्ष को तथ्य के रूप में उसे साबित करना चाहिए। अभियोजन पक्ष को यह साबित करना चाहिए कि मृत्युकालिक कथन मृतक द्वारा किया गया था। ऐसा मृत्युकालिक कथन मौखिक किया गया हो सकता है या कुछ व्यक्तियों की मौजूदगी में किया जाना हो सकता है या जब इसे किया जाता है तब यह लिखित में भी हो सकता है। **कंस राज** बनाम **पंजाब राज्य**[1] वाले मामले में उच्चतम न्यायालय के तीन न्यायाधीशों की पीठ के न्यायमूर्तियों द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया :–

> "10. साक्ष्य अधिनियम की धारा 32 साधारण नियम का अपवाद है जिसमें सुना-सुनाया साक्ष्य का अपवर्जन किया गया है और किसी व्यक्ति के कथन चाहे वह लिखित में या मौखिक हो उसकी मृत्यु के पश्चात् सुसंगत तथ्यों के रूप में साक्ष्य में ग्राह्य है यदि उनसे उसकी

[1] ए. आई. आर. 2000 एस. सी. 2324.

मृत्यु के कारण का उल्लेख होता है या संव्यवहार की कोई परिस्थितियां जिससे उसकी मृत्यु हुई है । धारा 32 के उपबंध मृतक के कथन की ग्राह्यता के प्रयोजन के लिए लागू होते हैं । अभियोजन के लिए यह साबित करना अपेक्षित है कि किसी व्यक्ति द्वारा किया गया कथन जिसकी मृत्यु हो गई है या जो कहीं नहीं पाया जा सकता या जिसकी उपस्थिति विलंब के कारण उपगत नहीं की जा सकती या वह साक्ष्य देने में असमर्थ है और ऐसा कथन अधिनियम की धारा 32 की उपधारा (1) से (8) में विनिर्दिष्ट परिस्थितियों में से किसी के अधीन किया गया है । .... ऐसा कथन करना जो सारभूत साक्ष्य के रूप में है, व्यक्ति या अभिकरण द्वारा इसका अवलंब लिया जाना किसी तथ्य के रूप में ऐसे कथन किए जाने को साबित करने के लिए विधिक बाध्यता के अधीन है । यदि यह लिखित में है तो इसकी लिखित को न्यायालय में पेश किया जाना चाहिए और यदि यह मौखिक है तो इसे उस व्यक्ति की परीक्षा करके साबित किया जाना चाहिए जिसने मृतक को ऐसा कथन करते हुए सुना है ।"

(जोर देने के लिए रेखांकित किया गया ।)

16. **कंस राज** (उपरोक्त) वाले मामले में माननीय न्यायमूर्तियों द्वारा अभिव्यक्त मत को **विनय डी. नागर कुमार** बनाम **राजस्थान राज्य**[1] वाले नवीनतम मामले में माननीय न्यायमूर्ति से अनुमोदन लेकर दोहराया गया है ।

17. किसी मृत्युकालिक कथन को साबित करने के लिए न्यायिक रूप में विधिक साक्ष्य का अनुमोदन किया गया है और यह इसके लिपिक का कथन है । हम **कंस राज** (उपरोक्त) वाले मामले के अतिरिक्त इस संबंध में **गोविन्द नारायण और एक अन्य** बनाम **राजस्थान राज्य**[2] वाले मामले का उल्लेख कर सकते हैं । इस मामले में अभियोजन पक्ष द्वारा मृतक का मृत्युकालिक कथन प्रदर्श पी-3 का अवलंब लिया गया था परंतु माननीय न्यायमूर्तियों ने उस कारण से उसके अवलंब लेने से इनकार कर दिया कि इसके लिपिक को विचारण में पेश नहीं किया गया था । माननीय न्यायमूर्तियों ने निर्णय के पैरा 14 में यह मत व्यक्त किया है जो निम्नप्रकार है :–

"अब हम लिखित प्रदर्श पी-3 में लिए गए अभिकथित

[1] 2008 ए. आई. आर. एस. सी. डब्ल्यू. 1709.
[2] ए. आई. आर. 1993 एस. सी. 2457.

मृत्युकालिक कथन पर विचार करते हैं । उच्च न्यायालय तथा विचारण न्यायालय ने विविध कारणों से प्रदर्श पी-3 पर अविश्वास किया है । यद्यपि हम परिवादी के विद्वान् काउंसेल श्री मकवाना से सहमत हैं कि उच्च न्यायालय द्वारा प्रदर्श पी-3 को त्यक्त करने के लिए कुछ कारण दिए हैं जो ठोस नहीं हैं । हमने यह निष्कर्ष निकाला है कि साधारण कारण की वजह से दस्तावेज प्रदर्श पी-3 का कोई अवलंब नहीं लिया जा सकता कि दस्तावेज का लिपिक श्री जगदीश नारायण कांस्टेबल जिसे अभियोजन पक्ष द्वारा भली-भांति जाना जाता है, उसकी विचारण पर परीक्षा नहीं की गई थी अतः प्रतिरक्षा पक्ष को उससे प्रतिपरीक्षा करने के लिए कोई अवसर नहीं दिया गया । मोहम्मद अली (अभि. सा. 4) जगदीश नारायण को पेश नहीं करने के कारण के बारे में स्पष्टीकरण देने में विफल हुआ है, अतः हम विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों से सहमत हैं कि अभिलेख पर पर्याप्त कारण हैं जिस वजह से प्रदर्श पी-3 अभिकथित मृत्युकालिक कथन को त्यक्त करने का न्यायसंगत कारण है तथा हम उसका कोई अवलंब नहीं लेते हैं ।"

18. विचारण पर मृत्युकालिक कथन के लिपिक की परीक्षा करने का महत्व **लक्ष्मण** बनाम **महाराष्ट्र राज्य**[1] वाले मामले में संविधान पीठ के माननीय न्यायमूर्तियों की मताभिव्यक्तियों से ज्ञेय है । इस मामले में माननीय न्यायमूर्तियों ने मृत्युकालिक कथन की स्वीकार्य योग्यता के बारे में अधोरेखीय न्यायिक सिद्धांत कई परिस्थितियों के विद्यमान होने के कारण साक्ष्य के ऐसे प्रकार जो वर्णित किए गए हैं महत्व देने के विचार से प्रयोग में लाने के लिए बड़ी सावधानी की अध्यपेक्षा पर जोर दिया है जिनसे उनकी सच्चाई प्रभावित हो सकती है । अन्य बातों के साथ-साथ न्यायमूर्तियों ने आवश्यक अध्यपेक्षा की ओर जोर दिया है कि "वह व्यक्ति जो मृत्युकालिक कथन अभिलिखित करता है उसका यह समाधान होना चाहिए कि मृतक स्वस्थ्य मानसिक दशा में था ।"

19. उस मामले में संविधान पीठ ने **कोली चून्नीलाल सावजी** बनाम **गुजरात राज्य**[2] वाले मामले में उच्चतम न्यायालय के तीन न्यायाधीशों के पीठ के विनिश्चय का भी उल्लेख किया है जिसमें माननीय न्यायमूर्तियों द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया था कि अंततोगत्वा यह परीक्षा होनी

---

[1] (2002) 6 एस. सी. सी. 710.

[2] (1999) 9 एस. सी. सी. 432.

चाहिए कि क्या मृत्युकालिक कथन पूर्ण रूप से सत्य ठहराया जा सकता है और या स्वैच्छिक रूप से दिया गया है । यह भी अभिनिर्धारित किया गया है कि संबंधित अधिकारी को यह निष्कर्ष निकालना चाहिए कि घोषणा करने वाला प्रश्नगत कथन करने में स्वस्थ दशा में था ।

20. यह दस्तावेज का लिपिक है जिसकी प्रतिपरीक्षा के मानदंडों पर अभिसाक्ष्य की परीक्षा की गई और उससे न्यायालय का यह समाधान हो सकता है कि उसने संतुष्ट होने के पश्चात् कथन अभिलिखित किया था कि वह व्यक्ति जो कथन कर रहा है स्वैच्छिक कथन करने के लिए उसकी मानसिक दशा ठीक थी । वह इस बारे में स्पष्टीकरण दे सकता है कि कैसे उसका ऐसे समाधान हुआ ।

21. अभियोजन पक्षकथन के अनुसार मृत्युकालिक कथन प्रदर्श पी. डब्ल्यू. के. डी. जिसे मृतक द्वारा किया जाना अभिकथित है कि लिपिक हेड कांस्टेबल कुलदीप राज है । प्रथम इत्तिला रिपोर्ट और आरोप पत्र के प्रकट शब्द में ऐसा कथन किया गया है । तथापि, उसकी विचारण पर परीक्षा नहीं की गई और न उसे साक्षी के रूप में उद्धृत किया गया । यहां पर हम यह उल्लेख कर सकते हैं कि विचारण न्यायालय ने आक्षेपित निर्णय के पृष्ठ 33 पर इस तथ्य के बारे में गलत कथन किया है कि मृत्युकालिक कथन पुलिस थाना घरोता के हेड कांस्टेबल अभि. सा. 1 द्वारा अभिलिखित किया गया था । अभि. सा. 1 के अनुसार आरोप पत्र में दी गई सूची श्याम लाल द्वारा दी गई है । अभियोजन पक्ष के विचारण पर लिपिक को पेश करने में विफल होने के कारण यह नहीं कहा जा सकता है कि मृतका द्वारा किया गया मृत्युकालिक कथन को साबित किया गया है बल्कि यह भी अभिनिर्धारित किया गया है कि अभियोजन पक्ष मृतका द्वारा अभिकथित किए गए मृत्युकालिक कथन को साबित करने में विफल हुआ है । यह समझ में नहीं आता कि मामले में लिपिक को क्यों नहीं पेश किया गया और साक्षी के रूप में उद्धृत क्यों नहीं किया गया । मामले का अन्वेषक अधिकारी जो उस पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी था, उसकी भी विचारण पर परीक्षा नहीं की गई । इस तरह यह बात रहस्यपूर्ण बन जाती है कि अभिकथित मृत्युकालिक कथन का ऐसा महत्वपूर्ण साक्षी को सामने पेश क्यों नहीं किया गया ।

22. अभिकथित मृत्युकालिक कथन प्रदर्श पी. डब्ल्यू. डी. के. को पेश नहीं किया जा सका और साधारण कारण की वजह से अभियोजन पक्षकथन के समर्थन में साक्ष्य के रूप में उसका अवलंब नहीं लिया जा सकता कि इस बात को इसके लिपिक को न्यायालय के समक्ष पेश न

करके साबित नहीं किया गया है ।

23. यदि ऐसे मामले में अभियोजन पक्ष इसके लिपिक की तथ्य के रूप में परीक्षा करके मृत्युकालिक कथन को साबित करता है तब इसके करने वाले के मृत्यु के कारण के बारे में साक्ष्य की विश्वसनीयता और मूल्य पर विचार किया जाएगा तथा मृत्युकालिक कथन के विचार को शासित करने वाले सावधानी के सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए यह निर्धारित किया जाना चाहिए कि क्या मृत्युकालिक कथन सच्चा और स्वैच्छिक है । बिना यह कहे इस बात पर विचार किया जाता है कि मृत्युकालिक कथन सुना-सुनाया साक्ष्य के विरुद्ध साधारण नियम का अपवाद है । किसी व्यक्ति द्वारा ऐसा कोई कथन किया जाना जिसे न्यायालय के समक्ष नहीं लाया जा सकता और अभियुक्त के विरुद्ध जिसने ऐसी घोषणा की है साक्ष्य के रूप में प्रयोग में लाई जाती है और अभियुक्त को उससे प्रतिपरीक्षा करने का कोई अवसर नहीं दिया जा सकता । अतः, न्यायालय को यह विचार करने के लिए रक्षोपाय पर ध्यान देना चाहिए कि कथन सिखाने-पढ़ाने या किसी कल्पना का परिणाम नहीं था । न्यायालय का यह समाधान होना चाहिए कि मृतक ऐसी घोषणा करते समय स्वस्थ मानसिक दशा में था । अभियोजन पक्ष द्वारा दिए गए साक्ष्य के बारे में संक्षेप रूप में यह कहा जाता है कि यह ऐसे प्रकृति का होना चाहिए कि मृत्युकालिक कथन से न्यायालय को इसके सत्य होने और स्वैच्छिक प्रकृति का होने के बारे में पूर्ण रूप से विश्वास उत्प्रेरित होता हो ।

24. न्यायालय मृत्युकालिक कथन को शासित करने वाले सावधानी के सिद्धांत को व्यक्त करता है जैसाकि **पानीबेन** बनाम **गुजरात राज्य**[1] वाले मामले में माननीय न्यायमूर्तियों द्वारा सारांश व्यक्त किया गया है जो इस प्रकार है :–

> "(i) न तो विधि का नियम है और न प्रज्ञा का नियम है कि मृत्युकालिक कथन पर बिना सम्पुष्टि के कार्यवाही नहीं की जा सकती ।
>
> (ii) यदि न्यायालय का यह समाधान है कि मृत्युकालिक कथन सही और स्वैच्छिक है तो यह दोषसिद्धि का आधार हो सकता है चाहे इसकी सम्पुष्टि न हुई हो ।
>
> (iii) न्यायालय को सावधानीपूर्वक मृत्युकालिक कथन की

[1] (1992) 2 एस. सी. सी. 474.

संवीक्षा करनी चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ऐसा कथन सिखाने-पढ़ाने या कल्पना के परिणामस्वरूप नहीं है । मृतक के पास ऐसा अवसर था जिससे कि वह हमलावरों की पहचान कर सकता और वह ऐसा कथन करने के लिए स्वस्थ मानसिक स्थिति में था ।

(iv) जहां मृत्युकालिक कथन संदेहपूर्ण है तब इस पर बिना सम्पुष्ट साक्ष्य के कार्यवाही नहीं की जानी चाहिए ।

(v) जहां मृतक बेहोशी की हालत में था और कोई मृत्युकालिक कथन कभी भी नहीं कर सकता था तब इस संबंध में साक्ष्य अस्वीकार किया जाना चाहिए ।

(vi) मृत्युकालिक कथन जो दुर्बलता से ग्रसित है दोषसिद्धि का आधार नहीं हो सकता ।

(vii) मात्र मृत्युकालिक कथन जिसमें घटना के बारे में ब्यौरे अंतर्विष्ट नहीं हैं इसे अस्वीकार नहीं किया जाता है ।

(viii) समान रूप से मात्र यह एक संक्षिप्त कथन है इस पर इसे त्यक्त नहीं किया जाता है । इसके प्रतिकूल कथन का लघु होना अपने आप में सच्चाई की प्रत्याभूति को प्रकट करता है ।

(ix) सामान्यतः न्यायालय का यह समाधान होना चाहिए कि क्या मृतक मृत्युकालिक कथन करने के लिए स्वस्थ मानसिक दशा में था । इस पर चिकित्सा राय को देखा जाना चाहिए । परंतु क्या प्रत्यक्षदर्शी साक्षी ने यह कहा है कि मृतक मृत्युकालिक कथन करने के लिए स्वस्थ और सचेत अवस्था में था तब चिकित्सा राय अभिभावी नहीं हो सकती ।

(x) जहां मृत्युकालिक कथन में वर्णित वृत्तांत से अभियोजन वृत्तांत भिन्न-भिन्न हो तब उक्त कथन पर कार्यवाही नहीं की जा सकती ।"

25. उच्चतम न्यायालय के माननीय न्यायमूर्तियों द्वारा **विकास और अन्य** बनाम **महाराष्ट्र राज्य**[1] वाले नवीनतम मामले में तथा इससे भी नवीनतम मामला **सुकांति मोहराना** बनाम **उड़ीसा राज्य**[2] वाले मामलों में

[1] (2008) 2 एस. सी. सी. 516.

[2] 2009 ए. आई. आर. एस. सी. डब्ल्यू. 6161.

इन सिद्धांतों को दोहराया है ।

26. तथापि, हमने इन विशिष्टियों पर विचार किया कि क्या मृतका मृत्युकालिक कथन को अभिलिखित करने के समय पर स्वस्थ मानसिक दशा में थी, यह उपधारणा की गई है कि इस बात को सम्यक् रूप से अभियोजन पक्ष द्वारा साबित किया गया था क्योंकि मृतका की मानसिक उपयुक्तता मृत्युकालिक कथन का अवलंब लेने के लिए बहुत महत्वपूर्ण दशा है । न्यायालय का यह समाधान होना चाहिए कि व्यक्ति जो मृत्युकालिक कथन कर रहा है उस सुसंगत समय पर स्वस्थ मानसिक दशा में था । हम नियम को देखते हुए यह कह सकते हैं कि सामान्यतः चिकित्सा राय मृत्युकालिक कथन को करने के समय पर मृतका की मानसिक उपयुक्तता के बारे में उत्तम साक्ष्य होता है । परंतु यदि साक्षियों के साक्ष्य से न्यायालय का यह समाधान निकलता है कि मृतका मृत्युकालिक कथन करने के लिए स्वस्थ मानसिक दशा में थी, न तो डाक्टर की राय को आग्रह के रूप में लेना आवश्यक है और न यह अभिभावी होगी । **लक्ष्मण वाला मामला** (उपरोक्त) वाले मामले में संविधान पीठ के न्यायमूर्ति द्वारा विधिक स्थिति के बारे में स्पष्ट रूप से कथन किया गया है और **पानीबैन** (उपरोक्त) वाले मामले में पहले ही इसका उल्लेख किया गया है ।

27. प्रदर्श पी. डब्ल्यू. के. डी. को अभिलिखित करते समय मृतका की उपयुक्त मानसिक स्थिति पर विचार करते हुए अभि. सा. डा. के. के. ठाकुर द्वारा लिया गया साक्ष्य जिन्होंने मृतका के शव की शव-परीक्षा की अनदेखी नहीं की जा सकती । उनके अनुसार मृतका के शरीर की ऊपरी सतह पर अनुमानतः 90 प्रतिशत दाह क्षतियां हुई थीं । उसने प्रतिपरीक्षा में यह कथन किया कि चेहरे और नासाछिद्र पर अत्यधिक तीव्र दाह क्षतियां और श्वासप्रणाल और कंठ के ज्वलनशील होने के कारण मृतका अपनी मृत्यु से पूर्व कुछ शब्दों से अधिक शब्द बोलने की स्थिति में नहीं थी क्योंकि साधारणतः जब ऐसा कोई व्यक्ति ऐसी दाह क्षतियों से ग्रसित हो तब वह लंबा कथन नहीं कर सकता । इस पृष्ठभूमि में यह इंगित करना भी जरूरी है कि अभिकथित मृत्युकालिक कथन प्रदर्श पी. डब्ल्यू. के. डी. पूरे पृष्ठ से भी अधिक फैला हुआ है । इसमें घटना की तारीख को क्या घटित हुआ था अन्य बातों सहित तथ्यों के ब्यौरे हैं ।

28. तथापि, अभि. सा. लांसनायक संजय कुमार के अभिसाक्ष्य में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसकी अभियोजन पक्ष द्वारा अभिकथित मृत्युकालिक कथन के एकमात्र साक्षी के रूप में परीक्षा की गई जो तारीख 12 अक्तूबर,

2007 को उसके कथन अभिलिखित करते समय उसकी शारीरिक दशा या उसकी मानसिक उपयुक्तता के बारे में कराई गई थी । इस संबंध में विचारण न्यायालय का अभि. सा. नाथाराम और संजय कुमार के साक्ष्य से समर्थन लेना प्रतीत होता है । परंतु हमने उनके अभिसाक्ष्यों पर विचार किया और यह महसूस किया कि ऐसा संभव नहीं था । इन दोनों साक्षियों उनमें से एक भाई और दूसरा अपीलार्थी के भाई का पुत्र है, ने यह कथन किया है कि घटना के पश्चात् मृतका ने यह कहा था कि उसे दुर्घटनावश आग पकड़ गई थी । विचारण न्यायालय ने यह मत व्यक्त करते हुए उनके वृत्तांत को अस्वीकार कर दिया कि उन्होंने अभियुक्त को दंड से बचाने के लिए ऐसा कथन किया है और हम तारीख 12 अक्तूबर, 2007 को मृतका के मानसिक उपयुक्तता के बारे में उनके अभिसाक्ष्यों में लाभप्रद कोई बात नहीं पाते हैं । हम तारीख 12 अक्तूबर, 2007 को कथन करने में मृतका की मानसिक उपयुक्तता के संदर्भ में इन दो साक्षियों के अभिसाक्ष्य पर विचार करने का कोई कारण नहीं पाते हैं । इन दो साक्षियों की भूमिका ने तारीख 11 अक्तूबर, 2007 को घटना घटने के तत्काल पश्चात् समय को परिसीमित किया है । उनके अभिसाक्ष्यों के अनुसार उन दोनों ने एक साथ मृतका के शरीर पर लगी आग को बुझाया था और उसे सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, जम्मू गाड़ी पर ले गए थे । तथापि, अभि. सा. नाथाराम के अनुसार यह कथन कि मृतका को दुर्घटनावश आग पकड़ गई थी जिस कथन को घटना के स्थान पर मृतका द्वारा दिया गया था जबकि अभि. सा. संजय कुमार के अनुसार ऐसा कथन गाड़ी में अस्पताल ले जाते समय रास्ते पर उसके द्वारा दिया गया था । इन दोनों साक्षियों के कथनों का अधिक से अधिक उनके कहने की सीमा तक अवलंब लिया जा सकता है कि उन्होंने मृतका के शरीर पर लगी आग को बुझाया था और उसे अस्पताल ले गए थे तथा अगले दिन अर्थात् तारीख 12 अक्तूबर, 2007 को कथन करने के लिए मृतका की मानसिक और शारीरिक उपयुक्तता के बारे में कोई मामला प्रकट नहीं है ।

29. हमने सभी अभियोजन साक्षियों के अभिसाक्ष्यों की बड़ी सावधानी से संवीक्षा करने के पश्चात् विश्वास करने के लिए कोई साक्ष्य नहीं पाया है कि मृतका मृत्युकालिक कथन करने के लिए स्वस्थ मानसिक दशा में थी । इतना ही नहीं 12 अक्तूबर, 2007 का विस्तृत कथन प्रकट है । ऐसे साक्ष्य के अभाव में अभियोजन पक्ष लिपिक और डाक्टर को पेश करने में विफल हुआ है जिसने इसे महत्व देते हुए तारीख 12 अक्तूबर, 2007 को उपयुक्तता प्रमाणपत्र जारी किया था । ये दो साक्षी यह कथन कर सके हैं

कि क्या मृतका कथन करने के लिए स्वस्थ मानसिक स्थिति में थी और डाक्टर से यह सुनिश्चित कराया जा सका है जिसने उपयुक्तता प्रमाणपत्र जारी किया कि क्या ब्यौरेवार प्रकृति का कथन किया जा सका है या नहीं जो मृतका द्वारा भोगी गई दाह क्षतियों की प्रकृति और विस्तार के बारे में है ।

30. जब हम साक्षियों के अभिसाक्ष्य का परिशीलन कर रहे थे हमारे समक्ष यह बात रखी गई थी कि मृतका ने अपनी माता अभि. सा. कुंती देवी और अपने भाई अभि. सा. गारू राम से यह कथन किया कि उसे उसके पति द्वारा पैट्रोल छिड़कने के पश्चात् जलाया गया था । विद्वान् उप-महाधिवक्ता ने यह दलील देनी चाही है कि इन दो साक्षियों के द्वारा किए गए अभिसाक्ष्य से यह दर्शित होता है कि मृतका मृत्युकालिक कथन करने के लिए उपयुक्त मानसिक स्थिति में थी और मृतका द्वारा उनके समक्ष जो कुछ भी कथन किया गया उसे मृतका का मौखिक मृत्युकालिक कथन माना जाएगा । इसके प्रतिकूल श्री गांधी ने यह निवेदन किया है कि मृतका द्वारा इन दो साक्षियों से जो कुछ भी कथन अभिकथित किया गया है उसका विचारण न्यायालय द्वारा अवलंब नहीं लिया गया । ठीक इस वजह से इन साक्षियों के अभिसाक्ष्य विश्वसनीय नहीं हैं और ऐसा कोई मामला साबित नहीं किया गया है कि मृतका उनके समक्ष कोई बात कहे जाने के समय उपयुक्त मानसिक दशा में थी । श्री गांधी ने इस बारे में साक्ष्य से यह प्रकट करनी चाही कि ये दो साक्षी क्यों विश्वसनीय नहीं हो सकते हैं ।

31. अभि. सा. कुंती देवी और उसका पति अभि. सा. शाम लाल के अभिसाक्ष्यों का परिशीलन करने पर यह बात स्पष्ट रूप से सामने आई है, कि घटना के दिन अर्थात् तारीख 10 जुलाई, 2007 को वे दोनों चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल एक साथ पहुंचे थे । अभि. सा. शाम लाल ने स्पष्ट रूप से यह कहा है कि उनके अस्पताल में पहुंचने पर मृतका ने उनकी बातों का उत्तर नहीं दिया । वह अस्पताल में भर्ती थी और होशो-हवास में नहीं थी । उसने यह भी कथन किया कि वह मृतका के ससुराल के मकान पर गई थी जहां पुलिस ने उसके हस्ताक्षर कुछ दस्तावेजों पर प्राप्त किए थे । वह अस्पताल से वापस लौटा उस समय भी मृतका होशो-हवास में नहीं थी, दूसरी ओर, अभि. सा. कुंती देवी का यह कहना है कि मृतका उस दिन अस्पताल में उससे बोली थी और अन्य बातों के साथ-साथ यह कथन किया कि उसे उसके पति द्वारा जलाया गया था जो बात अभि. सा. शाम लाल के कथन के पृष्ठभूमि में प्रकट है जिसे सही होने के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता है ।

32. अभि. सा. गारू राम ने मुख्य परीक्षा में यह कथन किया है कि

उसने तारीख 16 अक्तूबर, 2007 को सैनिक अस्पताल में मृतका को देखा था और मृतका ने उससे पानी मांगा था तथा उसने चम्मच से उसे पानी पिलाया था और उसके पूछने पर उसने यह कथन किया कि मृतका पैट्रोल (इसके अतिरिक्त अन्य वस्तुएं) से भिगाए जाने के पश्चात् जलाई गई थी । उसने प्रतिपरीक्षा में यह कथन किया है कि मृतका से बातचीत करते समय डाक्टर और सीएमपी हवलदार वहां पर मौजूद थे तथा हवलदार ने कागज के टुकड़े पर इस बात को लिखा था । इस प्रकार उसने मृतका के कथन का उल्लेख किया है जिसे सीएमपी हवलदार द्वारा अभिलिखित किया गया था । तथापि, ऐसी लिखित की विद्यमानता का अभियोजन साक्ष्य से मिलान नहीं होता है । निष्कर्ष निकालने पर अभि. सा. कुंती देवी और अभि. सा. गारू राम के अभिसाक्ष्यों से विश्वास प्रेरित नहीं होता है और मृतका द्वारा उनसे जो कुछ भी कहा जाना अभिकथित है, उसे मृतका के मौखिक मृत्युकालिक कथन के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता ।

33. पूर्व उल्लिखित कारणों से जिस निष्कर्ष पर हम पहुंचते हैं यह है कि अभिकथित मृत्युकालिक कथन तारीख 12 अक्तूबर, 2007 प्रदर्श पी. डब्ल्यू. के. डी. का सारभूत साक्ष्य के रूप में अवलंब नहीं लिया जा सकता है । प्रथमतः, इस कारण से कि इसे साबित नहीं किया गया है और दूसरा इस कारण से कि यह साबित नहीं किया गया है कि मृतका मृत्युकालिक कथन करने के लिए स्वस्थ मानसिक दशा में थी ।

34. विचारण न्यायालय को यह प्रतीत हुआ है कि अभियोजन अभिकरण और अन्वेषक अधिकारी की निन्दा करके अभियोजन पक्षकथन को वापस पटरी में लाए जाने से बाहर कर दिया गया है परंतु हम यह उल्लेख कर सकते हैं कि उनकी निन्दा करना विधिक साक्ष्य का प्रतिस्थापन नहीं हो सकता है । अन्वेषक अभिकरण या अन्वेषक अधिकारी की ओर से हुई चूक की उपेक्षा की जा सकती है और उनका फायदा अभियुक्त को दिए जाने से इनकार किया जा सकता है । फिर भी मामले को साबित करने के लिए पर्याप्त और विधिक साक्ष्य है ।

35. हमें "अन्यत्र उपस्थित होने का अभिवाक्" "अभियुक्त का आचरण" और "अभियुक्त का प्रकटीकरण कथन" जिसे विचारण न्यायालय द्वारा विचार में लिया गया था, उनका परिशीलन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारा यह मत है कि रणवीर दंड संहिता की धारा 302 के अधीन अपीलार्थी की दोषसिद्धि और दंडादेश को साक्ष्य के टुकड़े के रूप में मृत्युकालिक कथन को अस्वीकार करने के पश्चात् कायम नहीं रखा जा सकता है । फिर भी, कम से कम यह कह सकते हैं कि अभियोजन पक्ष

7--355 मिनि. ऑफ एल. एण्ड जे./2014

द्वारा अभियुक्त के अंतर्वलन को साबित करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य दिए जाने के पश्चात् ही अन्यत्र उपस्थित होने के अभिवाक् को महत्व दिया जाता है । **जयन्ती भाई भेंकरभाई** बनाम **गुजरात राज्य**[1] वाले मामले के निर्णय से यह ज्ञेय है जिसका विचारण न्यायालय द्वारा उल्लेख किया गया है । माननीय न्यायमूर्तियों ने पैरा 19 में जो मत व्यक्त किया है इस प्रकार है :–

> "19. .... अभियुक्त द्वारा अपराध किए जाने को साबित करने का भार जिससे उसकी दोषिता का दायित्व बनता है अभियोजन पक्ष पर है । इसे मात्र इस तथ्य से कम नहीं किया जाता है कि अभियुक्त ने अन्यत्र उपस्थित होने का अभिवाक् की प्रतिरक्षा ली है । अभियुक्त द्वारा अन्यत्र उपस्थित होने का अभिवाक् कि केवल तब विचार करना जरूरी है जब भार जो अभियोजन पक्ष पर है उसका समाधानप्रद रूप से उन्मोचन कर दिया गया है । यदि अभियोजन पक्ष अभियुक्त द्वारा अपराध किए जाने को साबित करने के लिए युक्तियुक्त संदेह के परे अपने भार का निर्वहन करने में विफल हुआ है तब इस प्रश्न पर विचार करना आवश्यक नहीं होता है कि क्या अभियुक्त अन्यत्र उपस्थित होने का अभिवाक् की प्रतिरक्षा को साबित करने में सफल हुआ है । परंतु यदि अभियोजन पक्ष अपने भार को उन्मोचित करने में सफल होता है तब अभियुक्त के लिए यह लाजमी है कि अन्यत्र उपस्थित होने का अभिवाक् को इस सुनिश्चितता के साथ साबित किया जाए जिससे कि घटना के समय और स्थान पर अपनी उपस्थिति की संभावना अपवर्जित किया जाए । अभियुक्त की दोषिता को साबित करने के लिए अभियोजन पक्ष द्वारा दिए गए साक्ष्य के महत्व को प्रकट करने की बाध्यता न्यायालय पर है और अभियुक्त द्वारा अपने अन्यत्र उपस्थित होने का अभिवाक् की जो प्रतिरक्षा ली गई है उसको साबित करने के लिए साक्ष्य दिया जाए । यदि अभियुक्त द्वारा ऐसी गुणता और मानक का साक्ष्य दिया जाता है तब न्यायालय घटना के स्थान और समय पर उसकी मौजूदगी के बारे में युक्तियुक्त संदेह व्यक्त कर सकता है । न्यायालय यह विचार करने के लिए अभियोजन साक्ष्य का मूल्यांकन करेगा कि यदि अभियोजन की ओर से दिया गया साक्ष्य से अन्यत्र उपस्थित होने के अभिवाक् की प्रतिरक्षा सही बैठाने में कोई सूराख ढूंढता है ।"

---

[1] (2002) 8 एस. सी. सी. 165.

36. इस मामले में अपीलार्थी के विरुद्ध रणवीर दंड संहिता की धारा 302 के अधीन आरोप के समर्थन में अभियोजन साक्ष्य में कुछ भी नहीं पाया गया है । यद्यपि, यह साबित हुआ है कि मृतका से अधिक दहेज की मांग की गई थी जिस वजह से मृतका को परेशान किया जाता था जिसके लिए विचारण न्यायालय ने रणवीर दंड संहिता की धारा 498-क के अधीन उसे ठीक ही दोषसिद्ध और दंडादिष्ट किया है । परंतु उसके परे कुछ भी नहीं है क्योंकि यह दर्शित करने के लिए कोई साक्ष्य नहीं है कि अभियुक्त जो सेना में नौकरी कर रहा था उस सुसंगत समय पर घटना के स्थान अर्थात् अपने घर में मौजूद था ।

37. जैसाकि ऊपर कथन किया गया है और चर्चा की गई है । रणवीर दंड संहिता की धारा 302 के अधीन अपीलार्थी की दोषसिद्धि और उसको दिया गया दंडादेश अपास्त किया जाता है तथापि, रणवीर दंड संहिता की धारा 498-क के अधीन दोषसिद्धि और दंडादेश को कायम रखा जाता है और उस सीमा तक अपील को खारिज किया जाता है । उपरोक्त रूप में अपील का निपटारा करते हुए विचारण न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देश का उत्तर दिया जाता है ।

38. विचारण न्यायालय के अभिलेख को इस निर्णय की प्रति के साथ वापस प्रतिप्रेषित किया जाता है तद्नुसार, विचारण न्यायालय निष्पादन वारंट को उपांतरित करेगा ।

39. 2011 की संबंधित पुष्टिकरण सं. 9 का भी निपटारा किया जाता है ।

अपील का निपटारा किया गया ।

आर्य

(2014) 1 दा. नि. प. 488 दिल्ली

राकेश कुमार

बनाम

राज्य (राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र, दिल्ली)

तारीख 5 सितंबर, 2013

न्यायमूर्ति पी. के. भसीन और न्यायमूर्ति वेद प्रकाश वैश

दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) – धारा 302 और 304 – हत्या – जहां प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों के परिसाक्ष्य, चिकित्सक की मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट और प्रकृति के सामान्य अनुक्रम में मृत्यु कारित करने के लिए भोथर वस्तु से शरीर के मुख्य अंग पर कारित पर्याप्त क्षतियों से यह साबित होता हो कि मृत्यु अचानक झगड़ा जनित आवेश के बिना पूर्व चिंतन से क्रूरतापूर्ण या अप्रायिक रीति से कार्य किए बिना कारित की गई थी वहां अभियुक्त दंड संहिता की धारा 304 के बजाय धारा 302 के अधीन हत्या के अपराध का दायी होगा ।

संक्षेप में, अभियोजन पक्षकथन इस प्रकार है कि 20 अक्तूबर, 2004 को डी. डी. 16-क अक्षरधाम मंदिर, दिल्ली के समीप झगड़े के बारे में पांडव नगर थाने में अभिलिखित किया गया और इसे हेड कांस्टेबल, जगसरन को सौंपा गया । उक्त डी. डी. प्राप्त करने पर हेड कांस्टेबल, जगसरन कांस्टेबल देवराज के साथ अक्षरधाम मंदिर के समीप पुस्ता यमुना खादर पंहुचे और चारपाई पर छज्जन नामक व्यक्ति (मृतक) का शव पड़ा पाया । इसके पश्चात्, डी. डी. सं. 18-क पांडव नगर थाने में अभिलिखित किया गया और इसे अन्वेषण के लिए उप-निरीक्षक मदन मीना को सौंपा गया जो कांस्टेबल रामेश्वर दयाल के साथ घटनास्थल पर पंहुचे और अपराध स्थल का निरीक्षण किया । रक्त रंजित फूलगोभी के कुछ पत्ते, एक जोड़ी चप्पल, रक्त रंजित लकड़ी का शेरु (खटिया में उपयोग किए जाने वाला लकड़ी के बांस) घटनास्थल पर मिला जिसे अभिगृहीत किया गया । प्रत्यक्षदर्शी सदरे आलम **उर्फ** छोटू (अभि. सा. 5) का कथन अभिलिखित किया गया । अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया, घटनास्थल योजना तैयार किया और मृतक के शव की मरणोत्तर परीक्षा कराई गई । अन्वेषण पूरा होने के पश्चात् आरोप पत्र फाइल किया गया । विचारण किया गया जिसके परिणामस्वरूप आक्षेपित निर्णय और दंडादेश पारित किया गया ।

आक्षेपित निर्णय और दंडादेश के विरुद्ध अभियुक्त ने उच्च न्यायालय में अपील की । उच्च न्यायालय द्वारा अपील खारिज करते हुए,

अभिनिर्धारित – यदि न्यायालय उक्त घटना के प्रत्यक्षदर्शी साक्षी के रूप में सदरे आलम (अभि. सा. 5) को नहीं माने तो भी अवतार का एकमात्र परिसाक्ष्य उपरोक्त कथनानुसार तात्विक भाग में सम्पुष्टि होने पर, अपीलार्थी की दोषसिद्धि के लिए पर्याप्त है । न्यायालय यह मत व्यक्त करता है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 134 किसी तथ्य को साबित करने के लिए साक्षियों की कोई विशिष्ट संख्या अधिकथित नहीं करती । साक्ष्य का महत्वपूर्ण होना अनिवार्य है न कि इसकी गणना । इसके अतिरिक्त, यह राय व्यक्त की गई कि मृत्यु का हेतुक सिर पर भोथर वस्तु के प्रहार के कारण हुए खोपड़ी प्रमस्तिष्कीय क्षति थी, सभी क्षतियां मृत्युपूर्व प्रकृति की थीं और हाल में ही की गई थीं । डा. विनय कुमार सिंह ने मरणोत्तर परीक्षा रिपोर्ट में यह कहा कि मृत्यु से अब तक का समय 22 से 28 घंटे के बीच है । उनकी रिपोर्ट के अनुसार मृत्यु 20 अक्तूबर, 2004 को लगभग 12.00 बजे दिन को हुई जबकि प्रत्यक्षदर्शियों साक्षियों के बयान के अनुसार घटना 20 अक्तूबर, 2004 को लगभग 11.00 बजे हुई । उपरोक्त विरोध को ध्यान में रखते हुए अपीलार्थी के विद्वान् काउंसेल का विचार है कि घटना के समय और मृत्यु के समय के बीच 1-2 घंटे का अंतर है । तथापि, न्यायालय का यह मत है कि यह अंतर एक नैसर्गिक अंतर और चिकित्सक द्वारा बताया गया मृत्यु का समय केवल निकटस्थ है न कि सटीक । यदि प्रत्यक्षदर्शी साक्ष्य और चिकित्सा साक्ष्य के बीच विरोध है तो न्यायालय द्वारा प्रत्यक्षदर्शी साक्ष्य पर विचार किया जाना चाहिए । इस संबंध में मांगू खान और अन्य बनाम राजस्थान राज्य वाले मामले का अवलंब लिया जा सकता है जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया था कि चिकित्सा न्यायशास्त्र में यह समय बताने के लिए कि कब पूरे शरीर पर शव काठिन्य विकसित होता है, का भी कोई तथ्यात्मक आधार नहीं है । यह मृतक के शारीरिक गठन, वर्ष के ऋतु, क्षेत्र के तापमान और ऐसी दशा जिसके अधीन शव को रखा गया है जैसे विभिन्न कारकों पर निर्भर होता है । सोलंकी चिमन भाई उका भाई बनाम गुजरात राज्य वाले एक अन्य मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया कि साधारणतः चिकित्सा साक्ष्य का मूल्य केवल सम्पुष्टि कारक है । यह साबित करता है कि क्षतियां अभिकथित रीति में कारित हो सकती हैं और इससे अधिक कुछ नहीं । प्रतिरक्षा पक्ष चिकित्सा साक्ष्य का उपयोग केवल यह साबित

करने के लिए कर सकता है कि क्षतियां अभिकथित रीति में संभवतः कारित नहीं की जा सकतीं और इस प्रकार प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों को अस्वीकार करता है । तथापि, जब तक चिकित्सा साक्ष्य इतना साबित नहीं करता कि यह पूर्णतः प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों द्वारा अभिकथित रीति से क्षतियां पहुंचने में सभी प्रकार की संभावनाओं से इनकार नहीं करता तब तक प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों के साक्ष्य को उसके और चिकित्सा साक्ष्य के बीच अभिकथित असंगतता के आधार पर तिरस्कृत नहीं किया जा सकता । यही नहीं, अपीलार्थी के विद्वान् न्यायमित्र ने यह दलील दी कि यदि न्यायालय यह विश्वास भी करे कि अपीलार्थी ने मृतका की मृत्यु कारित की थी फिर भी मामले की परिस्थितियों में उसका मामला अब भी भारतीय दंड संहिता की धारा 300 के चौथे अपवाद के अंतर्गत आता है अतः उसे भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के बजाय धारा 304 के अधीन दोषसिद्ध किया जाना चाहिए । यहां यह उल्लेख करना महत्वपूर्ण है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 300 के अपवाद 4 का फ़ायदा लेने के लिए प्रतिरक्षा पक्ष से यह संभाव्य दर्शित करना अपेक्षित है कि अपराध अचानक झगड़े पर आवेग में अचानक लड़ाई में पूर्व चिन्तन के बिना किया गया था और अपराधी ने कोई असम्यक् फायदा नहीं उठाया और अपराधी ने क्रूर या अप्रायिक रीति से कार्य नहीं किया था । अपवाद इस सिद्धांत पर आधारित है कि पूर्व चिन्तन के अभाव में और स्वनियंत्रण के पूर्ण वंचितीकरण के कारण न कि आवेग के कारण अपराध किया गया था जो प्रसामान्यतः संयमित कोई व्यक्ति करता । यद्यपि अधिनियम के अधीन अचानक लड़ाई को परिभाषित नहीं किया गया है फिर भी यह पारस्परिक प्रकोपन की विवक्षा करता है । न्यायालयों द्वारा वर्णित किया गया है कि लड़ाई स्वतः उपशमनकारी परिस्थिति नहीं है केवल अपूर्वचिन्तित लड़ाई की स्थिति इस प्रकार है । झगड़ा और लड़ाई के बीच समयान्तराल घटना की उपयोज्यता के विनिश्चय के लिए महत्वपूर्ण आधार है । यदि आवेग को कम करने के लिए अभियुक्त के पास सामान्य होने हेतु पर्याप्त समय होता है और उसके पश्चात् झगड़ा होता है तो मार डालना हत्या होगी किंतु यदि समयान्तराल पर्याप्त नहीं है तो अभियुक्त को इस अपवाद का फायदे का हकदार ठहराया जा सकता है । किसी सामान्य नियम का उपवर्णन करना संभव नहीं है कि अचानक झगड़ा किसे समझा जाएगा । यह तथ्य का प्रश्न है कि क्या झगड़ा अचानक हुआ है या नहीं, निश्चय ही प्रत्येक मामले के सही तथ्यों पर निर्भर होगा । अपवाद 4 को लागू करने के लिए यह साबित करना पर्याप्त नहीं है कि अचानक झगड़ा हुआ था और कोई पूर्व चिन्तन

नहीं था । आगे यह साबित किया जाना चाहिए कि अपराधी ने असम्यक् फायदा नहीं उठाया या क्रूरता या अप्रायिक रीति से कार्य नहीं किया । (पैरा 10, 12, 14, 15, 16, 22 और 23)

निर्दिष्ट निर्णय

		पैरा
[2008]	(2008) 2 एस. सी. सी. 151 : **कुंजू** बनाम **तमिलनाडु राज्य** ;	12
[2005]	(2005) 10 एस. सी. सी. 374 : **मांगू खान और अन्य** बनाम **राजस्थान राज्य** ;	15
[1991]	(1991) 3 एस. सी. सी. 627 : **खुज्जी उर्फ सुरेन्द्र तिवारी** बनाम **मध्य प्रदेश राज्य** ;	10
[1983]	(1983) 2 एस. सी. सी. 174 : **सोलंकी चिमन भाई उका भाई** बनाम **गुजरात राज्य** ;	16
[1958]	ए. आई. आर. 1958 एस. सी. 465 : **विरसा सिंह** बनाम **पंजाब राज्य** ।	24

अपीली (दांडिक) अधिकारिता : 2009 की दांडिक अपील सं. 98.

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 374 के अधीन अपील ।

अपीलार्थी की ओर से श्री पवन बहल, न्यायमित्र

प्रत्यर्थी की ओर से श्री संजय लाऊ, अपर लोक अभियोजक

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति वेद प्रकाश वैश ने दिया ।

न्या. वैश – अपीलार्थी ने थाना पांडव नगर में भारतीय दंड संहिता (संक्षेप में "भा. दा. सं.") की धारा 302 के अधीन प्रथम इत्तिला रिपोर्ट सं. 554/04 से उद्भूत सेशन मामला सं. 72/07 वाले मामले में दिल्ली के कड़कड़डूमा न्यायालय के विद्वान् अपर सेशन न्यायाधीश द्वारा पारित 30 नवंबर, 2007 के निर्णय और 14 दिसंबर, 2007 के दंडादेश को चुनौती दी है ।

2. अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अधीन

अपराध के लिए तारीख 20 अक्तूबर, 2004 को छज्जन की मृत्यु कारित कर हत्या करने के लिए दोषसिद्ध किया गया । अपीलार्थी को आजीवन कारावास भोगने और 500/- रुपए के जुर्माने के साथ तथा जुर्माना अदा करने में व्यतिक्रम करने की दशा में 15 दिन की अवधि के लिए साधारण कारावास भोगने से दंडादिष्ट किया गया ।

3. संक्षेप में, अभियोजन पक्षकथन इस प्रकार है कि 20 अक्तूबर, 2004 को डी. डी. 16-क अक्षरधाम मंदिर, दिल्ली के समीप झगड़े के बारे में पांडव नगर थाने में अभिलिखित किया गया और इसे हेड कांस्टेबल, जगसरन को सौंपा गया । उक्त डी. डी. प्राप्त करने पर हेड कांस्टेबल, जगसरन कांस्टेबल देवराज के साथ अक्षरधाम मंदिर के समीप पुस्ता यमुना खादर पहुंचे और चारपाई पर छज्जन नामक व्यक्ति (मृतक) का शव पड़ा पाया । इसके पश्चात्, डी. डी. सं. 18-क पांडव नगर थाने में अभिलिखित किया गया और इसे अन्वेषण के लिए उप-निरीक्षक मदन मीना को सौंपा गया जो कांस्टेबल रामेश्वर दयाल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और अपराध स्थल का निरीक्षण किया । रक्त रंजित फूलगोभी के कुछ पत्ते, एक जोड़ी चप्पल, रक्त रंजित लकड़ी का शेरु (खटिया में उपयोग किए जाने वाला लकड़ी के बांस) घटनास्थल पर मिला जिसे अभिगृहीत किया गया । प्रत्यक्षदर्शी सदरे आलम **उर्फ** छोटू (अभि. सा. 5) का कथन अभिलिखित किया गया । अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया, घटनास्थल योजना तैयार किया और मृतक के शव की मरणोत्तर परीक्षा कराई गई । अन्वेषण पूरा होने के पश्चात् आरोप पत्र फाइल किया गया । विचारण किया गया जिसके परिणामस्वरूप आक्षेपित निर्णय और दंडादेश पारित किया गया ।

4. अपीलार्थी की ओर से विद्वान् न्यायमित्र ने यह दलील दी कि विचारण न्यायालय मामले के तथ्यों और परिस्थितियों का मूल्यांकन करने में असफल रहा । अभियोजन पक्षकथन मिथ्या, बनावटी और मनगढ़ंत है । अभियोजन ने न तो हत्या कारित करने के लिए अपीलार्थी का हेतु प्रस्तुत किया न ही यह दर्शाने के लिए अभिलेख पर कुछ प्रस्तुत किया कि अपीलार्थी और मृतक के बीच कोई पूर्व विवाद या शत्रुता थी । आगे यह दलील दी गई कि अभियोजन का प्रमुख साक्षी अर्थात् सदरे आलम (अभि. सा. 5) जो प्रथम प्रत्यक्षदर्शी है घटना के बारे में बताया कि वह अपीलार्थी को लकड़ी के शेरु से मृतक को मारते हुए नहीं देख सका क्योंकि वह खेत में था और ज्वार के खेत में यमुना खादर में चारा काट रहा था जो लगभग 8-10 फीट ऊंची है और वह ज्वार काटते समय आस-पास कुछ देखने की

स्थिति में हो सकता । सतह से फसल काटते समय भी किसान को जमीन के समीप सतह से फसल काटने के लिए बैठना होता है और ऐसी स्थिति में उसके कथन के मनगढ़ंत होने की संभाव्यता से इनकार नहीं किया जा सकता । सदरे आलम (अभि. सा. 5) ने अपीलार्थी के खेत की स्थिति को भी विनिर्दिष्ट नहीं किया है और यह भी नहीं बताया कि वह दूरी क्या थी जहां वह कार्य कर रहा था और वह वस्तुतः घटना को होते हुए देख सकता था ।

5. अपीलार्थी के विद्वान् न्यायमित्र ने अंत में यह दलील दी कि अभियोजन ने अपीलार्थी के खेत में पीड़ित के आने का प्रयोजन नहीं बताया है । अवतार सिंह (अभि. सा. 7) ने भी घटना के समय अपने ठिकाने का उल्लेख नहीं किया है ।

6. दूसरी ओर राज्य के विद्वान् लोक अभियोजक ने यह दलील दी कि अभियोजन पक्षकथन सदरे आलम (अभि. सा. 5) और अवतार सिंह (अभि. सा. 7) के परिसाक्ष्य से साबित हो जाता है क्योंकि वे दोनों घटना के प्रत्यक्षदर्शी साक्षी हैं और घटनास्थल पर उपस्थित थे । प्रतिपरीक्षा में अपीलार्थी के विरुद्ध मिथ्या अभिसाक्ष्य देने के लिए अभि. सा. 7 पर किसी हेतु का लांछन नहीं लगाया गया है और यह दर्शाने के लिए अभिलेख पर कुछ नहीं लाया गया कि इन साक्षियों और अपीलार्थियों के बीच कोई पूर्व विवाद था जिससे यह कहा जा सके कि उन लोगों ने उसके विरुद्ध मिथ्या अभिसाक्ष्य दिया था । उन्होंने आगे यह दलील दी कि अपीलार्थी उसके विरुद्ध मिथ्या फंसाने के साक्ष्य का कोई स्पष्टीकरण देने में असफल रहा न ही अभियोजन साक्षियों के परिसाक्ष्य को मिथ्या ठहराने के लिए अपनी प्रतिरक्षा में किसी साक्ष्य की परीक्षा कराई गई । राज्य के विद्वान् अपर लोक अभियोजक ने अंत मे यह दलील दी कि सदरे आलम (अभि. सा. 5) के परिसाक्ष्य की सम्पुष्टि अवतार सिंह (अभि. सा. 7) के परिसाक्ष्य से होती है । यह दलील कि अभि. सा. 5 अपीलार्थी को मृतक को मारते हुए नहीं देख सका सारहीन है और अस्वीकार की जाए ।

7. हमने अपीलार्थी की ओर से विद्वान् न्यायमित्र और राज्य की ओर से विद्वान् अपर लोक अभियोजक को सुना और अभिलेख पर सामग्री का परिशीलन किया ।

8. आरंभ में प्रत्यक्षदर्शी साक्षी सदरे आलम (अभि. सा. 5) और अवतार सिंह (अभि. सा. 7) के परिसाक्ष्य को दोहराना महत्वपूर्ण होगा ।

सदरे आलम (अभि. सा. 5) ने अपने परिसाक्ष्य में यह कहा कि 19 अक्तूबर, 2004 को पूर्वाह्न लगभग 11.00 बजे वह पावर हाउस के समीप मंदिर के नजदीक यमुना खादर में चारा काट रहा था । अपीलार्थी भी अन्य व्यक्तियों के साथ समीप खेत में कार्य कर रहा था । मृतक (छज्जन) खेत पर गया जहां अपीलार्थी राकेश कुमार कार्य कर रहा था और वहां अपीलार्थी ने शेरु (खटिया में प्रयुक्त लकड़ी का बांस) से पीछे से छज्जन के सिर पर वार किया । एक अन्य व्यक्ति ने भी अपीलार्थी को मृतक को मारते हुए देखा जो उसके साथ कार्य कर रहा था । शेरु से प्रहार होने के पश्चात् छज्जन खेत में गिर गया, वे दोनों खेत में उसके नजदीक पहुंचे जहां वह क्षतिग्रस्त दशा में पड़ा था । उन लोगों ने उसे उठाया और उसे अस्पताल ले जाने के लिए चारपाई पर उसे लिटाया फिर भी वह पुस्ता के नजदीक मर गया । घटनास्थल पर कई व्यक्ति एकत्र हो गए, अपीलार्थी को वहां पकड़ लिया गया और अंत में उसे पुलिस को सौंप दिया गया । उसने बताया कि वह यह नहीं जानता कि अपीलार्थी ने मृतक को क्यों पीटा था और यह भी कि उसने अपीलार्थी और मृतक को पहले झगड़ा करते हुए कभी नहीं देखा था । 5 अक्तूबर, 2006 को की गई अपनी प्रतिपरीक्षा में उसने यह स्वीकार किया कि उस स्थान से जहां वह कार्य कर रहा था, अन्य स्थल दिखाई नहीं पड़ रहे थे । अपीलार्थी ज्वार की ऊंचाई के कारण उस स्थान से दृश्य नहीं था जहां वह बैठा था और अपने खेत में कार्य कर रहा था । उस खेत से अन्य प्रत्यक्षदर्शी साक्षी से उसका नाम सुनकर जहां अपीलार्थी कार्य कर रहा था, वह उस खेत की ओर दौड़ा जहां उसने यह देखा कि मृतक जमीन पर पड़ा था और अपीलार्थी अपने हाथ में शेरु लिए हुए खड़ा था । उसने आगे यह बताया कि वह शीघ्र ही वहां पहुंच गया था । अन्य प्रत्यक्षदर्शी साक्षी पहले से ही वहां मौजूद थे और 2-3 अन्य व्यक्ति भी वहां थे जिन्होंने अपीलार्थी से शेरु छीना । उसने स्वेच्छया बताया कि अपीलार्थी ने शेरु से उन्हें मारने का भी प्रयास किया । 7 नवंबर, 2011 को आगे अपनी प्रतिपरीक्षा में उसने यह दोहराया कि वह आधे किलोमीटर की दूरी से शोर सुनकर घटनास्थल पर पहुंचा और उस स्थान से कुछ दृश्य नहीं था जहां वह खड़ा था । उक्त साक्षी की उस दिन पुनः परीक्षा की गई जिसमें उसने बताया कि अपीलार्थी अन्य व्यक्ति के साथ खेत में काम कर रहा था । अपीलार्थी (राकेश कुमार) ने पीछे से उसके सिर पर शेरु से छज्जन पर वार किया । तथापि, उसने कहा कि उसने अपीलार्थी को मृतक के सिर पर प्रहार करते हुए नहीं देखा था । एक

व्यक्ति जिसका नाम संभवतः अवतार था घटनास्थल पर पहुंचा और अपीलार्थी के हाथ से शेरु छीन लिया । उसने यह भी कहा कि उसने इस आशय का अपना कथन किया है कि अपीलार्थी ने उक्त अवतार द्वारा उसे बताए गए बयान के अनुसार शेरु से छज्जन पर प्रहार किया था ।

9. अवतार (अभि. सा. 7) ने अपने परिसाक्ष्य में यह कहा कि 20 अक्तूबर, 2004 को पूर्वाह्न लगभग 11.00 बजे वह अपने खेतों में काम कर रहा था । उस दिन वह सब्जियां बेचकर मंडी से वापस आया था और घर में मौजूद था । राकेश कुमार और छज्जन करतार के खेतों में श्रम कार्य कर रहे थे । दोनों ने एक-दूसरे से झगड़ा और गाली-गलौज करना शुरू कर दिया । छज्जन नाली के समीप बैठा था । इसी बीच राकेश कुमार अपनी झुग्गी की ओर से आया और एक चारपाई शेरु (लकड़ी का डंडा) लाया उसके पश्चात् अपीलार्थी चिल्लाया "तू मेरा बाप बनना चाह रहा है" और उसने छज्जन के सिर पर लकड़ी के डंडे से प्रहार किया । छज्जन ने उससे कहा कि वह क्यों उसे मार रहा है तो उसने एक बार पुनः छज्जन के सिर पर लकड़ी के डंडे से प्रहार किया । जब वह डंडे से तीसरा प्रहार कर रहा था तो सदरे आलम के साथ उसने अपीलार्थी से उसे बचाने का प्रयास किया । उस समय उन लोगों ने अपीलार्थी को पकड़ा, दो-तीन और व्यक्ति वहां आ गए और अपीलार्थी को रस्सी से बांध दिया गया । सभी व्यक्तियों ने छज्जन को चारपाई पर लिटाया । उसे पुस्ता पर ले जाया गया । जब वे उसे अस्पताल ले जाने की प्रक्रिया में थे तो उसकी मृत्यु हो गई । अपनी प्रतिपरीक्षा में उसने कहा कि वह घटना के समय अपनी झुग्गी के बाहर बैठा हुआ था । घटनास्थल और झुग्गी के बीच की दूरी 10 कदम थी । उसने इस सुझाव का खंडन किया कि वह घटना की तारीख को झुग्गी में मौजूद नहीं था । उसने आगे यह कहा कि छज्जन खेतों में काम कर रहा था किंतु झगड़ा बाद में हुआ । वह खेत जहां छज्जन काम कर रहा था, उसकी झुग्गी से 15-20 गज की दूरी पर था । सदरे आलम (अभि. सा 5) घटनास्थल से लगभग 40-50 गज दूर अपने खेतों में कार्य कर रहा था । उसने आगे यह बताया कि वह सदरे आलम को चारा काटते हुए देख सकता था । उसने इस सुझाव का खंडन किया कि राकेश कुमार (अपीलार्थी) भी ज्वार के खेत में काम कर रहा था और यह कि वह उसकी झुग्गी से दृश्य नहीं था । उसने आगे कहा कि घटना के समय वह, सदरे आलम, उसके भाई और माता-पिता घटनास्थल पर पहुंचे । सदरे आलम ने मृतक को चारपाई पर लिटाया किंतु उसने चारपाई पर मृतक को लिटाने में

उसकी सहायता नहीं की ।

10. इन दोनों साक्षियों के परिसाक्ष्य के परिशीलन से यह दर्शित होता है कि मृतक पर अपीलार्थी द्वारा उसके सिर पर लकड़ी के शेरु से प्रहार किया गया जिसके परिणामस्वरूप वह जमीन पर गिर गया और जब उसे अस्पताल ले जाया जा रहा था तो पुस्ता के समीप उसकी मृत्यु हो गई । अवतार (अभि. सा. 7) ने घटना के प्रत्यक्षदर्शी साक्षी के रूप में अभियोजन पक्षकथन का पूरी तरह से समर्थन किया और सदरे आलम (अभि. सा. 5) ने अपने परिसाक्ष्य में यह सम्पुष्टि की कि उसने यह देखा था कि अपीलार्थी द्वारा मृतक के सिर पर प्रहार किया गया था । तथापि, तारीख 5 अक्तूबर, 2006 को अपनी पहली प्रतिपरीक्षा में उसने यह कहा कि अपीलार्थी ऐसे स्थल से दृश्य नहीं था जहां वह बैठ कर कार्य कर रहा था और यह भी कि अन्य प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों से उस खेत से जहां अपीलार्थी कार्य कर रहा था, उसका नाम सुनकर वह दौड़ा और यह देखा कि मृतक जमीन पर गिर गया था और अपीलार्थी अपने हाथ में शेरु के साथ खड़ा था । राज्य के विद्वान् अपर लोक अभियोजक द्वारा तारीख 7 नवंबर, 2007 को अपनी प्रतिपरीक्षा में भी उसने यह कहा कि उसने मृतक के सिर पर प्रहार करते समय अपीलार्थी को नहीं देखा था और यह कि अवतार (अभि. सा. 7) द्वारा उसे यह बताया गया कि अपीलार्थी ने मृतक पर प्रहार किया था । यद्यपि, उक्त साक्षी को पक्षद्रोही नहीं घोषित किया गया है फिर भी प्रतिपरीक्षा में किए गए उसके कथन में कतिपय विसंगतियां हैं । ऐसा होने पर भी उसके परिसाक्ष्य को **खुज्जी** उर्फ **सुरेन्द्र तिवारी** बनाम **मध्य प्रदेश राज्य**[1] वाले मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुसार पूर्णतः अस्वीकार नहीं किया जा सकता, यह इस प्रकार मत व्यक्त किया गया :–

> "6. .... इस न्यायालय के विनिश्चयों द्वारा यह सुस्थिर किया गया प्रतीत होता है कि – भगवान सिंह **बनाम** हरियाणा राज्य {(1976) 1 एस. सी. सी. 389 = (1976) एस. सी. सी. (क्रिमिनल) 7 = [1976] 2 एस. सी. आर. 921}, रबीन्द्रा कुमार डे **बनाम** उड़ीसा राज्य [(1976) 4 एस. सी. सी. 233 = (1976) एस. सी. सी. (क्रिमिनल) 566 = ए. आई. आर. 1977 एस. सी. 170] और सैयद अकबर **बनाम** कर्नाटक राज्य {(1980) 1 एस. सी. सी. 30 = (1980) एस. सी. सी. (क्रिमिनल) 59 = [1980] 1 एस. सी. आर. 95}

---

[1] (1991) 3 एस. सी. सी. 627.

अभियोजन साक्षी के साक्ष्य को समग्रता मात्र इस कारण अस्वीकार नहीं किया जा सकता कि अभियोजन ने उसे पक्षद्रोही माना और उसकी प्रतिपरीक्षा कराई । ऐसे साक्षियों के साक्ष्य को अभिलेख से मिटाया गया या हटाया गया नहीं माना जा सकता किंतु इसे उस सीमा तक स्वीकार किया जा सकता है जहां तक उनके बयान सावधानीपूर्वक संवीक्षा पर आधार योग्य पाए जाएं ......।"

11. फिर भी सदरे आलम (अभि. सा. 5) की सम्पुष्टि मृतक के खेत में पड़े होने और अपीलार्थी को उसके हाथ में जहां से उसे गिरफ्तार किया गया शेरु के साथ घटनास्थल पर मौजूद होने की बाबत अवतार (अभि. सा. 7) के परिसाक्ष्य से महत्वपूर्ण भाग में होती है ।

12. यदि हम उक्त घटना के प्रत्यक्षदर्शी साक्षी के रूप में सदरे आलम (अभि. सा. 5) को नहीं माने तो भी अवतार (अभि. सा. 7) का एकमात्र परिसाक्ष्य उपरोक्त कथनानुसार तात्विक भाग में सम्पुष्टि होने पर, अपीलार्थी की दोषसिद्धि के लिए पर्याप्त है । हम यह मत व्यक्त करते हैं कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 34 किसी तथ्य को साबित करने के लिए साक्षियों की कोई विशिष्ट संख्या अधिकथित नहीं करती । साक्ष्य का महत्वपूर्ण होना अनिवार्य है न कि इसकी गणना । उच्चतम न्यायालय ने **कुंजू** बनाम **तमिलनाडु राज्य**[1] वाले मामले में इस प्रकार मत व्यक्त किया :–

"11. 8. वादीवेलु थेवर **बनाम** मद्रास राज्य [ए. आई. आर. 1957 एस. सी. 614] वाले मामले में इस न्यायालय ने इस संविवाद पर विचार किया और इस तरह के साक्षियों को तीन प्रवर्गों में विभाजित किया अर्थात् पूर्णतः विश्वसनीय, पूर्णतः अविश्वसनीय और अंततः ने तो पूर्णतः विश्वसनीय न ही पूर्णतः अविश्वसनीय । पहले दो प्रवर्गों के मामले में इस न्यायालय ने कहा कि वे कम कठिनाई पैदा करते हैं किंतु साक्षियों के तीसरे प्रवर्ग की दशा में सम्पुष्टि की अपेक्षा होगी । सुसंगत भाग को इस प्रकार उद्धृत किया गया :–

11. .... अतः, हमारी राय में, यह विधि का ठोस और सुस्थापित निर्णय है कि न्यायालय तथ्य को साबित या न साबित करने के लिए गुणवत्ता पर ध्यान देती है न कि साक्ष्य की मात्रा पर ।

---

[1] (2008) 2 एस. सी. सी. 151.

आमतौर पर इस प्रसंग में मौखिक साक्ष्य को तीन प्रवर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है अर्थात् –

(1) पूर्णतः विश्वसनीय

(2) पूर्णतः अविश्वसनीय

(3) न पूर्णतः विश्वसनीय न पूर्णतः अविश्वसनीय ।

12. सबूत के प्रथम प्रवर्ग में न्यायालय को किसी भी तरह से अपने निष्कर्ष पर पहुंचने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए – वह एकमात्र साक्षी के परिसाक्ष्य पर दोषसिद्ध या दोषमुक्त कर सकता है, यदि यह भर्त्सना या हितबद्धता के संदेह, अक्षम या कूट साक्ष्य प्रेरण से परे पाया जाता है । दूसरे प्रवर्ग में न्यायालय को सामान्यतया अपना निष्कर्ष निकालने में कोई कठिनाई नहीं है । मामले के तीसरे प्रवर्ग में न्यायालय को चौकस रहना चाहिए और विश्वसनीय परिसाक्ष्य प्रत्यक्ष या पारिस्थितिक द्वारा तात्विक विशिष्टियों में सम्पुष्टि की अपेक्षा करनी चाहिए । साक्षियों की बहुलता पर जोर देने से एक प्रकार का खतरा है । एकल साक्षी के मौखिक साक्ष्य की गुणता पर ध्यान दिए बिना यदि न्यायालय किसी तथ्य को साबित करने के लिए साक्षियों की बहुलता पर बल देता है तो यह अप्रत्यक्षतः साक्षियों के कूट साक्ष्य प्रेरण का प्रोत्साहन होगा ।”

9. जगदीश प्रसाद **बनाम** मध्य प्रदेश राज्य [(1995) एस. सी. सी. (क्रिमिनल) 160 = ए. आई. आर. 1994 एस. सी. 1251] वाले मामले में अनुमोदन के साथ वादीवेलू थेवर [ए. आई. आर. 1957 एस. सी. 614] वाले मामले को निर्दिष्ट किया गया । इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि सामान्य नियम के अनुसार न्यायालय एकल साक्षी के परिसाक्ष्य पर कार्य कर सकता है और कर सकेगा बशर्ते वह पूर्णतः विश्वसनीय हो । एकल साक्षी के एकमात्र परिसाक्ष्य पर किसी व्यक्ति को दोषसिद्ध करने में कोई विधिक बाधा नहीं है । यह भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (संक्षेप में साक्ष्य ‘अधिनियम’) की धारा 134 का तर्क है । किंतु यदि परिसाक्ष्य के बारे में संदेह हो तो न्यायालय सम्पुष्टि पर बल देगा । न्यायालय साक्षियों के परिसाक्ष्य पर कार्य करने के लिए स्वतंत्र है । साक्षियों की संख्या, मात्रा महत्वपूर्ण नहीं है बल्कि इसकी गुणता महत्वपूर्ण है । समय सिद्ध यह सिद्धांत है कि साक्ष्य का मूल्यांकन किया जाना चाहिए न कि इसकी गणना । इस

सिद्धांत के आधार पर साक्ष्य अधिनियम की धारा 134 स्थिर है । कसौटी यह है कि क्या साक्ष्य सत्य है, अकाट्य है, विश्वसनीय और विश्वासोत्पादक है या नहीं ।

13. मृतक की मानववधात्मक मृत्यु विवादित नहीं है । फिर भी इसे डा. विनय कुमार सिंह (अभि. सा. 3) द्वारा साबित किया गया जिसने मृतक के शव की मरणोत्तर परीक्षा की । उन्होंने यह अभिसाक्ष्य दिया कि 21 अक्तूबर, 2004 को दोपहर लगभग 12.30 बजे उसने लकड़ी के शेरु से कारित किए गए अभिकथित हमले से हुई मृत्यु की छज्जन पुत्र रामजी लाल की मरणोत्तर परीक्षा की । बाह्य परीक्षा पर उन्होंने उसके शव पर निम्नलिखित क्षतियां देखीं :–

क्षति सं. 1 – दाहिने त्रिकोणीय पार्श्विक क्षेत्र पर तिरछा, किनारा अनियमित अस्थि तक गहरा 10 x 3 से. मी. का विदीर्ण घाव ।

क्षति सं. 2 – बाएं त्रिकोणीय पार्श्विक क्षेत्र पर त्रियक, अनियमित किनारा अस्थि तक गहरा 11 x 2 से. मी. आकार का विदीर्ण घाव ।

क्षति सं. 3 – बाएं शंखास्थि क्षेत्र त्रियक रूप से 13 x 4 से. मी. आकार की खरोंच ।

क्षति सं. 4 – बाएं कंधे के किनारे पर 3 x 1.5 से. मी. आकार की खरोंच ।

क्षति सं. 5 – घुटना संधि के नीचे अनियमित आकार का 4 से. मी. बाईं अस्थि तक गहरा 5 x 3 से. मी. आकार का विदीर्ण घाव ।

14. इसके अतिरिक्त, यह राय व्यक्त की गई कि मृत्यु का हेतुक सिर पर भोथर वस्तु के प्रहार के कारण हुए खोपड़ी प्रमस्तिष्कीय क्षति थी, सभी क्षतियां मृत्युपूर्व प्रकृति की थीं और हाल में ही की गई थीं ।

15. डा. विनय कुमार सिंह (अभि. सा. 3) ने मरणोत्तर परीक्षा रिपोर्ट में यह कहा कि मृत्यु से अब तक का समय 22 से 28 घंटे के बीच है । उनकी रिपोर्ट के अनुसार मृत्यु 22 अक्तूबर, 2004 को लगभग 12.00 बजे दिन को हुई जबकि प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों के बयान के अनुसार घटना 20 अक्तूबर, 2004 को लगभग 11.00 बजे हुई । उपरोक्त विरोध को ध्यान में रखते हुए अपीलार्थी के विद्वान् काउंसेल का विचार है कि घटना के समय और मृत्यु के समय के बीच 1-2 घंटे का अंतर है । तथापि, हम यह मत

व्यक्त करते हैं कि यह अंतर एक नैसर्गिक अंतर और चिकित्सक द्वारा बताया गया मृत्यु का समय केवल निकटस्थ है न कि सटीक । यदि प्रत्यक्षदर्शी साक्ष्य और चिकित्सा साक्ष्य के बीच विरोध है तो न्यायालय द्वारा प्रत्यक्षदर्शी साक्ष्य पर विचार किया जाना चाहिए । इस संबंध में **मांगू खान और अन्य** बनाम **राजस्थान राज्य**[1] वाले मामले का अवलंब लिया जा सकता है जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया था कि "चिकित्सा न्यायशास्त्र में यह समय बताने के लिए कि कब पूरे शरीर पर शव काठिन्य विकसित होता है, का भी कोई तथ्यात्मक आधार नहीं है । यह मृतक के शारीरिक गठन, वर्ष के ऋतु, क्षेत्र के तापमान और ऐसी दशा जिसके अधीन शव को रखा गया है जैसे विभिन्न कारकों पर निर्भर होता है ।"

16. **सोलंकी चिमन भाई उकाभाई** बनाम **गुजरात राज्य**[2] वाले एक अन्य मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया कि :–

> "13. साधारणतः चिकित्सा साक्ष्य का मूल्य केवल सम्पुष्टि कारक है । यह साबित करता है कि क्षतियां अभिकथित रीति में कारित हो सकती हैं और इससे अधिक कुछ नहीं । प्रतिरक्षा पक्ष चिकित्सा साक्ष्य का उपयोग केवल यह साबित करने के लिए कर सकता है कि क्षतियां अभिकथित रीति में संभवतः कारित नहीं की जा सकतीं और इस प्रकार प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों को अस्वीकार करता है । तथापि, जब तक चिकित्सा साक्ष्य इतना साबित नहीं करता कि यह पूर्णतः प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों द्वारा अभिकथित रीति से क्षतियां पहुंचने में सभी प्रकार की संभावनाओं से इनकार नहीं करता तब तक प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों के साक्ष्य को उसके और चिकित्सा साक्ष्य के बीच अभिकथित असंगतता के आधार पर तिरस्कृत नहीं किया जा सकता ।"

17. वर्तमान मामले में मरणोत्तर परीक्षा रिपोर्ट के अनुसार शव-परीक्षा दोपहर 12.30 बजे आरंभ हुई और इसे 2.00 बजे समाप्त किया गया । मृत्यु का समय 22-28 घंटे बताया गया है । रिपोर्ट के अनुसार मृत्यु का समय 12.00 बजे होना चाहिए जबकि घटना का वास्तविक समय जो सूचित किया गया है 20 अक्तूबर, 2004 को 11.00 बजे है । यद्यपि, अनुमानतः एक घंटे का अंतर है किंतु यह ऐसा महत्वपूर्ण अंतर नहीं जो उपरोक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए अभियोजन के मामले के लिए घातक हो सकता है ।

---

[1] (2005) 10 एस. सी. सी. 374.

[2] (1983) 2 एस. सी. सी. 174.

18. मरणोत्तर परीक्षा रिपोर्ट (प्रदर्श पी-3/ए) के परिशीलन से यह दर्शित होता है कि क्षति सं. 1, 2 और 3 भोथर वस्तु द्वारा कारित की गई थी और वह भी शरीर के मुख्य अंग अर्थात् सिर पर और प्रकृति के सामान्य अनुक्रम में मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त थी ।

19. तथापि, अपराध का हथियार अर्थात् शेरु घटनास्थल से बरामद किया गया था और चिकित्सा न्यायशास्त्र तथा विष विज्ञान को भेजा गया था जहां डा. विनय कुमार सिंह (अभि. सा. 3) ने हथियार की परीक्षा करने के पश्चात् यह राय व्यक्त की कि "शेरु" एक भोथर वस्तु थी जिसके एक सिरे पर रक्त के धब्बे और दूसरे सिरे पर कीचड़ के धब्बे थे । इसके अतिरिक्त, उन्होंने यह राय व्यक्त की थी कि मरणोत्तर परीक्षा रिपोर्ट में वर्णित क्षतियां इस हथियार से संभव हैं और उन्होंने इस बाबत रिपोर्ट को प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 3/बी के रूप में साबित किया ।

20. इस मामले में शारीरिक क्षति करने का आशय साक्षी अर्थात् सदरे आलम (अभि. सा. 5) और अवतार (अभि. सा. 7) के परिसाक्ष्यों से प्रकट होता है और प्रकृति के सामान्य अनुक्रम में मृत्यु कारित करने की इसकी पर्याप्तता मरणोत्तर परीक्षा रिपोर्ट द्वारा साबित की गई है ।

21. अपीलार्थी की यह दलील कि घटनास्थल और ऐसा स्थल जहां सदरे आलम (अभि. सा. 5) मौजूद था के बीच की दूरी 500 मीटर थी और वह ऐसी दूरी से घटना को न तो देख सकता है न ही सुन सकता है, स्थल योजना (प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 12/क) के आलोक में सारहीन है । स्थल योजना स्पष्टतः अभि. सा. 5 ("ई" के रूप में वर्णित और "क" के रूप में वर्णित घटना) के बीच की दूरी 50 मीटर थी न कि 500 मीटर जहां से घटना को स्पष्टतः देखना और आवाज को सुनना संभव है ।

22. यही नहीं, अपीलार्थी के विद्वान् न्यायमित्र ने यह दलील दी कि यदि हम यह विश्वास भी करें कि अपीलार्थी ने मृतक की मृत्यु कारित की थी फिर भी मामले की परिस्थितियों में उसका मामला अब भी भारतीय दंड संहिता की धारा 300 के चौथे अपवाद के अंतर्गत आता है अतः उसे भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के बजाय धारा 304 के अधीन दोषसिद्ध किया जाना चाहिए । यहां यह उल्लेख करना महत्वपूर्ण है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 300 के अपवाद 4 का फायदा लेने के लिए प्रतिरक्षा पक्ष से यह संभाव्य दर्शित करना अपेक्षित है कि अपराध अचानक झगड़े पर आवेग में अचानक लड़ाई में पूर्व-चिन्तन के बिना किया गया था और

9--355 मिनि. ऑफ एल. एण्ड जे./2014

अपराधी ने कोई असम्यक् फायदा नहीं उठाया और अपराधी ने क्रूर या अप्रायिक रीति से कार्य नहीं किया था । अपवाद इस सिद्धांत पर आधारित है कि पूर्व-चिन्तन के अभाव में और स्वनियंत्रण के पूर्ण वंचितीकरण के कारण न कि आवेग के कारण अपराध किया गया था जो प्रसामान्यतः संयमित कोई व्यक्ति करता । यद्यपि अधिनियम के अधीन अचानक लड़ाई को परिभाषित नहीं किया गया है फिर भी यह पारस्परिक प्रकोपन की विवक्षा करता है । न्यायालयों द्वारा वर्णित किया गया है कि लड़ाई स्वतः उपशमनकारी परिस्थिति नहीं है केवल अपूर्वचिन्तित लड़ाई की स्थिति इस प्रकार है । झगड़ा और लड़ाई के बीच समयान्तराल घटना की उपयोज्यता के विनिश्चय के लिए महत्वपूर्ण आधार है । यदि आवेग को कम करने के लिए अभियुक्त के पास सामान्य होने हेतु पर्याप्त समय होता है और उसके पश्चात् झगड़ा होता है तो मार डालना हत्या होगी किंतु यदि समयान्तराल पर्याप्त नहीं है तो अभियुक्त को इस अपवाद का फायदे का हकदार ठहराया जा सकता है ।

23. किसी सामान्य नियम का उपवर्णन करना संभव नहीं है कि अचानक झगड़ा किसे समझा जाएगा । यह तथ्य का प्रश्न है कि क्या झगड़ा अचानक हुआ है या नहीं, निश्चय ही प्रत्येक मामले के सही तथ्यों पर निर्भर होगा । अपवाद 4 को लागू करने के लिए यह साबित करना पर्याप्त नहीं है कि अचानक झगड़ा हुआ था और कोई पूर्व-चिन्तन नहीं था । आगे यह साबित किया जाना चाहिए कि अपराधी ने असम्यक् फायदा नहीं उठाया या क्रूरता या अप्रायिक रीति से कार्य नहीं किया ।

24. इस मामले में स्वीकार्यतः यह साबित करने के लिए कोई साक्ष्य नहीं दिया गया कि मृतक और अपीलार्थी के बीच अचानक झगड़ा हुआ था । किंतु यदि हम यह विश्वास भी करें कि उनके बीच कोई पुरानी दुश्मनी नहीं थी यह अचानक झगड़ा हो सकता है तो भी यह स्पष्टतः मत व्यक्त किया जा सकता है कि अपीलार्थी ने क्रूर रीति से कार्य किया और असम्यक् फायदा उठाया क्योंकि मृतक के पास कोई हथियार नहीं था । फिर भी अपीलार्थी ने मृतक पर एक बार प्रहार नहीं किया बल्कि तीन बार प्रहार किया और वह भी सिर पर जो शरीर का महत्वपूर्ण अंग है । यह साबित करता है कि अपीलार्थी मृतक की मृत्यु कारित करने का आशय रखता था जो भारतीय दंड संहिता की धारा 300 के अपवाद 4 की परिधि से बाहर है और यह भी कि मात्र साक्ष्य की बजाय इस आशय का साक्ष्य पेश कर यह साबित करने का भार अपीलार्थी पर था कि उसका मामला इस अपवाद के भीतर आता है जिसका पालन करने में असफल रहा ।

इसलिए मामला केवल भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अधीन आता है । **विरसा सिंह** बनाम **पंजाब राज्य**[1] वाले मामले में अधिकथित नियम के अनुसार यदि अभियुक्त का आशय शारीरिक क्षति पहुंचाने या प्रकृति के सामान्य अनुक्रम में मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त क्षति कारित करने तक सीमित था तो अपराध हत्या हो सकती है । उस आधार पर भी उचित दोषसिद्धि भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अधीन होगी ।

25. पूर्वोक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए अपील असफल रहती है, खारिज किए जाने योग्य है तथा यह खारिज की जाती है । तारीख 30 नवंबर, 2007 के निर्णय और 14 नवंबर, 2007 के दंडादेश पर आदेश को कायम रखा जाता है ।

अपील खारिज की गई ।

पां.

(2014) 1 दा. नि. प. 503 **मध्य प्रदेश**

श्रीकृष्ण और अन्य

बनाम

मध्य प्रदेश राज्य

तारीख 19 मार्च, 2013

न्यायमूर्ति बृज किशोर दुबे

दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) – धारा 306 – आत्महत्या का दुष्प्रेरण – मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से यह स्पष्ट है कि मृतक ने अपीलार्थियों द्वारा धन वापस न किए जाने के कारण आत्महत्या की किन्तु अभिलेख पर ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है कि अपीलार्थियों ने मृतक को आत्महत्या करने के लिए प्रकोपित, प्रोत्साहित, प्रेरित या विवश किया इसलिए, अपीलार्थियों को आत्महत्या करने के दुष्प्रेरण के अपराध का दोषी नहीं ठहराया जा सकता ।

संक्षेप में मामले के तथ्य इस प्रकार हैं कि परिवादी महराज सिंह ने

---

[1] ए. आई. आर. 1958 एस. सी. 465.

तारीख 22 अप्रैल, 2008 को पूर्वाह्न 9.00 बजे कूफ पुलिस थाने में रिपोर्ट इस आधार पर दर्ज कराई कि उसका भाई विजयराम एक दिन पूर्व पूर्वाह्न लगभग 9-10 बजे अपने एक मित्र दशरथ **उर्फ** पप्पू निवासी जागेपुरा, पवय्या कालोनी के घर रात्रि विश्राम के बाबत गया था और आज प्रातःकाल उसको सूचना प्राप्त हुई कि उसके भाई पुताई ने चुन्नीलाल जाटव के बंगले में आत्महत्या कारित कर ली है । सूचना प्राप्त होते ही वह घटनास्थल पर पहुंचा और अपने भाई जिसकी मृत्यु फांसी लगाए जाने के कारण हो चुकी थी, की गर्दन के चारों तरफ एक रस्सी को लिपटा हुआ पाया । इस पर दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 174 के अधीन मर्ज संख्या 13/08 हेड कांस्टेबल राम कुमार पाठक द्वारा रजिस्ट्रीकृत की गई । अन्वेषण अधिकारी बृजेन्द्र सिंह घटनास्थल पर पहुंचे और मृतक के शव की मृत्युसमीक्षा की और शव को शव-परीक्षण के लिए भिंड के ज़िला अस्पताल भेज दिया जहां डा. जे. एस. यादव ने शव-परीक्षण किया और मत व्यक्त किया कि मृत्यु फांसी लगाए जाने के कारण श्वासावरोधन के कारण घटित हुई है । अन्वेषण अधिकारी ने साक्षियों के कथन अभिलिखित किए और तारीख 17 अप्रैल, 2009 को पूर्वाह्न 5.00 बजे भारतीय दंड संहिता की धारा 306/34 के अधीन अपराध संख्या 63/09 के रूप में प्रथम इत्तिला रिपोर्ट रजिस्ट्रीकृत की गई । तीनों अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप पत्र फाइल किए गए । विचारण न्यायालय ने अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री के आधार पर अभियुक्तों के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 306 के अधीन दंडनीय अपराध के बाबत आरोप विरचित किए । अपीलार्थियों ने आरोपों से इनकार किया और विचारण का सामना करने का दावा किया । विचारण न्यायालय ने अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप साबित पाए और अभियुक्तों को दोषसिद्ध कर दिया और दंडादेश पारित कर दिया । अभियुक्तों ने उक्त दंडादेश के विरुद्ध अपील इस न्यायालय के समक्ष फाइल की । अपील मंजूर करते हुए,

अभिनिर्धारित – अभि. सा. 4 महराज सिंह, जो मृतक पुताई का ज्येष्ठ भ्राता है, ने सशपथ कथन किया कि मृतक विगत 6 वर्षों से दिल्ली में अभियुक्तों के साथ रह रहा था और उसने उनके साथ श्रमिक के रूप में कार्य करते हुए स्वयं द्वारा उपार्जित राशि में से 50,000/- रुपए जमा किए थे । वह घटना की तारीख से 19-20 माह पहले दिल्ली गया था । उसके भाई पुताई और स्वयं उसने भी अभियुक्तों से राशि की मांग की थी, तब अभियुक्तों ने उससे कहा था कि राशि उनके पास नहीं है और वे कुछ समय पश्चात् उस रकम को उसको लौटा देंगे । पुनः, घटना के 6-7 माह

पूर्व वह दिल्ली गया था जहां उसने और उसके भाई पुताई ने राम सनेही, राम सिंह और सुल्तान सिंह की उपस्थिति में अभियुक्तों से राशि की मांग की थी, तो उन्होंने कहा था कि उनके परिवार में वैशाख माह में विवाह है और वे उसके पश्चात् राशि लौटा देंगे । तारीख 21 अप्रैल, 2008 को उसका भाई पुतिया अभियुक्त के घर गया था किंतु वह वापस नहीं लौटा था । यह सूचना प्राप्त होने पर कि उसके भाई की मृत्यु हो चुकी है, वह जागेपुरा, पवय्या कालोनी, स्थित अभियुक्तों के घर गया और पाया कि उसके भाई का शव अभियुक्तों के घर के बंगले में झूल रहा है । चूंकि अभियुक्तों ने राशि वापस नहीं लौटाई थी, इसलिए, उसके भाई ने आत्महत्या कारित कर ली । इस साक्षी ने आगे सशपथ कथन किया है कि उसके भाई ने या तो फांसी लगाए जाने के द्वारा आत्महत्या कारित कर ली थी या अभियुक्तों द्वारा उसकी हत्या कर दी गई थी और तत्पश्चात् उसके शव को फांसी पर लटका दिया था । अभि. सा. 5 जय सिंह और अभि. सा. 6 पूरन सिंह ने भी सशपथ कथन किया है कि मृतक अभियुक्तों के साथ दिल्ली में रह रहा था और विगत 6 वर्षों से मजदूर के रूप में कार्यरत था । मृतक ने अभियुक्तों के पास 50,000/- रुपए जमा किए थे और अभियुक्तों ने उक्त राशि लौटाने का वायदा किया था किंतु उन्होंने उक्त राशि वापस नहीं लौटाई । अप्रैल के महीने में, मृतक अभियुक्तों के घर गया और राशि की मांग की किंतु उन्होंने राशि वापस नहीं लौटाई इसलिए या तो मृतक ने आत्महत्या कारित कर ली थी या अभियुक्तों ने हत्या करने के पश्चात् उसके शव को फांसी पर लटका दिया था । विद्वान् विचारण न्यायालय ने अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य का मूल्यांकन करने के पश्चात् पाया कि मृतक ने आत्महत्या कारित की है और इस बाबत कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है कि अभियुक्तों ने अभियुक्त की हत्या करने के पश्चात् उसके शव को फांसी पर लटका दिया था । स्वीकृततः, अपीलार्थी संख्या 1, अभियुक्त और अपीलार्थी संख्या 2, अभियुक्त सगे भाई हैं और अपीलार्थी संख्या 2 उनका भतीजा है । वे दिल्ली में अपनी आजीविका उपार्जित करने के लिए रह रहे थे । मृतक भी दिल्ली में लंबी अवधि से उनके साथ रह रहा था । अभि. सा. 4 महराज सिंह, अभि. सा. 5 जय सिंह, अभि. सा. 6 पूरन सिंह के परिसाक्ष्य से स्पष्ट है कि अपीलार्थियों के परिवार में विवाह था और मृतक अपीलार्थी के घर धन की मांग के संबंध में गया था । मामले की तथ्यात्मक स्थिति का परीक्षण किए जाने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि मृतक ने अपीलार्थियों द्वारा धन वापस न किए जाने के कारण आत्महत्या कारित की थी । यह साबित किए जाने के प्रयोजनार्थ अभिलेख पर कोई भी साक्ष्य उपलब्ध नहीं

है कि मृतक को अपीलार्थियों/अभियुक्तों द्वारा आत्महत्या कारित करने के लिए कभी भी प्रकोपित या प्रोत्साहित या प्रेरित या विवश किया गया था। राशि न लौटाए जाने के अभिकथित कार्य के लिए अभियुक्तों के विरुद्ध मृतक द्वारा उचित विधिक कार्यवाही की जा सकती थी । अभियुक्त द्वारा आत्महत्या के कारण का कार्य अपीलार्थियों/अभियुक्त द्वारा कारित किसी अभिकथित कार्य के परिणामस्वरूप नहीं था । मामले के पूर्वोक्त तथ्यात्मक परिदृश्य और विधि के उपबंधों के प्रकाश में और ऊपर वर्णित स्थापित विधिक स्थित जिस पर चर्चा की गई है, को ध्यान में रखते हुए न्यायालय की सुविचारित राय में अभिलेख पर कोई भी साक्ष्य या सामग्री उपलब्ध नहीं है जिससे यह अनुमान लगाया जा सके कि अपीलार्थियों/अभियुक्तों ने मृतक को आत्महत्या के कारण के लिए उत्प्रेरित किया । अतः, ऊपर वर्णित सम्पूर्ण परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए यह नहीं कहा जा सकता कि भारतीय दंड संहिता की धारा 306 के संघटकों को पूर्णतया स्थापित किया गया है और इसलिए विचारण न्यायालय द्वारा अभिलिखित दोषसिद्धि को बनाए नहीं रखा जा सकता । (पैरा 10, 11, 12, 17, 18, 19 और 20)

निर्दिष्ट निर्णय

		पैरा
[2010]	(2010) 1 एस. सी. सी. (क्रिमिनल) 917 : **गंगुला मोहन रेड्डी** बनाम **आंध्र प्रदेश राज्य ;**	7
[2008]	2008 (1) सी. ए. आर. 492 = ए. आई. आर. 2008 एस. सी. 2108 : **सोहन राज शर्मा** बनाम **हरियाणा राज्य ;**	7, 14
[2004]	2004 क्रिमिनल ला जर्नल 197 : **अजय पटोदिया** बनाम **मध्य प्रदेश राज्य ;**	7
[2002]	(2002) एस. सी. सी. (क्रिमिनल) 1088 = ए. आई. आर. 2001 एस. सी. 3837 : **रमेश कुमार** बनाम **छत्तीसगढ़ राज्य ;**	7, 15
[2002]	2002 (1) एम. पी. डब्ल्यू. एन. 40 : **अब्दुल हनीफ** बनाम **राज्य ;**	7
[1995]	1995 ए. आई. आर. एस. सी. डब्ल्यू. 4570 : **महिंदर सिंह** बनाम **मध्य प्रदेश राज्य ;**	14

[1995] (1995) एस. सी. सी. (क्रिमिनल) 1157 = 1996 क्रिमिनल ला जर्नल 894 (एस. सी.) **महेन्द्र सिंह** बनाम **मध्य प्रदेश राज्य** । 7

अपीली (दांडिक) अधिकारिता : 2010 की दांडिक अपील सं. 414.

2009 के सेशन विचारण संख्या 289 में भिंड के विद्वान् तृतीय अपर सेशन न्यायाधीश द्वारा पारित तारीख 17 मई, 2010 के निर्णय और आदेश के विरुद्ध अपील ।

अपीलार्थी की ओर से श्री वी. के. सक्सेना (वरिष्ठ अधिवक्ता) और (सुश्री) शिप्रा अग्रवाल

प्रत्यर्थी की ओर से श्री प्रबल सोलंकी (लोक अभियोजक)

न्यायमूर्ति बृज किशोर दुबे – 2009 के सेशन विचारण संख्या 289 (मध्य प्रदेश राज्य बनाम श्रीकृष्ण और अन्य) में भिंड के विद्वान् तृतीय अपर सेशन न्यायाधीश द्वारा पारित तारीख 17 मई, 2010 के दोषसिद्धि के निर्णय और दंडादेश के आदेश जिसके द्वारा अपीलार्थियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 306 के अधीन दोषसिद्ध किया गया और तदद्वारा उनमें से प्रत्येक को सात वर्ष का कठोर कारावास भोगने और 200/- रुपए के जुर्माने का संदाय करने और जुर्माने के संदाय में चूक होने पर पन्द्रह दिनों का अतिरिक्त कठोर कारावास भोगने के द्वारा दंडादिष्ट किया गया, द्वारा व्यथित होकर यह अपील 1973 के दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 374 के अधीन फाइल की है ।

2. संक्षेप में अभियोजन के पक्षकथन का वर्णन निम्नानुसार किया गया है :–

(i) यह कि परिवादी महराज सिंह (अभि. सा. 4) ने तारीख 22 अप्रैल, 2008 को पूर्वाह्न 9.00 बजे कूफ पुलिस थाने में रिपोर्ट इस बाबत दर्ज कराई कि उसका भाई विजयराम अर्थात् पुताई (जिसको इसमें इसके पश्चात् 'मृतक' कह कर निर्दिष्ट किया गया है) ने एक दिन पहले पूर्वाह्न लगभग 9-10 बजे अपने एक मित्र दशरथ **उर्फ** पप्पू निवासी जागेपुरा, पवय्या कालोनी के घर रात्रि विश्राम किया । आज प्रातःकाल उसको (परिवादी को) सूचना प्राप्त हुई कि उसके भाई पुताई ने चुन्नीलाल जाटव के बंगले में (मकान के एक भाग में) आत्महत्या कारित कर ली है । सूचना प्राप्त होने पर वह (शिकायतकर्ता) घटनास्थल पर पहुंचा और अपने भाई जिसकी मृत्यु

फांसी लगाए जाने के कारण हो चुकी थी, का गर्दन के चारों तरफ एक रस्सी को लिपटा हुआ पाया । इस पर दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 174 के अधीन मर्ज संख्या 13/08 (प्रदर्श पी-16) हेड कांस्टेबल राम कुमार पाठक (अभि. सा. 3) द्वारा रजिस्ट्रीकृत की गई थी । दांडिक विधि का अवलंब लिया गया और उसके अधीन कार्रवाई की गई ।

(ii) अन्वेषण अधिकारी बृजेन्द्र सिंह (अभि. सा. 1) अविलंब घटनास्थल पर पहुंचा और स्थल मानचित्र (प्रदर्श पी-1) सकीना (प्रदर्श पी-2) और मृतक के शव पर की गई मृत्यु समीक्षा (प्रदर्श पी-3) तैयार किया और शव को शव-परीक्षण (प्रदर्श पी-4) के लिए भेज दिया और घटनास्थल से आवश्यक वस्तुएं अभिगृहीत कीं । डा. जे. एस. यादव (अभि. सा. 7) ने भिंड के जिला अस्पताल में शव-परीक्षण किया और मत व्यक्त किया कि मृत्यु फांसी लगाए जाने के कारण श्वासावरोधन के कारण घटित हुई थी और

(iii) अन्वेषण अधिकारी ने साक्षियों, जो अपराध के तथ्यों से अवगत थे, के कथन अभिलिखित किए । तारीख 17 अप्रैल, 2009 को पूर्वाह्न 5.00 बजे भारतीय दंड संहिता की धारा 306/34 के अधीन अपराध संख्या 63/09 के रूप में एक प्रथम इत्तिला रिपोर्ट थानाध्यक्ष उम्मेद सिंह तोमर (अभि. सा. 2) द्वारा अपीलार्थियों के विरुद्ध रजिस्ट्रीकृत की गई । मामले का पुनः अन्वेषण किया गया । अन्वेषण की समाप्ति पर सुपुर्दगीकार न्यायालय (विचारण न्यायालय) के समक्ष तीनों अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप पत्र फाइल किया गया जिसने मामले को सेशन न्यायालय के सुपुर्द कर दिया जहां से इसको विचारण न्यायालय द्वारा विचारण के लिए प्राप्त किया गया ।

3. विद्वान् विचारण न्यायाधीश ने अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री के आधार पर अभियुक्त/अपीलार्थियों के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 306 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए आरोप विरचित कर दिए । अपीलार्थियों ने आरोपों से इनकार किया और विचारण का सामना करने का दावा किया । अपीलार्थियों की प्रतिरक्षा असत्य रूप से फंसाए जाने के अभिवाक् पर आधारित है और उन्होंने वही प्रतिरक्षा अपनाई है जो 1973 की दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन अभिलिखित उनके कथनों के आधार पर अपनाई थी ।

4. अभियोजन ने आरोपों को साबित किए जाने के प्रयोजनार्थ 8

साक्षियों का परीक्षण कराया और दस्तावेज अभिलेख पर प्रस्तुत किए जो प्रदर्श पी-1 से पी-7 हैं । अभियुक्त/अपीलार्थियों ने चतुरीलाल (प्रतिरक्षा साक्षी-1) और अशोक (प्रतिरक्षा साक्षी-2) का परीक्षण अपनी प्रतिरक्षा में कराया ।

5. विद्वान् विचारण न्यायालय ने अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर यह अभिनिर्धारित किया कि अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप साबित हो चुके हैं और परिणामस्वरूप उनको दोषसिद्ध कर दिया और ऊपर उल्लिखित दंडादेश पारित कर दिया ।

6. इस प्रकार यह अपील अपीलार्थियों द्वारा विद्वान् विचारण न्यायालय द्वारा पारित दोषसिद्धि के निर्णय और दंडादेश के आदेश पर अभ्याक्रमण करते हुए फाइल की गई है ।

7. दोषसिद्धि के आक्षेपित निर्णय की वैधता और औचित्य को अपीलार्थियों द्वारा अभिलेख पर साक्ष्य के दुर्विनियोग के आधार पर चुनौती दी गई है । अपीलार्थियों के विद्वान् वरिष्ठ काउंसेल श्री वी. के. सक्सेना ने निवेदन किया कि अपीलार्थियों को इस मामले में असत्य रूप से अंतर्वलित कर दिया गया है । अपराध के संघटकों को साबित करने के लिए ऐसा कोई तर्कपूर्ण साक्ष्य अभिलेख पर उपलब्ध नहीं था जिसके आधार पर उसको आरोपित किया गया । अपीलार्थियों द्वारा आत्महत्या कारित करने के लिए मृतक को उत्प्रेरित किए जाने का कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष साक्ष्य अभिलेख पर उपलब्ध नहीं था और इसलिए अभियोजन अपने पक्षकथन को संदेह के परे साबित करने में विफल रहा । विद्वान् विचारण न्यायालय ने अपीलार्थियों को दोषसिद्ध करने में त्रुटि कारित की, इसलिए इस अपील को मंजूर किया जा सकता है और अपीलार्थियों को आरोपों से दोषमुक्त किया जाए । विद्वान् काउंसेल ने निम्नलिखित विनिश्चयों का जोरदार अवलंब लिया :–

(i) **गंगुला मोहन रेड्डी** बनाम **आंध्र प्रदेश राज्य**[1] ;

(ii) **अजय पटोदिया** बनाम **मध्य प्रदेश राज्य**[2] ;

(iii) **महेन्द्र सिंह** बनाम **मध्य प्रदेश राज्य**[3] ;

---

[1] (2010) 1 एस. सी. सी. (क्रिमिनल) 917.

[2] 2004 क्रिमिनल ला जर्नल 197.

[3] (1995) एस. सी. सी. (क्रिमिनल) 1157 = 1996 क्रिमिनल ला जर्नल 894 (एस. सी.).

(iv) **सोहन राज शर्मा** बनाम **हरियाणा राज्य**[1] ;

(v) **रमेश कुमार** बनाम **छत्तीसगढ़ राज्य**[2] ;

(vi) **अब्दुल हनीफ** बनाम **राज्य**[3] ।

8. इसके विपरीत विद्वान् लोक अभियोजक श्री प्रबल सोलंकी ने विद्वान् विचारण न्यायालय द्वारा दिए गए आक्षेपित निर्णय और निष्कर्षों का समर्थन किया और निवेदन किया कि प्रश्नगत दोषसिद्धि पूर्णतया गुणागुण पर आधारित है ।

9. उचित परिप्रेक्ष्य में परस्पर विरोधी दलीलों के गुणागुण का मूल्यांकन करने के प्रयोजनार्थ यह आवश्यक है कि अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य का उल्लेख किया जाए ।

10. अभि. सा. 4 महराज सिंह, जो मृतक पुतिया का ज्येष्ठ भ्राता है, ने सशपथ कथन किया कि मृतक विगत 6 वर्षों से दिल्ली में अभियुक्तों के साथ रह रहा था और उसने उनके साथ श्रमिक के रूप में कार्य करते हुए स्वयं द्वारा उपार्जित राशि में से 50,000/- रुपए जमा किए थे । वह घटना की तारीख से 19-20 माह पहले दिल्ली गया था । उसके भाई पुतिया और स्वयं उसने भी अभियुक्तों से राशि की मांग की थी, तब अभियुक्तों ने उससे कहा था कि राशि उनके पास नहीं है और वे कुछ समय पश्चात् उस रकम को उसको लौटा देंगे । पुनः, घटना के 6-7 माह पूर्व वह दिल्ली गया था जहां उसने और उसके भाई पुतिया ने राम सनेही, राम सिंह और सुल्तान सिंह की उपस्थिति में अभियुक्तों से राशि की मांग की थी, तो उन्होंने कहा था कि उनके परिवार में वैशाख माह में विवाह है और वे उसके पश्चात् राशि लौटा देंगे । तारीख 21 अप्रैल, 2008 को उसका भाई पुतिया अभियुक्त के घर गया था किंतु वह वापस नहीं लौटा था । यह सूचना प्राप्त होने पर कि उसके भाई की मृत्यु हो चुकी है, वह जागेपुरा, पव्व्या कालोनी, स्थित अभियुक्तों के घर गया और पाया कि उसके भाई का शव अभियुक्तों के घर के बंगले में झूल रहा है । चूंकि अभियुक्तों ने राशि वापस नहीं लौटाई थी, इसलिए, उसके भाई ने आत्महत्या कारित कर ली । इस साक्षी ने आगे सशपथ कथन किया है कि उसके भाई ने या तो

---

[1] 2008 (1) सी. ए. आर. 492 = ए. आई. आर. 2008 एस. सी. 2108.

[2] (2002) एस. सी. सी. (क्रिमिनल) 1088 = ए. आई. आर. 2001 एस. सी. 3837.

[3] 2002 (1) एम. पी. डब्ल्यू. एन. 40.

फांसी लगाए जाने के द्वारा आत्महत्या कारित कर ली थी या अभियुक्तों द्वारा उसकी हत्या कर दी गई थी और तत्पश्चात् उसके शव को फांसी पर लटका दिया था ।

11. अभि. सा. 5 जय सिंह और अभि. सा. 6 पूरन सिंह ने भी सशपथ कथन किया है कि मृतक अभियुक्तों के साथ दिल्ली में रह रहा था और विगत 6 वर्षों से मजदूर के रूप में कार्यरत था । मृतक ने अभियुक्तों के पास 50,000/- रुपए जमा किए थे और अभियुक्तों ने उक्त राशि लौटाने का वायदा किया था किंतु उन्होंने उक्त राशि वापस नहीं लौटाई । अप्रैल के महीने में, मृतक अभियुक्तों के घर गया और राशि की मांग की किंतु उन्होंने राशि वापस नहीं लौटाई इसलिए या तो मृतक ने आत्महत्या कारित कर ली थी या अभियुक्तों ने हत्या करने के पश्चात् उसके शव को फांसी पर लटका दिया था ।

12. विद्वान् विचारण न्यायालय ने अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य का मूल्यांकन करने के पश्चात् पाया कि मृतक ने आत्महत्या कारित की है और इस बाबत कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है कि अभियुक्तों ने अभियुक्त की हत्या करने के पश्चात् उसके शव को फांसी पर लटका दिया था ।

13. भारतीय दंड संहिता की धारा 306 आत्महत्या के बारे में है । उक्त उपबंध इस प्रकार है :–

"306. **आत्महत्या का दुष्प्रेरण** –

यदि कोई व्यक्ति आत्महत्या करे, तो जो कोई ऐसी आत्महत्या का दुष्प्रेरण करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा ।"

14. **सोहन राज शर्मा** बनाम **हरियाणा राज्य**[1] वाले मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता की धारा 306 के उपबंधों का निर्वचन करते हुए यह अभिनिर्धारित किया :–

"8. दुष्प्रेरण में किसी व्यक्ति को उकसाने की मानसिक प्रक्रिया अन्तर्वलित होती है या ऐसा कार्य करने के लिए उस व्यक्ति को

---

[1] 2008 (1) सी. ए. आर. 492 = ए. आई. आर. 2008 एस. सी. 2108.

जानबूझकर प्रेरित किया जाता है । षड्यंत्र के मामलों में भी ऐसा कार्य किए जाने के लिए षड्यंत्र में प्रविष्ट होने की मानसिक प्रक्रिया अन्तर्वलित होती है । अधिक प्रक्रिया भूमिका जिसको ऐसा कार्य किए जाने के लिए उकसाने या प्रेरित करने वाला वर्णित किया गया है, और करता है जिसको वह अपेक्षा इसके पहले कि किसी व्यक्ति को भारतीय दंड संहिता की धारा 306 के अधीन अपराध के कारण को उत्प्रेरित करने वाला कहा जा सकता है ।"

9. ....

10. भारतीय दंड संहिता की धारा 107 दुष्प्रेरण को किसी बात के रूप में परिभाषित करती है । दुष्प्रेरण का अपराध एक पृथक् और सुभिन्न अपराध होता है जिसको अधिनियम में अपराध के रूप में उपबंधित किया गया है । वह व्यक्ति किसी बात के किए जाने का उत्प्रेरण करता है, जो (1) उस बात को करने के लिए किसी व्यक्ति को उकसाता है ; या (2) उस बात को करने के लिए किसी षड्यंत्र में एक या अधिक अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों के साथ सम्मिलित होता है, यदि उस षड्यंत्र के अनुसरण में और उस बात को करने के उद्देश्य से, कोई कार्य या अवैध लोप घटित हो जाए ; अथवा (3) उस बात के लिए किए जाने में किसी कार्य या अवैध लोप द्वारा साशय सहायता करता है । यह बात किसी अपराध के दुष्प्रेरण को पूर्ण करने के लिए आवश्यक होती है । शब्द "उकसाना" का शाब्दिक रूप से अर्थ होता है किसी कार्य को करने के लिए प्रकोपन करना, उद्दीप्त करना, बताना या मतावलंबन द्वारा सम्पादित करना । दुष्प्रेरण उकसाने, षड्यंत्र या आशयपूर्वक सहायता द्वारा हो सकता है, जैसा कि धारा 107 के तीन खंडों में उपबंधित किया गया है, धारा 109 उपबंधित करती है कि यदि दुष्प्रेरित कार्य दुष्प्रेरण के परिणामस्वरूप किया जाता है और ऐसे दुष्प्रेरण के दंड के लिए इस संहिता द्वारा कोई अभिव्यक्त उपबंध नहीं किया गया है, तो अपराधी उस दंड से दंडित किया जाएगा जो उस अपराध के लिए उपबंधित है । धारा 109 में "दुष्प्रेरित" का आशय विनिर्दिष्ट दुष्प्रेरित अपराध से है । इसलिए, दुष्प्रेरण के अपराध जिसके बाबत किसी व्यक्ति पर दुष्प्रेरण का आरोप लगाया गया है, सामान्यतया साबित अपराध से सम्बद्ध होता है ।

11. आत्महत्या के अभिकथित दुष्प्रेरण के मामलों में आत्महत्या के कारण के उद्दीपन के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष कार्यों के सबूत होने चाहिए । मात्र यह तथ्य कि पति ने पत्नी के साथ क्रूरता का बर्ताव किया, पर्याप्त नहीं है [देखें महिंदर सिंह **बनाम** मध्य **प्रदेश** राज्य 1995 ए. आई. आर. एस. सी. डब्ल्यू. 4570.] ।

15. **रमेश कुमार**[1] वाले मामले में उच्चतम न्यायालय ने मताभिव्यक्ति की कि भारतीय दंड संहिता की धाराओं 306 और 107 के अधीन उकसाने की अपेक्षा को पूरा किए जाने के लिए, यद्यपि यह आवश्यक नहीं है कि वास्तविक शब्दों को इस सीमा तक प्रयुक्त किया जाना चाहिए या उकसाने की कार्यवाही को क्या गठित करता है, को आवश्यक और विनिर्दिष्ट रूप से परिणाम के सापेक्ष होना चाहिए । फिर भी परिणाम को उद्दीप्त किए जाने की युक्तिसंगत संभाव्यता का प्रकटीकरण किए जाने के समर्थ होना चाहिए ।

16. **गंगुला मोहन रेड्डी** बनाम **आंध्र प्रदेश राज्य** (उपरोक्त) वाले मामले में जो अभिनिर्धारित किया गया, वह निम्नलिखित है :–

> "17. उत्प्रेरण किसी व्यक्ति को उकसाने की मानसिक प्रक्रिया या कोई कार्य करने के लिए किसी व्यक्ति की आशयपूर्वक सहायता किए जाने को अंतर्वलित करता है । दोषसिद्धि आत्महत्या कारित किए जाने के लिए उकसाए जाने या सहायता किए जाने में अभियुक्त द्वारा किए गए किसी निश्चायक कार्य के बिना मान्य नहीं ठहराई जा सकती । विधान-मंडल के आशय और इस न्यायालय द्वारा निर्णीत किए गए मामले का विनिश्चयानुपात से यह स्पष्ट है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 306 के अधीन किसी व्यक्ति की दोषसिद्धि किए जाने के लिए अपराध कारित किए जाने के प्रयोजनार्थ स्पष्ट आपराधिक मनःस्थिति विद्यमान होनी चाहिए । यह किसी सक्रिय कार्य या प्रत्यक्ष कार्य जिसके कारण मृतक आत्महत्या कारित करने के लिए विवश हुआ था, की भी अपेक्षा करता है और इस कार्य के कारण मृतक को ऐसी स्थिति में धकेल दिया जाना आशयित था कि वह आत्महत्या कारित कर ले ।"

17. स्वीकृततः, अपीलार्थी संख्या 1, अभियुक्त और अपीलार्थी संख्या 2, अभियुक्त सगे भाई हैं और अपीलार्थी संख्या 2 उनका भतीजा है । वे

---

[1] ए. आई. आर. 2001 एस. सी. 3837.

दिल्ली में अपनी आजीविका उपार्जित करने के लिए रह रहे थे । मृतक भी दिल्ली में लंबी अवधि से उनके साथ रह रहा था ।

18. अभि. सा. 4 महराज सिंह, अभि. सा. 5 जय सिंह, अभि. सा. 6 पूरन सिंह के परिसाक्ष्य से स्पष्ट है कि अपीलार्थियों के परिवार में विवाह था और मृतक अपीलार्थी के घर धन की मांग के संबंध में गया था ।

19. मामले की तथ्यात्मक स्थिति का परीक्षण किए जाने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि मृतक ने अपीलार्थियों द्वारा धन वापस न किए जाने के कारण आत्महत्या कारित ली थी । यह साबित किए जाने के प्रयोजनार्थ अभिलेख पर कोई भी साक्ष्य उपलब्ध नहीं है कि मृतक को अपीलार्थियों/अभियुक्तों द्वारा आत्महत्या कारित करने के लिए कभी भी प्रकोपित या प्रोत्साहित या प्रेरित या विवश किया गया था । राशि न लौटाए जाने के अभिकथित कार्य के लिए अभियुक्तों के विरुद्ध मृतक द्वारा उचित विधिक कार्यवाही की जा सकती थी । अभियुक्त द्वारा आत्महत्या के कारण का कार्य अपीलार्थियों/अभियुक्त द्वारा कारित किसी अभिकथित कार्य के परिणामस्वरूप नहीं था ।

20. मामले के पूर्वोक्त तथ्यात्मक परिदृश्य और विधि के उपबंधों के प्रकाश में और ऊपर वर्णित स्थापित विधिक स्थित जिस पर चर्चा की गई है, को ध्यान में रखते हुए मेरी सुविचारित राय में अभिलेख पर कोई भी साक्ष्य या सामग्री उपलब्ध नहीं है जिससे यह अनुमान लगाया जा सके कि अपीलार्थियों/अभियुक्तों ने मृतक को आत्महत्या के कारण के लिए उत्प्रेरित किया । अतः, ऊपर वर्णित सम्पूर्ण परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए यह नहीं कहा जा सकता कि भारतीय दंड संहिता की धारा 306 के संघटकों को पूर्णतया स्थापित किया गया है और इसलिए विचारण न्यायालय द्वारा अभिलिखित दोषसिद्धि को बनाए नहीं रखा जा सकता ।

21. परिणामस्वरूप, अपील मंजूर की जाती है और भारतीय दंड संहिता की धारा 306 के अधीन अपीलार्थियों की दोषसिद्धि एतद्द्वारा अपास्त की जाती है । अपीलार्थी जमानत पर हैं और उनके जमानत बंधपत्र उन्मोचित किए जाते हैं ।

अपील मंजूर की गई ।

शु.

शंकर

बनाम

राजस्थान राज्य

तारीख 8 मई, 2013

न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी और न्यायमूर्ति बनवारी लाल शर्मा

दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) – धारा 302 और 304 भाग-1 – हत्या और हत्या की कोटि में न आने वाला आपराधिक मानव वध – जहां अभियुक्त भारी और धारदार वस्तु से मृतक की गर्दन या सिर पर कोई हमला करता है जिससे मृत्यु कारित होना संभाव्य है वहां अभियुक्त हत्या से नहीं बल्कि हत्या की कोटि में न आने वाले आपराधिक मानव वध के अपराध से दोषसिद्ध ठहराए जाने का दायी है ।

मामला श्रीमती कमला की हत्या से संबंधित है । तारीख 14 मई, 2004 को लादकी जो मृतका की मामी है, अपनी भांजी मृतका कमला से मिलने के लिए अपीलार्थी के गृह निवास ग्राम बिछावडा पहुंची और वहां रात्रि में रही । तारीख 15 मई, 2004 को प्रातः चाय पीने के पश्चात् वह चम्पी के साथ ग्राम घनोल्डा वापस पहुंची । जब वह थोड़ी दूर गई तो उसने अपीलार्थी के मकान से बच्चों की चीख-पुकार सुनी । चीख-पुकार सुनकर वह अपीलार्थी के मकान में वापस लौटी और देखा कि अपीलार्थी शंकर अपनी पत्नी की हत्या करने के पश्चात् ओतली पर बैठा है । शंकर ने बताया कि उसने तलवार से कमला की हत्या कर दी है । तलवार वहीं पर पड़ी हुई थी । शंकर के कपड़े रक्त-रंजित थे और उस जगह पर आप-पास के लोग इकट्ठा हुए थे । वह अपने घर वापस लौट आई । घटना की रिपोर्ट लादकी द्वारा उसी दिन पुलिस थाना, लोहारिया (बांसवारा) में दर्ज की गई और दंड संहिता की धारा 302 के अधीन 2004 की औपचारिक प्रथम इत्तिला रिपोर्ट रजिस्ट्रीकृत की गई थी और पुलिस ने मामले का अन्वेषण प्रारंभ किया । अन्वेषण के दौरान पुलिस ने मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट तैयार की और मृतका का शव शव-परीक्षण करने के लिए भेज दिया गया, अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया और अपराध में फंसाने वाला आयुध अभिगृहीत किया गया तथा साक्षियों के कथन अभिलिखित किए गए । अन्वेषण की समाप्ति के पश्चात् पुलिस विद्वान् न्यायिक मजिस्ट्रेट, घोतोले

(बांसवारा) के न्यायालय में दंड संहिता की धारा 302 के अधीन अपराध के लिए अभियुक्त के विरुद्ध आरोप पत्र पेश किया था । दंड संहिता की धारा 302 के अधीन अपराध सेशन न्यायालय द्वारा अनन्य रूप से विचारणीय था, विद्वान् न्यायिक मजिस्ट्रेट, घोतोले द्वारा विचारण के लिए मामले को सेशन न्यायालय, बांसवारा, के सुपुर्द कर दिया गया और विद्वान् सेशन न्यायाधीश, बांसवारा ने विचारण के लिए मामले को विद्वान् अपर सेशन न्यायाधीश त्वरित निपटान न्यायालय सं. 1, बांसवारा को मामला अंतरित कर दिया गया । विचारण न्यायालय ने अभियुक्त के विरुद्ध दंड संहिता की धारा 302 के अधीन आरोप विरचित किया जिस पर अभियुक्त ने दोषी न होने का अभिवाक् किया और विचारण किए जाने का दावा किया । अभियोजन पक्ष ने अपना पक्षकथन साबित करने के लिए कुल मिलाकर 12 साक्षियों की परीक्षा कराई जिसमें चिकित्सा अधिकारी भी सम्मिलित है जिन्होंने शव की शव परीक्षा की थी और अन्वेषक पुलिस अधिकारी भी सम्मिलित है । साक्ष्य के समाप्ति के पश्चात् विचारण न्यायालय द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन अभियुक्त व्यक्ति की परीक्षा की गई । अभियुक्त ने अपने विरुद्ध लगाए गए अभिकथनों से इनकार किया और प्रतिरक्षा साक्ष्य के लिए अवसर देने के पश्चात् भी वह प्रतिरक्षा में कोई साक्ष्य देने में विफल हुआ है । अभिलेख पर साक्ष्य पर विचार करते हुए तथा पक्षकारों को सुनने के पश्चात् विचारण न्यायालय ने दंड संहिता की धारा 302 के अधीन अपीलार्थी को अपराध का दोषी पाया और तद्नुसार उसे दोषसिद्ध और दंडादिष्ट किया गया जैसाकि ऊपर उपदर्शित है । अभियुक्त ने व्यथित होकर जो अपीलार्थी के रूप में दंड भोग रहा था, ने कारागार से इस अपील को फाइल किया है । इस न्यायालय द्वारा श्री देवेन्द्र सिंह, थिन्ड अधिवक्ता को न्यायमित्र के रूप में नियुक्त किया था । अपील भागतः मंजूर करते हुए,

अभिनिर्धारित – चर्चित साक्ष्य पर विचार करते हुए न्यायालय ने अभियोजन साक्षियों के साक्ष्य की पर्याप्त रूप से सम्पुष्टि पाई है जिन्होंने अभियोजन साक्षियों के वृत्तांत का समर्थन किया है जिन्होंने अभियोजन पक्षकथन के वृत्तांत का भी समर्थन किया है । उपरोक्त बात को ध्यान में रखते हुए हमें यह अभिनिर्धारित करने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि अभियोजन पक्ष ने सभी युक्तियुक्त संदेह के परे अकाट्य और विश्वसनीय साक्ष्य देकर मामले को साबित किया है कि अभियुक्त-अपीलार्थी ने तलवार से प्रहार करके मृतका की मृत्यु कारित की और इस प्रकार, वह आपराधिक मानववध किए

जाने का दोषी है । दंड संहिता की धारा 304 के अंतर्गत विभिन्न परिस्थितियों पर निर्भर होकर दो प्रकार के दंड विहित किए गए हैं । प्रथमतः, दंड संहिता की धारा 304 का भाग-1, यदि वह कार्य जिसके द्वारा मृत्यु कारित की गई है, मृत्यु कारित करने के आशय से किया गया है या ऐसी शारीरिक क्षति कारित करना जिससे कि मृत्यु कारित करना संभाव्य है, उसमें आजीवन कारावास का दंड या दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से भी दंडनीय होगा । दूसरा यदि ऐसा कार्य इस जानकारी के साथ हुआ है कि इससे मृत्यु होना संभव है परंतु मृत्यु करना ऐसे आशय के बिना है जिस पर ऐसी शारीरिक क्षति पहुंचाने से संभवतः मृत्यु कारित हो जाए, तो दंड दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा । अतः, यदि मृत्यु कारित किए जाने का कार्य ऐसे आशय से किया जाता है जिस पर ऐसी शारीरिक क्षति जिससे मृत्यु कारित होना संभाव्य है तब अपराधी दंड संहिता की धारा 304 का भाग-1 के लिए दायी है जबकि यदि ऐसा कार्य जानकारी के साथ किया जाता है कि इससे मृत्यु कारित होना संभव है परंतु मृत्यु कारित करना बिना आशय के है तब ऐसे व्यक्ति द्वारा किया गया अपराध दंड संहिता की धारा 304 के भाग-II के अंतर्गत आएगा । हत्या के मामले में उपरोक्त बातों को ध्यान में रखते हुए न्यायालय के लिए यह अपेक्षित है कि वह साक्ष्य का उचित मूल्यांकन करे और निष्कर्ष पर पहुंचने के पूर्व विधि में यह है कि मामले को आपराधिक मानववध के रूप में साबित किया गया है क्योंकि सभी प्रकार "हत्या" आपराधिक मानववध है परंतु विपरीत नहीं है । "आपराधिक मानववध हत्या का विशेष लक्षण है जिसे दंड संहिता की धारा 300 में परिभाषित किया गया है, यह हत्या की कोटि में नहीं आने वाला आपराधिक मानववध है ।" लादकी और चम्पी ने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह स्वीकार किया है कि शंकर मानसिक रूप से तनावग्रस्त था और धूला भगत से पवित्र धागा तैयार कराया गया था जो शंकर को पहनने के लिए दिया गया था जिसके परिणामस्वरूप वह क्रोधित हो गया । ऐसा करने के लिए उस पर दबाव डालने पर शंकर ने अपना आत्मसंयम खो दिया और परिणामस्वरूप अचानक प्रकोपन में आकर तलवार से मृतका पर क्षतियां कारित कीं जो पहले ही घर पर रखी हुई थी । ऐसा नहीं है कि उसने मृतका पर हमला करने के लिए किसी अन्य स्थान से उक्त तलवार एकत्रित की थी । इस तरह, यह स्वीकार किया गया है कि उसने किसी भी रूप में हमले के आयुध का प्रयोग किया था । अभिलेख

11--355 मिनि. ऑफ एल. एण्ड जे./2014

पर यह दर्शित करने के लिए कुछ भी नहीं है कि उसके पास अपनी पत्नी की हत्या करने या उस पर हमला करने के लिए किसी तरह पूर्व चिंतन किया था । यदि वह मृतका की हत्या करने के लिए ऐसा कोई पूर्व चिंतन किया गया था तो वह कई प्रहार कारित कर सकता था । निःसंदेह मृतका के शरीर पर दो छिन्न घाव हुए थे एक उसकी गर्दन और दूसरा उसके जबड़े पर हुआ था । यदि उसका आशय हत्या करना था तब वह गर्दन पर भी अन्य प्रहार कर सकता था । अभिलेख पर साक्ष्य से यह निष्कर्ष निकाला गया है कि मृतका और अभियुक्त की माता ने उसकी इच्छा के विरुद्ध धागा पहनने के लिए उसे बाध्य किया था जिस कारण वह क्रोधित हो गया । मृतका और अभियुक्त की माता ने धागे के संबंध में अपीलार्थी-अभियुक्त से झगड़ा भी किया था और जो बात उसे प्रकोपित करने के लिए पर्याप्त थी । इस तरह प्रकोपित होने पर अपीलार्थी-अभियुक्त ने संभवतः अपना आत्मसंयम खो दिया और परिणामस्वरूप तलवार से प्रहार किया जो उसके घर में थी । ऐसा नहीं है कि उसने मृतका पर हमला करने के लिए किसी अन्य स्थान से उक्त तलवार एकत्रित की थी । इसलिए, यह प्रकट है कि उसने जिस तलवार को प्रयोग में लिया वह हमले के आयुध के रूप में घर में आसानी से उपलब्ध थी । अभिलेख पर यह दर्शित करने के लिए कुछ भी नहीं है कि उसने अपनी पत्नी पर हमला करने या हत्या करने के लिए कोई पूर्व चिंतन किया था । यदि उसने मृतका की हत्या करने के लिए ऐसा कोई पूर्व चिंतन किया था तो वह अपने आशय के अग्रसरण में कई प्रहार कारित कर सकता था । निःसंदेह, उसने केवल दो प्रहार किए अर्थात् एक उसने जबड़े पर और दूसरा दाहिने कान के नीचे । यदि उसका हत्या करने का आशय था तो वह गर्दन पर भी दूसरा प्रहार कर सकता था । जैसाकि अभिलेख के साक्ष्य से प्रकट है सबसे पहले मृतका ने अपनी सास के साथ अभियुक्त को उसकी इच्छा के विरुद्ध धागा पहनने के लिए बाध्य किया था जिस बात से वह प्रकोपित हो गया । क्या मृतका ने झगड़ा नहीं किया था और अभियुक्त को धागा पहनाने के लिए बलपूर्वक अपीलार्थी को प्रकोपित किया था जैसाकि उपरोक्त उपस्थित परिस्थितियों से दर्शित है अपीलार्थी मृतका पर हमला नहीं करता । इसलिए, जैसा अपराध किया गया था, वह बिना किसी पूर्व चिंतन के और अचानक झगड़ा होने और उक्त झगड़े के परिणामस्वरूप उत्तेजित होने जिसे मृतका और अपीलार्थी की माता द्वारा उसे प्रकोपित किया गया था और अपराधी को बिना किसी असम्यक् फायदा देते हुए या अप्रायिक रीति में किया गया कार्य यह पूर्वोक्त प्रथम और चौथे अपराधों के अंतर्गत आता

है । न्यायालय यह अभिनिर्धारित करता है कि अपीलार्थी ने हत्या की कोटि में नहीं आने वाला आपराधिक मानववध का अपराध किया है अर्थात् दंड संहिता की धारा 304 के अधीन अपराध है । अपीलार्थी ने धारदार वस्तु से दाहिने जबड़े पर प्रहार किया था और यह सामान्य व्यक्ति के सामान्य ज्ञान के अंदर आता है कि गर्दन या सिर पर किसी ऐसे बाहरी और धारदार वस्तु से हमला करना जिससे संभवतः मृत्यु कारित हो जाए । इसलिए, अपीलार्थी द्वारा कारित की गई क्षति शारीरिक क्षति है जिससे मृत्यु कारित करने की संभावना थी, इसलिए, न्यायालय का विचारित मत यह है कि अपीलार्थी द्वारा किया गया अपराध दंड संहिता की धारा 304 का भाग-1 के अंतर्गत आता है जिसके लिए विहित किया गया दंड आजीवन कारावास है या दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी । (पैरा 34, 39, 40, 41, 42, 43 और 44)

अपीली (दांडिक) अधिकारिता : 2004 की डी. बी. दांडिक कारागार अपील सं. 853.

अपीलार्थी ने अपनी दोषसिद्धि और दंडादेश के विरुद्ध कारागार अपील फाइल की है ।

अपीलार्थी की ओर से श्री देवेन्द्र सिंह थिन्ड

राज्य की ओर से श्री के. आर. विश्नोई, लोक अभियोजक

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति बनवारी लाल शर्मा ने दिया

न्या. शर्मा – 2004 के सेशन मामला सं. 35 में विद्वान् अपर सेशन न्यायाधीश, त्वरित निपटान न्यायालय सं. 1, बांसवारा द्वारा तारीख 18 अगस्त, 2004 को पारित की गई दोषसिद्धि और दंडादेश आदेश के विरुद्ध निर्णय को इस अपील द्वारा चुनौती दी गई है । पूर्वोक्त दोषसिद्धि और दंड के आदेश का आक्षेपित निर्णय द्वारा विचारण न्यायालय की ओर से अपीलार्थी को दंड संहिता की धारा 302 के अधीन दोषसिद्ध किया और कठोर आजीवन कारावास भोगने के लिए उसे दंडादिष्ट किया तथा 5,000.00 रुपए के जुर्माने का संदाय करने, जुर्माने की राशि का व्यतिक्रम करने पर उसे 1 मास की अवधि के कठोर कारावास की अवधि का दंडादेश भोगने का भी आदेश दिया गया । उक्त दोषसिद्धि और दंडादेश से व्यथित होकर कारागार से यह अपील फाइल की गई है ।

2. अभियोजन पक्षकथन जैसाकि विचारण में प्रकट किया गया है ।

संक्षेप में, उसके बारे में यह कहा जा सकता है ।

3. वर्तमान मामला श्रीमती कमला (इसमें इसके पश्चात् "मृतका" के रूप में उल्लेख किया गया है) की हत्या से संबंधित है । तारीख 14 मई, 2004 को लादकी (अभि. सा. 4) जो मृतका की मामी है, अपनी भांजी मृतका कमला से मिलने के लिए अपीलार्थी के गृह निवास ग्राम बिछावडा पहुंची और वहां रात्रि में रही । तारीख 15 मई, 2004 को प्रातः चाय पीने के पश्चात् वह चम्पी के साथ ग्राम घनोल्डा वापस पहुंची । जब वह थोड़ी दूर गई तो उसने अपीलार्थी के मकान से बच्चों की चीख-पुकार सुनी चीख-पुकार सुनकर वह अपीलार्थी के मकान में वापस लौटी और देखा कि अपीलार्थी शंकर अपनी पत्नी की हत्या करने के पश्चात् ओतली पर बैठा है । शंकर ने बताया कि उसने तलवार से कमला की हत्या कर दी है । तलवार वहीं पर पड़ी हुई थी । शंकर के कपड़े रक्त-रंजित थे और उस जगह पर आप-पास के लोग इकट्ठा हुए थे । वह (लादकी) अपने घर वापस लौट आई ।

4. घटना की रिपोर्ट लादकी (अभि. सा. 4) द्वारा उसी दिन पुलिस थाना, लोहारिया (बांसवारा) में प्रदर्श पी/8 के रूप में दर्ज की गई थी और दंड संहिता की धारा 302 के अधीन 2004 की औपचारिक प्रथम इत्तिला रिपोर्ट सं. 107 प्रदर्श पी/9 के रूप में रजिस्ट्रीकृत की गई थी और पुलिस ने मामले का अन्वेषण प्रारंभ किया ।

5. अन्वेषण के दौरान पुलिस ने मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट तैयार की और मृतका का शव शव-परीक्षण करने के लिए भेज दिया गया, अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया और अपराध में फंसाने वाला आयुध अभिगृहीत किया गया तथा साक्षियों के कथन अभिलिखित किए गए । अन्वेषण की समाप्ति के पश्चात् पुलिस विद्वान् न्यायिक मजिस्ट्रेट, घोतोले (बांसवारा) के न्यायालय में दंड संहिता की धारा 302 के अधीन अपराध के लिए अभियुक्त के विरुद्ध आरोप पत्र पेश किया था ।

6. दंड संहिता की धारा 302 के अधीन अपराध सेशन न्यायालय द्वारा अनन्य रूप से विचारणीय था, विद्वान् न्यायिक मजिस्ट्रेट, घोतोले द्वारा विचारण के लिए मामले को सेशन न्यायालय, बांसवारा के सुपुर्द कर दिया गया और विद्वान् सेशन न्यायाधीश, बांसवारा ने विचारण के लिए मामले को विद्वान् अपर सेशन न्यायाधीश त्वरित निपटान न्यायालय सं. 1, बांसवारा (जिसे इसमें इसके पश्चात् "विचारण न्यायालय" कहा गया है) को मामला

अंतरित कर दिया गया, देखिए आदेश तारीख 16 जुलाई, 2004 । विचारण न्यायालय ने अभियुक्त के विरुद्ध दंड संहिता की धारा 302 के अधीन आरोप विरचित किया जिस पर अभियुक्त ने दोषी न होने का अभिवाक् किया और विचारण किए जाने के दावा किया ।

7. अभियोजन पक्ष ने अपने पक्षकथन को साबित करने के लिए कुल मिलाकर 12 साक्षियों की परीक्षा कराई जिसमें चिकित्सा अधिकारी (अभि. सा. 1) भी सम्मिलित है जिन्होंने शव की शव-परीक्षा की थी और अन्वेषक पुलिस अधिकारी (अभि. सा. 9) भी सम्मिलित है । साक्ष्य के समाप्ति के पश्चात् विचारण न्यायालय द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन अभियुक्त व्यक्ति की परीक्षा की गई । अभियुक्त ने अपने विरुद्ध लगाए गए अभिकथनों से इनकार किया और प्रतिरक्षा साक्ष्य के लिए अवसर देने के पश्चात् भी वह प्रतिरक्षा में कोई साक्ष्य देने में विफल हुआ है ।

8. अभिलेख पर साक्ष्य पर विचार करते हुए तथा पक्षकारों को सुनने के पश्चात् विचारण न्यायालय ने दंड संहिता की धारा 302 के अधीन अपीलार्थी को अपराध का दोषी पाया और तद्नुसार उसे दोषसिद्ध और दंडादिष्ट किया गया जैसाकि की ऊपर उपदर्शित है ।

9. अभियुक्त ने व्यथित होकर जो अपीलार्थी के रूप में दंड भोग रहा था, ने कारागार से इस अपील को फाइल किया है । इस न्यायालय द्वारा श्री देवेन्द्र सिंह थिन्ड अधिवक्ता को न्यायमित्र के रूप में नियुक्त किया था, देखिए आदेश दिनांक 22 फरवरी, 2013 ।

10. हमने अपीलार्थी की ओर से न्यायमित्र के रूप में हाजिर होने वाले विद्वान् अधिवक्ता श्री देवेन्द्र सिंह थिन्ड तथा राज्य की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् लोक अभियोजक श्री के. आर. विश्नोई को सुना ।

11. विद्वान् न्यायमित्र ने यह दलील दी कि घटना के समय पर अपीलार्थी-अभियुक्त विकृत चित्त का व्यक्ति था और ऐसा तथ्य अभियोजन साक्ष्य में प्रकट है और इस तथ्य के जानकारी में आने के पश्चात् विचारण न्यायालय ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 329 के उपबंधों का अनुपालन नहीं किया और इस पर यह भी दलील दी कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 329 के उपबंधों का अननुपालन करने से विचारण दूषित हो गया है । उसने आगे यह भी दलील दी कि किसी प्रत्यक्षदर्शी साक्षी ने अभियोजन पक्षकथन का समर्थन नहीं किया है । अभियोजन साक्षियों के अनुसार तलवार घटनास्थल पर पड़ी हुई थी जबकि अन्वेषक अधिकारी ने यह साक्ष्य

दिया है कि उसने इसे अभियुक्त के कहने पर बरामद किया था । इसलिए, यह प्रतीत होता है कि यह बात गढ़ी हुई थी और अभियोजन साक्षियों के अनुसार जब लादकी और चम्पी मकान से चली थी तब अभियुक्त शंकर वहां पर नहीं था । शंकर की अनुपस्थिति में वे मकान से चली थीं और उनके कथनों के अनुसार उन्होंने बच्चों की चीख-पुकार सुनी; इससे यह दर्शित होता है कि उस समय वे अभियुक्त के मकान से ज्यादा दूर नहीं थे । जब वे वापस लौटे तब उन्होंने शंकर को देखा जो बात अभिकथित अपराध से अभियुक्त को संबंधित नहीं करती है । विचारण न्यायालय ने इन तथ्यों पर विचार किए बिना अपीलार्थी-अभियुक्त को दोषसिद्ध करके दंडादिष्ट कर दिया जो अनुचित है और अपील स्वीकार किए जाने योग्य है तथा अपीलार्थी दोषमुक्त किए जाने योग्य है ।

12. अपीलार्थी के विद्वान् काउंसेल ने यह दलील दी है कि उन परिस्थितियों पर विचार करने पर जिसमें अभिकथित अपराध कारित हुआ था यह हत्या की कोटि में नहीं आता है बल्कि यह आपराधिक मानववध है न कि हत्या की कोटि में आता है । इस प्रकार, अपीलार्थी दंड संहिता की धारा 304 के अधीन फायदा पाने का हकदार है ।

13. उन्होंने यह भी दलील दी कि उसने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 329 के अधीन आवेदन प्रस्तुत किया है जिस पर विचार किया जा सकता है और चूंकि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 329 के उपबंध का अनुपालन नहीं किया गया है अतः अनुकल्पतः मामले को इस निदेश के साथ वापस प्रतिप्रेषित किया जा सकता है कि अपीलार्थी के विक्षिप्त होने की दशा में उसकी परीक्षा की जा सकेगी ।

14. उक्त दलीलों का खंडन करते हुए विद्वान् लोक अभियोजक ने दोषसिद्धि के आक्षेपित निर्णय और दंडादेश के आदेश का समर्थन किया है और यह दलील दी है कि शव के महत्वपूर्ण भागों पर तलवार से साशय क्षतियां करने का पर्याप्त साक्ष्य है । इस प्रकार, विचारण न्यायालय ने दंड संहिता की धारा 302 के अधीन दोषसिद्धि और दंडादेश अभिलिखित करने में कोई गलती नहीं की है । उन्होंने यह भी दलील दी कि अभिलेख पर ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे यह दर्शित होता हो कि अभियुक्त विक्षिप्त चित्त का था । मात्र यह कहना कि वह विक्षिप्त है दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 329 के उपबंध लागू नहीं होते हैं । उसने यह भी दलील दी है कि अभियुक्त ने विचारण न्यायालय के समक्ष विचारण के दौरान अधिवक्ता के माध्यम से अभ्यावेदन किया था । सम्पूर्ण विचारण के दौरान विचारण

न्यायालय के समक्ष कोई ऐसा अनुरोध नहीं किया गया था । अब अपील के प्रक्रम पर इस तरह का अनुरोध स्वीकार नहीं किया जा सकता है । विद्वान् न्यायमित्र द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 329 के अधीन फाइल किया गया आवेदन खारिज किए जाने योग्य है । यह भी निवेदन किया गया कि इस आवेदन का किसी सामग्री द्वारा समर्थन नहीं किया गया है ।

15. जहां तक विक्षिप्त होने के बारे में दलील का संबंध है दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 329(1) निम्नप्रकार है :–

> "329. न्यायालय के समक्ष विचारित व्यक्ति के विकृत-चित्त होने की दशा में प्रक्रिया – (1) यदि किसी मजिस्ट्रेट या सेशन न्यायालय के समक्ष किसी व्यक्ति के विचारण के समय उप-मजिस्ट्रेट या न्यायालय को वह व्यक्ति विकृत-चित्त और परिणामस्वरूप अपनी प्रतिरक्षा करने में असमर्थ प्रतीत होता है, तो वह मजिस्ट्रेट या न्यायालय, प्रथमतः ऐसी चित्त-विकृति और असमर्थता के तथ्य का विचारण करेगा और यदि उस मजिस्ट्रेट या न्यायालय का ऐसे चिकित्सीय या अन्य साक्ष्य पर, जो उसके समक्ष पेश किया जाता है, विचार करने के पश्चात् उस तथ्य के बारे में समाधान हो जाता है तो वह उस भाव का निष्कर्ष अभिलिखित करेगा और मामले में आगे की कार्यवाही मुल्तवी कर देगा ।"

16. विधानमंडल ने "प्रकट होने/हाजिर होने" के शब्द का प्रयोग किया है जो निश्चित रूप से सबूत से अधिसंभाव्यता की मात्रा को कम करता है । इससे यह अभिप्रेत नहीं होता है कि मजिस्ट्रेट या न्यायालय को केवल कहने के आधार पर विक्षिप्तता के प्रश्न पर विचार करने के लिए अग्रसर होना चाहिए । यह या तो चिकित्सा अभिलेख के रूप में होना चाहिए या अन्य किसी सामग्री पर आधारित होना चाहिए, यदि मजिस्ट्रेट या न्यायालय के विवेक में कोई युक्तियुक्त संदेह प्रकट होता है कि अभियुक्त विक्षिप्त-चित्त है तब अभियुक्त के आचरण पर ऐसा संदेह प्रकट हो सकता है । बाधा को पार करते ही मजिस्ट्रेट या न्यायालय के लिए यह बाध्यता है कि ऐसी अभियुक्त विक्षिप्तता और विधिक अयोग्यता के तथ्य का विचारण करें । इसके अतिरिक्त, डा. राजीव गौतम (अभि. सा. 12) के कथन के अनुसार अभियुक्त की दशा उसकी परीक्षा किए जाने के दौरान सामान्य थी ।

17. सम्पूर्ण विचारण के दौरान दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के

अधीन अभियुक्त की परीक्षा करते समय भी यह बात कभी भी ध्यान में नहीं आई कि अभियुक्त विकृत-चित्त है । इसके अतिरिक्त, कोई ऐसा दस्तावेजी साक्ष्य इस न्यायालय के समक्ष दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 329 के अधीन आवेदन फाइल करने के समय भी पेश नहीं किया गया था जिससे यह दर्शित होता है कि अभियुक्त का विक्षिप्त होने पर उपचार किया गया था । विचारण के दौरान अभियुक्त की ओर से काउंसेल द्वारा प्रतिनिधित्व किया गया था । अशिक्षित साक्षियों द्वारा मात्र यह कहना कि अभियुक्त विक्षिप्त है वे लोग मृतका या उसकी माता और पुत्री के नातेदार हैं उन्होंने इस बारे में न्यायालय पर दबाव नहीं बनाया कि विक्षिप्तता के बारे में जांच करने के लिए उसे विवश किया जाए । यह प्रश्न विचारण के दौरान नहीं उठाया गया था । यह बात 8 वर्ष से भी अधिक समय बीत जाने के पश्चात् उठाई गई थी । सर्वप्रथम, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 329 के अधीन 8 वर्ष के पश्चात् अभियुक्त की परीक्षा का परिणाम कुछ नहीं है क्योंकि विक्षिप्तता का तथ्य अपराध के समय की अवधि के लिए सुसंगत है और इस मामले में विचारण पहले ही समाप्त हो गया है । अब अपील के प्रक्रम पर काफी समय पश्चात् दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 329 के अधीन अपीलार्थी की परीक्षा करना व्यर्थ है । इस प्रकार, इस दलील का कोई परिणाम नहीं है ।

18. पक्षकारों द्वारा दी गई अन्य दलीलों का मूल्यांकन करते हुए हम अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य की संक्षेप में संवीक्षा करना समुचित समझते हैं ।

19. मृतक, के शव की शव-परीक्षा जिस चिकित्सा अधिकारी द्वारा की गई, डा. चेतना द्वारा अभि. सा. 1 के रूप में अभिसाक्ष्य दिया गया कि उक्त शव का शव-परीक्षण करने पर उसने निम्नलिखित क्षतियां पाई थीं :–

> "(1) मस्तक के दाहिने ओर 2 इंच रेखीय खरोंच जिस पर रक्त के थक्के मौजूद थे ।
>
> (2) गर्दन के दाहिने ओर 1-1/2 इंच x 1/2 इंच x हड्डी की गहराई तक कटा हुआ घाव जिसमें रक्त के थक्के मौजूद थे ।
>
> (3) मुंह के दाहिने कोण से कान के पिछली तरफ तक दाहिने अधोहनु पर 6-1/2 इंच x 1 इंच x हड्डी की गहराई तक कटा हुआ घाव व अस्थिभंग ।"

20. उसने यह राय व्यक्त की है कि मृत्यु की अवधि 4 से 6 घंटे के

अंतर्गत थी, इसके अतिरिक्त यह राय व्यक्त की है कि मृत्यु का कारण अत्यधिक रक्त बहने के परिणामस्वरूप रक्त-स्राव और आघात था । मृतका की क्षतियां प्रकृति के साधारण अनुक्रम में मृत्यु कारित किए जाने के लिए पर्याप्त थीं । सभी क्षतियां प्रकृति में मृत्यु पूर्व थीं । उसने शवपरीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी/1 साबित की है ।

21. जितेन्द्र (अभि. सा. 2) ने यह साक्ष्य दिया है कि उसने ग्राम बिछावड़ा घटनास्थल के फोटो लिए । उसने फोटो प्रदर्श पी/2 से प्रदर्श पी/6 साबित की हैं ।

22. राजेन्द्र सिंह (अभि. सा. 3) मालखाना भारसाधक ने यह अभिसाक्ष्य दिया है कि तारीख 15 मई, 2004 को ओम प्रकाश ने दंड संहिता की धारा 302 के अधीन प्रथम इत्तिला रिपोर्ट सं. 107/2004 के संबंध में मालखाने में 5 वस्तुएं जमा की थीं । उनमें से 4 मोहरबंद दशा में थीं । उसने यह भी अभिसाक्ष्य दिया है कि तारीख 16 मई, 2004 को एक और वस्तु इस मामले के संबंध में मोहरबंद दशा में मालखाने में जमा की गई थी और सभी वस्तुएं आक्षेपों को दूर करने के पश्चात् तारीख 26 मई, 2004 को न्यायालयिक प्रयोगशाला, उदयपुर में जमा किए जाने के लिए चम्पालाल कांस्टेबल को सुपुर्द की गई थीं । उसने यह भी कथन किया है कि न्यायालयिक प्रयोगशाला, उदयपुर में इन वस्तुओं को जमा करने के पश्चात् चम्पालाल तारीख 26 मई, 2004 को प्राप्ति रसीद सं. 94 लाया था ।

23. लादकी (अभि. सा. 4) मृतका की मामी ने यह साक्ष्य दिया है कि वह ग्राम बिछावड़ा में अपनी भांजी कमला-मृतका से मिलने के लिए अपीलार्थी के आवासीय मकान पर गई थी और वहां रात्रि में रुकी रही । तारीख 15 मई, 2004 को सुबह की चाय लेने के पश्चात् वह चम्पी के साथ ग्राम घनोल्दा वापस लौट रही थी । जब वे थोड़ा आगे बढ़े तब उन्होंने अपीलार्थी के मकान से बच्चों की चीख-पुकार सुनी । चीख-पुकार सुनकर वे अपीलार्थी के मकान पर वापस लौट आईं और देखा कि अपीलार्थी शंकर अपनी पत्नी की हत्या करने के पश्चात् ओतली (चबूतरा) पर बैठा हुआ था । शंकर ने उन्हें बताया कि उसने तलवार से कमला की हत्या कर दी । तलवार वहां पर पड़ी हुई थी और शंकर के कपड़ों पर रक्त के धब्बे लगे हुए थे । समीपस्थ के रहने वाले लोग वहां पर एकत्रित हुए थे और वह पुलिस थाने पर रिपोर्ट प्रदर्श पी/8 को दर्ज करने के पश्चात् अपने मकान पर वापस

12--355 मिनि. ऑफ एल. एण्ड जे./2014

लौट गई थी ।

24. अपीलार्थी-अभियुक्त की माता चम्पी (अभि. सा. 5) ने यह कथन किया है कि वह अभियुक्त के साथ उसी मकान में रहती थी । उसने लादकी (अभि. सा. 4) के कथनों की सम्पुष्टि की है और यह कथन किया है कि जब वह लादकी के साथ मकान से चली और मकान से थोड़ी दूरी पर थी उसने "कमला को मार डाला" चीख-पुकार सुनी । ऐसा सुनने के पश्चात् वे वापस लौटे और देखा कि कमला मृत पड़ी हुई थी और उसके कान के नज़दीक क्षति कायम हुई थी और शंकर ने तलवार रखी थी और शंकर ने कमला की हत्या कर दी । उसने उन्हें यह नहीं बताया कि उसने तलवार से क्षतियां कारित कीं । शंकर को रस्सियों से बांधा गया था ।

25. सुश्री लक्ष्मी **उर्फ** लाक्षी (अभि. सा. 6) अपीलार्थी की पुत्री ने यह कथन किया कि उसके पिता ने उसकी माता की हत्या की । उससे यह पता नहीं है कि किस आयुध से उसने उसकी हत्या की । मृतका को कान के नजदीक क्षति पहुंची थी परंतु उसने हत्या करते हुए नहीं देखा । उसने यह भी अभिसाक्ष्य दिया कि लादकी उसकी नानी है । वह एक दिन पूर्व आई थी और उसकी दादी चम्पी के साथ ग्राम घनोल्दा के लिए 7:00 बजे पूर्वाह्न घर से चली थी ।

26. देव शंकर (अभि. सा. 7) को पक्षद्रोही घोषित किया गया परंतु उसने यह कथन किया है कि लगभग 7.00 बजे पूर्वाह्न जब वह अपने मकान में सो रहा था उसने शंकर के बच्चों की चीख-पुकार सुनी । जब वह वहां गया कमला वहां पर लेटी हुई थी परंतु वह मकान के अंदर नहीं गया ।

27. चम्पा लाल (अभि. सा. 8) कांस्टेबल ने यह कथन किया है कि उसने राजेन्द्र सिंह से 5 वस्तुएं प्राप्त कीं और पुलिस अधीक्षक के कार्यालय से निम्नलिखित पत्र प्राप्त करने के पश्चात् उसने उन्हें तारीख 26 मई, 2004 को न्यायालयिक प्रयोगशाला, उदयपुर पर मोहरबंद दशा में जमा कर दिया था ।

28. ओम प्रकाश (अभि. सा. 9) भारसाधक पुलिस थाना लोहारिया ने यह कथन किया है कि तारीख 15 मई, 2004 को लादकी ने उसे लिखित रिपोर्ट प्रदर्श पी/8 प्रस्तुत की जिस पर उसने प्रथम इत्तिला रिपोर्ट प्रदर्श पी/9 दर्ज की थी और घटनास्थल का निरीक्षण किया तथा घटनास्थल का एक कच्चा नक्शा प्रदर्श पी/10 तथा मृत्युसमीक्षा रिपोर्ट प्रदर्श पी/13 तैयार

की । रक्त-रंजित मिट्टी और सादी मिट्टी को भी अपने कब्जे में लिया, देखिए ज्ञापन प्रदर्श पी/11 । मृतका के रक्त-रंजित कपड़े भी अभिगृहीत किए गए थे, देखिए ज्ञापन प्रदर्श पी/12 । चिकित्सा अधिकारी द्वारा शव-परीक्षण किया गया था और शव को सुपुर्द किया गया था, देखिए ज्ञापन प्रदर्श पी/14 । साक्षियों के कथन अभिलिखित किए गए थे और अभिगृहीत वस्तुएं मालखाना में जमा की गईं थीं । अभियुक्त शंकर को गिरफ्तार किया गया था, देखिए गिरफ्तारी ज्ञापन प्रदर्श पी/23 । अभियुक्त द्वारा साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के अधीन सूचना दी गई थी जिसे प्रदर्श पी/24 के रूप में लिखा गया था और सूचना के अनुसरण में अभियुक्त द्वारा तलवार पेश की गई थी जिसे ज्ञापन प्रदर्श पी/25 के माध्यम से बरामद किया गया था । अभियुक्त की गिरफ्तारी के समय पर उसने रक्त-रंजित कपड़े पहने हुए थे जिन्हें प्रदर्श पी/26 के माध्यम से अभिगृहीत किया गया था । अभिगृहीत वस्तुएं कांस्टेबल चम्पालाल के माध्यम से न्यायालयिक प्रयोगशाला, उदयपुर भेजा गया था । उसने न्यायालयिक प्रयोगशाला रिपोर्ट प्रदर्श पी/22 भी साबित की ।

29. धूलजी (अभि. सा. 10) ने यह कथन किया है कि पुलिस द्वारा अभियुक्त से तलवार बरामद की गई थी, देखिए प्रदर्श पी/25 और घटना के स्थान का कच्चा नक्शा प्रदर्श पी/10 उसकी मौजूदगी में तैयार किया गया था । रक्त-रंजित मिट्टी तथा सादी मिट्टी उसकी मौजूदगी में प्रदर्श पी/11 के माध्यम से भी अभिगृहीत की गई थी । मृतका कमला के कपड़े अभिगृहीत किए गए थे, देखिए ज्ञापन प्रदर्श पी/12, उसकी मौजूदगी में मृत्यु-समीक्षा रिपोर्ट प्रदर्श पी/13 तैयार की गई थी और मृतका का शव सौंपा गया था, देखिए प्रदर्श पी/14 ।

30. लालजी (अभि. सा. 11) ने यह कथन किया है कि शंकर के कपड़े उसकी मौजूदगी में अभिगृहीत किए गए थे, देखिए प्रदर्श पी/26 ।

31. डा. राजीव गौतम (अभि. सा. 12) जिन्होंने अभियुक्त की क्षतियों की परीक्षा और यह अभिसाक्ष्य दिया कि उन्होंने अभियुक्त के शरीर पर निम्नलिखित क्षतियां पाई थीं :–

"(1) दाहिने गाल के ऊपर की ओर 1.6 से. मी. x 0.5 से. मी. रक्तिम रंग की खरोंच पाई थी ।

(2) दाहिने हाथ की कलाई के पार्श्व भाग के ऊपर की आर

1-1/2 से. मी. x 1/2 से. मी. नाप के रंग में रक्तिम संख्या में तीन खरोंच पाई गई थीं ।

(3) बाएं हाथ की कलाई के पार्श्व पहलू पर 1-1/2 से. मी. x 1/2 से. मी. रंग में रक्तिम खरोंच पाई गई थी ।

यह भी राय दी गई थी कि सभी क्षतियां प्रकृति में साधारण थी और कुंद आयुध द्वारा कारित की गई थीं । क्षतियों की अवधि 24-48 घंटे के बीच की थीं और रोगी की सामान्य दशा थी ।"

32. उक्त सभी साक्षी (अभि. सा. 4, अभि. सा. 5, अभि. सा. 6 और अभि. सा. 7) जो घटना के पश्चात् तत्काल एकत्र हो गए थे, प्रतिरक्षा पक्ष द्वारा उनकी प्रतिपरीक्षा की गई और अभियोजन वृत्तांत को हटाने के लिए कोई विभेदकारी साक्ष्य नहीं दिए जा सके खासतौर पर अभि. सा. 4 और अभि. सा. 5 पूर्वोक्त साक्ष्य के बारे में । प्रदर्शित मृत्युसमीक्षा रिपोर्ट अर्थात् प्रदर्श पी/12 से यह उपदर्शित होता है कि पुलिस ने मृत्युसमीक्षा किए जाने के समय पर कि दाहिने कान से दाहिने गाल पर एक क्षति देखी थी जो मुंह के अओहनों के आर-पार तक थी जिसकी 6 इंच लम्बाई, 1-1/2 इंच चौड़ाई और 1 इंच गहराई थी और उस जगह से रक्त टपक रहा था तथा रक्त के कपड़े भी वहां पर थे । मृतका के गिरने की वजह से घटनास्थल पर गेहूं के कण पड़े हुए थे और रक्त में भीगे हुए थे । अभिग्रहण सूची से यह प्रकट है कि पुलिस ने तलवार और मृतका के रक्त-रंजित कपड़े तथा अभियुक्त के रक्त-रंजित कपड़े अभिगृहीत किए थे । धूलजी (अभि. सा. 10) लालजी (अभि. सा. 11) और ओम प्रकाश (अभि. सा. 9) अन्वेषक अधिकारी ने मृत्युसमीक्षा रिपोर्ट और अभियुक्त की तलवार और रक्त-रंजित कपड़ों के अभिग्रहण के बारे में अभियोजन वृत्तांत का समर्थन किया है । अभि. सा. 4, अभि. सा. 5 और अभि. सा. 6 के साक्ष्य से यह दर्शित होता है कि उनके लौटने पर कमला जमीन पर मृत पड़ी हुई थी और अभियुक्त वहां पर खड़ा हुआ था और उसके कपड़े रक्त-रंजित थे तथा तलवार भी वहां पर पड़ी हुई थी । इसके अतिरिक्त, उससे पूछताछ करने पर उसने यह स्वीकार किया है कि उसने कमला की हत्या की है जो बात अनिन्द्य रही है और ओम प्रकाश (अभि. सा. 9) जिसने अभियुक्त के कहने पर तलवार बरामद की और धूलजी (अभि. सा. 10) ने तलवार की बरामदगी का समर्थन किया है और अभि. सा. 4, अभि. सा. 5

और अभि. सा. 6 के साक्ष्य की तात्विक प्रश्नों पर सम्पुष्टि की है तथा अभियुक्त की माता चम्पी (अभि. सा. 5) ने स्पष्ट रूप से यह कथन किया है कि शंकर ने कमला की हत्या की है जिस बात की अभि. सा. 1 डा. चेतना के कथनों से सम्पुष्टि हुई है । चिकित्सा साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि मृतका को मानव वध क्षतियां मृत्युपूर्व कायम हुई थीं जो तलवार आदि की भांति धारदार आयुध से कारित की गई थी और मृत्यु पूर्वोक्त क्षतियों के कारण हुई थी । मृत्युसमीक्षा रिपोर्ट प्रदर्श पी/13 का अभि. सा. 1 के साक्ष्य से सम्पुष्टि हुई है तथा क्षतियों के संबंध में भी पुष्टि हुई है । क्षतियां चेहरे के दाहिने ओर देखी गई थीं तथा अभि. सा. 4, अभि. सा. 5 और अभि. सा. 6 ने यह कथन किया है कि मृतका को तलवार से क्षतियां कारित की गईं और उसने उनके समक्ष इस बात को स्वीकार किया है । इसलिए, चिकित्सा साक्ष्य और मौखिक साक्ष्य की पर्याप्त रूप से सम्पुष्टि हुई है ।

33. न्यायालयिक प्रयोगशाला रिपोर्ट प्रदर्श पी/22 के अनुसार रक्त-रंजित मिट्टी, ब्लाउज, पेटीकोट, साड़ी, तलवार, पैंट और कमीज मानव रक्त से रक्त-रंजित पाए गए थे और रक्त का "बी" ग्रुप था और इस प्रकार यह भी साबित किया गया है कि मृतका को कारित की गई क्षतियां तलवार से की गई थीं जिसे अभियुक्त के सचेत कब्जे से बरामद किया गया था और वही रक्त ग्रुप अभियुक्त के कपड़ों पर तथा बरामद की गई तलवार पर भी पाया गया था जिन बातों की अभि. सा. 4, अभि. सा. 5 और अभि. सा. 6 के कथनों से भी सम्पुष्टि हुई है ।

34. उपरोक्त चर्चित साक्ष्य पर विचार करते हुए हमने अभियोजन साक्षियों के साक्ष्य की पर्याप्त रूप से सम्पुष्टि पाई है जिन्होंने अभियोजन साक्षियों के वृत्तांत का समर्थन किया है जिन्होंने अभियोजन पक्षकथन के वृत्तांत का भी समर्थन किया है । उपरोक्त बात को ध्यान में रखते हुए हमें यह अभिनिर्धारित करने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि अभियोजन पक्ष ने सभी युक्तियुक्त संदेह के परे अकाट्य और विश्वसनीय साक्ष्य देकर मामले को साबित किया है कि अभियुक्त-अपीलार्थी ने तलवार से प्रहार करके मृतका की मृत्यु कारित की और इस प्रकार, वह आपराधिक मानव वध किए जाने का दोषी है ।

35. अब यह प्रश्न पैदा होता है कि क्या अपीलार्थी दंड संहिता की धारा 302 के अधीन हत्या का दोषी है या दंड संहिता की धारा 304 के अधीन हत्या की कोटि में न आने वाला आपराधिक मानव वध का दोषी है ।

36. दंड संहिता की धारा 300 में उल्लिखित दशाओं को छोड़कर आपराधिक मानव वध हत्या है । यदि यह कार्य, जिसके द्वारा मृत्यु कारित की गई हो, मृत्यु करने के आशय से किया गया हो या दूसरा यदि वह ऐसी शारीरिक क्षति कारित करने के आशय से किया गया हो जिसे अपराधी जानता हो कि उस व्यक्ति को मृत्यु कारित करना संभाव्य है जिसको वह अपहानि कारित की गई है या तीसरा यदि वह किसी व्यक्ति को शारीरिक क्षति कारित करने के आशय से किया गया हो और वह शारीरिक क्षति जिसके कारित करने का आशय हो, प्रकृति के मामूली अनुक्रम में मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त है । या चौथा यदि कार्य करने वाला व्यक्ति यह जानता हो कि वह कार्य इतना आसन्न संकट है कि पूरी अधिसंभाव्यता है कि वह मृत्यु कारित कर ही देगा या ऐसी शारीरिक क्षति कारित कर ही देगा जिससे मृत्यु कारित होना संभाव्य है और वह मृत्यु कारित करने या पूर्वोक्त रूप की क्षति कारित करने का जोखिम उठाने के लिए किसी प्रतिहेतु के बिना ऐसा कार्य करें । दंड संहिता की धारा 300 में निम्नलिखित अपवादों का उपबंध किया गया है :–

"अपवाद 1 – आपराधिक मानव वध कब हत्या नहीं है – आपराधिक मानव वध हत्या नहीं है यदि अपराधी उस समय जबकि वह गंभीर और अचानक प्रकोपन से आत्मसंयम की शक्ति से वंचित हो, उस व्यक्ति की जिसने कि वह प्रकोपन दिया था, मृत्यु कारित करें या किसी अन्य व्यक्ति की मृत्यु भूल या दुर्घटनावश कारित करें ।

ऊपर का अपवाद निम्नलिखित परंतुकों के अध्यधीन है –

पहला – यह कि वह प्रकोपन किसी व्यक्ति का वध करने या अपहानि करने के लिए अपराधी द्वारा प्रतिहेतु के रूप में ईप्सित न हो या स्वेच्छया प्रकोपित न हो ।

दूसरा – यह कि वह प्रकोपन किसी बात द्वारा न दिया गया हो जोकि विधि के पालन में या लोकसेवक द्वारा ऐसे लोकसेवक की शक्तियों के विधिपूर्ण प्रयोग में की गई हो ।

तीसरा – यह कि वह प्रकोपन किसी ऐसी बात द्वारा न दिया गया हो जो प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के विधिपूर्ण प्रयोग में की गई हो ।

स्पष्टीकरण – प्रकोपन इतना गंभीर और अचानक था या नहीं

कि अपराध को हत्या की कोटि में जाने से बचाते हैं यह तथ्य का प्रश्न है ।

अपवाद 2 – आपराधिक मानव वध हत्या नहीं है यदि अपराधी, शरीर या सम्पत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार को सद्भावपूर्वक प्रयोग में लाते हुए विधि द्वारा उसे दी गई शक्ति का अतिक्रमण करके और पूर्व-चिंतन बिना और ऐसी प्रतिरक्षा के प्रयोजन से जितनी अपहानि कारित करना आवश्यक हो उससे अधिक अपहानि करने के किसी आशय के बिना उस व्यक्ति की मृत्यु कारित कर दे जिसके विरुद्ध वह प्रतिरक्षा का ऐसा अधिकार प्रयोग में ला रहा हो ।

अपवाद 3 – आपराधिक मानव वध हत्या नहीं है यदि अपराधी ऐसा लोकसेवक होते हुए या ऐसे लोकसेवक को मदद देते हुए जो लोक न्याय की अग्रसरता में कार्य कर रहा है, उसे विधि द्वारा दी गई शक्ति से आगे बढ़ जाए, और कोई ऐसा कार्य करके जिसे वह विधिपूर्ण और ऐसे लोकसेवक के नाते उसके कर्तव्य के सम्यक् निर्वहन के लिए आवश्यक होने का सद्भावपूर्वक विश्वास करता है और उस व्यक्ति के प्रति जिसकी मृत्यु कारित की गई है, वैमनस्य के बिना मृत्यु कारित करे ।

अपवाद 4 – आपराधिक मानव वध हत्या नहीं है यदि वह मानव वध अचानक झगड़ाजनित आवेश की तीव्रता में कोई अचानक लड़ाई में पूर्व-चिंतन बिना और अपराधी द्वारा अनुचित लाभ उठाए बिना या क्रूरतापूर्ण या अप्रायिक रीति से कार्य किए बिना किया गया हो ।

स्पष्टीकरण – ऐसी दशाओं में यह तत्वहीन है कि कौन पक्ष प्रकोपन देता है या पहले हमला करता है ।

अपवाद 5 – आपराधिक मानव वध हत्या नहीं है यदि वह व्यक्ति जिसकी मृत्यु कारित की जाए, 18 वर्ष से अधिक आयु का होते हुए, अपनी सम्मति से मृत्यु होना सहन करे, या मृत्यु की जोखिम उठाए ।"

37. प्रथम अपवाद के अधीन आपराधिक मानव वध हत्या नहीं है यदि अपराधी उस समय जबकि वह गंभीर और अचानक प्रकोपन से आत्मसंयम की शक्ति से वंचित है, उस व्यक्ति की जिसने कि वह प्रकोपन दिया था मृत्यु कारित करे या किसी अन्य व्यक्ति की मृत्यु भूल या दुर्घटनावश

कारित करे । इसी तरह, चौथे अपवाद के अंतर्गत यदि वह मानव वध अचानक झगड़ाजनित आवेश की तीव्रता व अचानक लड़ाई में पूर्व-चिंतन बिना और अपराधी द्वारा अनुचित लाभ उठाए बिना या क्रूरतापूर्ण या अप्रायिक रीति से कार्य किया गया हो तो मृत्यु हत्या की कोटि में नहीं आती है । आपराधिक मानव वध और हत्या में किसी व्यक्ति की हत्या करना सम्मिलित है । इन दो अपराधों के बीच क्या विभेद है यह बात विशेष आपराधिक मनःस्थिति की उपस्थिति में है जिसमें चार मानसिक स्थितियां सम्मिलित हैं । मानसिक स्थितियों में से एक की मौजूदगी का दंड संहिता की धारा 300 में कथन किया गया है जिससे आपराधिक मानव वध से हत्या के बारे में विभेद प्रकट होता है ।

38. आपराधिक मानव वध के लिए दंड, जो हत्या की कोटि में नहीं आता है दंड संहिता की धारा 304 में विहित किया गया है । दंड संहिता की धारा 304 निम्नलिखित है :–

> "304 'हत्या की कोटि में न आने वाला आपराधिक मानव वध के लिए दंड'– जो कोई ऐसा आपराधिक मानव वध करेगा जो हत्या की कोटि में नहीं आता है, यदि वह कार्य जिसके द्वारा मृत्यु कारित की गई है, मृत्यु या ऐसी शारीरिक क्षति जिससे मृत्यु होना संभाव्य है, कारित करने के आशय से किया जाए तो वह आजीवन कारावास से या दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा ।
>
> अथवा यदि वह कार्य इस ज्ञान के साथ कि उससे मृत्यु कारित करना संभाव्य है, किंतु मृत्यु या ऐसी शारीरिक क्षति जिससे मृत्यु कारित करना संभाव्य है, कारित करने के किसी आशय के बिना किया जाए, तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से, दंडित किया जाएगा ।"

39. दंड संहिता की धारा 304 के अंतर्गत विभिन्न परिस्थितियों पर निर्भर होकर दो प्रकार के दंड विहित किए गए हैं । प्रथमतः, दंड संहिता की धारा 304 का भाग-I, यदि वह कार्य जिसके द्वारा मृत्यु कारित की गई है, मृत्यु कारित करने के आशय से किया गया है या ऐसी शारीरिक क्षति

कारित करना जिससे कि मृत्यु कारित करना संभाव्य है, उसमें आजीवन कारावास का दंड या दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से भी दंडनीय होगा । दूसरा यदि ऐसा कार्य इस जानकारी के साथ हुआ है कि इससे मृत्यु होना संभव है परंतु मृत्यु करना ऐसे आशय के बिना है जिस पर ऐसी शारीरिक क्षति पहुंचाने से संभवतः मृत्यु कारित हो जाए, तो दंड दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा । अतः, यदि मृत्यु कारित किए जाने का कार्य ऐसे आशय से किया जाता है जिस पर ऐसी शारीरिक क्षति जिससे मृत्यु कारित होना संभाव्य है तब अपराधी दंड संहिता की धारा 304 का भाग-I के लिए दायी है जबकि यदि ऐसा कार्य जानकारी के साथ किया जाता है कि इससे मृत्यु कारित होना संभव है परंतु मृत्यु कारित करना बिना आशय के है तब ऐसे व्यक्ति द्वारा किया गया अपराध दंड संहिता की धारा 304 के भाग-II के अंतर्गत आएगा ।

40. हत्या के मामले में उपरोक्त बातों को ध्यान में रखते हुए न्यायालय के लिए यह अपेक्षित है कि वह साक्ष्य का उचित मूल्यांकन करे और निष्कर्ष पर पहुंचने के पूर्व विधि में यह है कि मामले को आपराधिक मानव वध के रूप में साबित किया गया है क्योंकि सभी प्रकार "हत्या" "आपराधिक मानव वध" है परंतु विपरीत नहीं है । "आपराधिक मानव वध" "हत्या का विशेष लक्षण" है जिसे दंड संहिता की धारा 300 में परिभाषित किया गया है, यह हत्या की कोटि में नहीं आने वाला आपराधिक मानव वध है ।

41. लादकी (अभि. सा. 4) और चम्पी (अभि. सा. 5) ने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह स्वीकार किया है कि शंकर मानसिक रूप से तनावग्रस्त था और धूला भगत से पवित्र धागा तैयार कराया गया था जो शंकर को पहनने के लिए दिया गया था जिसके परिणामस्वरूप वह क्रोधित हो गया । ऐसा करने के लिए उस पर दबाव डालने पर शंकर ने अपना आत्मसंयम खो दिया और परिणामस्वरूप अचानक प्रकोपन में आकर तलवार से मृतका पर क्षतियां कारित कीं जो पहले ही घर पर रखी हुई थी । ऐसा नहीं है कि उसने मृतका पर हमला करने के लिए किसी अन्य स्थान से उक्त तलवार एकत्रित की थी । इस तरह, यह स्वीकार किया गया है कि उसने किसी भी रूप में हमले के आयुध का प्रयोग किया था । अभिलेख पर यह दर्शित करने के लिए कुछ भी नहीं है कि उसके पास अपनी पत्नी की हत्या करने या उस पर हमला करने के लिए किसी तरह पूर्व-चिंतन किया था । यदि

वह मृतका की हत्या करने के लिए ऐसा कोई पूर्व-चिंतन किया गया था तो वह कई प्रहार कारित कर सकता था । निःसंदेह मृतका के शरीर पर दो छिन्न घाव हुए थे एक उसकी गर्दन और दूसरा उसके जबड़े पर हुआ था । यदि उसका आशय हत्या करना था तब वह गर्दन पर भी अन्य प्रहार कर सकता था ।

42. जैसाकि ऊपर चर्चा की गई है अभिलेख पर साक्ष्य से यह निष्कर्ष निकाला गया है कि मृतका (अभियुक्त की पत्नी) और अभियुक्त की माता ने उसकी इच्छा के विरुद्ध धागा पहनने के लिए उसे बाध्य किया था जिस कारण वह क्रोधित हो गया । मृतका और अभियुक्त की माता ने धागे के संबंध में अपीलार्थी अभियुक्त से झगड़ा भी किया था और जो बात उसे प्रकोपित करने के लिए पर्याप्त थी । इस तरह प्रकोपित होने पर अपीलार्थी-अभियुक्त ने संभवतः अपना आत्मसंयम खो दिया और परिणामस्वरूप तलवार से प्रहार किया जो उसके घर में थी । ऐसा नहीं है कि उसने मृतका पर हमला करने के लिए किसी अन्य स्थान से उक्त तलवार एकत्रित की थी । इसलिए, यह प्रकट है कि उसने जिस तलवार को प्रयोग में लिया वह हमले के आयुध के रूप में घर में आसानी से उपलब्ध थी । अभिलेख पर यह दर्शित करने के लिए कुछ भी नहीं है कि उसने अपनी पत्नी पर हमला करने या हत्या करने के लिए कोई पूर्व चिंतन किया था । यदि उसने मृतका की हत्या करने के लिए ऐसा कोई पूर्व चिंतन किया था तो वह अपने आशय के अग्रसरण में कई प्रहार कारित कर सकता था । निःसंदेह, उसने केवल दो प्रहार किए अर्थात् एक उसने जबड़े पर और दूसरा दाहिने कान के नीचे । यदि उसका हत्या करने का आशय था तो वह गर्दन पर भी दूसरा प्रहार कर सकता था । जैसाकि अभिलेख के साक्ष्य से प्रकट है सबसे पहले मृतका ने अपनी सास के साथ अभियुक्त को उसकी इच्छा के विरुद्ध धागा पहनने के लिए बाध्य किया था जिस बात से वह प्रकोपित हो गया । क्या मृतका ने झगड़ा नहीं किया था और अभियुक्त को धागा पहनाने के लिए बलपूर्वक अपीलार्थी को प्रकोपित किया था जैसाकि उपरोक्त उपस्थित परिस्थितियों से दर्शित है अपीलार्थी मृतका पर हमला नहीं करता । इसलिए, जैसा अपराध किया गया था, वह बिना किसी पूर्व-चिंतन के और अचानक झगड़ा होने और उक्त झगड़े के परिणामस्वरूप उत्तेजित होने जिसे मृतका और अपीलार्थी की माता द्वारा उसे प्रकोपित किया गया था और अपराधी को बिना किसी असम्यक् फायदा देते हुए या अप्रायिक रीति में किया गया कार्य यह पूर्वोक्त प्रथम और चौथे अपराधों के अंतर्गत आता है ।

43. उपरोक्त बात को ध्यान में रखते हुए हम यह अभिनिर्धारित करते हैं कि अपीलार्थी ने हत्या की कोटि में नहीं आने वाला आपराधिक मानव वध का अपराध किया है अर्थात् दंड संहिता की धारा 304 के अधीन अपराध है ।

44. वर्तमान मामले में अपीलार्थी ने धारदार वस्तु से दाहिने जबड़े पर प्रहार किया था और यह सामान्य व्यक्ति के सामान्य ज्ञान के अंदर आता है कि गर्दन या सिर पर किसी ऐसे बाहरी और धारदार वस्तु से हमला करना जिसे संभवतः मृत्यु कारित हो जाए । इसलिए, अपीलार्थी द्वारा कारित की गई क्षति शारीरिक क्षति है जिससे मृत्यु कारित करने की संभावना थी, इसलिए, हमारा विचारित मत यह है कि अपीलार्थी द्वारा किया गया अपराध दंड संहिता की धारा 304 भाग-I के अंतर्गत आता है जिसके लिए विहित किया गया दंड आजीवन कारावास है या दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी ।

45. अपीलार्थी जो अपनी दोषसिद्धि के समय पर लगभग 30 वर्ष आयु का था, वह पहले ही 8 वर्ष से अधिक कठोर कारावास भोग चुका है इसलिए, मामले के सभी पहलुओं तथा उपस्थित तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए जिसमें अपराध किया गया था, हमारी विचारित राय यह है कि न्याय की पूर्ति के लिए 10 वर्ष के कठोर कारावास के साथ जुर्माना पर्याप्त होगा ।

46. तद्नुसार, दंड संहिता की धारा 302 के अधीन दोषसिद्धि को दंड संहिता की धारा 304 भाग-I के अधीन उपांतरित किया जाता है और अपीलार्थी को जुर्माने के संदाय के बारे में दंड पर हस्तक्षेप किए बिना 10 वर्ष का कठोर कारावास भोगने के लिए दंडादिष्ट किया जाता है ।

47. अपील उपांतरण के साथ भागतः मंजूर की जाती है जैसाकि ऊपर उपदर्शित किया गया है ।

अपील भागतः मंजूर की गई ।

आर्य

अर्जुन राम

बनाम

राजस्थान राज्य

तारीख 31 मई, 2013

न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी और न्यायमूर्ति बनवारी लाल शर्मा

दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) – धारा 300, अपवाद-4 – हत्या की कोटि में न आने वाला आपराधिक मानव वध – जहां अपीलार्थी के कब्जे वाली भूमि पर मृतक को कब्जा करने के आशय से प्रवेश करते हुए देखकर अभियुक्त ने मृतक का ट्रैक्टर से पीछा किया और बरछी से प्रहार किया तथा मृतक को ट्रैक्टर से कुचल दिया, वहां अचानक प्रकोपन से पूर्व-चिंतन बिना उसे मारने के किसी आशय के बिना कार्य करने के कारण अभियुक्त को हत्या की कोटि में न आने वाले आपराधिक मानव वध के अपराध का दोषी ठहराया जाना युक्तिसंगत और न्यायोचित है ।

मामले में प्रथम इत्तिला रिपोर्ट धन्नाराम (मृतक) के बड़े भाई प्रताप राम पुत्र जीना राम के कथन पर रजिस्ट्रीकृत की गई थी । शिकायतकर्ता के कथन के अनुसार उसका छोटा भाई धन्नाराम, जो अलग रहता है, 10 बजे पूर्वाह्न अपने खेत देखने गया था जो गांव के पश्चिमी ओर स्थित हैं । उसी समय, अर्जुन राम, नवल पुत्र अर्जुन राम, बुद्धि पत्नी अर्जुन राम भाला राम पुत्र गोपा राम जाट, सभी चारों धारदार आयुधों – तलवार और बरछी इत्यादि से लैस होकर ट्रैक्टर जिसे अर्जुन राम द्वारा चलाया जा रहा था, पर सवार होकर खेत पहुंचे । यह कथन किया गया कि धन्नाराम का उसी ट्रैक्टर द्वारा सक्रिय रूप से पीछा किया गया और अंततः पीछे की तरफ से टक्कर मारी गई और इसी बीच बरछी से सिर पर क्षति कारित की गई जिसके परिणामस्वरूप वह नीचे गिर गया । इसके पश्चात् ट्रैक्टर से धन्नाराम के शरीर के ऊपर प्रहार किया गया जो दर्द से चीख रहा था जिससे जीना राम, प्रताप राम और चुना राम जो वहां पर काम कर रहे थे, चौकन्ने हो गए । तथापि, अभियुक्त व्यक्ति उसी ट्रैक्टर से घटनास्थल से भाग गए । यह भी कथन किया गया था कि अर्जुन राम और नवल ने धन्नाराम के सिर पर बरछी से प्रहार कारित किए थे जिसके परिणामस्वरूप उसके सिर पर क्षतियां कारित हुई थीं । इसके पश्चात् शिकायतकर्ता और अन्य व्यक्ति धन्नाराम को उपचार के लिए नागौर अस्पताल ले गए जहां

डाक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया । प्रताप राम के उपरोक्त कथन पुलिस थाना, कोतवाली के भारसाधक अधिकारी द्वारा रोजनामचा में अभिलिखित किया गया और इस पर 2003 की प्रथम इत्तिला रिपोर्ट रजिस्ट्रीकृत की गई तथा अन्वेषण प्रारंभ किया गया था । पुलिस ने अन्वेषण के दौरान घटनास्थल का निरीक्षण किया और घटनास्थल का नक्शा तैयार किया तथा घटनास्थल का निरीक्षण ज्ञापन तैयार किया । रक्त-रंजित मिट्टी तथा सादी मिट्टी भी घटनास्थल से कब्जे में ली गई, शव को शव-परीक्षण के लिए भेजा गया था । शवपरीक्षण रिपोर्ट को अभिलेख पर लिया गया था । अभियुक्त अर्जुन राम को गिरफ्तार किया गया । अभियुक्त द्वारा दी गई सूचना के आधार पर ट्रैक्टर 'मेस्सा' जो बिना नंबर का था, पुलिस द्वारा ज्ञापन के माध्यम से कब्जे में लिया गया । ट्रैक्टर का तकनीकी रूप से निरीक्षण किया गया था और रिपोर्ट को अभिलेख पर रखा गया था । मोटर यान अधिनियम की धारा 133 के अधीन ट्रैक्टर के रजिस्टर्ड मालिक को नोटिस जारी किया गया और उसका उत्तर अभिलेख पर रखा गया । मृतक धन्नाराम द्वारा पहने हुए कपड़े पुलिस की ओर से भी कब्जे में लिए गए । साक्षियों के कथन अभिलिखित किए गए थे । रक्त-रंजित मिट्टी, सादी मिट्टी, मृतक से संबंधित धोती, कमीज, जांघियां और बनियान रासायनिक परीक्षा के लिए जोधपुर न्यायालयिक प्रयोगशाला भेजे गए जहां रिपोर्ट प्रदर्श 33 प्राप्त की गई थी । अन्वेषण पूरा करने के पश्चात् विद्वान् मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, नागौर के न्यायालय में तारीख 23 अगस्त, 2003 को दंड संहिता की धारा 302 के अधीन अपराध के लिए अभियुक्त अर्जुन राम के विरुद्ध चालान फाइल किया गया । चूंकि दंड संहिता की धारा 302 के अधीन अपराध अनन्य रूप से सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय था, विद्वान् मजिस्ट्रेट ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 207 के अधीन उपबंधों का अनुपालन करने के पश्चात् मामले को तारीख 9 सितंबर को आदेश पारित करके अपर सेशन न्यायाधीश, नागौर के न्यायालय में सुपुर्द कर दिया । इसके पश्चात् मामले को अपर सेशन न्यायाधीश (त्वरित निपटान न्यायालय), नागौर के न्यायालय को अंतरित कर दिया गया । विचारण न्यायालय ने पक्षकारों को सुनने के पश्चात् तारीख 24 नवंबर, 2003 के आदेश द्वारा दंड संहिता की धारा 302 के अधीन आरोप विरचित किए जिस पर अभियुक्त ने दोषी न होने का अभिवाक् किया और विचारण का सामना करने का दावा किया । दोषसिद्धि के आक्षेपित निर्णय और दंड के आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी ने यह अपील फाइल की है । उच्च न्यायालय द्वारा अपील भागतः मंजूर करते हुए,

अभिनिर्धारित – प्रथम अपवाद के अधीन आपराधिक मानव वध हत्या नहीं है यदि अपराधी उस समय जबकि वह गंभीर और अचानक प्रकोपन से आत्मसंयम की शक्ति से वंचित हो, उस व्यक्ति की जिसने कि वह प्रकोपन दिया था, मृत्यु कारित करे या किसी अन्य व्यक्ति की मृत्यु भूल या दुर्घटनावश कारित करे । इसी तरह चौथे अपवाद के अधीन यदि मानव वध अचानक झगड़ाजनित आवेश की तीव्रता में हुई अचानक लड़ाई में पूर्व -चिंतन बिना और अपराधी द्वारा अनुचित लाभ उठाए बिना या क्रूरतापूर्ण या अप्रायिक रीति से कार्य किए बिना किया गया हो तब मृत्यु हत्या की कोटि में नहीं आती है । आपराधिक मानव वध और हत्या में किसी व्यक्ति को मारना सम्मिलित है । इन दो अपराधों के बीच विभेद विशेष आपराधिक मनःस्थिति की मौजूदगी में है जिसमें चार मानसिक स्थिति सम्मिलित हैं जिनमें किसी की उपस्थिति में लघु अपराध बड़ा हो गया हो । इन चार मानसिक स्थितियों के बारे में दंड संहिता की धारा 300 में कथन किया गया है और आपराधिक मानव वध से हत्या में विभेद किया गया है । दंड संहिता की धारा 304 के अधीन विभिन्न परिस्थितियों पर निर्भर होकर दो प्रकार के दंड विहित किए गए हैं । प्रथमतः, दंड संहिता की धारा 304 का भाग-I के अधीन यदि वह कार्य जिसके द्वारा मृत्यु कारित की गई है, मृत्यु या ऐसी शारीरिक क्षति, जिससे मृत्यु होना संभाव्य है कारित करने के आशय से की जाए तो वह आजीवन कारावास से या दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा । दूसरा, यदि वह कार्य इस ज्ञान के साथ कि उससे मृत्यु कारित करना संभाव्य है किंतु मृत्यु या ऐसी शारीरिक क्षति जिससे मृत्यु कारित करना संभाव्य है, कारित करने के आशय से बिना किया जाए तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों में से दंडित किया जाएगा । अतः, यदि वह कार्य जिसके द्वारा मृत्यु कारित की गई है मृत्यु या ऐसी शारीरिक क्षति जिससे मृत्यु होना संभाव्य है कारित करने के आशय से किया जाए तब अपराधी दंड संहिता की धारा 304 के भाग-I के लिए दायी है जबकि यदि वह कार्य इस ज्ञान के साथ कि उससे मृत्यु कारित करना संभाव्य है किंतु मृत्यु कारित करना आशय के बिना किया जाए तब किसी व्यक्ति द्वारा किया गया ऐसा अपराध दंड संहिता की धारा 304 के भाग-II के अंतर्गत आएगा । अभियुक्त ने अपने कब्जे के कृषि खेत में मृतक को प्रवेश करते हुए देखा । वह उसके पीछे भागा और इस बात पर बिना किसी पूर्व चिंतन के अचानक अभियुक्त ने धन्नाराम पर

प्रहार कर दिया और ट्रैक्टर से उसका पीछा किया तथा बरछी से प्रहार किया और ट्रैक्टर से उस पर प्रहार किया जैसाकि ऊपर उल्लिखित है । क्षतियां कारित की गईं जिसके परिणामस्वरूप धन्नाराम की मृत्यु हो गई । प्रदर्श पी-8 के अनुसार कृषि खेत जिसका खसरा सं. 90 है अभियुक्त अपीलार्थी के कब्जे में था और मृतक धन्नाराम अभियुक्त के कब्जे वाले खेत में प्रविष्ट हुआ था । इस पर अभियुक्त द्वारा ट्रैक्टर से उसका पीछा किया गया और पीछे की ओर से उसके सिर पर बरछी से प्रहार किया तथा ट्रैक्टर से पीछे से उस पर प्रहार किया जिस कारण धन्नाराम नीचे गिर गया । इसके पश्चात् धन्नाराम के अंगों पर ट्रैक्टर से प्रहार किया गया जिसके परिणामस्वरूप उसकी मृत्यु हो गई । इससे यह दर्शित होता है कि धन्नाराम को कृषि खेत में घुसते हुए देखकर जो अभियुक्त के कब्जे में था वह अचानक गंभीर प्रकोपन में आकर उसने अपने आत्मसंयम की शक्ति खो दी और धन्नाराम पर उपरोक्त उल्लिखित रीति में क्षतियां कारित कीं और उसकी मृत्यु बिना किसी पूर्व-चिंतन के हुई थी और उसने कोई अनुचित लाभ नहीं लिया था । इसके अतिरिक्त बरछी द्वारा कारित की गई क्षतियां पीछे की ओर से की गई थीं और उसके अंगों पर ट्रैक्टर चलाया गया था इससे यह भी दर्शित होता है कि अभियुक्त का धन्नाराम की हत्या करने का कोई आशय नहीं था । उपरोक्त विधिक स्थिति से अभियुक्त-अपीलार्थी का कार्य दंड संहिता की धारा 300 के प्रथम और चौथे अपवाद की परिधि के अंतर्गत आता है । इस प्रकार अपीलार्थी-अभियुक्त दंड संहिता की धारा 302 के बजाय धारा 304 के भाग-II के अधीन दंडनीय अपराध के लिए दोषसिद्ध किया जाता है । अभियुक्त-अपीलार्थी को तारीख 31 जुलाई, 2003 को गिरफ्तार किया गया था । उस समय उसकी आयु लगभग 43 वर्ष की थी और वह तब से सलाखों के पीछे है । मामले के संपूर्ण तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए उसे दंड संहिता की धारा 304 भाग-II के अधीन दंडनीय अपराध के लिए 10 वर्ष का कारावास तथा 5,000/- रुपए के जुर्माने का संदाय करने और जुर्माने के संदाय में व्यतिक्रम करने पर उसे 6 मास का कठोर कारावास भोगने का भी दंडादेश दिया गया । अन्वेषण और विचारण के दौरान की अवधि में वह अभिरक्षा में रहा है उसे दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 428 के उपबंधों के अनुसार उसकी मुजराई की जाएगी । यदि अभियुक्त-अपीलार्थी द्वारा जुर्माने की रकम जमा कर दी गई है तो उसे अभि. सा. 6 विजय सिंह पुत्र धन्नाराम (मृतक) को संदाय किया जाए । तद्नुसार अपीलार्थी की अपील भागतः मंजूर की जाती है और अभियुक्त-अपीलार्थी को दंड संहिता की धारा 302 की बजाय धारा 304

भाग-II के अधीन दोषसिद्ध किया जाता है । (पैरा 41, 42, 43, 44, 45 और 46)

निर्दिष्ट निर्णय

		पैरा
[2012]	(2012) 7 एस. सी. सी. 646 : **श्याम लाल घोष** बनाम **पश्चिमी बंगाल राज्य ;**	33
[2006]	(2006) 9 एस. सी. सी. 272 : **जम्मू-कश्मीर राज्य** बनाम **एस. मोहन सिंह और एक अन्य ;**	33
[1999]	(1999) 3 एस. सी. सी. 507 = आर. एल. डब्ल्यू. 1999 (2) एस. सी. 276 : **राजस्थान राज्य** बनाम **तेजाराम ;**	33
[1991]	(1991) 1 एस. सी. सी. 519 : **ब्रेथ** बनाम **पंजाब राज्य ;**	33
[1977]	ए. आई. आर. 1977 एस. सी. 1307 : **प्रताप मिश्रा** बनाम **उड़ीसा राज्य ।**	30

अपीली (दांडिक) अधिकारिता : 2004 की डी. बी. दांडिक अपील सं. 1072.

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 374 के अधीन अपील ।

अपीलार्थी की ओर से श्री डी. के. गौड़

राज्य की ओर से श्री ए. आर. निकुन, लोक अभियोजक

शिकायतकर्ता की ओर से श्री सुनील नरवाहा

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति बनवारी लाल शर्मा ने दिया ।

न्या. शर्मा – यह अपील विद्वान् अपर सेशन न्यायाधीश (त्वरित निपटान न्यायालय), नागपुर द्वारा तारीख 30 सितंबर, 2004 को पारित किए गए निर्णय के विरुद्ध फाइल की गई है जिसके द्वारा अपीलार्थी को दंड संहिता की धारा 302 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए दोषी ठहराया था और उसे आजीवन कारावास भोगने के लिए दंडादिष्ट किया गया और 2000/- रुपए के जुर्माने का संदाय करने तथा जिसके व्यतिक्रम करने पर दो मास की अवधि के लिए कठोर कारावास भोगने का भी दंडादेश दिया ।

2. वर्तमान मामले में प्रथम इत्तिला रिपोर्ट धन्नाराम (मृतक) के बड़े भाई प्रताप राम पुत्र जीना राम के कथन पर रजिस्ट्रीकृत की गई थी । शिकायतकर्ता के कथन के अनुसार उसका छोटा भाई धन्नाराम जो अलग रहता है 10 बजे पूर्वाह्न अपने खेत देखने गया था जो गांव के पश्चिमी ओर स्थित हैं । उसी समय, अर्जुन राम, नवल पुत्र अर्जुन राम, बुद्धि पत्नी अर्जुन राम, भाला राम पुत्र गोपा राम जाट, सभी चारों धारदार आयुधों – तलवार और बरछी इत्यादि से लैस होकर ट्रैक्टर, जिसे अर्जुन राम द्वारा चलाया जा रहा था, पर सवार होकर खेत पहुंचे । यह कथन किया गया कि धन्नाराम का उसी ट्रैक्टर द्वारा सक्रिय रूप से पीछा किया गया और अंततः पीछे की तरफ से टक्कर मारी गई और उसी बीच बरछी से सिर पर क्षति कारित की गई जिसके परिणामस्वरूप वह नीचे गिर गया । इसके पश्चात् ट्रैक्टर से धन्नाराम के शरीर के ऊपर प्रहार किया गया जो दर्द से चीख रहा था जिससे जीना राम, प्रताप राम और चुना राम जो वहां पर काम कर रहे थे, चौकन्ने हो गए । तथापि, अभियुक्त व्यक्ति उसी ट्रैक्टर से घटनास्थल से भाग गए । यह भी कथन किया गया था कि अर्जुन राम और नवल ने धन्नाराम के सिर पर बरछी से प्रहार कारित किए थे जिसके परिणामस्वरूप उसके सिर पर क्षतियां कारित हुई थीं । इसके पश्चात् शिकायतकर्ता और अन्य व्यक्ति धन्नाराम को उपचार के लिए नागौर अस्पताल ले गए जहां डाक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया । प्रताप राम के उपरोक्त कथन पुलिस थाना, कोतवाली के भारसाधक अधिकारी द्वारा रोजनामचा प्रदर्श पी-21 में अभिलिखित किया गया और इस पर 2003 की प्रथम इत्तिला रिपोर्ट सं. 223 रजिस्ट्रीकृत की गई तथा अन्वेषण प्रारंभ किया गया था ।

3. पुलिस ने अन्वेषण के दौरान घटनास्थल का निरीक्षण किया और घटनास्थल का नक्शा प्रदर्श पी-22 तैयार किया तथा घटनास्थल निरीक्षण ज्ञापन प्रदर्श पी-26 तैयार किया । रक्त-रंजित मिट्टी तथा सादी मिट्टी भी घटनास्थल से कब्जे में ली गई, देखिए ज्ञापन प्रदर्श पी 23 । शव को शव-परीक्षण के लिए भेजा गया था । शव-परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी-24 को अभिलेख पर लिया गया था । अभियुक्त अर्जुन राम को गिरफ्तार किया गया । अभियुक्त द्वारा दी गई सूचना (प्रदर्श पी-28) के आधार पर ट्रैक्टर 'मेस्सा' जो बिना नंबर का था, पुलिस द्वारा ज्ञापन प्रदर्श पी-29 के माध्यम से कब्जे में लिया गया था । ट्रैक्टर की तकनीकी रूप से निरीक्षण किया गया और रिपोर्ट प्रदर्श पी-31 है, उसे अभिलेख पर रखा गया । मोटर यान अधिनियम की धारा 133 के अधीन ट्रैक्टर के रजिस्टर्ड मालिक को नोटिस

14--355 मिनि ऑफ एल. एण्ड जे./2014

जारी किया गया और उसका उत्तर प्रदर्श पी-32 अभिलेख पर रखा गया। मृतक धन्नाराम द्वारा पहने हुए कपड़े पुलिस की ओर से भी कब्जे में लिए गए थे। साक्षियों के कथन अभिलिखित किए गए थे। रक्त-रंजित मिट्टी, सादी मिट्टी, मृतक से संबंधित धोती, कमीज, जांघियां और बनियान रासायनिक परीक्षा के लिए जोधपुर न्यायालयिक प्रयोगशाला भेजे गए जहां रिपोर्ट प्रदर्श-33 प्राप्त की गई थी। अन्वेषण पूरा करने के पश्चात् विद्वान् मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, नागौर के न्यायालय में तारीख 23 अगस्त, 2003 को दंड संहिता की धारा 302 के अधीन अपराध के लिए अभियुक्त अर्जुन राम के विरुद्ध चालान फाइल किया गया था।

4. चूंकि दंड संहिता की धारा 302 के अधीन अपराध अनन्य रूप से सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय था, विद्वान् मजिस्ट्रेट ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 207 के अधीन प्रकट उपबंधों का अनुपालन करने के पश्चात् मामले को तारीख 9 सितंबर को आदेश पारित करके अपर सेशन न्यायाधीश, नागौर के न्यायालय में सुपुर्द कर दिया गया। इसके पश्चात् मामले को अपर सेशन न्यायाधीश (त्वरित निपटान न्यायालय), नागौर (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'विचारण न्यायालय' कहा गया है) के न्यायालय को अंतरित कर दिया गया।

5. विचारण न्यायालय ने पक्षकारों को सुनने के पश्चात् तारीख 24 नवंबर, 2003 के आदेश द्वारा दंड संहिता की धारा 302 के अधीन आरोप विरचित किए जिस पर अभियुक्त ने दोषी न होने का अभिवाक् किया और विचारण किए जाने का दावा किया।

6. अपने पक्षकथन के समर्थन में अभियोजन पक्ष ने कुल मिलाकर 22 साक्षियों की परीक्षा की जिसमें उसने अभियोजन साक्षियों द्वारा अपने विरुद्ध लगाए गए अभिकथनों तथा अभियोजन पक्ष द्वारा पेश किए गए अपराध में फंसाने वाले साक्ष्य से इनकार किया और यह कथन किया कि उसे कृषि खेत के बारे में शत्रुतावश मिथ्या रूप से फंसाया गया है। प्रतिरक्षा में उसने तीन साक्षी यानि प्रतिरक्षा साक्षी 1 किशन नारायण, रकावत, प्रतिरक्षा साक्षी 2 जीवन राम और प्रतिरक्षा साक्षी 3 पोकर राम की परीक्षा की। विचारण न्यायालय ने सुनवाई करने के पश्चात् तारीख 30 सितंबर, 2004 को आक्षेपित निर्णय द्वारा अभियुक्त-अपीलार्थी को दोषसिद्ध करके पूर्वोक्त रूप में दंडादिष्ट कर दिया।

7. दोषसिद्धि के आक्षेपित निर्णय और दंड के आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी ने यह अपील फाइल की है।

8. अभियुक्त-अपीलार्थी की ओर से हाजिर होकर विद्वान् काउंसेल ने यह कथन किया कि अभियोजन का यह मामला है कि अपीलार्थी अर्जुन राम ने ट्रैक्टर से मृतक पर प्रहार किया, जिस पर वह नीचे गिर गया और अभियुक्त ने 3 या 4 बार उसके शरीर पर ट्रैक्टर चला दिया । उसने यह निवेदन किया है कि मृतक के शरीर पर कोई कुचली हुई क्षति नहीं थी । इतना ही नहीं मृतक के शरीर पर ट्रैक्टर टायर के कोई चिह्न नहीं पाए गए थे । ट्रैक्टर के टायरों पर कोई रक्त के धब्बे नहीं पाए गए थे । इससे न केवल यह स्पष्ट दर्शित होता है कि अभियोजन पक्ष द्वारा अपीलार्थी के विरुद्ध षड्यंत्र करके कोई मिथ्या मामला बनाया गया था परंतु इस कहानी के बारे में युक्तियुक्त संदेह भी प्रकट हुआ है जैसाकि अभिकथित प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों द्वारा वृत्तांत दिया गया है । उसने यह भी निवेदन किया है कि अभियोजन पक्ष ने घटना के स्थान को भी बदल दिया । अभियोजन पक्षकथन के अनुसार धन्नाराम के खेत में घटना घटी जबकि शव "अंगौर" पर पाया गया था जो सार्वजनिक स्थान है । उसने यह भी निवेदन किया है कि अभियोजन पक्षकथन के अनुसार घटना 10 बजे पूर्वाह्न घटी थी । उसने यह भी निवेदन किया है कि अभियोजन मामले के अनुसार घटना 10 बजे पूर्वाह्न घटी और उस समय सभी अभियोजन साक्षी और मृतक खेत में मौजूद थे । वर्तमान मामले में, अभियोजन पक्ष द्वारा किसी स्वतंत्र साक्षी की परीक्षा नहीं की गई जबकि यह दिन का समय था जब अन्य व्यक्ति अर्थात् स्वतंत्र साक्षी या खेत के पास रहने वाले पड़ोसी घटनास्थल पर भी मौजूद होने चाहिए । अतः अभियोजन पक्ष के विरुद्ध प्रतिकूल निष्कर्ष निकाला जाना चाहिए और अभिकथित प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों का आचरण भी संदेहपूर्ण है । इससे घटनास्थल पर उनकी मौजूदगी के बारे में युक्तियुक्त संदेह उत्पन्न होता है । अभियोजन पक्ष के अनुसार, अपीलार्थी तीन अन्य व्यक्तियों के साथ ट्रैक्टर से पहुंचे । उसी बीच में साक्षी मूकदर्शक के रूप में खड़े थे परंतु मृतक को बचाने के लिए कोई व्यक्ति आगे नहीं आया । इसके बावजूद भी सभी उसके निकट के नातेदार थे । अभियोजन साक्षियों के अनुसार, बाला राम ने धन्नाराम के सिर पर बरछी से प्रहार किया परंतु न तो पुलिस ने अपने अन्वेषण में और न विचारण न्यायालय ने अभियुक्त बाला राम को दोषी पाया था । इससे स्पष्टतया यह दर्शित होता है कि अपीलार्थी के विरुद्ध मिथ्या अपराध की कहानी गढ़ी गई थी और प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों के कथनों का किसी तरह अवलंब नहीं लिया जा सकता है । उसने यह भी निवेदन किया है कि प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों के कथनों में कई तात्विक विभेद हैं । अभियोजन पक्षकथन की चिकित्सा साक्ष्य से संपुष्टि

नहीं होती है । डा. राम विलास चौधरी (अभि. सा. 14) ने अपने कथन में विनिर्दिष्ट रूप से यह कहा है कि यदि भारी वाहन मृतक के शरीर के ऊपर चढ़ाई गई तब निश्चित तौर पर वहां पर टायर के चिह्नों की छाप होनी चाहिए । डा. चौधरी ने यह भी स्वीकार किया है कि उन्होंने मृतक के शरीर पर ऐसा कोई चिह्न नहीं पाया । मृतक को सिर की क्षति कायम हुई थी परंतु यदि समय के अंतर्गत चिकित्सा सहायता पहुंचाई जाती तो उसे बचाया जा सकता था ।

9. अपीलार्थी के विद्वान् काउंसेल ने यह भी कथन किया है कि अभिकथित कृषि खेत अपीलार्थी-अभियुक्त के कब्जे में था और सिविल न्यायालय द्वारा उसके पक्ष में व्यादेश आदेश किया था और अपीलार्थी के कृषि खेत में मृतक की मौजूदगी से यह दर्शित होता है कि वह आक्रामक था । ऐसी परिस्थितियों में मामला दंड संहिता की धारा 304 के परे नहीं है । अपराधों का कोई आयुध बरामद नहीं हुआ था, इस तरह अनुकल्पतः उसने यह निवेदन किया है कि अधिक से अधिक अपीलार्थी-अभियुक्त को दंड संहिता की धारा 304 के अधीन दोषसिद्ध किया जा सकता है और वह 31 जुलाई, 2003 अर्थात् लगभग पिछले दस वर्ष से अभिरक्षा में है, इस प्रकार दंड, पहले भोगे गए दंड से कम किया जा सकता है । अंत में विद्वान् काउंसेल ने यह दलील दी है कि अपील मंजूर की जा सकती है और अपीलार्थी-अभियुक्त को अभिकथित आरोप से दोषमुक्त किया जा सकता है ।

10. इसके विपरीत, विद्वान् लोक अभियोजक और शिकायतकर्ता के विद्वान् काउंसेल ने दोषसिद्धि के आक्षेपित निर्णय और दंड के आदेश का समर्थन किया है । यह निवेदन किया है कि मृतक से संबंधित कृषि खेत पर घटना घटित हुई थी और घटना के समय पर जीनाग राम, प्रताप राम और छुन्ना राम जो कृषि खेत में घास काट रहे थे, ने घटना देखी । इसके पश्चात् दिना राम द्वारा अन्य साक्षियों को बुलाया गया था । उन्होंने घटना भी देखी थी । उन्होंने यह भी कथन किया है कि घटना का स्थान कृषि खेत था, इस तरह मृतक के शरीर पर टायर के चिह्न पाए नहीं जा सके । उन्होंने यह भी निवेदन किया है कि ट्रैक्टर अगले दिन अभिगृहीत किया गया था और शव-परीक्षण रिपोर्ट से यह प्रकट हुआ है कि मृतक के ऊपरी और निचली अंगों का अस्थिभंग हुआ था जिससे यह दर्शित हुआ है कि मृतक के अंगों पर ट्रैक्टर से प्रहार किया गया था । उन्होंने यह निवेदन किया है कि यह संभव नहीं था कि मृतक के खेत में जहां घटना घटी, यदि कोई स्वतंत्र साक्षी मौजूद होगा । उन्होंने यह भी निवेदन किया है कि

मात्र इस कारण से कि साक्षी मृतक के निकट के नातेदार हैं, उन पर अविश्वास नहीं किया जा सकता है ।

11. क्रमशः काउंसेल द्वारा दिए गए विवाद्यकों का विनिश्चय करने के लिए अभिलेख पर साक्ष्य की संक्षिप्त रूपरेखा जैसाकि अभियोजन पक्ष द्वारा दी गई है, प्रासंगिक हो सकती है ।

12. घटना के समय पर प्रथम इत्तिला रिपोर्ट के अनुसार विजय सिंह **उर्फ** चुना राम (अभि. सा. 6), प्रताप राम (अभि. सा. 11) और जीना राम खेत पर निराई कर रहे थे जिसे मृतक धन्नाराम का होना कहा गया है और घटना का स्थान अर्थात् अंगौर के नजदीक था । इन तीनों में से अभियोजन पक्ष ने केवल विजय सिंह (अभि. सा. 6) **उर्फ** चुना राम, प्रताप राम (अभि. सा. 11) की परीक्षा कराई और जहां जीना राम की परीक्षा नहीं कराई गई थी ।

13. इससे अलग अभियोजन पक्षकथन के अनुसार, घटना के समय पर संतोष (अभि. सा. 13) कृषि खेत पर धन्नाराम के पीछे थे । दिना राम (अभि. सा. 21) बालक जिसकी आयु लगभग 12-13 वर्ष थी, अंगौर पर पशुओं के झुंड को चरा रहा था जहां दुर्घटना घटी । उसने यह भी दावा किया है कि उसने घटना देखी । इन चार साक्षियों से अलग श्रीमती राजू (अभि. सा. 3), विमला (अभि. सा. 4), आई दन राम (अभि. सा. 5), सुख राम (अभि. सा. 7), दाउला राम (अभि. सा. 9) और श्रीमती परमा (अभि. सा. 10) की अभियोजन पक्ष द्वारा प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों के रूप में भी परीक्षा कराई थी । यद्यपि वे घटना के स्थान पर प्रारंभ में मौजूद नहीं थे परंतु दिना राम द्वारा सूचना देने के पश्चात् वहां पहुंचे । तब उन्होंने अभियुक्त को ट्रैक्टर पर फरार होते हुए देखा ।

14. विजय सिंह (अभि. सा. 6) और प्रताप राम (अभि. सा. 11) दोनों ने यह कथन किया है कि वे धन्नाराम के कृषि खेत में जीना के साथ निराई कर रहे थे । लगभग 10.00-10.30 बजे पूर्वाह्न जब धन्नाराम और श्रीमती संतोष पत्नी विजय सिंह कृषि खेत देखने के पश्चात् आ रहे थे तब अर्जुन राम, बाला राम, नवल और बुद्धि ट्रैक्टर पर दक्षिण की ओर से आए जिसे अर्जुन राम द्वारा चलाया जा रहा था जब धन्नाराम अपने खेत से लगभग 100 पाउंडा की दूरी पर था । अर्जुन राम ने ट्रैक्टर से पीछा किया और उस पर प्रहार किया जिसके परिणामस्वरूप यह जमीन पर गिर गया । इसके पश्चात्, अर्जुन राम ने पीछे की ओर से बरछी से प्रहार किया था । जब धन्नाराम नीचे गिर गया तब भाला राम ने धन्नाराम के बाईं भुजा पर

तलवार से क्षति कारित की और नवल ने दाहिने हाथ और बाएं पैर पर बरछी के पिछली ओर से क्षतियां कारित की जब वे हस्तक्षेप करने के लिए दौड़े अभियुक्त अर्जुन राम ने ट्रैक्टर चला कर धन्नाराम को कुचल दिया जब उन्होंने अभियुक्त व्यक्तियों को रोकने की कोशिश की उन्होंने यह चेतावनी दी कि यदि वे निकट पहुंचेंगे तो उनकी हत्या कर दी जाएगी। फिर भी उन्होंने विरोध करने की कोशिश की परंतु अर्जुन राम ने अपने ट्रैक्टर से उनका पीछा किया और इसलिए वे भाग गए। इसके पश्चात्, अभियुक्त-व्यक्ति दक्षिण की और ट्रैक्टर से भाग गए। उस समय दीना राम के बुलाने पर डोला राम, प्रताप राम, राजू, विमला और आई दन राम भी वहां पहुंचे। यह भी कथन किया गया है कि विजय सिंह (अभि. सा. 6) ने उन्हें बुलाने के लिए दीना राम को भेजा।

15. दीना राम (अभि. सा. 21) ने अभि. सा. 6 और अभि. सा. 11 के कथनों का भी समर्थन किया है और यह कथन किया कि वह लगभग 10 बजे पूर्वाह्न से 10.30 बजे तक पूर्वाह्न गांव के दक्षिणी ओर पशुओं के झुंड को चरा रहा था। धन्नाराम अपने कृषि खेत से श्रीमती संतोष, प्रताप राम, जीना राम और छुन्ना राम के साथ अपने घर वापस आ रहा था जो अपने-अपने कृषि खेत पर निराई भी कर रहे थे। कृषि खेत के नजदीक कोई व्यक्ति नहीं था जब धन्नाराम अपने कृषि खेत से लगभग 100 पाउंडा की दूरी पर था तब दक्षिण की ओर से अर्जुन राम, बाला राम, नवल और बुद्धि ट्रैक्टर पर पहुंचे जिसे अर्जुन राम द्वारा चलाया जा रहा था और धन्नाराम को क्षति पहुंचाने की कोशिश की जब छुन्ना राम ने दौड़ना आरंभ किया तब अर्जुन राम ने ट्रैक्टर से पीछा किया और धन्नाराम के सिर पर पीछे की ओर से फरसे से प्रहार किया। छुन्ना राम, प्रताप राम और जीना राम भी वहां पर पहुंचे। उसने यह भी कथन किया है कि उससे घर पहुंचने के लिए कहा गया था, वह चिल्लाया "धन्ना बाबा को मारे रे मारे, धन्ना बाबा को मारे रे मारे रे" ऐसा सुनकर डोला राम, बीराम, राजू और आई दन राम घटनास्थल पर पहुंचे। सुखदेव भी ट्रैक्टर से वहां पहुंचा। जब वे घटना के स्थान पर पहुंचे, अभियुक्त भाग गया और धन्नाराम को क्षतियां पहुंची थीं और एक स्थान पर ट्रैक्टर के चार चक्कर के चिह्न थे और स्थान के बीच पर टैक्ट्रर ने एक चक्कर लगाया था। इसके पश्चात्, जीप बुलाई गई थी और धन्नाराम को नागौर पर अस्पताल में भेजा गया था जहां धन्नाराम की मृत्यु हो गई।

16. श्रीमती राजू (अभि. सा. 3), बिमला (अभि. सा. 4), आई राम (अभि. सा. 5), सुख राम (अभि. सा. 7), दुला राम (अभि. सा. 9) और

श्रीमती परमा (अभि. सा. 10) ने अपने-अपने कथनों में यह कहा है कि दीना राम गांव छत्रा माजरा पहुंचा और यह बताया कि अर्जुन राम, बाला राम, नवल राम और बुद्धि पत्नी अर्जुन राम द्वारा मृतक धन्ना के कृषि खेत के नजदीक स्थित अंगौर पर धन्नाराम की हत्या कर दी है । इन बातों को सुनकर वे दीना राम के साथ घटनास्थल की ओर गए और देखा कि ट्रैक्टर दक्षिण की ओर बासवानी की तरफ जा रहा था और जिसे अर्जुन राम द्वारा चलाया जा रहा था । उन्होंने यह भी कथन किया है कि वहां पर ट्रैक्टर टायरों के चिह्न थे । घटना के स्थान पर रक्त देखा गया था और धन्नाराम के शरीर पर क्षतियां थीं जिसे जीप से अस्पताल नागौर पर भेजा गया था । उन्होंने यह भी कथन किया है कि दोनों पक्षकारों के बीच कृषि खेत के संबंध में 7-8 वर्षों से शत्रुता थीं । पूर्व में भी जब धन्नाराम मोटरसाइकिल से जा रहा था तब अर्जुन राम द्वारा ट्रैक्टर से उस पर टक्कर मारी गई थी । उन्होंने यह भी कथन किया है कि जीना राम, प्रताप राम, छुन्ना राम और संतोष भी वहां पर थे ।

17. रजाब अली (अभि. सा. 2) को यद्यपि पक्षद्रोही घोषित किया परंतु यह कथन किया है कि उसके स्वामित्व में जीप थी । दो व्यक्ति उसके पास आए और कहा कि रोगी को अस्पताल नाहौर में भेजा जाना है । उनके अनुरोध पर वह छतरा मांजरा पर स्थित अंगौर गया जहां एक व्यक्ति क्षतिग्रस्त दशा में पड़ा हुआ था और पुरुष और महिलाएं भी वहां पर थीं । क्षतिग्रस्त व्यक्ति को जीप द्वारा नागौर अस्पताल भेजा गया था ।

18. विद्या प्रकाश (अभि. सा. 22) थाना भारसाधक अधिकारी, पुलिस थाना, कोतवाली, नागौर जिन्होंने मामले का अन्वेषण किया था, यह कथन किया है कि तारीख 30 जुलाई, 2003 को 1.15 बजे अपराह्न प्रताप राम जाट ने मौखिक रिपोर्ट दर्ज की जिसे रिपोर्ट सं. 1398 (प्रदर्श पी-21) पर रोजनामचा में प्रविष्ट किया गया था । उसने यह भी कथन किया है कि उसने मामले में अन्वेषण किया था और अन्वेषण के दौरान उसने ज़रूरी कार्य करने के लिए सरकारी अस्पताल, नागौर पर सहायक उप-निरीक्षक राम करन को भेजा था । वह स्वयं गांव छत्रा माजरा पर घटना के स्थान पर गया और घटना के स्थान का निरीक्षण किया और निरीक्षण ज्ञापन प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 22 कच्चा घटनास्थल का नक्शा (प्रदर्श पी-26) तैयार किया । सादी मिट्टी और रक्त-रंजित मिट्टी मुखबिरों की उपस्थति में कब्ज़े में भी ली गई थी । शव-परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी-24 चाही गई और उसे अभिलेख पर रखा गया; अभियुक्त अर्जुन राम को गिरफ्तार किया गया था । उसने सूचना दी जिसे प्रदर्श पी-28 में लिखा गया था जिसके अनुसरण में मेस्सी

ट्रैक्टर जिसका रजिस्ट्रेशन संख्या नहीं है, अभियुक्त अर्जुन राम से संबंधित नलकूप से ज्ञापन प्रदर्श पी-29 के माध्यम से अभिगृहीत किया गया था। बरामदगी के स्थान का कच्चा स्थल नक्शा प्रदर्श पी-30 के रूप में भी तैयार किया गया था। ट्रैक्टर की एम. टी. ओ. द्वारा तकनीकी रूप से परीक्षा की गई थी, देखिए रिपोर्ट प्रदर्श पी-31, मोटर यान अधिनियम की धारा 133 के अधीन नोटिस जारी किया गया था। न्यायालयिक प्रयोगशाला रिपोर्ट प्रदर्श पी-33 भी प्राप्त किया गया था। इसके पश्चात्, आगे अन्वेषण के लिए अपर पुलिस अधीक्षक, नागौर को फाइल भेजी गई थी।

19. मदन लाल (अभि. सा. 1) मालखाना भारसाधक ने यह कथन किया है कि तारीख 30 जुलाई, 2003 को सहायक उप-निरीक्षक राम करन ने मृतक के पहने कपड़े का एक पैकट जमा किया जिसे "ग" के रूप में चिह्नित किया गया। रक्त-रंजित मिट्टी और सादी मिट्टी के दो पैकटों को "ए" और "बी" से चिह्नित किया गया है, ट्रैक्टर मेस्सा फारगनस जो बिना संख्या का है, भारसाधक अधिकारी विद्या प्रकाश द्वारा जमा किया गया था जिसकी मालखाना रजिस्टर में प्रदर्श पी-1क के रूप में प्रविष्टि की गई थी। उसने यह भी कथन किया है कि उसने न्यायालयिक प्रयोगशाला, जोधपुर में पैकेट क, ख, ग को भेजने के लिए कांस्टेबल चेन्ना राम को जमा करने के लिए सौंपा गया था जिसे न्यायालयिक प्रयोगशाला जोधपुर में उन्हें जमा करने के पश्चात् रसीद सौंपी गई थी। उसने यह भी कथन किया है कि इन पैकेटों की परीक्षा करने के पश्चात् 1 सितंबर, 2003 को रिपोर्ट वापस की गई थी जिसे न्यायालय में पेश करने के लिए एल. सी. महावीन सिंह को सौंपा था।

20. चन्द्रगुप्त (अभि. सा. 8) कांस्टेबल ने यह कथन किया है कि 4 अगस्त, 2003 को जब वह पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर अपराध शाखा में तैनात था, उस दिन कांस्टेबल चेन्ना राम मुहरबंद पैकेटों क, ख, और ग के साथ उसके पास आया जिसपर उसने न्यायालयिक प्रयोगशाला, जोधपुर पर उन्हें जमा करने के लिए अग्रेषित पत्र प्रदर्श पी-7 तैयार किया और सभी मुहरबंद पैकेट चेन्ना राम को सौंपे गए जिसने बदले में रसीद प्रदर्श पी-8 पेश की।

21. चेन्ना राम (अभि. सा. 12) ने यह भी कथन किया है कि तारीख 14 अगस्त, 2009 को हेड कांस्टेबल मदन लाल से अग्रेषित पत्र के साथ तीन मुहरबंद पाकेट क, ख, और ग प्राप्त किए गए थे। इन्हें प्राप्त करने

के पश्चात् वह पुलिस अधीक्षक, नागौर के कार्यालय पर गया और वहां से अग्रेषित पत्र प्रदर्श पी-7 प्राप्त किया और रसीद प्रदर्श पी-8 के विरुद्ध न्यायालयिक प्रयोगशाला जोधपुर में मुहरबंद पैकेटों को जमा किया ।

22. मनी राम (अभि. सा. 19) और राम कुमार (अभि. सा. 20) दोनों पक्षद्रोही हो गए और अभियोजन पक्षकथन का समर्थन नहीं किया ।

23. गेना राम (अभि. सा. 15), राम करन (अभि. सा. 16) और जगदेव (अभि. सा. 17) ने यह कथन किया है कि पुलिस ने उनके समक्ष शव-निरीक्षण ज्ञापन प्रदर्श पी-3 तैयार किया और मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट प्रदर्श पी-4 भी तैयार किया तथा मृतक के पहने कपड़े अभिगृहीत किए गए थे और धन्नाराम के शव का शव-परीक्षण करने के पश्चात् रसीद प्रदर्श पी-5 के माध्यम से उसके पुत्र को सौंपा गया था ।

24. डा. राम विलास चौधरी (अभि. सा. 14) चिकित्सा विधिवेत्ता ने अपने कथन में यह कहा है कि तारीख 30 जुलाई, 2003 को उसने मृतक धन्नाराम के शव का 4.30 बजे शव-परीक्षण किया और यह कथन किया कि धन्नाराम की 4-6 घंटे पूर्व मृत्यु हुई और मृतक के शरीर पर निम्नलिखित मृत्युपूर्व क्षतियां पाई गईं :–

"(i) शिरोवल्क के पश्चकपाल क्षेत्र पर स्थित विदीर्ण घाव 1-1/2 इंच x 1/2 इंच x अस्थि की गहराई तक, तिर्यक पड़ा हुआ पश्चकपाल अस्थि का अस्थिभंग । मस्तिष्क के अंदर के घाव से रक्त निकल रहा था ।

(ii) दाहिने भुजा पार्श्विक के ऊपरी भाग के ऊपर चारों ओर 1 इंच x 1 इंच घिसा हुआ गुमटा ।

(iii) दाहिने भुजा पार्श्विक के निचले भाग के ऊपर विदीर्ण घाव 1/2 इंच x 1/4 इंच x त्वचा की गहराई तक ।

(iv) दाहिने प्रबाहु, कलाई और दाहिने हाथ के संपूर्ण भाग पर कई घिसे हुए गुमटे । दाहिने हाथ का बंद अस्थिभंग ।

(v) बाएं भुजा के निचले भाग के ऊपर विरूपता के साथ वेधन घाव । प्रगण्डिकाअस्थि के नीचे 1/3 भाग का अस्थिभंग ।

(vi) बाईं कोहनी पार्श्विक के ऊपर 1 इंच x 1/2 इंच का घिसा हुआ गुमटा ।

(vii) दाहिने जांघ के पूर्ववर्ती भाग के मध्य के ऊपर 1 इंच x

1/2 इंच की खरोंच ।

(viii) बाएं घुटने के पूर्ववर्ती भाग के ऊपर 1/2 इंच x 1/2 इंच की खरोंच ।

(ix) दाहिने पैर के पूर्ववर्ती भाग के ऊपर कई सतही गुमटें ।

(x) बाएं घुटने के थोड़ा नीचे 1 इंच x 1/8 इंच की खरोंच ।

(xi) बाएं पैर के 1/3 भाग के ऊपर विदीर्ण घाव 2 इंच x 3/4 इंच x अस्थि की गहराई तक । अंतर्जंघिका अस्थि का संयोजित अस्थिभंग । अस्थि बाहर को निकली हुई ।

(xii) बाएं लेट (एल. ई. टी.) के पूर्ववर्ती निचले भाग के ऊपर 1-1/4 इंच x 1/2 इंच की खरोंच ।

(xiii) बाईं कलाई के ऊपर 2 इंच x 1 इंच का घिसा हुआ गुमटा ।

(xiv) बाएं पांव के ऊपर सूजन होना, सभी प्रकार परिभाषित ।

(xv) दाहिने जांघ के ऊपरी भाग पर 1-1/2 इंच x 1/2 इंच का गुमटा ।

उन्होंने यह राय दी है कि धन्नाराम की मृत्यु का कारण सिर की क्षति और मस्तिष्क से रक्तस्राव था और सिर की क्षति प्रकृति के साधारण अनुक्रम में मृत्यु कारित किए जाने के लिए पर्याप्त थी । उसने शव-परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी-24 साबित की । अभि. सा. 14 के कथनों से मृतक धन्नाराम की मृत्यु मानववध हुई थी ।"

25. विजय सिंह (अभि. सा. 6) और प्रताप राम (अभि. सा. 11) के कथनों के अनुसार जो घटना के स्थान के नजदीक कार्य कर रहे थे, श्रीमती संतोष (अभि. सा. 13) मृतक धन्नाराम के पीछे से आ रही थी और दीना राम (अभि. सा. 21) जो अपने पशुओं के झुंड को चरा रहा था, उन्होंने घटना देखी और उनकी उपस्थिति नैसर्गिक थी । इसके पश्चात् दीना राम (अभि. सा. 21) की आवाज सुनने के पश्चात् श्रीमती राजू (अभि. सा. 3), विमला (अभि. सा. 4), आई दन राम (अभि. सा. 5), सुख राम (अभि. सा. 7), दाऊल राम (अभि. सा. 9) और श्रीमती परमा (अभि. सा. 10) वहां पर पहुंचे । उन्होंने अभियुक्त को ट्रैक्टर पर फरार होते हुए देखा और धन्नाराम के शरीर पर क्षतियां देखीं । उपरोक्त साक्षियों के कथनों से यह स्पष्ट है कि धन्नाराम के शरीर पर पाई गई क्षतियां

अभियुक्त अर्जुन राम द्वारा कारित की गई थीं ।

26. शवपरीक्षा रिपोर्ट प्रदर्श पी-3 से यह भी दर्शित है कि मृतक धन्नाराम के शव पर क्षतियां थीं । शव-परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी-24 के अनुसार मृतक के शरीर पर 15 क्षतियां थीं जैसाकि ऊपर उल्लेख किया गया है और वे विदीर्ण घावों, गुमटों और खरोंच के रूप में थीं और प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों के अनुसार ये क्षतियां ट्रैक्टर द्वारा कारित की गई थीं जो धन्नाराम के शरीर पर प्रहार के रूप में थे । इस प्रकार, यह भी साबित किया गया है कि क्षतियां अपीलार्थी-अभियुक्त अर्जुन राम द्वारा कारित की गई थीं ।

27. यद्यपि, विद्वान् प्रतिरक्षा काउंसेल ने यह दलील दी है कि मृतक के शव पर कोई कुचली हुई क्षति नहीं है और इसके अभाव में यह नहीं कहा जा सकता है कि अपीलार्थी-अभियुक्त ने मृतक के शरीर पर ट्रैक्टर से प्रहार किया था और इस प्रकार, तथाकथित, प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों के कथनों को चिकित्सा साक्ष्य से समर्थन नहीं मिला है ।

28. यह कहना पर्याप्त है कि अंगौर अर्थात् घटना का स्थान खेतों के नजदीक स्थित है, यह रेतीला क्षेत्र है, ऐसी जमीनों पर यदि कोई गाड़ी मानव शरीर के ऊपर चलाई जाती है तो ऐसी रीति में कुचला जाना आवश्यक नहीं है, जैसाकि कठोर चट्टान की सतह पर किया जाता है । यह कहा गया है कि भारी गाड़ी के टायरों की छाप रेतीली सतह पर पड़े हुए शरीर पर स्पष्ट छाप नहीं हो सकती । शव-परीक्षण रिपोर्ट में यह कहा गया है कि शव पर विदीर्ण घाव, गुमटे तथा खरोंच है जिनकी कुचली हुई क्षतियों के प्रवर्ग के अंतर्गत गणना भी की जाती है । इसके अतिरिक्त, मोटर यान द्वारा कारित की गई क्षतियां यान के रफ्तार, प्रहार करने की स्थिति पर निर्भर करता है, स्थान जहां क्षतिग्रस्त व्यक्ति गिर जाता है और सतह जिस पर घटना घटती है और यान का भाग जिससे उस पर प्रहार किया गया । यह भी सही है कि चिकित्सा विधिवेत्ता द्वारा शव-परीक्षण रिपोर्ट में मृतक के शव पर कोई मिट्टी लगने की बात नहीं कही है । क्योंकि चिकित्सा विधिवेत्ता ने केवल क्षतियों को महत्व दिया है और इस बात का वर्जन नहीं किया जा सकता है कि उन्होंने इस तथ्य का उल्लेख करना आवश्यक नहीं पाया हो क्योंकि यह चिकित्सा विधिवेत्ता से संबंधित नहीं है । इस प्रकार, मृतक के शव या पहने कपड़ों पर मिट्टी होने का उल्लेख नहीं किया जाने का कोई परिणाम नहीं है, खासतौर पर जब कई साक्षियों ने यह अभिसाक्ष्य दिया है कि अभियुक्त ने क्षतियां कारित कीं ।

मृतक के शरीर पर पाई गई क्षतियां ऊपरी और निचले अंगों पर थीं, वेधित अस्थिभंग से यह दर्शित होता है कि ये क्षतियां ट्रैक्टर के टायरों द्वारा कारित की गई थीं जो मृतक के अंगों के ऊपर प्रहार था ।

29. जहां तक सिर की क्षतियों का संबंध है, सभी साक्षियों ने स्पष्ट रूप से यह कथन किया है कि अभियुक्त द्वारा बरछी से कारित की गई थीं । यह सही है कि बरछी बरामद नहीं की गई परंतु बरछी की मात्र बरामदगी न होना प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों को झुठलाती नहीं है । इन साक्षियों ने यह भी अभिसाक्ष्य दिया है कि अर्जुन राम को देखने के पश्चात् धन्नाराम ने दौड़ना प्रारंभ कर दिया और अभियुक्त ने ट्रैक्टर से उसका पीछा किया और पीछे से प्रहार किया जिसके परिणामस्वरूप धन्नाराम नीचे गिर गया । यह प्रतीत होता है कि पीछे से प्रहार करने पर धन्नाराम ट्रैक्टर के सामने नीचे गिर गया, परिणामस्वरूप बरछी के प्रहार से उसके सिर पर क्षति पहुंची ।

30. इसके अतिरिक्त चिकित्सा साक्षी जिसे न्यायालय की मदद करने के लिए विशेषज्ञ के रूप में बुलाया गया था, तथ्य का साक्षी नहीं है और चिकित्सा अधिकारी द्वारा दिया गया साक्ष्य सलाह देने के लक्षणों के रूप में है जो परीक्षा पर पाए गए लक्षणों के आधार पर दिया गया है । विशेषज्ञ साक्षी से यह आशा की जाती है कि न्यायालय के समक्ष जाने से पहले सभी तात्विक बातें जो निष्कर्ष पर पहुंचने पर निकाली गई हैं, विज्ञान की शब्दावली का स्पष्टीकरण देने के लिए मामले के तकनीकी पहलू पर न्यायालय को सूचित करें ताकि न्यायालय विशेषज्ञ नहीं होता है और इसलिए, अपने निर्णयों पर विशेषज्ञ की राय मिलने के पश्चात् उन तात्विक बातों पर निर्णय दे सकता है क्योंकि जब एक बार विशेषज्ञ की राय स्वीकार की जाती है तब चिकित्सा अधिकारी की यह राय नहीं रह जाती है कि बल्कि न्यायालय की राय मानी जाती है (**प्रताप मिश्रा** बनाम **उड़ीसा राज्य**)[1]।

31. यद्यपि प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों ने अन्य व्यक्तियों का नाम बताया है और अन्वेषण के पश्चात् पुलिस ने उनके विरुद्ध चालान फाइल नहीं किया है और उनका अंतर्वलन सही नहीं पाया गया था । विचारण के दौरान साक्षियों ने पुनः अन्य व्यक्तियों का नाम बताया परंतु अभियोजन या शिकायतकर्ता ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 के अधीन उन्हें समन भेजने के लिए कोई आवेदन फाइल नहीं किया है । इस प्रकार, अंततः उन्हें घटना में शामिल नहीं किया गया था और केवल अपीलार्थी अभियुक्त

---

[1] ए. आई. आर. 1977 एस. सी. 1307.

ने क्षतियां कारित कीं । यह तथ्य स्वीकार किया गया है कि शिकायतकर्ता दल और अभियुक्त दल के बीच कृषि भूमि संबंधी विवाद था इसलिए यह स्वीकार नहीं किया जा सकता है कि अभियोजन साक्षियों ने मिथ्या रूप से अन्य व्यक्तियों को फंसाया है परंतु इससे यह अभिप्रेत नहीं है कि उनका संपूर्ण कथन अविश्वसनीय है । न्यायालय का यह कर्तव्य है कि मिथ्या बातों से सच्चाई को प्रकट करें । "एक बात में मिथ्या तो सब में मिथ्या" सूत्र भारत में लागू नहीं होता । साक्ष्य का भाग जो सत्य प्रतीत होता है, उसका अवलंब लिया जाना चाहिए । इस सिद्धांत को लागू करते हुए बरछी और ट्रैक्टर द्वारा धन्नाराम को पहुंचाई गई क्षतियों के बारे में प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों के कथनों का चिकित्सा साक्ष्य द्वारा संपुष्टि होती है उस पर अविश्वास नहीं किया जा सकता । इस प्रकार, इस दलील का कोई भी परिणाम नहीं है ।

32. जहां तक हितबद्ध साक्षियों का संबंध है, यह सही है कि सभी प्रत्यक्षदर्शी साक्षी मृतक के नातेदार हैं और मृतक और शिकायतकर्ता दल के बीच पूर्व में कृषि भूमि संबंधी दुश्मनी थी परंतु इससे यह अभिप्रेत नहीं है कि मृतक के नातेदारों ने हत्या के मामले में मिथ्या रूप से किसी व्यक्ति को फंसाया है । यह भी सही है कि साक्षियों के कथनों में छोटे-मोटे विभेद हैं और उसमें कुछ सुधार किए गए हैं जो समय के अंतराल के कारण हो सकते हैं तथा इससे यह अभिप्रेत नहीं है कि उनके कथन पूर्णतया अविश्वसनीय हैं ।

33. राज्य वाले मामले में जिसका प्रतिनिधित्व पुलिस निरीक्षक बनाम सरवन राम और एक अन्य (दांडिक अपील सं. 832/2002) निर्णय की तारीख 14 अक्तूबर, 2008 में किसी आपराधिक मामले में साक्ष्य के मूल्यांकन के बारे में दो सिद्धांतों को दोहराया गया है । साक्षियों के साक्ष्य के बारे में और छोटे-मोटे विभेद तथा साक्षियों के कथनों में सुधार पर यह अभिनिर्धारित किया गया जो निम्नलिखित है :–

> "10. किसी ऐसी उपधारणा के बारे में कोई नियम नहीं है कि नातेदार साक्षियों का साक्ष्य हमेशा पूर्णतया हितबद्ध होगा या ऐसा साक्षी केवल अभियुक्त जो विचारण का सामना कर रहा है, के दृष्टिकोण को अपनाते हुए पक्षद्रोही हो जाए ।"

न्यायालय का **राजस्थान राज्य** बनाम **तेजाराम**[1] वाले मामले में उत्कथित

[1] (1999) 3 एस. सी. सी. 507 = आर. एल. डब्ल्यू. 1999 (2) एस. सी. 276.

विनिश्चय जो वर्तमान मामले के सिद्धांत को सिद्ध करने के लिए है जहां साक्षी मृतक के करीबी नातेदार हैं । इस प्रकार, जब कोई घटना निवासगृह में घटित हुई है, तो अत्यधिक नैसर्गिक साक्षी उस मकान के निवासी होंगे । ऐसे नैसर्गिक साक्षियों की उपेक्षा करना अव्यावहारिक है और बाहरी लोगों पर बल देना है कि जिन्होंने कोई भी घटना नहीं देखी होगी ।

छोटे-मोटे विभेदों सहित साक्ष्य के मूल्यांकन की स्थिति में यह अभिनिर्धारित किया गया जो निम्नप्रकार हैं :–

> "1. .....किसी साक्षी के साक्ष्य का मूल्यांकन करते समय छोटी-छोटी बातों पर छोटे-मोटे विभेदों से अभियोजन पक्षकथन प्रभावित नहीं होता है और न्यायालय को सम्पूर्ण रूप से ऐसे साक्ष्य को अस्वीकार नहीं करना चाहिए । इसके अतिरिक्त, साक्षी द्वारा दिए गए साक्ष्य के साधारण तत्व पर विचारण न्यायालय को साक्ष्य का मूल्यांकन करने पर उसकी विश्वसनीयता के बारे में राय बनानी चाहिए, सामान्य परिस्थिति में अपील न्यायालय के लिए पुनर्विलोकन करना न्यायसंगत नहीं होगा जब तक कि कोई न्यायोचित कारण न हो । यह बात पूर्णतया स्थिति पर निर्भर करेगी जिसपर टिप्पण किया जाना चाहिए कुछ अल्प ब्यौरों में भिन्नता से अभियोजन पक्षकथन का सार प्रभावित नहीं होता है यद्यपि, न्यायालय को छोटे-मोटे विभेदों पर साक्ष्य को अस्वीकार नहीं करना चाहिए ।"

हमारा यह मत है कि मात्र यह तथ्य कि प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नातेदार होने के कारण हितबद्ध साक्षी हैं, यह कारण उनके साक्ष्य को त्यक्त करने का नहीं होना चाहिए, यदि साक्ष्य विश्वसनीय है । **ब्रेथ** बनाम **पंजाब राज्य**[1] वाले मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि एकमात्र आधार पर साक्ष्य को तकनीकी रूप से अस्वीकार करना कि यह हितबद्ध है इससे न्याय की विफलता पर प्रभाव पड़ता है । **जम्मू और कश्मीर राज्य** बनाम **एस. मोहन सिंह और एक अन्य**[2] वाले मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि किसी हत्या के विचारण के मामले में मात्र इस कारण से कि साक्षी हितबद्ध या विरोधी है । उसके साक्ष्य को तब तक त्यक्त नहीं किया जा सकता जब तक कि वह अन्यथा विश्वसनीय न पाया जाता हो । **श्याम लाल घोष** बनाम **पश्चिमी**

[1] (1991) 1 एस. सी. सी. 519.
[2] (2006) 9 एस. सी. सी. 272.

बंगाल राज्य[1] वाले मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि मात्र इस कारण से तीन साक्षी मृतक के नातेदार हैं, अन्य साक्षी जिनको समान रूप से नहीं रखा जाता उनके कथनों की विश्वसनीयता के आधार पर न्यायालय का किसी संदेह पर ध्यान नहीं जाता है ।

34. जहां तक स्वतंत्र साक्षियों की परीक्षा नहीं कराने का संबंध है, यह कहना पर्याप्त है कि इन साक्षियों ने स्पष्ट रूप से यह कथन किया है कि खेत के नजदीक कोई व्यक्ति नहीं था जिसने घटना देखी ।

35. वादपत्र प्रदर्श पी-7, स्थायी व्यादेश आदेश दिनांक 17 सितंबर, 1999 प्रदर्श पी-8 वादपत्र प्रदर्श पी-10 का परिशीलन करने से यह प्रकट है कि अपीलार्थी अभियुक्त और मृतक के बीच भूमि संबंधी विवाद था और कई मुकदमे लंबित भी थे तथा प्रदर्श पी-8 के अनुसार अस्थायी व्यादेश आवेदन धन्नाराम द्वारा प्रस्तुत किया गया था जिसे विद्वान् सिविल न्यायाधीश (कनिष्ठ खंड), नागोर द्वारा आंशिक रूप से स्वीकार किया गया था तथा अपीलार्थी-अभियुक्त अर्जुन राम और रामप्यारी को छतरा मांजरा पर स्थित खसरा सं. 90, 16 बीघा, 13 बिस्वा विवादित भूमि के बारे में वाद के अंतिम निपटारे तक प्रास्थिति बनाए रखने का निदेश दिया गया था और जब विवादित भूमि का कब्जा अपीलार्थी-अभियुक्त के पास था तब मृतक ने अभियुक्त के कब्जे में प्रवेश किया था यद्यपि विद्वान् सिविल न्यायाधीश (कनिष्ठ खंड), द्वारा प्रास्थिति बनाए रखने का आदेश पारित किया गया था । यह भी प्रकट है कि विद्वान् सिविल न्यायाधीश (कनिष्ठ खंड), नागोर ने मृतक धन्नाराम द्वारा प्रस्तुत किए गए अस्थायी व्यादेश के आवेदन पर पक्षकारों को सुनने के पश्चात् प्रथमदृष्ट्या इस निष्कर्ष पर पहुंच गया था कि खसरा सं. 90 में विवादित भूमि पर कब्जा अपीलार्थी-अभियुक्त अर्जुन राम का था और अपीलार्थी-अभियुक्त अर्जुन राम के कब्जे को ध्यान में रखते हुए भूमि वाद के अंतिम निपटारे तक प्रास्थिति बनाए रखने का आदेश पारित किया गया था । इससे यह प्रतीत होता है कि अभियुक्त ने अपने कब्जे के कृषि खेत में मृतक को प्रवेश करते हुए देखा । वह उसके पीछे भागा और इस बात पर बिना किसी पूर्व चिंतन के अचानक अभियुक्त ने धन्नाराम पर प्रहार कर दिया और ट्रैक्टर से उसका पीछा किया तथा बरछी से प्रहार किया और ट्रैक्टर से उस पर प्रहार किया जैसाकि ऊपर उल्लिखित है । क्षतियां कारित की गईं जिसके परिणामस्वरूप धन्नाराम की मृत्यु हो गई ।

---

[1] (2012) 7 एस. सी. सी. 646.

36. 2004 की एस. बी. दांडिक अपील सं. 186 में इस न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय से जिस पर वर्तमान अभियुक्त अपीलार्थी अर्जुन राम द्वारा तारीख 12 फरवरी, 2004 को पारित किए गए दोषसिद्धि और दंडादेश के आदेश के विरुद्ध तारीख 13 मई, 2009 को फाइल किए गए मामले का विनिश्चय किया गया जिसे 2001 के सेशन मामला सं. 201 (49/01) में विद्वान् अपर सेशन न्यायाधीश (त्वरित निपटान न्यायालय) नागोर द्वारा पारित किया गया था जिसके द्वारा विद्वान् विचारण न्यायालय ने अभियुक्त अपीलार्थी को दंड संहिता की धारा 307 के अधीन अपराध के लिए 10 वर्ष का कठोर कारावास की अवधि के लिए दंडादिष्ट किया और 15,000/- रुपए जुर्माने का संदाय करने का भी दंडादिष्ट किया और अन्य अपराधों के लिए भी केवल दंड को इस सीमा तक आंशिक रूप से मंजूर किया गया। तारीख 13 मई, 2009 के निर्णय का परिशीलन करने से यह भी प्रकट हुआ है कि वह रीति जिसमें तारीख 13 मई, 2009 के निर्णय से संबंधित पूर्व घटना जिसे अभियुक्त-अपीलार्थी द्वारा कारित किया गया था उसी रीति में वर्तमान अपराध भी अभियुक्त-अपीलार्थी द्वारा किया गया था। प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों के अनुसार अभियुक्त-अपीलार्थी ने 5 बार धन्नाराम के शरीर पर ट्रैक्टर से प्रहार किया फिर भी ऊपरी और निचले अंगों को छोड़कर कोई महत्वपूर्ण भाग कुचला नहीं गया था। अभियुक्त द्वारा कोई आयुध नहीं रखा गया था तथा प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों के अनुसार कि बरछी से प्रहार पीछे से किया गया था जिससे यह दर्शित होता है कि अभियुक्त का आशय हत्या कारित करना नहीं था और उसने धन्नाराम की हत्या करने के लिए पूर्व-चिंतन भी नहीं किया था।

37. जहां तक प्रतिरक्षा साक्षियों का संबंध है किशन नारायण रकावत (प्रतिरक्षा साक्षी 1), पटवारी ने यह साक्ष्य दिया है कि अंगोर नादी में स्थित है जो ग्राम छतरा मांजरा के क्षेत्र के अंतर्गत आता है जिसका खसरा सं. 138 और नादी का खसरा सं. 137 है और चरागाह भूमि का खसरा सं. 155 है।

38. जीवन राम (प्रतिरक्षा साक्षी 2) ने यह कथन किया है कि उसने घटना के स्थान पर धन्नाराम को क्षतियों के साथ देखा था। इस प्रकार, इस साक्षी ने इस सीमा तक अभियोजन पक्षकथन की सम्पुष्टि की है कि धन्नाराम के शरीर पर क्षतियां कायम हुई थीं और वह घटनास्थल पर पड़ा हुआ था। यद्यपि उसने भिन्न-भिन्न समय बताया है।

39. पोखर राम (प्रतिरक्षा साक्षी 3) ने इस सीमा तक अभियोजन

पक्षकथन का भी समर्थन किया है कि पुलिस द्वारा ट्रैक्टर को अभिगृहीत किया गया था यद्यपि उसने यह अभिसाक्ष्य दिया कि ट्रैक्टर कागजातों के अभाव में अभिगृहीत किया गया था । इस प्रकार प्रतिरक्षा साक्षी डी. डब्ल्यू. 2 और डी. डब्ल्यू. 3 किसी भी रीति में अपीलार्थी अभियुक्त की मदद नहीं करते हैं तथा डी. डब्ल्यू. 1 पटवारी के कथनों से यह प्रकट है कि भूमि अभिलेख के बारे में विवाद था ।

40. अब यह प्रश्न प्रकट होता है कि क्या अपीलार्थी दंड संहिता की धारा 302 के अधीन हत्या करने का दोषी है या दंड संहिता की धारा 304 के अधीन हत्या की कोटि में नहीं आने वाला आपराधिक मानव वध का दोषी है ।

41. अपवादित दशाओं को छोड़कर दंड संहिता की धारा 300 में यह उल्लेख किया गया है कि आपराधिक मानव वध हत्या है यदि वह कार्य जिसके द्वारा मृत्यु कारित की गई हो, मृत्यु कारित करने के आशय से किया गया हो, या

"दूसरा – यदि वह ऐसी शारीरिक क्षति कारित करने के आशय से किया गया हो जिसे अपराधी जानता हो कि उस व्यक्ति को मृत्यु कारित करना संभाव्य है जिसको वह अपहानि कारित की गई है, अथवा

तीसरा – यदि यह कार्य किसी व्यक्ति को शारीरिक क्षति कारित करने के आशय से किया गया हो और वह शारीरिक क्षति जिसके कारित करने का आशय हो, प्रकृति के मामूली अनुक्रम में मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त हो, अथवा

चौथा – यदि कार्य करने वाला व्यक्ति यह जानता हो कि वह कार्य इतना आसन्न संकट है कि पूरी अधिसंभाव्यता है कि वह मृत्यु कारित कर ही देगा या ऐसी शारीरिक क्षति कारित कर ही देगा जिससे मृत्यु कारित होना संभाव्य है और वह मृत्यु कारित करने या पूर्वोक्त रूप की क्षति कारित करने की जोखिम उठाने के लिए किसी प्रतिहेतु के बिना ऐसा कार्य करे ।

दंड संहिता की धारा 300 में निम्नलिखित अपवादों का उपबंध किया गया है ।

अपवाद 1 – आपराधिक मानव वध कब हत्या नहीं है – आपराधिक मानव वध हत्या नहीं है, यदि अपराधी उस समय जबकि वह गंभीर और अचानक प्रकोपन से आत्मसंयम की शक्ति से वंचित हो, उस व्यक्ति की, जिसने कि वह प्रकोपन दिया था, मृत्यु कारित करे या किसी अन्य व्यक्ति

16--355 मिनि. ऑफ एल. एण्ड जे./2014

की मृत्यु भूल या दुर्घटनावश कारित करे ।

ऊपर का अपवाद निम्नलिखित परंतुकों के अध्यधीन है –

पहला – यह कि वह प्रकोपन किसी व्यक्ति का वध करने या अपहानि करने के लिए अपराधी द्वारा प्रतिहेतु के रूप में ईप्सित न हो या स्वेच्छा प्रकोपित न हो ।

दूसरा – यह कि वह प्रकोपन किसी ऐसी बात द्वारा न दिया गया हो जोकि विधि के पालन में या लोक सेवक द्वारा ऐसे लोक सेवक की शक्तियों के विधिपूर्ण प्रयोग में की गई हो ।

तीसरा – यह कि वह प्रकोपन किसी ऐसी बात द्वारा न दिया गया हो जो प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के विधिपूर्ण प्रयोग में की गई हो ।

स्पष्टीकरण – प्रकोपन इतना गंभीर और अचानक था या नहीं कि अपराध को हत्या की कोटि में जाने से बचा दें, यह तथ्य का प्रश्न है ।

अपवाद 2 – आपराधिक मानव वध हत्या नहीं है, यदि अपराधी शरीर या संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार को सद्भावपूर्वक प्रयोग में लाते हुए विधि द्वारा उसे दी गई शक्ति का अतिक्रमण कर दे और पूर्व-चिंतन बिना और ऐसी प्रतिरक्षा के प्रयोजन से जितनी अपहानि करना आवश्यक हो उससे अधिक अपहानि करने के किसी आशय के बिना उस व्यक्ति की मृत्यु कारित कर दे जिसके विरुद्ध वह प्रतिरक्षा का ऐसा अधिकार प्रयोग में ला रहा हो ।

अपवाद 3 – आपराधिक मानव वध हत्या नहीं है, यदि अपराधी ऐसा लोक सेवक होते हुए, या ऐसे लोक सेवक को मदद देते हुए जो लोक न्याय की अग्रसरता में कार्य कर रहा है, उसे विधि द्वारा दी गई शक्ति से आगे बढ़ जाए, और कोई ऐसा कार्य करके जिसे वह विधिपूर्ण और ऐसे लोक सेवक के नाते उसके कर्तव्य के सम्यक् निर्वहन के लिए आवश्यक होने का सद्भावपूर्वक विश्वास करता है, और उस व्यक्ति के प्रति जिसकी मृत्यु कारित की गई है, वैमनस्य के बिना मृत्यु कारित करे ।

अपवाद 4 – आपराधिक मानव वध हत्या नहीं है, यदि वह मानव वध अचानक झगड़ाजनित आवेश की तीव्रता में हुई अचानक लड़ाई में पूर्व-चिंतन बिना और अपराधी द्वारा अनुचित लाभ उठाए बिना या क्रूरतापूर्ण या अप्रायिक रीति से कार्य किए बिना किया गया हो ।

स्पष्टीकरण – ऐसी दशाओं में यह तत्वहीन है कि कौन पक्ष प्रकोपन

देता है या पहले हमला करता है ।

अपवाद 5 – आपराधिक मानव वध हत्या नहीं है, यदि वह व्यक्ति जिसकी मृत्यु कारित की जाए, 18 वर्ष से अधिक आयु का होते हुए, अपनी सम्मति से मृत्यु होना सहन करे, या मृत्यु का जोखिम उठाए '।

प्रथम अपवाद के अधीन आपराधिक मानव वध हत्या नहीं है यदि अपराधी उस समय जबकि वह गंभीर और अचानक प्रकोपन से आत्मसंयम की शक्ति से वंचित हो, उस व्यक्ति की जिसने कि वह प्रकोपन दिया था, मृत्यु कारित करे या किसी अन्य व्यक्ति की मृत्यु भूल या दुर्घटनावश कारित करे । इसी तरह चौथे अपवाद के अधीन यदि मानव वध अचानक झगड़ाजनित आवेश की तीव्रता में हुई अचानक लड़ाई में पूर्व-चिंतन बिना और अपराधी द्वारा अनुचित लाभ उठाए बिना या क्रूरतापूर्ण या अप्रायिक रीति से कार्य किए बिना किया गया हो तब मृत्यु हत्या की कोटि में नहीं आती है । आपराधिक मानव वध और हत्या में किसी व्यक्ति को मारना सम्मिलित है । इन दो अपराधों के बीच विभेद विशेष आपराधिक मनःस्थिति की मौजूदगी में है जिसमें चार मानसिक स्थिति सम्मिलित हैं जिनमें किसी की उपस्थिति में लघु अपराध बड़ा हो गया हो । इन चार मानसिक स्थितियों के बारे में दंड संहिता की धारा 300 में कथन किया गया है और आपराधिक मानव वध से हत्या में विभेद किया गया है ।"

42. आपराधिक मानव वध के लिए दंड जो हत्या की कोटि में नहीं आता है, उसका दंड संहिता की धारा 304 में विहित किया गया है । दंड संहिता की धारा 304 का परिशीलन करने पर इस प्रकार है :–

"धारा 304. हत्या की कोटि में न आने वाला आपराधिक मानव वध के लिए दंड – जो कोई ऐसा आपराधिक मानव वध करेगा जो हत्या की कोटि में नहीं आता है यदि वह कार्य जिसके द्वारा मृत्यु कारित की गई है, मृत्यु या ऐसी शारीरिक क्षति जिससे मृत्यु होना संभाव्य है कारित करने के आशय से किया जाए तो वह आजीवन कारावास से, या दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा । अथवा,

यदि वह कार्य इस ज्ञान के साथ कि उससे मृत्यु कारित करना संभाव्य है, किंतु मृत्यु या ऐसी शारीरिक क्षति, जिससे मृत्यु कारित करना संभाव्य है, कारित करने के किसी आशय के बिना किया जाए, तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 10

वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दंडित किया जाएगा ।

दंड संहिता की धारा 304 के अधीन विभिन्न परिस्थितियों पर निर्भर होकर दो प्रकार के दंड विहित किए गए हैं । प्रथमतः, दंड संहिता की धारा 304 का भाग-I के अधीन यदि वह कार्य जिसके द्वारा मृत्यु कारित की गई है, मृत्यु या ऐसी शारीरिक क्षति, जिससे मृत्यु होना संभाव्य है कारित करने के आशय से की जाए तो वह आजीवन कारावास से या दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा । दूसरा, यदि वह कार्य इस ज्ञान के साथ कि उससे मृत्यु कारित करना संभाव्य है किंतु मृत्यु या ऐसी शारीरिक क्षति जिससे मृत्यु कारित करना संभाव्य है, कारित करने के आशय के बिना किया जाए तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों में से दंडित किया जाएगा । अतः, यदि वह कार्य जिसके द्वारा मृत्यु कारित की गई है मृत्यु या ऐसी शारीरिक क्षति जिससे मृत्यु होना संभाव्य है कारित करने के आशय से किया जाए तब अपराधी दंड संहिता की धारा 304 के भाग-I के लिए दायी है जबकि यदि वह कार्य इस ज्ञान के साथ कि उससे मृत्यु कारित करना संभाव्य है किंतु मृत्यु कारित करना आशय के बिना किया जाए तब किसी व्यक्ति द्वारा किया गया ऐसा अपराध दंड संहिता की धारा 304 के भाग-II के अंतर्गत आएगा ।"

43. प्रदर्श पी-8 के अनुसार कृषि खेत जिसका खसरा सं. 90 है अभियुक्त-अपीलार्थी के कब्जे में था और मृतक धन्नाराम अभियुक्त के कब्जे वाले खेत में प्रविष्ट हुआ था । इस पर अभियुक्त द्वारा ट्रैक्टर से उसका पीछा किया गया और पीछे की ओर से उसके सिर पर बरछी से प्रहार किया तथा ट्रैक्टर से पीछे से उस पर प्रहार किया जिस कारण धन्नाराम नीचे गिर गया । इसके पश्चात् धन्नाराम के अंगों पर ट्रैक्टर से प्रहार किया गया जिसके परिणामस्वरूप उसकी मृत्यु हो गई । इससे यह दर्शित होता है कि धन्नाराम को कृषि खेत में घुसते हुए देखकर जो अभियुक्त के कब्जे में था वह अचानक गंभीर प्रकोपन में आकर उसने अपने आत्मसंयम की शक्ति खो दी और धन्नाराम पर उपरोक्त उल्लिखित रीति में क्षतियां कारित कीं और उसकी मृत्यु बिना किसी पूर्व-चिंतन के हुई थी और उसने कोई अनुचित लाभ नहीं लिया था । इसके अतिरिक्त बरछी द्वारा कारित की गई

क्षतियां पीछे की ओर से की गई थीं और उसके अंगों पर ट्रैक्टर चलाया गया था इससे यह भी दर्शित होता है कि अभियुक्त का धन्नाराम की हत्या करने का कोई आशय नहीं था ।

44. उपरोक्त विधिक स्थिति से अभियुक्त अपीलार्थी का कार्य दंड संहिता की धारा 300 के प्रथम और चौथे अपवाद की परिधि के अंतर्गत आता है । इस प्रकार अपीलार्थी अभियुक्त दंड संहिता की धारा 302 के बजाय धारा 304 के भाग-II के अधीन दंडनीय अपराध के लिए दोषसिद्ध किया जाता है ।

45. अभियुक्त-अपीलार्थी को तारीख 31 जुलाई, 2003 को गिरफ्तार किया गया था । उस समय उसकी आयु लगभग 43 वर्ष की थी और वह तब से सलाखों के पीछे है । मामले के संपूर्ण तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए उसे दंड संहिता की धारा 304 भाग-II के अधीन दंडनीय अपराध के लिए 10 वर्ष का कारावास तथा 5,000/- रुपए के जुर्माने का संदाय करने और जुर्माने के संदाय में व्यतिक्रम करने पर उसे 6 मास का कठोर कारावास भोगने का भी दंडादेश दिया गया । अन्वेषण और विचारण के दौरान की अवधि में वह अभिरक्षा में रहा है उसे दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 428 के उपबंधों के अनुसार उसकी मुजराई की जाएगी । यदि अभियुक्त-अपीलार्थी द्वारा जुर्माने की रकम जमा कर दी गई है तो उसे अभि. सा. 6 विजय सिंह पुत्र धन्नाराम (मृतक) को संदाय किया जाए ।

46. तद्नुसार अपीलार्थी की अपील भागतः मंजूर की जाती है और अभियुक्त-अपीलार्थी को दंड संहिता की धारा 302 की बजाय धारा 304 भाग-II के अधीन दोषसिद्ध किया जाता है और उपरोक्त उपदर्शित दंड से दंडादिष्ट किया जाता है । निर्णय की प्रति सूचनार्थ संबंधित कारागार के अधीक्षक को भेजी जाए जहां अभियुक्त दंड भोग रहा है, विचारण न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ तत्काल वापस भेजा जाए ।

अपील भागतः मंजूर की गई ।

आर्य

राजेन्द्र कुमार

बनाम

राजस्थान राज्य और अन्य

तारीख 22 जुलाई, 2013

न्यायमूर्ति अशोक कुमार जैन

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) – धारा 468 – परिसीमा काल के पश्चात् संज्ञान का वर्जन – परिसीमा की अवधि का संगणना के लिए परिवाद फाइल करने या आपराधिक कार्यवाही आरंभ करने की तारीख सुसंगत तारीख मानी जानी चाहिए न कि मजिस्ट्रेट द्वारा संज्ञान लेने या न्यायालय द्वारा आदेशिका जारी करने की तारीख, इस प्रकार, सेशन न्यायाधीश का आदेश सुस्थिर विधि के विरुद्ध होने के कारण पूर्णतः अनुचित और न्यायरहित है ।

सेशन न्यायाधीश, भीलवाड़ा के तारीख 18 जनवरी, 2013 के आदेश के विरुद्ध परिवादी राजेन्द्र कुमार ने हमारे समक्ष दांडिक पुनरीक्षण आवेदन फाइल किया । उच्च न्यायालय द्वारा पुनरीक्षण आवेदन का निपटारा करते हुए,

अभिनिर्धारित – उच्चतम न्यायालय के निर्णय का परिशीलन करने के पश्चात् यह कहा जा सकता है कि परिसीमा की अवधि की संगणना करने के प्रयोजन के लिए सुसंगत तारीख के रूप में परिवाद फाइल करने की दांडिक कार्यवाहियां प्रारंभ करने की तारीख विचार में ली जानी चाहिए तथा न कि मजिस्ट्रेट द्वारा संज्ञान लेने की तारीख या न्यायालय द्वारा आदेशिका जारी करने की तारीख । वर्तमान मामले में राजेन्द्र कुमार द्वारा तारीख 16 अक्तूबर, 2008 को न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट मंडल के समक्ष परिवाद फाइल किया गया था, इस परिवाद में तारीख 7 अगस्त, 2008 को घटित घटना का उल्लेख किया गया था । प्रकटतः, परिवाद पूर्णतया परिसीमा के अंतर्गत फाइल किया गया था, जैसाकि उच्चतम न्यायालय द्वारा वर्ष 2004 में बहुत पहले विधि में सुस्थापित किया गया है । इस प्रकार, श्री राम सिंह मीना, सेशन न्यायाधीश, भीलवाड़ा का आदेश पूर्णतया सुस्थापित विधि के विरुद्ध है । तद्नुसार 2012 के दांडिक पुनरीक्षण आवेदन सं. 378 में पारित किए गए सेशन न्यायाधीश, भीलवाड़ा के आदेश दिनांक 18 जनवरी, 2013

को अपास्त किया जाता है और दांडिक नियमित मामला सं. 311/12 में इंदू उज्जवाल, न्यायिक मजिस्ट्रेट, मंडल द्वारा पारित किए गए तारीख 27 जुलाई, 2012 के आदेश को दोबारा बहाल किया जाता है और परिवादी तथा अभियुक्त अनावेदक सं. 2 से 11 को दंड संहिता की धारा 143, 447 और 427 के आरोपों पर तारीख 23 अगस्त, 2013 को न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट मंडल में विचारण का सामना करने के लिए हाजिर होने का निदेश दिया जाता है । (पैरा 2 और 4)

अवलंबित निर्णय

पैरा

[2007] (2007) 7 एस. सी. सी. 394 :
जापानी साहू बनाम **चंद्र शेखर मोहन्ती** ; 2

[2004] 2004 क्रिमिनल ला जर्नल 51 (एस. सी.):
भारत दामोदर काले बनाम **उत्तर प्रदेश राज्य** । 2

पुनरीक्षण (दांडिक) अधिकारिता : 2013 का एस. बी. दांडिक पुनरीक्षण आवेदन सं. 194.

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 397/401 के अधीन पुनरीक्षण आवेदन ।

आवेदक की ओर से सर्वश्री गौरव सिंह और विनीत जैन

प्रत्यर्थियों की ओर से सर्वश्री ओ. पी. सिंघारिया, लोक अभियोजक और संजय नाहर

न्यायमूर्ति अशोक कुमार जैन – पुलिस थाना, मंडल जिला भीलवाड़ा के 2008 की प्रथम इत्तिला रिपोर्ट सं. 247 में अन्वेषण करने के पश्चात् पुलिस द्वारा अंतिम रिपोर्ट पेश की गई थी और परिवादी आवेदक राजेन्द्र कुमार द्वारा विचारण न्यायालय ने आपराधिक मामला सं. 311/2012 में दंड संहिता की धारा 143, 447 और 427 के अधीन अभियुक्त अनावेदक सं. 2 से 11 के विरुद्ध संज्ञान लिया गया था । न्यायिक मजिस्ट्रेट, मंडल के तारीख 27 जुलाई, 2012 के आदेश के विरुद्ध सभी दस अभियुक्त व्यक्तियों द्वारा 2012 की दांडिक पुनरीक्षण आवेदन सं. 378 फाइल की जिसे सेशन न्यायाधीश भीलवाड़ा द्वारा तारीख 18 जनवरी, 2013 को विनिश्चय किया गया था और परिवादी राजेन्द्र कुमार को सुनवाई का

अवसर दिए बिना सेशन न्यायाधीश भीलवाड़ा ने अपने आदेश दिनांक 18 जनवरी, 2013 के आदेश द्वारा अभियुक्त व्यक्तियों को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 468 के अधीन फायदा दिया और सेशन न्यायाधीश, भीलवाड़ा द्वारा सभी दस अभियुक्त व्यक्तियों के विरुद्ध संज्ञान आदेश अपास्त कर दिया था ।

2. सेशन न्यायाधीश, भीलवाड़ा के तारीख 18 जनवरी, 2013 के आदेश के विरुद्ध परिवादी राजेन्द्र कुमार ने हमारे समक्ष दांडिक पुनरीक्षण आवेदन फाइल किया । दोनों पक्षकारों को सुनने के पश्चात् और **जापानी साहू** बनाम **चंद्र शेखर मोहन्ती**[1] वाले मामले तथा **भारत दामोदर काले** बनाम **उत्तर प्रदेश राज्य**[2] वाले मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णय का परिशीलन करने के पश्चात् यह कहा जा सकता है कि परिसीमा की अवधि की संगणना करने के प्रयोजन के लिए सुसंगत तारीख के रूप में परिवाद फाइल करने की दांडिक कार्यवाहियां प्रारंभ करने की तारीख विचार में ली जानी चाहिए तथा न कि मजिस्ट्रेट द्वारा संज्ञान लेने की तारीख या न्यायालय द्वारा आदेशिका जारी करने की तारीख ।

3. वर्तमान मामले में राजेन्द्र कुमार द्वारा तारीख 16 अक्तूबर, 2008 को न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट मंडल के समक्ष परिवाद फाइल किया गया था, इस परिवाद में तारीख 7 अगस्त, 2008 को घटित घटना का उल्लेख किया गया था । प्रकटतः, परिवाद पूर्णतया परिसीमा के अंतर्गत फाइल किया गया था, जैसाकि उच्चतम न्यायालय द्वारा वर्ष 2004 में बहुत पहले विधि में सुस्थापित किया गया है । इस प्रकार, श्री राम सिंह माना, सेशन न्यायाधीश, भीलवाड़ा का आदेश पूर्णतया सुस्थापित विधि के विरुद्ध है । तद्नुसार 2012 के दांडिक पुनरीक्षण आवेदन सं. 378 में पारित किए गए सेशन न्यायाधीश भीलवाड़ा के आदेश दिनांक 18 जनवरी, 2013 को अपास्त किया जाता है और दांडिक नियमित मामला सं. 311/12 में इंदू उज्जवाल, न्यायिक मजिस्ट्रेट, मंडल द्वारा पारित किए गए तारीख 27 जुलाई, 2012 के आदेश को दोबारा बहाल किया जाता है और परिवादी तथा अभियुक्त अनावेदक सं. 2 से 11 को दंड संहिता की धारा 143, 447 और 427 के आरोपों पर तारीख 23 अगस्त, 2013 को न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट मंडल में विचारण का सामना करने के लिए हाजिर होने का निदेश दिया जाता है ।

---

[1] (2007) 7 एस. सी. सी. 394.

[2] 2004 क्रिमिनल ला जर्नल 51 (एस. सी.).

4. तद्नुसार, पुनरीक्षण आवेदन का निपटारा किया जाता है, इस आदेश की प्रति स्पीड पोस्ट के मार्फत दोनों निचले न्यायालयों को भेजी जाती हैं ।

5. इस आदेश की प्रति राजस्थान के सभी अधीनस्थ न्यायालयों को भेजी जाती है ।

पुनरीक्षण आवेदन का निपटारा किया गया ।

आर्य

(2014) 1 दा. नि. प. 565 **हिमाचल प्रदेश**

परताप चन्द और अन्य

बनाम

हिमाचल प्रदेश राज्य

तारीख 12 मार्च, 2013

न्यायमूर्ति वी. के. आहुजा

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) – धारा 360 [सपठित अपराधी परिवीक्षा अधिनियम, 1958 (1958 का 20) – धारा 4] – सदाचरण की परिवीक्षा – न्यायालय अभियुक्त को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 360 या अपराधी परिवीक्षा अधिनियम का फायदा देने के लिए आबद्ध नहीं है किंतु न्यायालय के लिए फायदा देने या न देने का कारण अभिलिखित करना आज्ञापक है ।

याचियों ने यह पुनरीक्षण आवेदन विद्वान् सेशन न्यायाधीश, कांगड़ा द्वारा तारीख 22 दिसंबर, 2012 को पारित किए गए निर्णय के विरुद्ध फाइल की है जिसके द्वारा उन्होंने विचारण न्यायालय की ओर से दंड संहिता की धारा 341, 323 और 506 के साथ पठित धारा 34 के अधीन याचियों के लिए पारित किए गए दोषसिद्धि के निर्णय की अभिपुष्टि की थी । पुनरीक्षण आवेदन का निपटारा करते हुए,

अभिनिर्धारित – यह स्पष्ट है कि विद्वान् मजिस्ट्रेट या विद्वान् सेशन न्यायाधीश को इस बारे में कारणों को अभिलिखित करना अपेक्षित था कि

अपराधी परिवीक्षा अधिनियम के फायदे याचियों को क्यों नहीं दिए जा सकते और चूंकि ऐसा नहीं किया गया । विद्वान् सेशन न्यायाधीश के निष्कर्ष जिसमें आवेदकों के विरुद्ध अधिरोपित दंडादेश की अभिपुष्टि की गई, को अपास्त किया जाता है । विद्वान् सेशन न्यायाधीश द्वारा अपराधी परिवीक्षा अधिनियम के फायदे मंजूर करने या दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 360 के फायदे यथास्थिति मंजूर करने के प्रश्न पर विचार किया जाएगा । तथापि, इस उपबंध के अधीन फायदा मंजूर करना आज्ञापक नहीं है परंतु न्यायालय को उपरोक्त विनिश्चयों को दृष्टिगत करते हुए फायदा मंजूर न करने के बारे में कारणों को प्रकट करना चाहिए । न्यायालय यहां पर यह उल्लेख करता है कि विद्वान् विचारण न्यायालय के निष्कर्ष के बारे में अभियुक्त को दोषी ठहराए जाने के संबंध में कोई निष्कर्ष यहां पर नहीं लिया जाएगा और यह प्रश्न स्वतंत्र रूप में है जिस पर अपील की दशा में विचार किया जाएगा जिसे पक्षकारों में से किसी के द्वारा फाइल किया जाता है । (पैरा 5)

अनुसरित निर्णय

		पैरा
[2001]	(2001) 3 क्राइम 45 (उच्चतम न्यायालय) : **चन्द्रेश्वर शर्मा** बनाम **बिहार राज्य** ;	4
[1984]	1984 आई. एल. आर. (हिमाचल) 168 : **हिमाचल प्रदेश राज्य** बनाम **शक्ति प्रसाद** ।	4

पुनरीक्षण (दांडिक) अधिकारिता : 2013-ङ का दांडिक पुनरीक्षण सं. 5.

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 397/401 के अधीन पुनरीक्षण आवेदन ।

आवेदक की ओर से श्री दुश्यंत डडवाल, अधिवक्ता

प्रत्यर्थी की ओर से श्री जे. एस. गुलेरिया, सहायक महाधिवक्ता

न्यायमूर्ति वी. के. आहुजा – यह पुनरीक्षण आवेदन याचियों ने विद्वान् सेशन न्यायाधीश, कांगड़ा द्वारा तारीख 22 दिसंबर, 2012 को पारित किए गए निर्णय के विरुद्ध फाइल की है जिसके द्वारा उन्होंने विचारण न्यायालय

की ओर से दंड संहिता की धारा 341, 323 और 506 के साथ पठित धारा 34 के अधीन याचियों के लिए पारित किए गए दोषसिद्धि के निर्णय की अभिपुष्टि की थी ।

धारा 341	15 दिन की अवधि का साधारण कारावास भोगने हेतु दंडादेश
धारा 323	6 मास की अवधि के लिए साधारण कारावास भोगने का दंडादेश
धारा 506	6 मास की अवधि के लिए साधारण कारावास भोगने का दंडादेश

2. आवेदन पर नोटिस प्रत्यर्थियों के लिए जारी किया गया था ।

3. मैंने आवेदकों के विद्वान् काउंसेल तथा प्रत्यर्थियों के विद्वान् सहायक महाधिवक्ता को सुना तथा मामले के अभिलेख का परिशीलन किया ।

4. विचारण न्यायालय द्वारा पारित किए गए निर्णय तथा विद्वान् सेशन न्यायाधीश द्वारा जिसकी अभिपुष्टि की गई का परिशीलन करने से यह दर्शित होता है कि विचारण न्यायालय ने इस बारे में इस प्रश्न पर विचार नहीं किया था कि क्या अपराधी परिवीक्षा अधिनियम का फायदा आवेदकों के पक्ष में मंजूर किया जाना चाहिए या इसे क्यों मंजूर नहीं किया जाना चाहिए । न्यायालय के लिए यह आज्ञापक नहीं है कि अपराधी परिवीक्षा अधिनियम के फायदे मंजूर करें परंतु इसे दोषसिद्ध व्यक्तियों के लिए अपराधी परिवीक्षा अधिनियम के फायदे को मंजूर नहीं करने के कारणों को अभिलिखित करना चाहिए । इस संबंध में मैं **हिमाचल प्रदेश राज्य** बनाम **शक्ति प्रसाद**[1] वाले मामले में इस न्यायालय के विनिश्चय तथा **चन्द्रेश्वर शर्मा** बनाम **बिहार राज्य**[2] वाले मामले में उच्चतम न्यायालय के विनिश्चय का समर्थन करता हूं जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया था कि मजिस्ट्रेट पर आज्ञापक कर्तव्य थोपा गया है कि वह दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 360 की प्रयोज्यता के प्रश्न पर विचार करें और कारणों को अभिलिखित करे जो आज्ञापक प्रकृति के हैं ।

5. उपरोक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए यह स्पष्ट है कि विद्वान् मजिस्ट्रेट या विद्वान् सेशन न्यायाधीश को इस बारे में कारणों को

[1] 1984 आई. एल. आर. (हिमाचल) 168.

[2] (2001) 3 क्राइम 45 (उच्चतम न्यायालय).

अभिलिखित करना अपेक्षित था कि अपराधी परिवीक्षा अधिनियम के फायदे याचियों को क्यों नहीं दिए जा सकते और चूंकि ऐसा नहीं किया गया । विद्वान् सेशन न्यायाधीश के निष्कर्ष जिसमें आवेदकों के विरुद्ध अधिरोपित दंडादेश की अभिपुष्टि की गई, को अपास्त किया जाता है । विद्वान् सेशन न्यायाधीश द्वारा अपराधी परिवीक्षा अधिनियम के फायदे मंजूर करने या दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 360 के फायदे यथास्थिति मंजूर करने के प्रश्न पर विचार किया जाएगा । तथापि, इस उपबंध के अधीन फायदा मंजूर करना आज्ञापक नहीं है परंतु न्यायालय को उपरोक्त विनिश्चयों को दृष्टिगत करते हुए फायदा मंजूर न करने के बारे में कारणों को प्रकट करना चाहिए । मैं यहां पर यह उल्लेख करता हूं कि विद्वान् विचारण न्यायालय के निष्कर्ष के बारे में अभियुक्त को दोषी ठहराए जाने के संबंध में कोई निष्कर्ष यहां पर नहीं लिया जाएगा और यह प्रश्न स्वतंत्र रूप में है जिस पर अपील की दशा में विचार किया जाएगा जिसे पक्षकारों में से किसी के द्वारा फाइल किया जाता है ।

6. उपरोक्त सीमा तक आवेदन स्वीकार किया जाता है और मामले को विद्वान् सेशन न्यायाधीश, कांगड़ा धर्मशाला को प्रतिप्रेषित किया जाता है जो उपरोक्त मताभिव्यक्तियों को ध्यान में रखते हुए पक्षकारों की सुनवाई करेगा । पक्षकारों को अपने काउंसेल के माध्यम से तारीख 22 अप्रैल, 2013 को विद्वान् सेशन न्यायाधीश के समक्ष उपस्थित होने का निदेश दिया जाता है और विद्वान् सेशन न्यायाधीश नियत की गई तारीख से 3 मास अवधि के अंतर्गत मामले के निपटारे के लिए विचारण करेगा । कार्यालय को यह निदेश किया जाता है कि इस निर्णय की प्रति के साथ मामले के अभिलेख विद्वान् सेशन न्यायाधीश, धर्मशाला को तत्काल भेजे जाएं । तद्नुसार पुनरीक्षण आवेदन का निपटारा किया गया ।

पुनरीक्षण आवेदन का निपटारा किया गया ।

आर्य

हेमराज और अन्य

बनाम

हिमाचल प्रदेश राज्य

तारीख 4 अप्रैल, 2013

न्यायमूर्ति संजय करोल

दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) – धारा 341 और 353 – सदोष अवरोध और लोक सेवक को भयोपरत करने के लिए हमला – जहां युक्तियुक्त संदेह के परे साबित होता है कि प्राइवेट यान चालकों ने विधि की घोर उपेक्षा करते हुए यात्रियों को खतरे में डाला तथा पब्लिक यान के संचालक और चालक को क्षतियां पहुंचाई और यान का सदोष अवरोध किया वहां अभियुक्तों को आदेशित दंडादेशों में कोई अवैधता या विप्रतीपता नहीं है ।

अभियोजन पक्षकथन इस प्रकार है कि तारीख 18 मार्च, 2003 को लगभग 4.30 बजे अपराह्न हरियाणा सड़क परिवहन निगम की बस जिसकी सं. एचपी 34 ए 1268 है द्वारा श्री सुरेन्द्र सिंह कुल्लू से बंजारा जा रहा था । शिकायतकर्ता श्री हेम सिंह उस समय यान में कंडक्टर के पद पर तैनात था । प्राइवेट बस जिसकी सं. एचपी 34 0887 है, सुनील दत्त द्वारा चलाई जा रही थी और बालीचौकी की ओर आगे बढ़ रही थी । जब श्री सुरेन्द्र सिंह ने प्राइवेट बस से आगे निकलने की कोशिश की तो उसने उसे आगे नहीं निकलने दिया । तत्पश्चात् दोनों यान कुछ दूरी पर एक साथ आ गए । सुरेन्द्र सिंह द्वारा चलाई जा रही बस डारी नाम से ज्ञात स्थान पर रुक गई । वहां पर सभी अभियुक्त व्यक्ति प्राइवेट बस से नीचे उतर गए और सुरेन्द्र सिंह द्वारा चलाई जा रही बस में प्रविष्ट हुए और उन्होंने परिवादी तथा सुरेन्द्र सिंह दोनों को पीटना शुरू कर दिया । जिसके परिणामस्वरूप हेम सिंह और सुरेन्द्र सिंह दोनों को क्षतियां पहुंचीं और हरी कृष्ण शर्मा, पवन कुमार और करम दत्त सहित यात्रियों के मध्यक्षेप करने पर अभियुक्त व्यक्तियों के चंगुल से आहत व्यक्तियों को बचा लिया गया और मामले की रिपोर्ट पुलिस को दी गई थी और दंड संहिता की धारा 353, 332, 341, 323, 147, 506 और 353 के अधीन तारीख 18 मार्च, 2003 को अभियुक्त व्यक्तियों के विरुद्ध प्रथम इत्तिला रिपोर्ट पुलिस थाना

ओट, जिला मंडी में रजिस्ट्रीकृत की गई । श्री करम सिंह द्वारा अन्वेषण किया गया । डा. एल. आर. भाटिया से आहतों की परीक्षा कराई गई और एमएलसी पुलिस द्वारा अभिलेख पर लिया गया । साक्षियों के कथन अभिलिखित किए गए थे और अन्वेषण के पश्चात् विचारण के लिए न्यायालय के समक्ष चालान प्रस्तुत किया गया । अभियुक्तों ने निचले अपील न्यायालय के आक्षेपित निर्णय के विरुद्ध पुनरीक्षण याचिका फाइल की । पुनरीक्षण याचिका खारिज करते हुए,

अभिनिर्धारित – पक्षकारों के विद्वान् काउंसेल को सुना गया तथा अभिलेख का भी परिशीलन किया गया । न्यायालय का विचारित मत यह है कि निचले न्यायालयों ने अभियोजन पक्ष द्वारा पेश किया गया सम्पूर्ण साक्ष्य का सही और पूरी तरह मूल्यांकन किया है । न्यायालय अभिलेख पर प्रकट कोई प्रत्यक्ष गलती या अनियमितता नहीं पाता है । दूसरे न्यायालयों द्वारा निकाले गए निष्कर्ष विधि के ठोस सिद्धांत पर आधारित हैं और इस बारे में कोई कल्पना नहीं की जा सकती है कि उन्हें विपरीत कहा जा सके । न्यायालय का विचारित मत यह है कि घटनास्थल पर शिकायतकर्ता तथा श्री सुरेन्द्र सिंह की मौजूदगी थी जो प्रश्नगत यान में क्रमशः कंडक्टर और ड्राइवर के पद पर तैनात थे, इस बारे में कोई विवाद नहीं किया जा सकता । ऐसी किसी दशा में तथ्य श्री चमन लाल, उपखंड प्रबंधक, नहान, जिला सिरमौर तथा श्री जीवन चंद के परिसाक्ष्य से साबित हुआ । यह तथ्य कि शिकायतकर्ता की डा. एल. आर. भाटिया से चिकित्सा परीक्षा करवाई गई थी । इस बात को अभिलेख पर पूर्णतया सिद्ध किया गया है । एमएलसी रिपोर्ट से यह प्रकट हुआ है कि क्षतियां प्रकृति में साधारण थीं और शिकायतकर्ता श्री हेम सिंह के चेहरे और नाक की हड्डी पर खरोंच थी । कुंद वस्तु से क्षतियां कारित की गई थीं । सभी अभियुक्त व्यक्तियों के आचरण और दोषिता के बारे में अभियोजन पक्षकथन सिद्ध करते हुए श्री जी. एस. गुलेरिया, विद्वान् सहायक महाधिवक्ता ने श्री हेम सिंह के परिसाक्ष्य की ओर हमारा ध्यान दिलाया । उसके परिसाक्ष्य की सावधानीपूर्वक परीक्षा करने पर केवल यह उपदर्शित हुआ है कि वह घटनास्थल पर अभियुक्त व्यक्तियों की मौजूदगी के बारे में पहचान करने में समर्थ था । उसने निश्चित शब्दों में यह अभिसाक्ष्य दिया है कि अभियुक्त व्यक्ति बस के अंदर घुसे और उस पर तथा ड्राइवर श्री सुरेन्द्र सिंह दोनों पर हमला किया । ऐसा बिना कारण के तथा बिना बचाव के किया गया था । इसके अतिरिक्त घटनास्थल के साक्षी श्री हरिकृष्ण शर्मा और श्री पवन

कुमार जिन्हें विचारण के दौरान पक्षद्रोही घोषित किया गया था, की सावधानीपूर्वक संवीक्षा की गई । इससे केवल यह प्रकट हुआ है कि उन्होंने शिकायतकर्ता के परिसाक्ष्य की कुछ सीमा तक सम्पुष्टि की है । उन्हें केवल इस आधार पर पक्षद्रोही घोषित किया गया था कि वे उन व्यक्तियों की शिनाख्त नहीं करे सके जिन्होंने शिकायतकर्ता पर हमला किया था । तथापि, इन साक्षियों ने स्पष्ट रूप से इस तथ्य से इनकार नहीं किया है कि अभियुक्त व्यक्ति अपराध के समय पर घटनास्थल पर वास्तविक रूप से मौजूद था । इसके अतिरिक्त, इन साक्षियों ने इस सीमा तक अभि. सा. 1 के परिसाक्ष्य की भी सम्पुष्टि की है कि बस के अंदर वर्णित समय और स्थान पर घटना घटी । निचले न्यायालयों ने इस तथ्य का सही रूप से भी मूल्यांकन किया है कि फटे कपड़े अर्थात् कमीज पुलिस द्वारा विचारण के दौरान बरामद की गई थी । यह तथ्य कि अभियुक्त ने अपराध किया था जिसके लिए उन्हें आरोपित किया गया था और उन आरोपों को युक्तियुक्त संदेह के परे सिद्ध किया गया है । निचले अपील न्यायालय ने ठीक ही यह अभिनिर्धारित किया है कि ड्राइवर जो प्राइवेट यान चलाते हैं, विधि की घोर उपेक्षा कर यात्रियों को खतरा पहुंचाते हैं । न्यायालय का विचारित मत यह है कि उन्हें अपराधी परिवीक्षा अधिनियम, 1958 का कोई फायदा प्राप्त करने के योग्य नहीं हैं जैसाकि उनके विद्वान् काउंसेल द्वारा भी अभिवाक् किया गया है । वास्तव में निचले न्यायालयों ने दंड को अधिनिर्णीत करने में काफी उदारता बरती । इसलिए, न्यायालय का विचारित मत यह है कि अभियोजन पक्ष अपने पक्षकथन को पूर्णतया सिद्ध करने में युक्तियुक्त संदेह के परे समर्थ हुआ है । निचले न्यायालयों द्वारा निकाले गए निष्कर्षों में न तो कोई अवैधानिकता है और न ही कोई प्रतिकूलता । इस प्रकार, पुनरीक्षण आवेदन खारिज किया जाता है और अभियुक्त व्यक्तियों द्वारा दिए गए जमानत बंधपत्र रद्द किए जाते हैं । अभियुक्त व्यक्तियों को दंडादेश भोगने के लिए अभ्यर्पण करने हेतु निदेशित किया जाता है तथा विचारण न्यायालय विधि के अनुसरण में कार्यवाही करेगा । (पैरा 7, 8, 9, 11, 13, 14 और 15)

पुनरीक्षण (दांडिक) अधिकारिता : 2007-ई का दांडिक पुनरीक्षण आवेदन सं. 6.

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 401/397 के अधीन पुनरीक्षण आवेदन ।

आवेदक की ओर से श्री जी. आर. पलसरा, अधिवक्ता

प्रत्यर्थी की ओर से सर्वश्री आर. एस. वर्मा, अपर महाधिवक्ता और जी. एस. गुलेरिया, सहायक महाधिवक्ता

न्यायमूर्ति संजय करोल – यह पुनरीक्षण आवेदन अभियुक्त व्यक्तियों द्वारा पुलिस चालान सं. 46-I/2003, हिमाचल प्रदेश राज्य बनाम हेम सिंह और अन्य में उपखंड न्यायिक मजिस्ट्रेट छछोइत, गोहर, जिला मंडी, हिमाचल प्रदेश की ओर से तारीख 22 फरवरी, 2006 को पारित किए गए निर्णय को आक्षेपित करते हुए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 397/401 के अधीन फाइल किया गया है । जिसमें अभियुक्त व्यक्तियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 341, 353 और 332 के साथ पठित धारा 34 के अधीन दंडनीय अपराध कारित करने के लिए दोषसिद्ध किया गया था जिसकी 2006 की दांडिक अपील सं. 7, हेम सिंह और अन्य बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य में विद्वान् सेशन न्यायाधीश, मंडी द्वारा तारीख 21 दिसंबर, 2006 को अपने निर्णय द्वारा अभिपुष्टि की गई ।

2. संक्षेप में अभियोजन पक्षकथन इस प्रकार है कि तारीख 18 मार्च, 2003 को लगभग 4.30 बजे अपराह्न हरियाणा सड़क परिवहन निगम की बस जिसकी सं. एचपी-34-ए-1268 है द्वारा श्री सुरेन्द्र सिंह (जिसकी परीक्षा नहीं की गई) कुल्लू से बंजारा जा रहा था । शिकायतकर्ता श्री हेम सिंह (अभि. सा. 1) उस समय यान में कंडक्टर के पद पर तैनात था । प्राइवेट बस जिसकी सं. एचपी-34-0887 है, सुनील दत्त अभियुक्त सं. 2 द्वारा चलाई जा रही थी और बालीचौकी की ओर आगे बढ़ रही थी जो वही दिशा थी । जब सुरेन्द्र सिंह ने प्राइवेट बस से आगे निकलने की कोशिश की तो उसने उसे आगे नहीं निकलने दिया । तत्पश्चात् दोनों यान कुछ दूरी पर एकसाथ आ गए । सुरेन्द्र सिंह द्वारा चलाई जा रही बस डारी नाम से ज्ञात स्थान पर रुक गई । वहां पर सभी अभियुक्त व्यक्ति प्राइवेट बस से नीचे उतर गए और सुरेन्द्र सिंह द्वारा चलाई जा रही बस में प्रविष्ट हुए और उन्होंने परिवादी तथा सुरेन्द्र सिंह दोनों को पीटना शुरू कर दिया । जिसके परिणामस्वरूप हेम सिंह और सुरेन्द्र सिंह दोनों को क्षतियां पहुंचीं और हरी कृष्ण शर्मा (अभि. सा. 2), पवन कुमार (अभि. सा. 6) और करम दत्त (अभि. सा. 9) सहित यात्रियों के मध्यक्षेप करने पर अभियुक्त व्यक्तियों के चंगुल से आहत व्यक्तियों को बचा लिया गया और मामले की रिपोर्ट पुलिस को दी गई थी और दंड संहिता की धारा 353, 332, 341, 323, 147, 506 और 353 के अधीन तारीख 18 मार्च, 2003 को अभियुक्त व्यक्तियों के विरुद्ध प्रथम इत्तिला रिपोर्ट सं. 24/3 (प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 1/ग)

पुलिस थाना ओट, जिला मंडी में रजिस्ट्रीकृत की गई । करम सिंह (अभि. सा. 8) द्वारा अन्वेषण किया गया । डा. एल. आर. भाटिया (अभि. सा. 5) से आहतों की परीक्षा कराई गई और एमएलसी (प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 5/क) पुलिस द्वारा अभिलेख पर लिया गया । साक्षियों के कथन अभिलिखित किए गए और अन्वेषण के पश्चात् विचारण के लिए न्यायालय के समक्ष चालान प्रस्तुत किया गया ।

3. अभियुक्त व्यक्तियों को दंड संहिता की धारा 353, 332, 341, 506 के साथ पठित धारा 34 के अधीन दंडनीय अपराध किए जाने के लिए आरोपित किया गया था जिस पर उन्होंने दोषी नहीं होने का अभिवाक् किया और विचारण किए जाने का दावा किया ।

4. अभियोजन पक्ष ने युक्तियुक्त संदेह के परे अपने पक्षकथन को साबित करने के लिए कुल मिलाकर 9 साक्षियों की परीक्षा की । अभियुक्त व्यक्तियों के कथन भी अभिलिखित किए गए थे परंतु प्रतिरक्षा में कोई साक्ष्य उनके द्वारा नहीं दिया गया था ।

5. विचारण न्यायालय ने मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य का मूल्यांकन करने के पश्चात् आरोपित अपराधों से सभी अभियुक्त व्यक्तियों को दोषसिद्ध कर दिया और उन्हें दंड संहिता की धारा 341 के साथ पठित धारा 34 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए एक माह की अवधि के लिए साधारण कारावास भोगने तथा 500.00 रुपए के जुर्माने का संदाय करने के लिए दंडादिष्ट किया; दंड संहिता की धारा 353 के साथ पठित धारा 34 के अधीन दंडनीय अपराधों के लिए अलग-अलग 6 मास का कारावास तथा 1000.00 रुपए जुर्माने का दंडादेश दिया । दंड संहिता की धारा 332 के साथ पठित धारा 34 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए अलग-अलग 6 मास का कारावास और 1,500.00 रुपए जुर्माना का संदाय करने का दंडादेश दिया गया । व्यतिक्रम की दशा में अभियुक्त व्यक्ति को 1 मास की अवधि के लिए अतिरिक्त कारावास भोगने का भी दंडादेश दिया गया । दंडादेश साथ-साथ चलने का आदेश दिया गया ।

6. अभियुक्त व्यक्तियों ने अपील फाइल की और तारीख 21 दिसंबर, 2006 के आक्षेपित आदेश के निबंधनों में निचले अपील न्यायालय ने सभी विषयों पर दंड संहिता की धारा 341, 353, 332 के साथ पठित धारा 34 के अधीन दंडनीय अपराधों के संबंध में दोषसिद्धि कायम रखते हुए 6 मास के कारावास को 3 मास के कारावास में कम कर दिया । परिणामस्वरूप, अभियुक्त व्यक्तियों को दंड संहिता की धारा 341 के अधीन दंडनीय

अपराध किए जाने के लिए 1 मास की अवधि का दंड भोगना तथा दंड संहिता की धारा 353 और 332 के अधीन दंडनीय अपराध किए जाने के लिए 3 मास की अवधि का कारावास भोगना अपेक्षित था । इसके अतिरिक्त, उन्हें विचारण न्यायालय द्वारा अधिनिर्णीत किए गए जुर्माने की रकम का संदाय करना अपेक्षित था ।

7. पक्षकारों के विद्वान् काउंसेल को सुना गया तथा अभिलेख का भी परिशीलन किया गया । मेरा विचारित मत यह है कि निचले न्यायालयों ने अभियोजन पक्ष द्वारा पेश किया गया सम्पूर्ण साक्ष्य का सही और पूरी तरह मूल्यांकन किया है । मैं अभिलेख पर प्रकट कोई प्रत्यक्ष गलती या अनियमितता नहीं पाता हूं । दूसरे न्यायालयों द्वारा निकाले गए निष्कर्ष विधि के ठोस सिद्धांत पर आधारित है और इस बारे में कोई कल्पना नहीं की जा सकती है कि उन्हें विपरीत कहा जा सके ।

8. मेरा विचारित मत यह है कि घटनास्थल पर शिकायतकर्ता तथा श्री सुरेन्द्र सिंह की मौजूदगी थी जो प्रश्नगत यान में क्रमशः कंडक्टर और ड्राइवर के पद पर तैनात थे, इस बारे में कोई विवाद नहीं किया जा सकता । ऐसी किसी दशा में तथ्य श्री चमन लाल (अभि. सा. 4) उपखंड प्रबंधक, नहान, जिला सिरमौर तथा श्री जीवन चंद (अभि. सा. 7) के परिसाक्ष्य से साबित हुआ । यह तथ्य कि शिकायतकर्ता की डा. एल. आर. भाटिया (अभि. सा. 5) से चिकित्सा परीक्षा करवाई गई थी । इस बात को अभिलेख पर पूर्णतया सिद्ध किया गया है । एमएलसी रिपोर्ट प्रदर्श (पी. डब्ल्यू. 5/क) से यह प्रकट हुआ है कि क्षतियां प्रकृति में साधारण थीं और शिकायतकर्ता श्री हेम सिंह के चेहरे और नाक की हड्डी पर खरोंच थी । कुंद वस्तु से क्षतियां कारित की गई थीं ।

9. सभी अभियुक्त व्यक्तियों के आचरण और दोषिता के बारे में अभियोजन पक्षकथन सिद्ध करते हुए श्री जी. एस. गुलेरिया, विद्वान् सहायक महाधिवक्ता ने श्री हेम सिंह (अभि. सा. 1) के परिसाक्ष्य की ओर हमारा ध्यान दिलाया । उसके परिसाक्ष्य की सावधानीपूर्वक परीक्षा करने पर केवल यह उपदर्शित हुआ है कि वह घटनास्थल पर अभियुक्त व्यक्तियों की मौजूदगी के बारे में पहचान करने में समर्थ था । उसने निश्चित शब्दों में यह अभिसाक्ष्य दिया है कि अभियुक्त व्यक्ति बस के अंदर घुसे और उस पर तथा ड्राइवर श्री सुरेन्द्र सिंह दोनों पर हमला किया । ऐसा बिना कारण के तथा बिना बचाव के किया गया था ।

10. आवेदकों के विद्वान् काउंसेल श्री जी. आर. पलसरा ने प्रबल रूप

से यह दलील दी है कि इस साक्षी ने यह भी कथन किया है कि वहां अन्य व्यक्ति भी थे जिनकी वह पहचान नहीं कर सका परंतु उन्होंने उसकी पिटाई भी की थी । इस पर मेरा विचारित मत यह है कि इससे अभियोजन पक्षकथन किसी भी तरह घातक नहीं है या श्री हेम सिंह के अविचलित साक्ष्य अखंडनीय हैं ।

11. इसके अतिरिक्त घटनास्थल के साक्षी श्री हरिकृष्ण शर्मा (अभि. सा. 2) और श्री पवन कुमार (अभि. सा. 6) जिन्हें विचारण के दौरान पक्षद्रोही घोषित किया गया था, की सावधानीपूर्वक संवीक्षा की गई । इससे केवल यह प्रकट हुआ है कि उन्होंने शिकायतकर्ता (अभि. सा. 1) के परिसाक्ष्य की कुछ सीमा तक सम्पुष्टि की है । उन्हें केवल इस आधार पर पक्षद्रोही घोषित किया गया था कि वे उन व्यक्तियों की शिनाख्त नहीं कर सके जिन्होंने शिकायतकर्ता पर हमला किया था । तथापि, इन साक्षियों ने स्पष्ट रूप से इस तथ्य से इनकार नहीं किया है कि अभियुक्त व्यक्ति अपराध के समय पर घटनास्थल पर वास्तविक रूप से मौजूद था । इसके अतिरिक्त, इन साक्षियों ने इस सीमा तक अभि. सा. 1 के परिसाक्ष्य की भी सम्पुष्टि की है कि बस के अंदर वर्णित समय और स्थान पर घटना घटी ।

12. श्री पलसरा ने यह दलील दी है कि अभि. सा. 1 का कथन विचलित करने वाला है क्योंकि उसके कथन में विभेद प्रकट हुआ है तथा अभि. सा. 8 के कथन में भी विभेद प्रकट हुआ है । अभि. सा. 1 के वृत्तांत के अनुसार वह पुलिस चौकी, बालीचौकी पर मामले की रिपोर्ट देने के लिए गया जिस तथ्य के बारे में अभि. सा. 8 द्वारा इनकार किया गया है । मेरे विचारित मत से ऐसा विभेद तात्विक नहीं है; और यह मामले की तह तक नहीं जाता है और इसे प्रकृति में तात्विक नहीं कहा जा सकता । घटना के वास्तविक घटने के संबंध में कोई विभेद नहीं है ।

13. निचले न्यायालयों ने इस तथ्य का सही रूप से भी मूल्यांकन किया है कि फटे कपड़े अर्थात् कमीज (प्रदर्श पी-1) पुलिस द्वारा विचारण के दौरान बरामद की गई थी । यह तथ्य कि अभियुक्त ने अपराध किया था जिसके लिए उन्हें आरोपित किया गया था और उन आरोपों को युक्तियुक्त संदेह के परे सिद्ध किया गया है ।

14. निचले अपील न्यायालय ने ठीक ही यह अभिनिर्धारित किया है कि ड्राइवर जो प्राइवेट यान चलाते हैं, विधि की घोर उपेक्षा कर यात्रियों को खतरा पहुंचाते हैं । मेरा विचारित मत यह है कि उन्हें अपराधी परिवीक्षा अधिनियम, 1958 का कोई फायदा प्राप्त करने के योग्य नहीं हैं जैसाकि

उनके विद्वान् काउंसेल द्वारा भी अभिवाक् किया गया है । वास्तव में निचले न्यायालयों ने दंड को अधिनिर्णीत करने में काफी उदारता बरती ।

15. इसलिए, मेरा विचारित मत यह है कि अभियोजन पक्ष अपने पक्षकथन को पूर्णतया सिद्ध करने में युक्तियुक्त संदेह के परे समर्थ हुआ है । निचले न्यायालयों द्वारा निकाले गए निष्कर्षों में न तो कोई अवैधानिकता है और न ही कोई प्रतिकूलता । इस प्रकार, पुनरीक्षण आवेदन खारिज किया जाता है और अभियुक्त व्यक्तियों द्वारा दिए गए जमानत बंधपत्र रद्द किए जाते हैं । अभियुक्त व्यक्तियों को दंडादेश भोगने के लिए अभ्यर्पण करने हेतु निदेशित किया जाता है तथा विचारण न्यायालय विधि के अनुसरण में कार्यवाही करेगा ।

पूर्वोक्त मताभिव्यक्तियों को ध्यान में रखते हुए वर्तमान पुनरीक्षण आवेदनों का निपटारा किया जाता है तथा यदि कोई लंबित आवेदन है उसका भी निपटारा किया जाता है ।

पुनरीक्षण याचिका खारिज की गई ।

आर्य

(2014) 1 दा. नि. प. 576 **हिमाचल प्रदेश**

हिमाचल प्रदेश राज्य

बनाम

दयाराम और अन्य

तारीख 24 जून, 2013

न्यायमूर्ति सुरिन्दर सिंह और न्यायमूर्ति राजीव शर्मा

दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) – धारा 302 [सपठित साक्ष्य अधिनियम, 1872 (1872 का 1) – धारा 3] – हत्या – पारिस्थितिक साक्ष्य – जहां मामले के तथ्यों और परिस्थितियों तथा साक्ष्यों की संवीक्षा पर यह निष्कर्ष निकलता है कि मामले की सभी बरामदगियां मात्र काल्पनिक थीं और मृतका को हत्या की तारीख या इसके ठीक पश्चात् अभियुक्त व्यक्तियों के घर के आस-पास भी नहीं देखा गया तथा सभी परिस्थितियों को समग्रता से देखने पर अकाट्य रूप से यह नहीं कहा जा

सकता कि हत्या अभियुक्त व्यक्तियों द्वारा ही कारित की गई थी वहां अभियुक्त व्यक्ति दोषमुक्त किए जाने के हकदार हैं ।

संक्षेप में अभियोजन पक्षकथन इस प्रकार है कि सारन की तीन पुत्रियां और दो पुत्र थे अर्थात् पूरन चन्द और मृतक बूटेश्वर । लगभग 12 वर्ष पूर्व मृतक का प्रत्यर्थी दयाराम की पुत्री शांता देवी के साथ विवाह हुआ था और हिमा देवी जो अभियुक्त नाग राम की बहन है । इस विवाह से चार पुत्रियां हुईं । यह अभिकथित है कि शांता देवी और मृतक बूटेश्वर के बीच आपस में कहा-सुनी हुई थी परंतु विवाद ने घने कोहरे का रूप ले लिया था । तथापि, जब कभी शांता देवी अपने पैतृक मकान पर जाती तो वह शांत रहती थी और मृतक द्वारा उसे वापस लाया जाता था । वर्ष 2003 में लाहोरी उत्सव के लगभग 10 दिन पूर्व शांता देवी अपने पति से नाराज होकर अपने पैतृक मकान चली गई थी । तारीख 11 जनवरी, 2003 को मृतक बूटेश्वर के बारे में उसे वापस लाने के लिए जाने का अभिकथन किया गया है तब उसने काले रंग का जैकेट और नीले रंग का पायजामा तथा स्पोर्ट शूज पहन रखे थे परंतु इसके पश्चात् गांव वापस नहीं लौटा । ऐसा होने पर उसका पिता सारन काफी परेशान हुआ था, उसने अपने स्तर पर पूछताछ भी की । अंततोगत्वा वह अभियुक्त व्यक्तियों के मकान पर गया और उनसे वहां पहुंचने पर पूछताछ की परंतु उन्होंने बताया कि मृतक उनके स्थान पर नहीं आया । इसके पश्चात् उसने अलग-अलग गांव में अपने नातेदारों के मकानों पर उसकी तलाशी ली परंतु वह असफल रहा । इसके पश्चात् उसने पुलिस थाना गोहर में उसके गायब होने के बारे में रिपोर्ट दर्ज की । बाद में सारन को अभियुक्तों के गलत आचरण के बारे में संदेह हुआ और उसने पुलिस को लिखित शिकायत दी और तारीख 1 मार्च, 2003 को निरीक्षक के. डी. शर्मा सारन द्वारा प्रस्तुत शिकायत पर पूछताछ करने के लिए पंडोह पहुंचा । अभि. सा. 15 ने हिमा देवी से पूछताछ की । इसके पश्चात् उपखंड मजिस्ट्रेट, मंडी और उप-पुलिस अधीक्षक शुभरा तिवारी से पंडोह जाने के लिए अनुरोध किया । वे वहां पहुंचे और नायब तहसीलदार एस. एल. बंसल को जिला कलक्टर मंडी द्वारा भी तैनात किया गया था । तारीख 1 मार्च, 2003 को उनकी मौजूदगी में अभियुक्त हिमा देवी के बारे में साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के अधीन प्रकटीकरण कथन किया जाना अभिकथित है और वह पुलिस को "बरोतु नाला" पर ले गई । उस स्थान की पहचान की गई और वहां से दुर्गंध आ रही थी । वहां पर काफी अंधेरा था । पुलिस को उस स्थान पर घेरा डालने

के लिए निदेशित किया गया । अगले दिन प्रातः अर्थात् तारीख 2 मार्च, 2003 को अभियुक्त हिमा देवी द्वारा उन्हें उस स्थान पर ले जाया गया और टाट के बोरे में पत्थरों से ढककर रखे गए शव को बरामद किया गया था । टाट के बोरे की जांच करने पर उसमें मानव कंकाल पाया गया और जिसमें पैंट, स्वैटर, कमीज, जांघियां पहन रखे थे और दाहिने पैर पर एक जूता था और उसके पैंट की जेब में एक रक्सीन का पर्स पाया गया जिसमें मृतक बूटेश्वर का चुनाव आयोग का पहचान कार्ड तथा 50/- रुपए थे और उसकी पत्नी का एक फोटो था । कंकाल को लकड़ी के संदूक में रखा गया था और घटनास्थल के नजदीक कपड़े और दो नाड़े पड़े हुए थे जिन्हें दो कपड़ों के दो अलग-अलग पार्सलों में रखा गया था और मोहर की छाप "ए" द्वारा मोहरबंद किया गया । घटनास्थल पर फोटो लिए गए और मृत्यु समीक्षा कागजात भरे गए । तारीख 4 मार्च, 2003 को अभियुक्त हिमा देवी की कमीज और सलवार प्रदर्श पी-30 बरामद की गई जिन्हें कब्जे में लिया गया । यह अभिकथन किया गया कि अभियुक्त दयाराम ने कुल्हाड़ी से बूटेश्वर की हत्या करने के बारे में संस्वीकृति दी और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के अधीन प्रकटीकरण कथन किया जिसके अनुसरण में कुल्हाड़ी बरामद की गई जिसे मोहरबंद करके रासायनिक परीक्षा के लिए भेजा गया और उसकी कमीज और पैंट को बरामद किया गया था जिसे कब्जे में लिया गया था । यह भी अभिकथन किया गया है कि अभियुक्त दयाराम पुलिस दल को अपने मकान पर ले गया और जैकेट, बाएं पांव का स्पोर्ट शूज और पैंट बरामद किया गया जिनकी शिकायतकर्ता द्वारा अपने पुत्र के होने की पहचान की और उन्हें कब्जे में लिया गया । इसके पश्चात् अभियुक्त दयाराम ने "बरोतु नाला" से डंडा बरामद कराया जिस पर शव को ले जाया गया था और इसे भी कब्जे में लिया गया था । डा. जीवानंद चौहान, एमडी फोरेंसिक साइंस को पुलिस द्वारा सूचना दी गई थी और उसके द्वारा कंकाल की परीक्षा की गई । उसने पीएमआर तैयार किया । डाक्टर ने यह राय व्यक्त की कि यह संभव नहीं था कि वास्तविक मृत्यु का कारण क्या रहा होगा परंतु परीक्षा और घटनास्थल पर जाने से तथा पारिस्थितिक साक्ष्य से यह प्रकट हुआ है कि मृतक की सिर की क्षतियों की वजह से मृत्यु हुई । मृत्यु और क्षति के बीच संभाव्य समय का अभिनिश्चयन नहीं किया जा सका क्योंकि शव सड़ जाने की वजह से उसमें बदलाव आ गया था । मृत्यु और शव परीक्षण के बीच अनुमानतः 1 मास से 2 मास का समय अंतराल था । खोपड़ी पर क्षति की प्रकृति मृत्यु पूर्व होने की राय दी गई । मृतक के भाई पूरन चंद द्वारा कंकाल की

शिनाख्त की गई । तारीख 5 मार्च, 2003 को अभियुक्त नागनु राम को गिरफ्तार किया गया था क्योंकि अभिकथित अपराध में उसकी सहअपराधिता पाई गई । वस्तुओं को परीक्षा के लिए न्यायालयिक प्रयोगशाला भेजा गया जिसकी रिपोर्ट प्रदर्श पीएक्स है । बनियान, टाट का बोरा मृतक बूटेश्वर का जूता जिनमें रक्त लगा हुआ था । हिमा देवी की सलवार और जैकेट पर भी रक्त पाया गया था परंतु एक समूह का नहीं पाया जा सका । न्यायालयिक परीक्षा की रिपोर्ट प्रदर्श पीवाई से यह दर्शित है कि उसके फोटोग्राफ पर दिखाई गई खोपड़ी मृतक के आकार से मिलती है । अन्वेषण पूरा करने के पश्चात् अभियुक्त-व्यक्तियों के विरुद्ध विचारण न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया था और पूर्वोक्त अपराधों के लिए उनके विरुद्ध प्रथमदृष्ट्या मामला प्रकट हुआ । तद्नुसार उन्हें आरोप पत्रित किया गया जिस पर उन्होंने दोषी न होने का अभिवाक् किया और विचारण किए जाने का दावा किया । अभिलेख का पूरी तरह से परिशीलन करने और परस्पर विरोधी दलीलों का मूल्यांकन करने के पश्चात् विचारण न्यायालय ने अभिकथित अपराध में अभियुक्त-व्यक्तियों का शामिल होना नहीं पाया । इस प्रकार, उन्हें संदेह का लाभ देकर दोषमुक्त कर दिया था । इसलिए राज्य द्वारा दोषमुक्ति को वर्तमान अपील में चुनौती दी गई । उच्च न्यायालय द्वारा अपील खारिज करते हुए,

अभिनिर्धारित – निःसंदेह वर्तमान मामले में कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य नहीं है और मामला पारिस्थितिक साक्ष्य पर आधारित है । यह सुस्थापित है कि दोषिता का निष्कर्ष जो पारिस्थितिक साक्ष्य पर आधारित है तथा अभिलेख पर साबित की गई परिस्थितियों से सुस्पष्ट रूप से निष्कर्ष निकाला जा सकता है जिससे अधिकथित अपराध से अभियुक्तों को संबंधित किया जा सकता है । यदि कोई अन्य कहानी को गणना में लिए जाने की कोई गुंजाइश नहीं है तब केवल अभियुक्त की दोषिता की परिकल्पना और उन परिस्थितियों पर निश्चायक प्रकृति का निष्कर्ष निकाला जाना चाहिए और प्रत्येक परिकल्पना को अपवर्जित किया जाना चाहिए बल्कि साबित की गई दर्शित परिस्थिति यह है कि सभी मानवीय संवेदनाओं के अंतर्गत अभियुक्त द्वारा कार्य किया जाना समझा जाएगा । निरीक्षक के. डी. शर्मा के कथन में इस बारे में कुछ भी प्रकट नहीं हुआ है कि कब अभियुक्त हिमा देवी को गिरफ्तार किया गया । तथापि, शिव लाल बंसल ने यह कथन किया है कि अभियुक्त हिमा देवी से पुलिस चौकी, पंडोह में पूछताछ की गई थी । उस समय तोदार राम प्रधान और पुने राम दोनों मौजूद थे परंतु उक्त पुने राम

को साक्षी के रूप में उद्धृत नहीं किया गया है । उसने प्रतिपरीक्षा में यह कथन किया है कि वह यह नहीं जानता है कि क्या अभियुक्त वर्तमान मामले में शामिल था और उसने यह भी स्वीकार किया है कि पुलिस को घटनास्थल पर ले जाया गया था जहां से अभिकथित कंकाल की बरामदगी हुई थी । एक अन्य औसत साक्षी पूरन चंद ने यह नहीं कहा है कि क्या अभियुक्त हिमा देवी अपराध की अभियुक्त थी या पुलिस की निगरानी के अंतर्गत थी । जब उसके बारे में कथन किया जाना अभिकथित है । उसने तोदार राम और शिव लाल बंसल के मौजूद होने के बारे में कुछ भी नहीं कहा है जब अभियुक्त हिमा देवी के बारे में प्रकटीकरण किए जाने का अभिकथन किया गया है परंतु उसने पुने राम का नाम लिया है जिसे उक्त कथन में साक्ष्य के रूप में उद्धृत नहीं किया गया था । अतः इन परिस्थितियों में अभिकथित प्रकटीकरण कथन और उसके अनुसरण में बरामदगी पूर्णतया संदेहपूर्ण है । अगली परिस्थिति बाएं जूते की बरामदगी से है जिसके बारे में अभियुक्त दयाराम के कथन प्रदर्श पीसी के अनुसरण में किया जाना अभिकथित है । उप-निरीक्षक मंगत राम के बारे में पुने राम और सारन की मौजूदगी में तारीख 2 मार्च, 2003 को लगभग 10.00 बजे अपराह्न इस कथन को अभिलिखित किया जाना कहा गया है । यह संस्वीकृति कथन के प्ररूप में प्रकट है जो साक्ष्य में अग्राह्य है और इसके अतिरिक्त एक जूता जिसे उसके द्वारा रास्ते के पीछे बाहरी ओर छुपाकर रखे जाने का अभिकथन किया गया है जिसे उसके द्वारा बरामद किया जा सका । इस कथन से यह प्रकट हुआ है कि मृतक के अभिकथित जूते के साथ अभियुक्त को संबंधित करने के लिए उसे केवल अभिलिखित किया गया है क्योंकि जूतों में से एक जूते की बरामदगी इससे पूर्व पहले ही घटनास्थल पर हुई थी कि सारन ने यह कथन किया है कि दूसरा जूता खेत में पाया गया था । अतः, कथन से यह प्रकट हुआ है कि इस परिस्थिति से अभियुक्त को संबंधित करने के लिए इसे तैयार किया गया था जबकि शांता देवी ने इस बात से इनकार किया है कि जूता उसके पति से संबंधित था । इसके अतिरिक्त यह बात समझ में नहीं आती है कि जब अभियुक्त दयाराम से तारीख 3 मार्च, 2003 को पूछताछ की जा रही थी तब उसी दिन वह कथन को कर सका था तथा कुल्हाड़ी की बरामदगी हुई थी परंतु अभियोजन पक्षकथन के अनुसार तारीख 4 मार्च, 2003 को अभियुक्त दयाराम ने अपने निवास स्थान से कुल्हाड़ी को बरामद किया था जिसके बारे में कोई प्रकटीकरण कथन नहीं है मात्र इसको प्रस्तुत किए जाने की कोई परिस्थिति नहीं है । अभिकथित अपराध के साथ कुल्हाड़ी

को संबंधित नहीं किया गया है और न यह रक्त रंजित पाई गई थी । इसके अतिरिक्त, अभिकथित घटना कंकाल के बरामदगी की तारीख से 1-1/2 मास पूर्व घटी थी । सारन के अनुसार ये सभी वस्तुएं कमरे में खुले रूप में पड़ी हुई थीं जिससे इस बारे में मानव कल्पना पर आघात पहुंचता है कि अभिकथित आपराधिक प्रदर्शित वस्तुएं काफी समय से कमरे में रखी हुई थीं जो युक्तियुक्त नहीं हैं । अभियुक्त नागनु राम के विरुद्ध अपराध में फंसाने वाली परिस्थिति में स्पष्टतया कुछ भी नहीं हैं । संवीक्षा करने पर न्यायालय ने यह निष्कर्ष निकाला है कि सभी बरामदगियां कुछ भी नहीं हैं परंतु विडंबना है । मृतक तारीख 11 जनवरी, 2003 या इसके तत्काल पश्चात् अभियुक्त-व्यक्तियों के मकान के आस-पास भी नहीं देखा गया था । रजनी के अनुसार जिसे मृतक बूटेश्वर उसकी दुकान में 6.00 बजे अपराह्न उससे मिला था वह कुछ किराना सामान खरीदने के पश्चात् अभियुक्त-व्यक्तियों के मकान को जा रहा था परंतु उसने प्रतिपरीक्षा में यह कथन किया है कि बस ने लगभग 5.00 बजे अपराह्न अभियुक्त व्यक्तियों के मकान की ओर प्रस्थान किया और उसके पश्चात् कोई भी बस सेवा नहीं थी तथा उसने बस में उसे चढ़ते हुए नहीं देखा था । मृतक और अभियुक्त के मकान के बीच की दूरी केवल 5 किलोमीटर है । अभिलेख पर ऐसा कोई स्पष्ट साक्ष्य नहीं है कि उसने अपने ससुराल वालों के मकान में पहुंचने के लिए कौन सा तरीका इस्तेमाल किया या वह उनके वहां गया । मृतक और अभियुक्त-व्यक्तियों के संबंध स्वीकृततः सौहार्दपूर्ण थे । शांता देवी और उसके पति मृतक के बीच छोटी-मोटी कहा-सुनी हुई थी और ऐसी बातों से शांता देवी द्वारा इनकार किया गया है । अभिलेख पर ऐसा कोई भी साक्ष्य नहीं है कि मृतक शांता देवी को बलपूर्वक अपने मकान पर ले जाना चाहता था जिस पर प्रत्यर्थियों ने मध्यक्षेप करने की कोशिश की और यह बात मृतक की हत्या का कारण बनी । इसके पूर्व भी अभियुक्तों ने मृतक से कभी भी इस बात का विरोध नहीं किया जब वह अपने साथ अपनी पत्नी को ले गया था । ऐसे किसी भी अवसर पर कोई भी आक्षेप नहीं किया गया । यह भी सिद्ध नहीं किया गया है कि नश्वर शरीर बूटेश्वर का था । केवल फोरेंसिक राय यह है कि मृतक के फोटोग्राफ से साथ खोपड़ी का ढांचा तुल्यकालिक है । डा. जीवानंद चौहान ने बरामद की गई सामग्री के सड़ाव के कारण क्षति और मृत्यु के बीच कोई संभाव्य समय प्रकट नहीं किया है । इस प्रकार, सम्पूर्ण परिस्थितियों के आधार पर और अभियुक्त-व्यक्तियों की दोषमुक्ति को दोषसिद्धि में संपरिवर्तित नहीं किया जा सकता क्योंकि सामने रखी गई ये परिस्थितियां निश्चायक प्रकृति और

19--355 म्मान्. आफ एल. एण्ड जे./2014

प्रवृत्ति की नहीं हैं । (पैरा 9, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23 और 24)

अपीली (दांडिक) अधिकारिता : 2007 की दांडिक अपील सं. 355.

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 374 के अधीन अपील ।

अपीलार्थी की ओर से सर्वश्री डी. सी. पथिक, अपर महाधिवक्ता और पी. एम. नेगी, उप-महाधिवक्ता

प्रत्यर्थियों की ओर से श्री जी. आर. पलसरा, अधिवक्ता

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति सुरिन्दर सिंह ने दिया ।

न्या. सिंह – प्रत्यर्थियों को आरोप पत्रित करके उनका विचारण किया गया था और उन्हें बूटेश्वर (मृतक) की अभिकथित हत्या के लिए दंड संहिता की धारा 302 और 201 के साथ पठित धारा 34 के अधीन दंडनीय अपराधों से दोषमुक्त किया गया था । राज्य द्वारा वर्तमान अपील में उनकी दोषमुक्ति को चुनौती दी गई है ।

2. संक्षेप में अभियोजन पक्षकथन इस प्रकार है कि सारन (अभि. सा. 2) की तीन पुत्रियां और दो पुत्र थे अर्थात् पूरन चन्द और मृतक बूटेश्वर । लगभग 12 वर्ष पूर्व मृतक का प्रत्यर्थी दयाराम की पुत्री शांता देवी (अभि. सा. 6) के साथ विवाह हुआ था और हिमा देवी जो अभियुक्त नाग राम की बहन है । इसमें इसके पश्चात् उन्हें "अभियुक्त व्यक्ति" कहा गया है । इस विवाह से चार पुत्रियां हुईं । यह अभिकथित है कि शांता देवी और मृतक बूटेश्वर के बीच आपस में कहा-सुनी हुई थी परंतु विवाद ने घने कोहरे का रूप ले लिया था । तथापि, जब कभी शांता देवी अपने पैतृक मकान पर जाती तो वह शांत रहती थी और मृतक द्वारा उसे वापस लाया जाता था ।

(ii) वर्ष 2003 में लाहोरी उत्सव के लगभग 10 दिन पूर्व शांता देवी (अभि. सा. 6) अपने पति से नाराज होकर अपने पैतृक मकान चली गई थी । तारीख 11 जनवरी, 2003 को मृतक बूटेश्वर के बारे में उसे वापस लाने के लिए जाने का अभिकथन किया गया है तब उसने काले रंग का जैकेट और नीले रंग का पायजामा तथा स्पोर्ट शूज पहन रखे थे परंतु इसके पश्चात् गांव वापस नहीं लौटा । ऐसा होने पर उसका पिता सारन (अभि. सा. 2) काफी परेशान हुआ था, उसने अपने स्तर पर पूछताछ भी की । अंततोगत्वा वह अभियुक्त व्यक्तियों के मकान पर गया और उनसे

अपने वहां पहुंचने पर पूछताछ की परंतु उन्होंने बताया कि मृतक उनके स्थान पर नहीं आया । इसके पश्चात् उसने अलग-अलग गांव में अपने नातेदारों के मकानों पर उसकी तलाशी ली परंतु वह असफल रहा । इसके पश्चात् उसने पुलिस थाना गोहर में उसके गायब होने के बारे में रिपोर्ट दर्ज की ।

(iii) बाद में सारन (अभि. सा. 2) को अभियुक्तों के गलत आचरण के बारे में संदेह हुआ और उसने पुलिस को लिखित शिकायत प्रदर्श पीबी दी और तारीख 1 मार्च, 2003 को निरीक्षक के. डी. शर्मा (अभि. सा. 15) सारन द्वारा प्रस्तुत किए गए शिकायत पर पूछताछ करने के लिए पंडोह पहुंचा ।

(iv) पूर्वोक्त अभि. सा. 15 ने हिमा देवी से पूछताछ की । इसके पश्चात् उपखंड मजिस्ट्रेट, मंडी और उप-पुलिस अधीक्षक शुभरा तिवारी से पंडोह जाने के लिए अनुरोध किया । वे वहां पहुंचे और नायब तहसीलदार एस. एल. बंसल (अभि. सा. 4) को जिला कलक्टर मंडी द्वारा भी तैनात किया गया था । तारीख 1 मार्च, 2003 को उनकी मौजूदगी में अभियुक्त हिमा देवी के बारे में साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के अधीन प्रकटीकरण कथन प्रदर्श पीडी किया जाना अभिकथित है और वह पुलिस को "बरोतु नाला" पर ले गई । उस स्थान की पहचान की गई और वहां से दुर्गंध आ रही थी । वहां पर काफी अंधेरा था । पुलिस को उस स्थान पर घेरा डालने के लिए निदेशित किया गया था ।

(v) अगले दिन प्रातः अर्थात् तारीख 2 मार्च, 2003 को अभियुक्त हिमा देवी द्वारा उन्हें उस स्थान पर ले जाया गया और टाट के बोरे में पत्थरों से ढककर रखे गए शव को बरामद किया गया था । टाट के बोरे की जांच करने पर उसमें मानव कंकाल पाया गया और जिसमें पैंट, स्वैटर, कमीज, जांघियां पहन रखे थे और दाहिने पैर पर एक जूता था और उसके पैंट की जेब में एक रक्सीन का पर्स पाया गया था जिसमें मृतक बूटेश्वर का चुनाव आयोग का पहचान कार्ड था तथा 50/- रुपए थे और उसकी पत्नी (शांता देवी अभि. सा. 6) का एक फोटो था । कंकाल को लकड़ी के संदूक में रखा गया था और घटनास्थल के नजदीक कपड़े और दो नाड़े पड़े हुए थे जिन्हें दो कपड़ों के दो अलग-अलग पार्सलों में रखा गया था और मोहर की छाप "ए" द्वारा मोहरबंद किया गया था । घटनास्थल पर फोटो लिए गए और मृत्यु समीक्षा कागजात भरे गए ।

(vi) तारीख 4 मार्च, 2003 को अभियुक्त हिमा देवी की कमीज प्रदर्श पी-29 और सलवार प्रदर्श पी-30 बरामद की गई थी जिन्हें ज्ञापन प्रदर्श पीएल के माध्यम से कब्जे में लिया गया ।

(vii) यह अभिकथन किया गया है कि अभियुक्त दयाराम ने कुल्हाड़ी से बूटेश्वर की हत्या करने के बारे में संस्वीकृति दी और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के अधीन प्रकटीकरण कथन प्रदर्श पीसी किया जिसके अनुसरण में कुल्हाड़ी प्रदर्श पी-32 बरामद की गई जिसे मोहरबंद करके रासायनिक परीक्षा के लिए भेजा गया और उसकी कमीज प्रदर्श पी-26 और पैंट प्रदर्श पी-27 को बरामद किया गया जिसे ज्ञापन प्रदर्श पीके के माध्यम से कब्जे में लिया गया ।

(viii) यह भी अभिकथन किया गया है कि अभियुक्त दयाराम पुलिस दल को अपने मकान पर ले गया और जैकेट, प्रदर्श पी-2 बाएं पांव का स्पोर्ट शूज प्रदर्श पी-3 और पैंट को बरामद किया गया जिनकी शिकायतकर्ता द्वारा अपने पुत्र के होने की पहचान की और उन्हें ज्ञापन प्रदर्श पीएच के माध्यम से कब्जे में लिया गया । इसके पश्चात् अभियुक्त दयाराम ने "बरोतु नाला" से डंडा प्रदर्श पी-33 बरामद कराया जिस पर शव को ले जाया गया था और इसे भी ज्ञापन प्रदर्श पीजे के माध्यम से कब्जे में लिया गया ।

(ix) डा. जीवानंद चौहान, एमडी फोरेंसिक साइंस (अभि. सा. 11) को पुलिस द्वारा सूचना दी गई और उसके द्वारा शरीर कंकाल की परीक्षा की गई । उसने पीएमआर प्रदर्श पीओ तैयार किया । डाक्टर ने यह राय व्यक्त की कि यह संभव नहीं था कि वास्तविक मृत्यु का कारण क्या रहा होगा परंतु परीक्षा और घटनास्थल पर जाने से तथा पारिस्थितिक साक्ष्य से यह प्रकट हुआ है कि मृतक की सिर की क्षतियों की वजह से मृत्यु हुई । मृत्यु और क्षति के बीच संभाव्य समय का अभिनिश्चयन नहीं किया जा सका क्योंकि शव सड़ जाने की वजह से उसमें बदला गया था । मृत्यु और शव परीक्षण के बीच अनुमानतः 1 मास से 2 मास का समय अंतराल था । खोपड़ी पर क्षति की प्रकृति मृत्यु पूर्व होने की राय दी गई है । मृतक के भाई पूरन चंद (अभि. सा. 3) द्वारा कंकाल की शिनाख्त की गई ।

(x) तारीख 5 मार्च, 2003 को अभियुक्त नागनु राम को गिरफ्तार किया गया था क्योंकि अभिकथित अपराध में उसकी सहअपराधिता पाई गई । वस्तुओं को परीक्षा के लिए न्यायालयिक प्रयोगशाला भेजा गया

जिसकी रिपोर्ट प्रदर्श पीएक्स है । बनियान, टाट का बोरा मृतक बूटेश्वर का जूता जिनमें रक्त लगा हुआ था । हिमा देवी की सलवार और जैकेट पर भी रक्त पाया गया परंतु एक समूह का नहीं पाया जा सका । न्यायालयिक परीक्षा की रिपोर्ट प्रदर्श पीवाई से यह दर्शित है कि उसके फोटोग्राफ पर दिखाई गई खोपड़ी मृतक के आकार से मिलती है ।

3. अन्वेषण पूरा करने के पश्चात् अभियुक्त-व्यक्तियों के विरुद्ध विचारण न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया था और पूर्वोक्त अपराधों के लिए उनके विरुद्ध प्रथमदृष्ट्या मामला प्रकट हुआ है । तद्नुसार उन्हें आरोप पत्रित किया गया जिस पर उन्होंने दोषी नहीं होने का अभिवाक् किया और विचारण किए जाने का दावा किया ।

4. अभियोजन पक्ष ने अपने साक्षियों की परीक्षा की और अभियुक्त-व्यक्तियों की दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन भी परीक्षा की गई थी । उन्होंने परिस्थितियों से इनकार किया है जो उनके समक्ष रखी गई थीं और अभिकथित अपराध में मिथ्या रूप से फंसाने का अभिवाक् किया है । जब उन्हें प्रतिरक्षा के लिए बुलाया गया था तब उन्होंने प्रतिरक्षा में कोई साक्ष्य नहीं दिया ।

5. अभिलेख का पूरी तरह से परिशीलन करने के पश्चात् और परस्पर विरोधी दलीलों का मूल्यांकन करने के पश्चात् विचारण न्यायालय ने अभिकथित अपराध में अभियुक्त-व्यक्तियों का शामिल होना नहीं पाया था । इस प्रकार, उन्हें संदेह का लाभ देकर दोषमुक्त कर दिया था । इसलिए राज्य द्वारा उस दोषमुक्ति को वर्तमान अपील में चुनौती दी गई ।

6. श्री डी. सी. पथिक, विद्वान् अपर महाधिवक्ता जिनकी श्री पी. एम. नेगी, विद्वान् उप-महाधिवक्ता द्वारा सम्यक् रूप से सहायता की गई थी, ने पुरजोर यह दलील दी है कि विचारण न्यायालय ने उचित परिप्रेक्ष्य में साक्ष्य का मूल्यांकन नहीं किया है परंतु अवास्तविक मानकों से अभियोजन साक्ष्य का मूल्यांकन किया गया । दिए गए तर्क सुस्पष्टतया अयुक्तियुक्त और कायम योग्य नहीं हैं । यह भी दलील दी गई कि अभियोजन पक्ष अभिकथित अपराधों से अभियुक्त-व्यक्तियों को संबंधित करने में असमर्थ है परंतु उनके वृत्तांत को गलत रूप से हटा दिया गया ।

7. दूसरी ओर, अभियुक्त-व्यक्तियों के विद्वान् काउंसेल श्री जी. आर. पलसरा ने दोषमुक्ति के आक्षेपित निर्णय का समर्थन किया है जो अभिलेख पर प्रकट साक्ष्य के निष्कर्षों पर आधारित है ।

8. हमने पक्षकारों की परस्पर विरोधी दलीलों पर सोच-समझकर विचार किया है और बड़ी बारीकी और सावधानीपूर्वक से साक्ष्य का पुनः मूल्यांकन किया है ।

9. निःसंदेह वर्तमान मामले में कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य नहीं है और मामला पारिस्थितिक साक्ष्य पर आधारित है । यह सुस्थापित है कि दोषिता का निष्कर्ष जो पारिस्थितिक साक्ष्य पर आधारित है तथा अभिलेख पर साबित की गई परिस्थितियों से सुस्पष्ट रूप से निष्कर्ष निकाला जा सकता है जिससे अधिकथित अपराध से अभियुक्तों को संबंधित किया जा सकता है । यदि कोई अन्य कहानी को गणना में लिए जाने की कोई गुंजाइश नहीं है तब केवल अभियुक्त की दोषिता की परिकल्पना और उन परिस्थितियों पर निश्चायक प्रकृति का निष्कर्ष निकाला जाना चाहिए और प्रत्येक परिकल्पना को अपवर्जित किया जाना चाहिए बल्कि साबित की गई दर्शित परिस्थिति यह है कि सभी मानवीय संवेदनाओं के अंतर्गत अभियुक्त द्वारा कार्य किया जाना समझा जाएगा ।

10. स्वीकृत तथ्य यह है कि शांता देवी (अभि. सा. 6) का मृतक बूटेश्वर के साथ विवाह हुआ था और इस विवाह से उसकी चार पुत्रियां हुई थीं । वह प्रायः अपने पति से छोटे-मोटे मतभेद होने पर अपने पति के मकान से चली जाती और अपने माता-पिता के साथ निवास करती । "लोहरी उत्सव" से लगभग 8-10 दिन पूर्व शांता देवी (अभि. सा. 6) के बारे में अपने माता-पिता के घर जाना अभिकथित है परंतु उसने न्यायालय में यह कथन किया है कि वह अपने पति की अनुज्ञा से गई थी । उसने अभियोजन पक्षकथन का समर्थन नहीं किया है बल्कि उसे पक्षद्रोही घोषित किया गया । उसके अनुसार उसका पति उसे अपने मकान पर वापस ले जाने के लिए आया था और वह माघ के महीने में जीवित था । उसने अपने पति से किसी प्रकार का झगड़ा होने से इनकार किया है और उसके अभियुक्त पिता द्वारा मृतक पर कुल्हाड़ी से प्रहार किए जाने और शव को टाट के बोरे में लपेटे जाने तथा "बरोतु नाले" पर फैंके जाने से इनकार किया गया है । उसने इस बात से भी इनकार किया है कि जैकेट प्रदर्श पी-2, बाएं पैर का जूता प्रदर्श पी-3 और पैंट प्रदर्श पी-6, पर्स प्रदर्श पी-10, कमीज प्रदर्श पी-20, बनियान प्रदर्श पी-22 और जांघियां प्रदर्श पी-23 जो उसके पति से संबंधित हैं । उसने इस बात से भी इनकार किया है कि उसका पति अपने पर्स प्रदर्श पी-10 में उसकी फोटो को रखता था फिर भी उसे अपने पति के जिन्दा होने की आशा है ।

11. जबकि सारन (अभि. सा. 2) ने यह कथन किया है कि मृतक बूटेश्वर उसके मकान से गायब हो गया था । नश्वर शरीर जिसके बारे में बरामद किया जाना अभिकथित है उसके पुत्र बूटेश्वर का है परंतु अपनी प्रतिपरीक्षा में उसने यह स्वीकार किया है कि अभियुक्त-व्यक्तियों के उनके साथ सौहार्द संबंध थे और वे एक-दूसरे के मकान में आया-जाया करते थे । उसके अनुसार भी जब बूटेश्वर गायब हो गया था तब अभियुक्त दयाराम उसको ढूंढने में उसके साथ था । यह उल्लेख करना भी सुसंगत है कि प्रदर्श पी-1 से पी-4 यानी पार्सल, जैकेट, बाएं पैर का स्पोर्ट्स शू और बालों का गुच्छा जो अभियुक्त दयाराम द्वारा बरामद कराया जाना अभिकथित है और उसके द्वारा पुलिस थाने में पुलिस को दिखाए जाने का अभिकथन किया गया है और उन्होंने यह बताया कि उनके द्वारा अभियुक्त दयाराम से इन वस्तुओं को बरामद किया गया था और उस वक्त उसको छोड़कर कोई नहीं था तथा पुलिस मौजूद थी । सम्पूर्ण अभियोजन कहानी का इन वस्तुओं के बारे में टूटना जो अभियुक्त दयाराम के कहने पर बरामद किया जाना है जबकि सारन (अभि. सा. 2) का पुत्र अभि. सा. 3 पूरन चंद ने यह कथन किया है कि शांता देवी अपने पति से कहा-सुनी होने के कारण "लोहरी उत्सव" से पूर्व अपने माता-पिता के मकान पर गई थी और तारीख 11 जनवरी, 2003 को उसका भाई जब मकान से जा रहा था तब उसने काले रंग की जैकेट, बनियान, कमीज और स्पोर्ट्स शू पहने थे और आगे यह भी कथन किया है कि अभियुक्त हिमा देवी ने पुलिस अभिरक्षा में रहते हुए उसके समक्ष प्रकटीकरण कथन किया है तथा पुने राम (अभि. सा. 5) ने "बरोतु नाले" में अभियुक्त व्यक्तियों द्वारा बूटेश्वर के शव को छुपाने के बारे में कहा है जो उक्त स्थान से पूर्वोक्त डंडे के साथ बरामद हुआ था । अभि. सा. 3 ने यह भी कथन किया है कि मृतक का जैकेट घटनास्थल पर भी पाया गया था जिसे ज्ञापन प्रदर्श पीई के माध्यम से कब्जे में लिया गया था जबकि यह अभिकथन किया गया है कि इसे अभियुक्त दयाराम द्वारा पेश किया गया था । उसने प्रतिपरीक्षा में यह स्वीकार किया है कि घटनास्थल से बरामद किया गया नश्वर शरीर पर अपने भाई की पहचान नहीं कर सका । उसने यह भी कथन किया कि अभियुक्त-व्यक्तियों और उसके मृतक भाई के एक-दूसरे के साथ अच्छे संबंध थे । खासतौर पर इस साक्षी ने प्रतिपरीक्षा में यह कथन किया है कि हिमा देवी द्वारा अभिकथित प्रकटीकरण कथन करने के समय पर तोदर राम प्रधान मौजूद था और पुलिस दल को उस स्थान पर ले जाया गया जहां से अभिकथित कंकाल की बरामदगी हुई थी । उसने इस बात की शिनाख्त

नहीं की कि क्या कंकाल जिसे बरामद किया गया था वह किसी मानव का है ।

(रेखांकन बल देने के लिए किया गया)

12. इसके अतिरिक्त, पुने राम (अभि. सा. 5) और सारन (अभि. सा. 2) कुल्हाड़ी प्रदर्श पीसी के बारे में अभियुक्त दयाराम द्वारा किए गए प्रकटीकरण कथन के भी साक्षी हैं जिसके अनुसरण में उसके बारे में चारपाई के नीचे से कुल्हाड़ी बरामद कराने का अभिकथन किया गया है और इसे पुलिस द्वारा कब्जे में लिया गया था । इसके पश्चात्, पुने राम (अभि. सा. 5) के अनुसार अभियुक्त दयाराम और हिमा देवी उन्हें उस खेत पर ले गए जहां से एक जैकेट और बाएं पैर का जूता बरामद किए गए और उन्हें ज्ञापन प्रदर्श पीएच के माध्यम से कब्जे में लिया गया था और तब उन्हें "नाले" पर ले जाया गया था जहां डंडे की बरामदगी हुई थी और उसे ज्ञापन प्रदर्श पीजे के माध्यम से कब्जे में लिया गया था । इसके अतिरिक्त, उनके स्वयं के पहनने वाले कपड़े पुलिस को सुपुर्द किए गए थे । उसने प्रतिपरीक्षा में यह कथन किया था कि जब अभियुक्त दयाराम और हिमा देवी कमरे के अंदर गई और अन्य लोग दरवाजे के नजदीक बाहर खड़े हुए थे और सभी वस्तुएं खुले रूप में कमरे में पड़ी हुई थीं । प्रकटीकरण के अनुसरण में कुल्हाड़ी को छोड़कर सभी अन्य अभिकथित बरामदगियां नहीं की गई थीं ।

13. इसके अतिरिक्त, सहायक उप-निरीक्षक पारस राम (अभि. सा. 12) ने भी यह कथन किया है कि कंकाल की बरामदगी होने पर शव की पहचान करना संभव नहीं था ।

14. हिमा देवी का प्रकटीकरण कथन तारीख 1 मार्च, 2003 का है । प्रथम इत्तिला रिपोर्ट प्रदर्श पी-13/क तारीख 1 मार्च, 2003 को 6.00 बजे अपराह्न रजिस्ट्रीकृत की गई थी । पुलिस थाने की दूरी 17 किलोमीटर है । सारन (अभि. सा. 2) की शिकायत 25 फरवरी, 2003 की है । मामले के रजिस्ट्रीकरण के पूर्व निरीक्षक के. डी. शर्मा (अभि. सा. 1) घटनास्थल पर पहुंचा और उसने जांच करनी प्रारंभ की और अभियुक्त हिमा देवी से पूछताछ की । उसने इस बारे में कथन नहीं किया है कि उस समय कौन मौजूद था । परंतु तब उपखंड मजिस्ट्रेट, मंडी, उप-पुलिस अधीक्षक सुब्रा तिवारी और अन्य लोगों से यह अनुरोध किया गया कि वे घटनास्थल पर निरीक्षण करें और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के अधीन अभियुक्त हिमा देवी का कथन प्रदर्श पीडी अभिलिखित किया जाना

अभिकथित है । उस समय हिमा देवी न तो किसी अपराध की अभियुक्त थी और न पुलिस की अभिरक्षा में थी । पूर्वोक्त धारा के उपबंध लागू होना अनिवार्य है कम से कम इस पर साक्ष्य को स्वीकार नहीं किया गया है ।

15. निरीक्षक के. डी. शर्मा (अभि. सा. 15) के कथन में इस बारे में कुछ भी प्रकट नहीं हुआ है कि कब अभियुक्त हिमा देवी को गिरफ्तार किया गया । तथापि, शिव लाल बंसल (अभि. सा. 4) ने यह कथन किया है कि अभियुक्त हिमा देवी से पुलिस चौकी, पंडोह में पूछताछ की गई थी । उस समय तोदार राम प्रधान और पुने राम (अभि. सा. 5) दोनों मौजूद थे परंतु उक्त पुने राम को प्रदर्श पीडी में साक्षी के रूप में उद्धृत नहीं किया गया है । उसने प्रतिपरीक्षा में यह कथन किया है कि वह यह नहीं जानता है कि क्या अभियुक्त वर्तमान मामले में शामिल था और उसने यह भी स्वीकार किया है कि पुलिस को घटनास्थल पर ले जाया गया था जहां से अभिकथित कंकाल की बरामदगी हुई थी ।

(रेखांकन बल देने के लिए किया गया)

16. एक अन्य औसत साक्षी पूरन चंद (अभि. सा. 3) ने यह नहीं कहा है कि क्या अभियुक्त हिमा देवी अपराध की अभियुक्त थी या पुलिस की निगरानी के अंतर्गत थी । जब उसके बारे में पूर्वोक्त कथन किया जाना अभिकथित है । उसने तोदार राम और शिव लाल बंसल के मौजूद होने के बारे में कुछ भी नहीं कहा है जब अभियुक्त हिमा देवी के बारे में प्रकटीकरण किए जाने का अभिकथन किया गया है परंतु उसने पुने राम का नाम लिया है जिसे उक्त कथन में साक्ष्य के रूप में उद्धृत नहीं किया गया था । अतः इन परिस्थितियों में अभिकथित प्रकटीकरण कथन और उसके अनुसरण में बरामदगी पूर्णतया संदेहपूर्ण है ।

17. अगली परिस्थिति बाएं जूते की बरामदगी से है जिसके बारे में अभियुक्त दयाराम के कथन प्रदर्श पीसी के अनुसरण में किया जाना अभिकथित है । उप-निरीक्षक मंगत राम (अभि. सा. 13) के बारे में पुने राम (अभि. सा. 5) और सारन (अभि. सा. 2) की मौजूदगी में तारीख 2 मार्च, 2003 को लगभग 10.00 बजे अपराह्न इस कथन को अभिलिखित किया जाना कहा गया है । यह संस्वीकृति कथन के प्ररूप में प्रकट है जो साक्ष्य में अग्राह्य है और इसके अतिरिक्त एक जूता जिसे उसके द्वारा रास्ते के पीछे बाहरी ओर छुपाकर रखे जाने का अभिकथन किया गया है जिसे उसके द्वारा बरामद किया जा सका । इस कथन से यह प्रकट हुआ है कि मृतक के अभिकथित जूते के साथ अभियुक्त को संबंधित करने के लिए

उसे केवल अभिलिखित किया गया है क्योंकि जूतों में से एक जूते की बरामदगी इससे पूर्व पहले ही घटनास्थल पर हुई थी कि सारन (अभि. सा. 2) ने यह कथन किया है कि दूसरा जूता खेत में पाया गया था । अतः, कथन प्रदर्श पीसी से यह प्रकट हुआ है कि इस परिस्थिति से अभियुक्त को संबंधित करने के लिए इसे तैयार किया गया था जबकि शांता देवी (अभि. सा. 6) ने इस बात से इनकार किया है कि पूर्वोक्त जूता उसके पति से संबंधित था ।

18. इसके अतिरिक्त यह बात समझ में नहीं आती है कि जब अभियुक्त दयाराम से तारीख 3 मार्च, 2003 को पूछताछ की जा रही थी तब उसी दिन वह कथन को कर सका था तथा कुल्हाड़ी की बरामदगी हुई थी परंतु अभियोजन पक्षकथन के अनुसार तारीख 4 मार्च, 2003 को अभियुक्त दयाराम ने अपने निवास स्थान से कुल्हाड़ी प्रदर्श पी-32 को बरामद किया था जिसके बारे में कोई प्रकटीकरण कथन नहीं है मात्र इसको प्रस्तुत किए जाने की कोई परिस्थिति नहीं है । अभिकथित अपराध के साथ कुल्हाड़ी को संबंधित नहीं किया गया है और न यह रक्त रंजित पाई गई थी ।

19. इसके अतिरिक्त, अभिकथित घटना कंकाल के बरामदगी की तारीख से 1-1/2 मास पूर्व घटी थी । सारन (अभि. सा. 2) के अनुसार ये सभी वस्तुएं कमरे में खुले रूप में पड़ी हुई थीं जिससे इस बारे में मानव-कल्पना पर आघात पहुंचता है कि अभिकथित आपराधिक प्रदर्शित वस्तुएं काफी समय से कमरे में रखी हुई थीं जो युक्तियुक्त नहीं हैं ।

20. अभियुक्त हिमा देवी के पहने गए कपड़ों पर अभिकथित रक्त के धब्बे मृतक के रक्त ग्रुप से संबंधित नहीं हैं ।

21. अभियुक्त नागनु राम के विरुद्ध अपराध में फंसाने वाली परिस्थिति में स्पष्टतया कुछ भी नहीं हैं । संवीक्षा करने पर हमने यह निष्कर्ष निकाला है कि पूर्वोक्त सभी बरामदगियां कुछ भी नहीं हैं परंतु विडंबना है । मृतक तारीख 11 जनवरी, 2003 या इसके तत्काल पश्चात् अभियुक्त-व्यक्तियों के मकान के आस-पास भी नहीं देखा गया था । रजनी (अभि. सा. 10) के अनुसार जिसे मृतक बुटेश्वर उसकी दुकान में 6.00 बजे अपराह्न उससे मिला था वह कुछ किराना सामान खरीदने के पश्चात् अभियुक्त-व्यक्तियों के मकान को जा रहा था परंतु उसने प्रतिपरीक्षा में यह कथन किया है कि बस ने लगभग 5.00 बजे अपराह्न अभियुक्त-व्यक्तियों के मकान की ओर प्रस्थान किया और उसके पश्चात् कोई भी बस सेवा नहीं

थी तथा उसने बस में उसे चढ़ते हुए नहीं देखा था । मृतक और अभियुक्त के मकान के बीच की दूरी केवल 5 किलोमीटर है । अभिलेख पर ऐसा कोई स्पष्ट साक्ष्य नहीं है कि उसने अपने ससुराल वालों के मकान में पहुंचने के लिए कौन सा तरीका इस्तेमाल किया या वह उनके वहां गया ।

22. मृतक और अभियुक्त-व्यक्तियों के संबंध स्वीकृततः सौहार्दपूर्ण थे । शांता देवी और उसके पति मृतक के बीच छोटी-मोटी कहा-सुनी हुई थी और ऐसी बातों से शांता देवी (अभि. सा. 6) द्वारा इनकार किया गया है । अभिलेख पर ऐसा कोई भी साक्ष्य नहीं है कि मृतक शांता देवी को बलपूर्वक अपने मकान पर ले जाना चाहता था जिस पर प्रत्यर्थियों ने मध्यक्षेप करने की कोशिश की और यह बात मृतक की हत्या का कारण बनी । इसके पूर्व भी अभियुक्तों ने मृतक से कभी भी इस बात का विरोध नहीं किया जब वह अपने साथ अपनी पत्नी को ले गया था । ऐसे किसी भी अवसर पर कोई भी आक्षेप नहीं किया गया ।

23. यह भी सिद्ध नहीं किया गया है कि नश्वर शरीर बुटेश्वर का था । केवल फोरेंसिक राय यह है कि खोपड़ी का ढांचा मृतक के फोटोग्राफ के समक्रमिक है । डा. जीवानंद चौहान (अभि. सा. 11) ने बरामद की गई सामग्री के सड़ाव के कारण क्षति और मृत्यु के बीच कोई संभाव्य समय प्रकट नहीं किया है ।

(रेखांकन बल देने के लिए किया गया)

24. इस प्रकार, पूर्वोक्त सम्पूर्ण परिस्थितियों के आधार पर और अभियुक्त-व्यक्तियों की दोषमुक्ति को दोषसिद्धि में संपरिवर्तित नहीं किया जा सकता क्योंकि सामने रखी गई ये परिस्थितियां निश्चायक प्रकृति और प्रवृत्ति की नहीं हैं ।

25. अतः, हम यह नहीं पाते हैं कि दोषमुक्ति का निष्कर्ष साक्ष्य से असंबद्ध है । तद्नुसार, अपील में कोई गुणागुण नहीं है, इसलिए, इसे खारिज किया जाता है ।

26. प्रत्यर्थियों को मामले की कार्यवाही के दौरान उनके द्वारा पेश किए गए जमानत और बंधपत्र से उन्मोचित किया जाता है ।

27. अभिलेख वापस भेजे जाते हैं ।

अपील खारिज की गई ।

आर्य

संसद् के अधिनियम

पशु अतिचार अधिनियम, 1871
(1871 का अधिनियम संख्यांक 1)[1]

[1 अगस्त, 2011 को यथाविद्यमान]

[13 जनवरी, 1871]

पशुओं द्वारा अतिचार से संबद्ध विधि को समेकित और संशोधित करने के लिए
अधिनियम

उद्देशिका – यत: पशुओं द्वारा अतिचार से संबद्ध विधि को समेकित और संशोधित करना समीचीन है ;

अत: एतद्द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित किया जाता है :–

---

[1] उद्देश्यों और कारणों के कथन के लिए देखिए भारत का राजपत्र, 1870, भाग 5, पृ. 310, परिषद् में कार्यवाहियों के लिए देखिए भारत का राजपत्र, 1870, भाग 5, अनुपूरक, पृ. 1150, 1200, 1290 और अनुपूरक, 1871, पृ. 178 ।

यह अधिनियम खोंडमाल जिले में, खोंडमाल विधि विनियम, 1936 (1936 का विनियम सं. 4) की धारा 3 और अनुसूची द्वारा ; तथा आंगुल जिले में आंगुल विधि विनियम, 1936 (1936 का विनियम सं. 5) की धारा 3 और अनुसूची द्वारा, प्रवृत्त किए जाने के लिए घोषित किया गया ।

यह अधिनियम निम्नलिखित में स्थानीय रूप से संशोधित किया गया –

अजमेर में 1954 के अजमेर अधिनियम सं. 5 द्वारा, आंध्र में 1961 के आंध्र प्रदेश अधिनियम सं. 30 द्वारा, असम में 1936 के असम अधिनियम सं. 1, बंगाल में 1934 के बंगाल अधिनियम सं. 5, मुम्बई में 1924 के मुम्बई के अधिनियम सं. 9, 1926 के अधिनियम सं. 4, 1931 के अधिनियम सं. 5 और 1959 के अधिनियम सं. 13, मध्य प्रदेश में 1935 के केन्द्रीय प्रान्त अधिनियम सं. 12, 1937 के अधिनियम सं. 22 और 1948 के मध्य प्रान्त और बरार अधिनियम सं. 27 द्वारा, उड़ीसा (साम्बलपुर जिला) में 1939 के उड़ीसा अधिनियम सं. 6 और उड़ीसा में 1948 के उड़ीसा अधिनियम सं. 15, और 1950 के अधिनियम सं. 23 द्वारा ; मद्रास में 1957 के मद्रास अधिनियम सं. 20 द्वारा, पंजाब में 1952 के पंजाब अधिनियम सं. 24 और 1959 के पंजाब अधिनियम सं. 18 द्वारा, हिमाचल प्रदेश में 1974 के हिमाचल प्रदेश अधिनियम सं. 7 द्वारा ; उत्तर प्रदेश में 1954 के उत्तर प्रदेश अधिनियम सं. 7 द्वारा ।

1958 के मध्य प्रदेश अधिनियम सं. 23 द्वारा (अधिसूचना की तारीख से) संपूर्ण मध्य प्रदेश को, 1960 के विनियम सं. 3 की धारा 3 और अनुसूची द्वारा कुछ उपान्तरणों सहित (1-11-1960 से) नेफा पर इस अधिनियम का विस्तारण किया गया, 1963 के विनियम सं. 6 की धारा 2 और अनुसूची द्वारा (1-7-1965 से) दादरा और नागर हवेली पर तथा 1965 के विनियम सं. 8 की धारा 3 और

अध्याय 1

प्रारंभिक

[1][1. **नाम और विस्तार** – (1) यह अधिनियम पशु अतिचार अधिनियम, 1871 कहा जा सकेगा ; और

(2) इसका विस्तार, [2][उन राज्यक्षेत्रों] के सिवाय [3][जो 1956 के नवम्बर के प्रथम दिन से ठीक पूर्व भाग ख राज्यों में समाविष्ट थे] और प्रेसिडेंसी नगरों तथा ऐसे स्थानीय क्षेत्रों[4] के सिवाय जिन्हें राज्य सरकार शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा समय-समय पर इसके परिवर्तन से अपवर्जित करे, संपूर्ण भारत पर है ।

[5]* * * *

अनुसूची द्वारा (1-10-1967 से) संपूर्ण लक्ष्यद्वीप संघ राज्यक्षेत्र पर यह अधिनियम विस्तारित और प्रवृत्त किया गया ।

1955 के मैसूर अधिनियम सं. 5 द्वारा यह अधिनियम बेलारी जिले में लागू होने के लिए और मालाबार जिले के लिए 1961 के केरल अधिनियम सं. 26 द्वारा निरसित किया गया ; तथा 1947 के बंगाल अधिनियम सं. 4 और 1948 के पश्चिमी बंगाल अधिनियम सं. 7 तथा 1957 के पश्चिमी बंगाल अधिनियम सं. 4 द्वारा भागत: निरसित किया गया ।

1 1891 के अधिनियम सं. 1 की धारा 1 द्वारा मूल धारा के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

2 विधि अनुकूलन आदेश, 1950 द्वारा "भारत के सभी प्रांतों" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

3 विधि अनुकूलन (सं. 2) आदेश, 1956 द्वारा "भाग ख राज्यों" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

4 यह अधिनियम संथाल परगना पर संथाल परगना सेटलमेंट रेग्यूलेशन (1872 का 3) द्वारा प्रवृत्त घोषित किया गया ; आंगुल और खोंडमाल में आंगुल विधि विनियम, 1913 (1913 का 3) की धारा 3 द्वारा, पंत पिपलौदा में पंत पिपलौदा विधि विनियम, 1929 (1929 का 1) की धारा 2 द्वारा प्रवृत्त घोषित किया गया । यह अनुसूचित जिला अधिनियम, 1874 (1874 का 14) की धारा 3(क) के अधीन जारी की गई अधिसूचना द्वारा निम्नलिखित जिलों में प्रवृत्त घोषित किया गया :–

हजारीबाग, लोहारडागा और मानभूम जिलों में तथा सिंहभूम जिले के परगना डालभूम और कोल्हान में [भारत का राजपत्र, 1881, भाग 1, पृ. 504, जिला लोहारडागा, जो कि आजकल पलामू जिले में सम्मिलित था इसे 1894 में पुनः अलग कर दिया गया तथा आजकल इसे रांची जिले के नाम से जाना जाता है, देखिए भारत का राजपत्र, 1899, भाग 1, पृ. 44], तथा तराई के उत्तर-पश्चिमी प्रांतों के लिए देखिए भारत का राजपत्र, 1876, भाग 1, पृ. 500, और गंजम तथा विजागापटनम के अनुसूचित जिलों के लिए, भारत का राजपत्र, 1899, भाग 1, पृ. 720 ।

5 1914 के अधिनियम सं. 10 की धारा 3 तथा अनुसूची 2 द्वारा उपधारा (3) निरसित ।

2. [**अधिनियमों का निरसन** – निरसित अधिनियमों के प्रति निर्देश ।] – निरसन अधिनियम, 1938 (1938 का 1) द्वारा निरसित ।

3. **निर्वचन खंड** – इस अधिनियम में, –

"पुलिस अधिकारी" के अन्तर्गत ग्राम चौकीदार भी है ; तथा

"पशु" के अन्तर्गत हाथी, ऊंट, भैंसे, घोड़े, घोड़ी, खस्सी, टट्टू, बछेड़े, बछेड़ी, खच्चर, गधे, सुअर, मेंढ़े, भेड़, मेष, मेमने, बकरियां और बकरियों के बच्चे भी हैं, [1][और

"स्थानीय प्राधिकारी" से ऐसे व्यक्तियों का निकाय अभिप्रेत है जो किसी विनिर्दिष्ट स्थानीय क्षेत्र के भीतर किन्हीं मामलों के नियंत्रण और प्रशासन से विधि द्वारा तत्समय विनिहित है, और

"स्थानीय निधि" से किसी स्थानीय प्राधिकारी के नियंत्रण या प्रबंध के अधीन कोई निधि अभिप्रेत है ।]

अध्याय 2

कांजी हौस और कांजी हौस रखवाले

4. **कांजी हौसों की स्थापना** – कांजी हौस ऐसे स्थानों पर स्थापित किए जाएंगे जिनके बारे में जिला मजिस्ट्रेट, राज्य सरकार के साधारण नियंत्रण के अध्यधीन, समय-समय पर निदेश दे ।

इस बात का अवधारण कि प्रत्येक कांजी हौस किस ग्राम द्वारा प्रयुक्त किया जाएगा जिला मजिस्ट्रेट द्वारा किया जाएगा ।

5. **कांजी हौसों का नियंत्रण । परिबद्ध पशुओं को खिलाने के लिए प्रभारों की दरें** – कांजी हौस जिला मजिस्ट्रेट के नियंत्रण के अधीन होंगे, और वह परिबद्ध पशुओं को खिलाने और पिलाने के लिए प्रभारों की दरों को नियत करेगा और समय-समय पर परिवर्तित कर सकेगा ।

[2][6. **कांजी हौस रखवालों की नियुक्ति** – राज्य सरकार प्रत्येक कांजी हौस के लिए एक कांजी हौस रखवाला नियुक्त करेगी ।

---

[1] 1891 के अधिनियम सं. 1 की धारा 2 द्वारा अंत:स्थापित ।

[2] भारत शासन (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश, 1937 द्वारा पूर्ववर्ती धारा के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

कांजी हौस रखवाले अन्य पदों को धारण कर सकेंगे – कोई कांजी हौस रखवाला एक ही समय पर सरकार के अधीन कोई अन्य पद धारण कर सकेगा ।

कांजी हौस रखवालों का लोक सेवक होना – प्रत्येक कांजी हौस रखवाला भारतीय दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) के अर्थ में लोक सेवक समझा जाएगा ।]

कांजी हौस रखवालों के कर्तव्य

7. **रजिस्टर रखना और विवरणियां देना** – प्रत्येक कांजी हौस रखवाला ऐसे रजिस्टर रखेगा और ऐसी विवरणियां देगा जैसी राज्य सरकार समय-समय पर निदिष्ट करे ।

8. **अभिग्रहणों को रजिस्टर करना** – जब पशु कांजी हौस में लाए जाएं तब कांजी हौस रखवाला अपने रजिस्टर में निम्नलिखित की प्रविष्टि करेगा –

(क) जीव-जन्तुओं की संख्या और वर्णन,

(ख) वह दिन और समय जब वे वहां ऐसे लाए गए,

(ग) अभिग्रहण करने वाले का नाम और निवास स्थान, और

(घ) स्वामी का, यदि ज्ञात हो, नाम और निवास स्थान;

तथा अभिग्रहण करने वाले या उसके अभिकर्ता को प्रविष्टि की एक प्रति देगा ।

9. **पशुओं का भार-ग्रहण करना और उन्हें खिलाना** – कांजी हौस रखवाला पशुओं का तब तक जब तक कि उनका इसमें इसके पश्चात् निर्दिष्ट रूप में व्ययन नहीं कर दिया जाता भार ग्रहण करेगा, उन्हें खिलाएगा और पिलाएगा ।

अध्याय 3

पशुओं को परिबद्ध करना

[1]10. **भूमि को नुकसान पहुंचाने वाले पशु** – किसी भूमि का कृषक या अधिभोगी,

---

[1] पशु अतिचार (मध्य प्रान्त संशोधन) अधिनियम, 1935 (1935 का मध्य प्रान्त अधिनियम सं. 12) द्वारा मध्य प्रान्त (अब मध्य प्रदेश) को लागू होने के लिए प्रतिस्थापित किया गया ।

या कोई व्यक्ति जिसने किसी भूमि पर फसल की खेती करने या उपज के लिए नकद उधार दिया है,

या ऐसी फसल या उपज अथवा उसके किसी भाग का क्रेता या बन्धकदार,

ऐसी भूमि पर अतिचार करने वाले और उसको या उस पर की किसी फसल या उपज को नुकसान पहुंचाने वाले किन्हीं पशुओं को अभिगृहीत कर सकेगा या अभिगृहीत करा सकेगा तथा [1][उनको चौबीस घंटे के अन्दर] उस कांजी हौस को [1][भेज सकेगा या भिजवा सकेगा] जो उस ग्राम के लिए स्थापित हो जिसमें वह भूमि आस्थित है ।

अभिग्रहण करने वाले को पुलिस द्वारा सहायता – पुलिस के सब अधिकारी, अपेक्षित किए जाने पर, (क) ऐसे अभिग्रहण के प्रतिरोध को, और (ख) ऐसे अभिग्रहण करने वाले व्यक्तियों से छुड़ाए जाने को, रोकने में सहायता करेंगे ।

11. **सार्वजनिक सड़कों, नहरों और बांधों को नुकसान पहुंचाने वाले पशु** – सार्वजनिक सड़कों, आमोद-प्रमोद स्थलों, बागानों, नहरों, जल-निकास संकर्मों, बांधों आदि के भारसाधक व्यक्ति और पुलिस के अधिकारी, ऐसी सड़कों, स्थलों, बागानों, नहरों, जल-निकास संकर्मों, बांधों आदि अथवा ऐसी सड़कों, नहरों, जल-निकास संकर्मों या बांधों के पार्श्वों या ढलानों को नुकसान पहुंचाने वाले या वहां भटकते हुए पाए गए किन्हीं पशुओं को अभिगृहीत कर सकेंगे या अभिगृहीत करा सकेंगे,

और [2][उनको चौबीस घंटे के अन्दर] निकटतम कांजी हौस को [2][भेजेंगे या भिजवाएंगे ।]

[3][12. **परिबद्ध पशुओं के लिए जुर्माने** – पूर्वोक्त रूप में परिबद्ध प्रत्येक पशु के लिए, कांजी हौस रखवाला ऐसा जुर्माना उद्गृहीत करेगा जो शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा

---

[1] 1891 के अधिनियम सं. 1 की धारा 3 द्वारा "उनको अनावश्यक विलम्ब किए बिना ले जाएगा या पहुंचवाएगा" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[2] 1891 के अधिनियम सं. 1 की धारा 4 द्वारा उनको "अनावश्यक विलम्ब किए बिना ले जाएगा" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[3] 1921 के अधिनियम सं. 17 की धारा 2 द्वारा मूल धारा के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

तत्समय के लिए विहित मान के अनुसार हो । विभिन्न स्थानीय क्षेत्रों के लिए विभिन्न मान विहित किए जा सकेंगे ।

ऐसे उद्गृहीत सब जुर्माने ऐसे अधिकारी की मार्फत जिसे राज्य सरकार निदिष्ट करे, जिला मजिस्ट्रेट को भेजे जाएंगे ।

जुर्माने और खिलाने के लिए प्रभारों की सूची – जुर्मानों की और पशुओं को खिलाने और पिलाने के लिए प्रभार दरों की एक सूची प्रत्येक कांजी हौस के या उसके निकट किसी सहजदृश्य स्थान पर लगाई जाएगी ।]

अध्याय 4

पशुओं का परिदान या विक्रय

13. **जब स्वामी पशुओं का दावा करता है और जुर्मानों और प्रभारों का संदाय करता है तब प्रक्रिया** – यदि परिबद्ध पशुओं का स्वामी या उसका अभिकर्ता उपस्थित हो और पशुओं का दावा करे तो कांजी हौस रखवाला ऐसे पशुओं की बाबत उपगत प्रभारों और जुर्मानों के संदाय पर उसे उनका परिदान कर देगा ।

स्वामी या उसका अभिकर्ता, पशुओं को वापस ले जाने पर कांजी हौस रखवाले द्वारा रखे गए रजिस्टर में उनके लिए पावती हस्ताक्षरित करेगा ।

14. **यदि पशुओं के लिए एक सप्ताह के अन्दर दावा न किया गया तो प्रक्रिया** – यदि पशुओं के बारे में दावा उनके परिबद्ध किए जाने की तारीख से सात दिन के अन्दर न किया गया तो कांजी हौस रखवाला उस बात की रिपोर्ट निकटतम पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को या ऐसे अन्य अधिकारी को करेगा जिसे जिला मजिस्ट्रेट इस निमित्त नियुक्त करे ।

ऐसा अधिकारी तब अपने कार्यालय के किसी सहजदृश्य भाग में एक सूचना लगाएगा जिसमें निम्नलिखित का कथन होगा –

(क) पशुओं की संख्या और वर्णन,

(ख) वह स्थान जहां वे अभिगृहीत किए गए थे,

(ग) वह स्थान जहां वे परिबद्ध किए गए हैं,

और डौंडी पिटवाकर उसकी उद्‌घोषणा अभिग्रहण के स्थान के निकटतम ग्राम और बाजार-स्थल में कराएगा ।

यदि पशुओं के लिए दावा सूचना की तारीख से सात दिन के अन्दर न किया जाए तो उक्त अधिकारी या उस प्रयोजन के लिए प्रतिनियुक्त उसके स्थापन के किसी अधिकारी द्वारा, ऐसे स्थान और समय पर और ऐसी शर्तों के अध्यधीन, जैसी जिला मजिस्ट्रेट साधारण या विशेष आदेश द्वारा समय-समय पर निदिष्ट करे, उनका सार्वजनिक नीलाम द्वारा विक्रय कर दिया जाएगा :

परन्तु यदि जिला मजिस्ट्रेट की राय हो कि किन्हीं ऐसे पशुओं का पूर्वोक्त रूप में विक्रय किए जाने पर उचित कीमत मिलने की संभाव्यता नहीं है तो उनका व्ययन ऐसी रीति में किया जा सकेगा जैसी वह ठीक समझे ।

15. **अभिग्रहण की वैधता पर विवाद उठाने वाले किन्तु निक्षेप करने वाले स्वामी को परिदान** – यदि स्वामी या उसका अभिकर्ता उपस्थित होता है और उक्त जुर्मानों और व्ययों का संदाय करने से इस आधार पर इनकार करता है कि अभिग्रहण अवैध था और कि स्वामी धारा 20 के अधीन परिवाद करने ही वाला है तो उन पशुओं की बाबत उपगत प्रभारों और जुर्मानों के निक्षेप पर वे पशु उसे परिदत्त कर दिए जाएंगे ।

16. **जब स्वामी जुर्मानों और व्ययों का संदाय करने से इंकार करता है या लोप करता है तब प्रक्रिया** – यदि स्वामी या उसका अभिकर्ता उपस्थित होता है और उक्त जुर्मानों और व्ययों को संदत्त करने से या (धारा 15 में वर्णित दशा में) उक्त जुर्मानों और व्ययों को निक्षिप्त करने से इंकार करता है या उसमें लोप करता है तो ऐसे अधिकारी द्वारा ऐसे स्थान और समय पर और ऐसी शर्तों के अध्यधीन जैसी धारा 14 में निर्दिष्ट है, उन पशुओं या उनमें से इतनों का जितने आवश्यक हों सार्वजनिक नीलाम द्वारा विक्रय कर दिया जाएगा ।

जुर्मानों और व्ययों की कटौती – उद्‌ग्रहणीय जुर्माने और खिलाने और पिलाने के व्यय, विक्रय के व्ययों सहित, यदि कोई हों, विक्रय के आगमों में से काट लिए जाएंगे ।

22--355 मिनि. ऑफ एल. एण्ड जे./2014

अविक्रीत पशुओं का परिदान और आगमों का अतिशेष – शेष पशु और क्रय-धन का अतिशेष, यदि कोई हो, निम्नलिखित को दर्शित करने वाले एक विवरण के सहित स्वामी या उसके अभिकर्ता को परिदत्त कर दिया जाएगा –

(क) अभिगृहीत पशुओं की संख्या,

(ख) समय जिसके दौरान वे परिबद्ध किए गए हैं,

(ग) उपगत प्रभारों और जुर्मानों की रकम,

(घ) विक्रीत पशुओं की संख्या,

(ङ) विक्रय के आगम, और

(च) वह रीति जिसमें उन आगमों का व्ययन किया गया है ।

पावती – स्वामी या उसका अभिकर्ता ऐसे विवरण के अनुसार उसको परिदत्त पशुओं के लिए और उसको संदत्त क्रय-धन के अतिशेष के लिए (यदि कोई हो) एक पावती देगा ।

17. **जुर्मानों, व्ययों और विक्रय के आगमों के अधिशेष का व्ययन** – वह अधिकारी जिसके द्वारा विक्रय किया गया था ऐसे काटे गए जुर्मानों को जिला मजिस्ट्रेट को भेजेगा ।

धारा 16 के अधीन काटे गए खिलाने और पिलाने के प्रभार कांजी हौस रखवाले को संदत्त किए जाएंगे जो धारा 13 के अधीन ऐसे प्रभारों लेखे अपने द्वारा प्राप्त सब राशियों को भी प्रतिधारित और विनियोजित करेगा ।

पशुओं के विक्रय के आगमों के अधिशेष, जिनका दावा न किया गया हो, जिला मजिस्ट्रेट को भेजे जाएंगे जो उन्हें तीन मास के लिए निक्षेप के रूप में रखेगा और यदि उस कालावधि के भीतर उनके लिए कोई दावा न किया गया और सिद्ध न हुआ तो उसकी समाप्ति पर [1][यह समझा जाएगा कि वह उन्हें राज्य के राजस्वों के रूप में रखे हुए हैं] ।

---

[1] भारत शासन (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश, 1937 द्वारा "इसमें इसके पश्चात् जैसा उपबंधित है उन्हें व्ययन करेगा" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

18. **[जुर्मानों तथा अदावाकृत विक्रय के आगमों का उपयोजन ।]** – भारत शासन (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश, 1937 द्वारा निरसित ।

19. **अधिनियम के अधीन विक्रयों में अधिकारियों और कांजी हौस रखवालों द्वारा पशुओं का क्रय न किया जाना** – कोई भी पुलिस अधिकारी या अन्य अधिकारी, या कांजी हौस रखवाला जो इसमें अंतर्विष्ट उपबंधों के अधीन नियुक्त हो, इस अधिनियम के अधीन किसी विक्रय में किसी पशु का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से क्रय नहीं करेगा ।

कांजी हौस रखवालों द्वारा परिबद्ध पशुओं का निर्मोचन कब न किया जाना – कोई भी कांजी हौस रखवाला किसी परिबद्ध पशु की निर्मुक्ति या परिदान इस अध्याय के पूर्ववर्ती भाग के अनुसार करने से अन्यथा तब तक नहीं करेगा जब तक कि ऐसी निर्मुक्ति या परिदान मजिस्ट्रेट या सिविल न्यायालय द्वारा आदिष्ट न हो ।

[1][अध्याय 5

अवैध अभिग्रहण या निरोध के परिवाद

20. **परिवाद करने की शक्ति** – कोई व्यक्ति जिसके पशु इस अधिनियम के अधीन अभिगृहीत किए हैं या ऐसे अभिगृहीत किए जाने पर, इस अधिनियम के उल्लंघन में निरुद्ध किए गए हैं, अभिग्रहण की तारीख से दस दिन के भीतर किसी समय, जिला मजिस्ट्रेट अथवा जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निदेश के बिना आरोपों को ग्रहण और उनका विचारण करने के लिए प्राधिकृत किसी मजिस्ट्रेट को परिवाद कर सकेगा ।

21. **परिवाद पर प्रक्रिया** – परिवाद स्वयं परिवादी द्वारा या परिस्थितियों से वैयक्तिक रूप से परिचित किसी अभिकर्ता द्वारा किया जा सकेगा । वह लिखित या मौखिक हो सकता है । यदि वह मौखिक हो तो उसका सार मजिस्ट्रेट द्वारा लिख लिया जाएगा ।

यदि परिवादी या उसके अभिकर्ता की परीक्षा पर मजिस्ट्रेट यह विश्वास करने का कारण देखता है कि परिवाद सु-आधारित है तो वह उस व्यक्ति को सम्मन करेगा जिसके खिलाफ परिवाद किया गया हो और मामले की जांच करेगा ।

---

[1] 1891 के अधिनियम सं. 1 की धारा 6 द्वारा मूल अध्याय के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

22. **अवैध अभिग्रहण या निरोध के लिए प्रतिकर** – यदि अभिग्रहण या निरोध अवैध न्यायनिर्णीत किया जाए तो मजिस्ट्रेट अभिग्रहण या निरोध से हुई हानि के लिए एक सौ रुपए से अनधिक का युक्तियुक्त प्रतिकर प्रतिवादी को दिलाएगा जिसका संदाय, पशुओं का निर्मोचन उपाप्त करने में परिवादी द्वारा संदत्त सब जुर्मानों और उपगत व्ययों सहित उस व्यक्ति द्वारा किया जाएगा जिसने अभिग्रहण किया या पशुओं को निरुद्ध किया ।

पशुओं का निर्मोचन – और यदि पशुओं का निर्मोचन नहीं किया गया है तो मजिस्ट्रेट ऐसा प्रतिकर दिलाने के अतिरिक्त, उनके निर्मोचन का आदेश देगा और यह निदेश करेगा कि इस अधिनियम के अधीन उद्ग्रहणीय सब जुर्माने और व्यय उस व्यक्ति द्वारा संदत्त किए जाएंगे जिसने अभिग्रहण किया या पशुओं को निरुद्ध किया ।

23. **प्रतिकर की वसूली** – धारा 22 में वर्णित प्रतिकर, जुर्माने और व्यय ऐसे वसूल किए जा सकेंगे मानो वे मजिस्ट्रेट द्वारा अधिरोपित जुर्माने हों ।][1]

अध्याय 6

शास्तियां

24. **पशुओं के अभिग्रहण का बलपूर्वक विरोध करने या उन्हें छुड़ाने के लिए शास्ति** – जो कोई इस अधिनियम के अधीन अभिग्रहणीय पशुओं के अभिग्रहण का बलपूर्वक विरोध करेगा,

और जो कोई अभिग्रहण के पश्चात् उन्हें या तो कांजी हौस से, या उन्हें कांजी हौस को ले जा रहे या ले ही जाने वाले किसी व्यक्ति से, जो पास में हो और इस अधिनियम द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अधीन कार्य कर रहा है, छुड़ाएगा,

वह मजिस्ट्रेट के समक्ष सिद्धदोष होने पर, छह मास से अनधिक की कालावधि के लिए कारावास से, या पांच सौ रुपए से अनधिक के जुर्माने से, अथवा दोनों से, दंडित किया जाएगा ।

---

[1] देखिए भारतीय दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) की धारा 63 से 70 तक और दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 421; साधारण खंड अधिनियम, 1897 (1897 का 10) की धारा 25 भी देखिए ।

25. **पशुओं द्वारा अतिचार कारित करने से हुई रिष्टि के लिए शास्ति की वसूली** – [1][ठीक आगामी धारा के अधीन या] पशुओं द्वारा किसी भूमि पर अतिचार कारित करने से हुई रिष्टि के अपराध के लिए अधिरोपित कोई जुर्माना उन सब पशुओं या उनमें से किसी के विक्रय द्वारा वसूल किया जा सकेगा जिनके द्वारा अतिचार किया गया था चाहे वे अतिचार करते हुए अभिगृहीत किए गए थे या नहीं और चाहे वे अपराध के लिए सिद्धदोष व्यक्ति की सम्पत्ति हों या अतिचार किए जाने के समय उसके भाराधीन ही हों ।

26. **सुअरों द्वारा भूमि या फसलों अथवा सार्वजनिक सड़कों को किए गए नुकसान के लिए शास्ति** – सुअरों का कोई स्वामी या रखवाला जो किसी भूमि या भूमि की किसी फसल या उपज अथवा किसी सार्वजनिक सड़क पर ऐसे सुअरों को अतिचार करने देते हुए उपेक्षा से या अन्यथा उसका नुकसान करेगा या नुकसान कराएगा अथवा करने देगा, वह मजिस्ट्रेट के समक्ष सिद्धदोष होने पर दस रुपए से अनधिक के जुर्माने से दंडित किया जाएगा ।

[2][राज्य सरकार, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, समय-समय पर, अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किसी स्थानीय क्षेत्र के संबंध में निदेश दे सकेगी कि इस धारा का पूर्वगामी भाग ऐसे पढ़ा जाएगा मानो उसमें केवल सुअरों के प्रति निर्देश के स्थान पर पशुओं के प्रति साधारणतया या अधिसूचना में वर्णित प्रकार के पशुओं के प्रति निर्देश हो अथवा मानो "दस रुपए" शब्दों के लिए "पचास रुपए" शब्द प्रतिस्थापित कर दिए गए हों अथवा मानो उसमें ऐसा निर्देश और ऐसा प्रतिस्थापन दोनों हों ।]

[3]* * * *

27. **कर्तव्य पालन में असफल होने वाले कांजी हौस रखवाले पर शास्ति** – कोई कांजी हौस रखवाला जो धारा 19 के उपबंधों के प्रतिकूल पशुओं का निर्मोचन अथवा क्रय या परिदान करेगा, या किन्हीं परिबद्ध

---

[1] 1891 के अधिनियम सं. 1 की धारा 7 द्वारा अंत:स्थापित ।

[2] 1891 के अधिनियम सं. 1 की धारा 8 द्वारा अंत:स्थापित ।

[3] 1914 के अधिनियम सं. 10 की धारा 3 और दूसरी अनुसूची द्वारा धारा 26 का अंतिम पैरा निरसित ।

पशुओं के लिए पर्याप्त खाने और जल की व्यवस्था करने में लोप करेगा, या इस अधिनियम द्वारा उस पर अधिरोपित अन्य कर्तव्यों में से किसी का पालन करने में असफल होगा वह किसी अन्य शास्ति के अलावा, जिसके वह दायित्वाधीन हो, मजिस्ट्रेट के समक्ष सिद्धदोष होने पर, पचास रुपए से अनधिक के जुर्माने से दंडित किया जाएगा ।

ऐसे जुर्माने कांजी हौस रखवाले के वेतन में से कटौतियों द्वारा वसूल किए जा सकेंगे ।

28. **धारा 25, 26 या 27 के अधीन वसूल किए गए जुर्मानों का उपयोजन** – धारा 25, धारा 26 या धारा 27 के अधीन वसूल किए गए सब जुर्माने सिद्धदोष करने वाले मजिस्ट्रेट को समाधानप्रद रूप में साबित हानि या नुकसान के लिए प्रतिकर के रूप में पूर्णत: या भागत: विनियोजित किए जा सकेंगे ।

अध्याय 7

प्रतिकर के लिए वाद

29. **प्रतिकर के लिए वाद लाने के अधिकार की व्यावृत्ति** – इसमें अन्तर्विष्ट कोई बात किसी व्यक्ति को, जिसकी भूमि की फसलों या अन्य उपज को पशुओं के अतिचार से नुकसान हुआ हो, किसी सक्षम न्यायालय में प्रतिकर के लिए वाद लाने से प्रतिषिद्ध नहीं करती है ।

30. **मुजरा करना** – सिद्धदोष करने वाले मजिस्ट्रेट के आदेश से इस अधिनियम के अधीन ऐसे व्यक्ति को संदत्त किसी प्रतिकर को, ऐसे वाद में प्रतिकर के रूप में उसके द्वारा दावा की गई या उसे दिलाई गई किसी राशि के प्रति मुजरा किया जा सकेगा या उसमें से काटा जा सकेगा ।

[1]अध्याय 8

अनुपूरक

31. **कतिपय कृत्यों को स्थानीय प्राधिकारी को अन्तरित करने की राज्य सरकार की शक्ति** – राज्य सरकार समय-समय पर शासकीय

---

[1] 1891 के अधिनियम सं. 1 की धारा 9 द्वारा अध्याय 8 जोड़ा गया ।

राजपत्र में अधिसूचना द्वारा –

(क) अपने प्रशासनाधीन राज्यक्षेत्रों के किसी भाग के अन्दर जिसमें यह अधिनियम प्रवृत्त हो किसी स्थानीय प्राधिकारी को इस अधिनियम के अधीन राज्य सरकार या जिला मजिस्ट्रेट के सब या किन्हीं कृत्यों का अन्तरण, उस स्थानीय प्राधिकारी की अधिकारिता के अध्यधीन स्थानीय क्षेत्र के अन्दर कर सकेगी ।

[1]* * * * *

[अनुसूची 1] – निरसन अधिनियम, 1938 (1938 का 1) की धारा और अनुसूची द्वारा निरसित ।

---

[1] खंड (ख) का लोप अंशत: 1914 के अधिनियम सं. 10 द्वारा तथा अंशत: भारत शासन (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश, 1937 द्वारा किया गया । बंगाल में पशु अतिचार (बंगाल संशोधन) अधिनियम, 1934 (1934 का बंगाल अधिनियम सं. 5) द्वारा एक नई धारा 32 का अंतःस्थापन किया गया था ।

विधि साहित्य प्रकाशन द्वारा प्रकाशित और विक्रय के लिए उपलब्ध विधि पाठ्य पुस्तकों की सूची

	पुस्तक का नाम	लेखक	पृष्ठ सं.	कीमत (₹)
1.	भारत का विधिक इतिहास	श्री सुरेन्द्र मधुकर	410	30.00
2.	माल विक्रय और परक्राम्य लिखत विधि	डा. एन. पी. परांजपे	371	40.00
3.	वाणिज्य विधि	डा. आर. एल. भट्ट	630	108.00
4.	अपकृत्य विधि के सिद्धान्त (तृतीय संस्करण)	श्री शर्मन लाल अग्रवाल	357	40.00
5.	अंतर्राष्ट्रीय विधि के प्रमुख निर्णय (द्वितीय संस्करण)	डा. एस. सी. खरे	273	115.00
6.	मानव अधिकार	डा. शिवदत्त शर्मा	340	120.00
7.	दण्ड प्रक्रिया संहिता	न्या. महावीर सिंह	840	200.00

पुस्तकों की सूची जिन पर छूट देने की स्वीकृति प्राप्त की गई है ।

	पुस्तक का नाम	लेखक	पृष्ठ सं.	मूल दर (₹)	संशोधित दर (₹)
1.	संविदा विधि (द्वितीय संस्करण)	डा. रामगोपाल चतुर्वेदी	552	275.00	137.00
2.	श्रम विधि (तृतीय संस्करण)	श्री गोपी कृष्ण अरोड़ा	658	452.00	226.00
3.	चिकित्सा न्यायशास्त्र और विष विज्ञान (तृतीय संस्करण)	डा. सी. के. पारिख अनुवादक डा. एन. के. पटौरिया	969	293.00	146.00
4.	आधुनिक पारिवारिक विधि	श्री राम शरण माथुर	767	429.00	214.00
5.	भारतीय स्वातंत्र्य संग्राम (कालजयी निर्णय)	संकलन संपादन – ब्रह्मदेव चौबे	209	225.00	112.00
6.	हिन्दू विधि (द्वितीय संस्करण)	डा. रवीन्द्र नाथ	617	425.00	212.00
7.	भारतीय दंड संहिता	डा. रवीन्द्र नाथ	696	741.00	370.00
8.	भारतीय भागीदारी अधिनियम (द्वितीय संस्करण)	श्री माधव प्रसाद वशिष्ठ	272	165.00	82.00
9.	प्रशासनिक विधि (तृतीय संस्करण)	डा. कैलाश चन्द्र जोशी	635	200.00	100.00
10.	विधिक उपचार (द्वितीय संस्करण)	डा. एस. के. कपूर	414	311.00	155.00
11.	विधि शास्त्र	डा. शिवदत्त शर्मा	501	580.00	377.00

विधि साहित्य प्रकाशन

(विधायी विभाग)

विधि और न्याय मंत्रालय

भारत सरकार

भारतीय विधि संस्थान भवन,

भगवान दास मार्ग, नई दिल्ली-110001

भारत के समाचारपत्रों के रजिस्ट्रार द्वारा रजिस्ट्रीकृत रजि. सं. 47259/88

सादर

विधि साहित्य प्रकाशन द्वारा तीन मासिक निर्णय पत्रिकाओं – उच्चतम न्यायालय निर्णय पत्रिका, उच्च न्यायालय सिविल निर्णय पत्रिका और उच्च न्यायालय दांडिक निर्णय पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है । उच्चतम न्यायालय निर्णय पत्रिका में उच्चतम न्यायालय के चयनित निर्णयों को और उच्च न्यायालय सिविल निर्णय पत्रिका तथा उच्च न्यायालय दांडिक निर्णय पत्रिकाओं में देश के विभिन्न उच्च न्यायालयों के क्रमशः चयनित सिविल और दांडिक निर्णयों को हिन्दी में प्रकाशित किया जाता है । इन पत्रिकाओं को और अधिक आकर्षक बनाने के लिए इनमें जनवरी, 2010 के अंक से महत्वपूर्ण केन्द्रीय अधिनियमों का प्राधिकृत हिन्दी पाठ को पाठकों की सुविधा के लिए शृंखलाबद्ध रूप से प्रकाशित किया जा रहा है । तीनों निर्णय पत्रिकाओं की वार्षिक कीमत केवल ₹ 495/- है । उच्चतम न्यायालय निर्णय पत्रिका की वार्षिक कीमत ₹ 225/- है, उच्च न्यायालय सिविल निर्णय पत्रिका की वार्षिक कीमत ₹ 135/- है और उच्च न्यायालय दांडिक निर्णय पत्रिका की वार्षिक कीमत ₹ 135/- है । तीनों मासिक निर्णय पत्रिकाओं के नियमित ग्राहक बनकर हिन्दी के प्रचार-प्रसार के इस महान यज्ञ के भागी बन कर अनुगृहीत करें ।

विधि साहित्य प्रकाशन

(विधायी विभाग)

विधि और न्याय मंत्रालय

भारत सरकार

भारतीय विधि संस्थान भवन,

भगवान दास मार्ग, नई दिल्ली-110001

दूरभाष : 011-23387589, 23385259, 23382105